सप्तम माला खंड 1 अंक 1

गुरुवार 25 मार्च 1982

4 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 25, गुरुवार, 25 मार्च, 1982/4 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 459, 468, 472, 473, 475, 458 और 462	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—222
तारांकित प्रश्न संख्या : 460, 461, 463 से 467, 469 से 471, 474 और 476	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5122 से 5124, 5126 से 5165 और 5167 से 5351	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	222—225
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	225—226
अध्ययन दौरों का प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	227
विवरण	
राज्य सभा से संदेश	227
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	228
सोलहवां तथा सत्तरहवां प्रतिवेदन	

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

आकलन समिति
तेइसवां प्रतिवेदन 228

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
बत्तीसवां प्रतिवेदन 228

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 229—241

अखिल भारतीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में कई प्रश्नपत्रों का समय से पूर्व पता लग जाने का समाचार

श्री अडुआर्डो फैलीरो 229

श्रीमती शीला कौल 229

श्री वृद्धि चन्द जैन 234

श्रीमती मोहसिना किदवई 236

श्री जैनुल बशर 239

नियम 377 के अधीन मामले 243—249

(एक) "माहीनदी के पानी के उपयोग सम्बन्धी समझौते का गुजरात राज्य सरकार द्वारा कथित उल्लंघन"

श्री वृद्धि चन्द जैन 243

(दो) अफीम वसूली की सरकारी नीति का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 244

(तीन) दिल्ली में समाज विरोधी तत्वों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने को रोकने के लिए उपाय

श्री कुंवर राम 245

(चार) पेरियार नदी की लवणता को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री जी० एम० बनातवाला 246

(पांच) मुवत्तुपुजा नदी के जल-प्रदूषण को रोकने के उपाय

श्री के० कुन्हाम्बु 247

(छः) तमिलनाडु में तिरुनेलवल्ली में चलते-फिरते डाक्टर की आवश्यकता

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाश 248

(सात) राजस्थान में सूखे और पीने के पानी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को अधिक केन्द्रीय सहायता

श्री अशोक गहलोत 248

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1982-83 249—318, 323—368

रक्षा मंत्रालय

प्रो० रूपचन्द पाल 250

श्री आर० एस० स्पैरो 267

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 278

श्री उत्तम राठौर 287

श्री राजेश पाइलट 291

श्री राम विलास पासावन 297

श्री अजीत सिंह दाभी 301

प्रो० नारायण चन्द पराशर 305

श्री के० पी० सिंह देव 310

डा० वी० कुल्लनदेई वेलु 317, 323

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 325

श्री चिंतामणि पाणिग्रही 331

श्री दयाराम शाक्य 337

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 341

श्री के० ए० राजन 346

श्री वीरभद्र सिंह 348

श्री टी० एस० नेगी 352

श्री दलीप सिंह भूरिया 355

श्री सी० चिन्नास्वामी 356
श्री रामसिंह यादव 358
श्री पी० नामग्याल 361
श्री सुन्दर सिंह 365
केरल बजट, 1982-83 318—320
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल)—1981-82— प्रस्तुत की गयी 320
असम बजट—1982-83 320—322
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम) 1981-82—प्रस्तुत की गयी 323

लोक-सभा

गुरूवार, 25 मार्च, 1982/4 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने आपसे 388 में अर्ज किया था···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अर्ज किया है कि इस बात को 12 बजे करेंगे ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : रेडियो वालों ने बागड़ी जी को श्रीमती बना दिया ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात का ऐतराज उठाना चाहिए कि आप के भाई का सेक्स बदल दिया गया है । यह कोई बात हुई ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कल श्री बागड़ी को रेडियो में श्रीमती कहा गया । क्या यह ठीक है ;

प्रो० मधु दंडवते : श्री बागड़ी ने पहले से आपत्ति उठाई है । क्या यह अनुमत है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम 388 के अन्तर्गत बात उठाई है ।

(प्रश्न 459 के बारे में)

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : प्रश्न संख्या 459 ।

एक माननीय सदस्य : कोई मंत्री नहीं उठा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यगोपाल मिश्र ने अपना प्रश्न पूछा है । रेलगाड़ी को चलने में अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भुवनेश्वर में हाल्ट स्टेशन

*459 श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन दक्षिण-पूर्व रेलवे के पन्सकुरा-हल्दिया सेक्सन के तमलुक

और केलोमल रेलवे स्टेशनों के बीच भुवनेश्वरपुर में एक नया रेलवे हाल्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के पन्सकुश-हल्दिया खंड पर तमलुक और केलोमल स्टेशनों के बीच यात्री हाल्ट खोले जाने का एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ था। दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस जांच के परिणामों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है जो मैंने विचाराधीन प्रस्ताव के ब्यौरे के बारे में पूछा है ।

श्री मल्लिकार्जुन : यह अनुनोध पश्चिम बंगाल की सरकार से आया है जिसमें तमलुक और केलोमल के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग की गई है और यह विचाराधीन है। इसका विस्तृत ब्यौरा यह है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक इस बात का पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या हाल्ट स्टेशन बनाना व्यवहार्य होगा या नहीं क्योंकि हमें हाल्ट स्टेशन के गावों के आस पास की जनता को और यातायात के औचित्य को तथा अन्य बातों को ध्यान में रखना पडता है। इन ब्यौरों के साथ अन्ततः एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिस पर विचार किया जाएगा।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : उस क्षेत्र के लोग रेलवे लाईन के बनने के बाद से भुवनेश्वर में हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। पन्सकुरा-हल्दिया रेलवे सैक्शन के स्टेशनों का निर्माण यात्री यातायात दृष्टि से बहुत दूर किया गया है और स्टेशनों के साथ बसों के रूट का संपर्क नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि इस क्षेत्र के यात्रियों के लाभ के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री मल्लिकार्जुन : केवल यात्रियों के लाभ के हित में प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया है इसकी जांच की जा रही है ; यातायात की व्यवहार्यता की जा रही है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : संसद में मेरे दो से अधिक वर्षों के अनुभव से मुझे पता चलता है कि प्रशासन इन किस्म के प्रस्तावों पर निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लेता है। तथापि मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रशासन इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : वे यथासम्भव कम से कम समय में निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री रामावतार शास्त्री.....

श्री माधव राव सिन्धिया···

श्री के० ए० स्वामी···

श्री मोहम्मद अ सरार अहमद···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, श्री माधव राव सिन्धिया के प्रश्न का क्या हुआ ? क्या इन्हें पार्टी के सचेतक से निर्देश मिला है कि वह आज यहां न बैठें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री के० लकप्पा···

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा

श्री हरिहर सोरन···

श्री तारिक अनवर···

एक माननीय सदस्य : क्या यह दंड दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मेरे लिए दंड है या किसी और के लिए ?

श्री के० एम० मधुकर

प्रो० नारायण चंद पराशर

प्रो नारायण चंद पराशर : प्रश्न संख्या 468

अध्यक्ष महोदय : क्या हमें सर्वसम्मत से एक संकल्प आपको उपस्थित रहने के लिए बधाई देने हेतु पारित करना चाहिए ?

ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजों को सहायता अनुदान देने के नियम

*468. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछड़े क्षेत्रों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजों को आवर्त्ती अनावर्त्ती और व्यय के लिए सहायता अनुदान की स्वीकृति सम्बन्धी नए नियमों में पर्याप्त उदारता बरतने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अनेक विश्वविद्यालय और कालेजों, जिनमें कुछ पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह बताया था कि छठी योजना के दौरान कालेजों को सहायता

संस्वीकृत करने के लिए निर्धारित मात्रता की शर्तों को पूरा करना कठिन है । आयोग ने इस मामले पर विचार किया और उनमें से कुछ पात्रता शर्तों को संशोधित किया । संशोधित मार्गदर्शी उपस्कर और पाठ्यक्रमों में कम से कम 150 सिद्धान्तों के अनुसार उन सभी पात्र कालेजों की पुस्तकों, उपस्कर और संकाय सुधार कार्यक्रमों के लिए बुनियादी सहायता उपलब्ध होगी, जिनमें डिग्री पाठ्यक्रमों में कम से कम 150 छात्र और 5 स्थायी शिक्षक होंगे ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों अधिकतर मूल सहायता के सम्बन्ध में हैं । मैं जान कि सकता हूं कि विकास सहायता के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का क्या हुआ है यथा प्रयोगशाला भवनों का निर्माण, स्टाफ पर होने वाला खर्च तथा अन्य आवर्ती खर्च ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने मूल अवश्यकताओं का उल्लेख किया है और इसके लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हैं परन्तु विकास, भवनों और प्रयोगशालाओं के निर्माण और स्टाफ को नियुक्त करने के लिए सहायता केवल मूल मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर दी जाएगी और यह वह है कि सम्बन्धित कालेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों में कम से कम 300 विद्यार्थी होने चाहिए यह मार्गदर्शी सिद्धान्त में उल्लिखित अन्य मापदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त है ।

प्रो० नरायण चन्द पराशर : एक मार्गदर्शी सिद्धान्त और जिसका मन्त्री महोदय ने अभी उल्लेख किया है कि ऐसे कालेजों अधिसूचित क्षेत्रों आदि सहित नगरपालिका क्षेत्र से कम से कम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए ।

सरकार गांवों में 300 या इसके लगभग की आबादी वाले गांवों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती हैं । अतएव यह बहुत ज्यादती हो जाएगी यदि अधिसूचित क्षेत्र समितियों को नगरपालिका क्षेत्र माना जाता है और वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रियायती सहायता लेने के पात्र नहीं रह जाते हैं । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे कि अधिसूचित क्षेत्र समितियों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की परिधि से बाहर रखा जाए और छोटे नगरों में स्थापित कालेजों के मामले में यह समझा जाए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, यह एक सुझाव है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र और अधिसूचित क्षेत्रों में कालेज खोलने के लिए एक सीमा की आवश्यकता है । अधिसूचित क्षेत्रों से 10 किलोमीटर दूर कालेज स्थापित किया जाना चाहिए । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह सीमा कम की जानी चाहिए तो हम इस बात को देखेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : सबसे पहले मैं प्रो० पराशर के इस सुझाव से सहमत हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में कालेज खोलने की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी जानी चाहिए । सोनमुखी

कालेज पिछड़े क्षेत्र में है जिसमें अनेक संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैंने 1980 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञापन दिया था परन्तु उन्होंने पूर्ण धनराशि इस कालेज को अवंटित नहीं की है। क्या मन्त्री महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उचित अनुदेश जारी करेंगे कि पिछड़े क्षेत्रों के ऐसे कालेजों को धनराशि दी जाए जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिक संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर सोनमुखी कालेज का नाम लिया है। प्रयोगशाला, स्कूल में भवन, कालेज के भवन और स्टाफ के लिए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह सोनमुखी कालेज को शेष धनराशि देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पर्याप्त अनुदेश देंगी।

श्रीमती शीला कौल : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में ऐसे कालेजों को कुछ छूट दी गई है। अन्य के लिए विद्यार्थियों की संख्या 150 या 200 होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह संख्या 100 रखी गई है। जिन कालेजों में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं उन्हें विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। उनके लिए उन कालेजों में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 35 प्रतिशत होनी चाहिए। केन्द्र ने अनुदेश दिए हैं कि इसे कम करके 20 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। यह छूट की गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने सोनमुखी कालेज का नाम लिया था। क्या मन्त्री महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कालेज को शेष राशि अलाट करने के बारे में उचित अनुदेश देंगी? यह कालेज पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। श्रीमन अराकल।

श्री जेवियर अराकल : महोदय शिक्षा का स्तर गिर रहा है। विशेषकर जब आप ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। मेरा प्रश्न दो बातों से सम्बन्धित है। पहला, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रयोगशालाओं का निर्माण करने और भवनों तथा अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च के मामले में उदारता से सहायता अनुदान देगी? दूसरा, क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कठोर मापदंड निर्धारित करेगी चाहे यह पिछड़ा क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र इस पर। विचार करके उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मांगे जाने पर पहले ही अनुदान देता है। लेकिन यह कहना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निश्चित मापदंड होना चाहिए, ऐसा करना संभव नहीं है। सबके लिए मापदंड निर्धारित करना सम्भव नहीं हैं। कुछ दूसरे से अधिक काम करते हैं। न्यूनतम मापदंड पहले से है।

उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति

*472. **श्री जो० एम० बनातवाला** : क्या शिक्षा मन्त्री उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति

के बारे में 10 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने मंत्रालयों/विभाग के सम्बन्ध में उर्दू के सम्बर्द्धन के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार करने लिए गठित उप-समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तन्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यदि नहीं, तो इस-समिति ने क्या प्रगति की है;

(ग) क्या गुजराल समिति के प्रतिवेदन पर सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के विचार प्राप्त हो गये है; यदि हां तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, शेष राज्यों/सघ क्षेत्रो के नाम क्या है ;

(घ) गुजराल समिति की सिफारिशों को शीघ्र कियान्वितक रने के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है; और

(ङ) क्या इस कार्य के एकान्तिक प्रभारी किसी विशेष अधिकारी ने राज्यों/संघ क्षेत्रों का दौरा किया है और यदि हां, तो दौरों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में उर्दू की तरक्की के लिए गुजराल समिति की सिफारिश पर विचार करने हेतु उप-समिति ने अब तक पांच बैठकें बुलाई हैं। पांचवी बैठक 26-1-1982 को हुई जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व एक और बैठक बुलाने का निर्णय किया गया।

2. गुजराल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कशमीर, उत्तर प्रदेश, केरल, राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने यह सूचित किया जा रहा है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है तथा इसके बाद ही टिप्पणियां उपलब्ध होंगी। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय की राज्य सरकारों तथा दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडीचेरी तथा अरूणाचल प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों न यह बताया है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी मणिपुर है। असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गोवा, दमन तथा दीव राज्यों से टिप्णियों की प्रतीक्षा है। उन्हें बार-बार

स्मरण कराया जा रहा है। जहां तक भारत सरकार के विभागो तथा मन्त्रालयों का सम्बन्ध है, लगभग इन सब से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

3. मन्त्रालय पत्र व्यवहार द्वारा तथा निजी तौर पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क करके तथा अधिकारियों के निजी दौरों द्वारा मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के सभी सम्भव प्रयास कर रहा है। इन अधिकारियों में वह विशेष अधिकार भी शामिल है जो इस समय टिप्पणियां न भेजने वाले राज्यों से सम्पर्क करने में लगा हुआ है ताकि टिप्पणियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकें।

श्री जो० एम० बनातवाला : अच्छा महोदय, गुजराल समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन का कार्य बहुत समय से लम्बित है। कम से कम हम जनता पार्टी की सरकार के प्रति अभारी हैं कि उन्होंने इसे सभा पटल पर रखा है। अब यह वर्तमान सरकार पर है कि वह देखे कि इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की जाए।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने यही बुद्धिमानी की बात कही है।

श्री जो० एम० बनातवाला : महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने एक शरारत की है, उसने गुजराल समिति की सिफारिशों को सीधे क्रियान्वित न करने के बजाए राज्य सरकारों को रिपोर्ट पर अपनी टिपणियां भेजने को कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपने पहले अच्छे किए गए काम को बिगाड़ रहे हो।

श्री जो० एम० बनातवाला : महोदय, गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की गई है। मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि यह देखने के लिए क्या गंभीर कार्यवाही की जा रही है कि इन विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाए और गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए नियुक्त उप-समिति का प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो जाएगा।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है कि हमने गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की टिपणियां अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली है। कुछ राज्यों ने अपनी टिप्पणियां भेजी है जबकि कुछ अन्य ने अब तक नहीं भेजी है। उस-समिति ने पांच बैठकें की हैं और उसने अपनी पिछली बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व एक और बैठक बुलाने का निर्णय किया है।

श्री जो० एम० बनातवाला : महोदय, जिन राज्यों ने अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी हैं उन-को ऐसा करने के लिए कहने हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्या यह अधिकारी उन राज्यों में गया है जिसमें यह उन्हें अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने के लिए कहे ?

श्री पी० के० थुंगन : यह विशेष अधिकारी कुछ राज्यों में गया है। इस विशेष अधिकारी के अलावा मंत्रालय के कुछ अन्य अधिकारी भी राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं जिसमें वह अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजें।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मेरा प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से उठता है। उन्होंने बताया है कि कुछ राज्यों ने रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां अब तक नहीं भेजी हैं। गुजराल समिति ने तीन वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं (व्यवधान) क्या मंत्री जी इस बात की छान-बीन करेंगे कि कुछ राज्य सरकारों का उर्दू विरोधी रवैया वास्तव में क्यों है? कुछ निर्णय लिए जाने के बावजूद कि स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए अनेक राज्य सरकारों ने शिक्षक तक नियुक्त नहीं किए हैं। जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते हैं उन्हें उर्दू पढ़ने का अवसर बिल्कुल ही प्रदान नहीं किया गया है जो कि हमारे देश की सर्वोत्तम भाषाओं में से एक है। क्या मंत्री जी एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करेंगे? मंत्री जी राज्य सरकारों के लिए भी कोई समय निर्धारित करेंगे जिसके पहले उन्हे अपनी रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। क्या केन्द्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि जो उर्दू पढने के इच्छुक है उन्हें उर्दू पढ़ने का प्रर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके तथा इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि अपनी प्रमुख भारतीय भाषाओं के रूप में उर्दू का भी विकास हो?

एक माननीय सदस्य : उर्दू पहले से ही हमारी राष्ट्रीय भाषाओं में से एक भाषा है।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी संघीय प्रणाली है। और इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वह चाहते थे कि केन्द्र सरकार कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे अथवा अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कोई समय निश्चित किया जाय। इसलिए उनके प्रश्न के उत्तर में मेरा कहना हैं कि हमारी एक संघीय प्रणाली है और राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट और टिप्पणियां भेजनी चाहिए थी। हम उनके लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि इस पर भी वे उत्तर न दे तो क्या होगा? गत कितने ही वर्षों से हम उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। सरकारी स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क किए गए हैं; अधिकारी-गण राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करते रहे हैं। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड आदि जैसे राज्यों ने सूचित किया है कि उन्हें इस रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जिनका इससे संबंध है यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिक्किम नागालैंड और मेघालय के बारे में बताया है। मुझे मालूम है कि वहां उर्दू नहीं है। किन्तु मैं उत्तर प्रदेश, बिहार,

मध्य प्रदेश तथा अन्य ऐसे राज्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं जहां उर्दू एक प्रमुख भाषा है। उन्होंने क्या कदम उठाए।

श्री पी० के० थुंगन : उत्तर प्रदेश और बिहार तथा अन्य राज्य इस मामले में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। इससे अधिक नहीं।

श्री मलिक एम०एम०ए० खान : अध्यक्ष महोदय, बडे दुःख की बात है कि उर्दू भाषा अपने ही वतन में दम तोड़ रही है। और हमारी सरकार जो वचनबद्ध है, मेनीफेस्टो के जरिए भी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री ने भी बहुत साफ अल्फाज में वादा किया है उत्तर प्रदेश के लोगों से कि दिसम्बर, 1981 तक उर्दू को दूसरी लेंग्वेज डिक्लेयर कर देंगे। सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मे सेकण्ड लेंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर करने के लिए और रीजनल लेंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जिनमें उर्दू पढ़ने वाले लड़के-मोजूद हैं, पर वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टाफ प्रेजुडिस्ड कम्युनल है और इंटेशनली उर्दू टीचर्स को वहां पर मुकरर नही किया जाता। क्या इस तरफ ठोस कदम उठायेगी ओर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगी कि ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, जिनमें उर्दू पढ़ने वाले लड़के है और पढ़ना चाहते हैं और वहा पर टीचर्स एपायंट नहीं किए जा रहे हैं।

श्री पी० के थुंगन – मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। जहां तक राज्य में उर्दू की तरक्की के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके प्रति राज्य सरकारों का कर्तव्य है। (व्यवधान).

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

श्री पी० के० थुंगन : मैं जो कहना चाहता हूं उसे पहले मुझे कह लेने दीजिए। जब आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, तो महोदय, आप हमें भी संरक्षण प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री थुंगन के मामले में भी मैं पूर्ण संरक्षण प्रदान करूंगा (व्यवधान)

श्री मलिक एम०एम०ए० खां : मैंने प्वाइंटेड सवाल पूछा है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह एश्योरेंस दिया था कि दिसम्बर 1981 तक उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा डिक्लेयर कर दिया जाएगा ओर उसको वे सारी सुविधाएं दे दी जायेंगी जो सैकिंड लेंग्वेज को दी जाती हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेंगे कि जो उर्दू सीखना चाहते है और जहां साल-साल दो-दो साल से टीचर्स नहीं हैं, ऐसे स्कूलों की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को वह भेजे?

अध्यक्ष महोदय : यह असेम्बली पूछेगी उनसे। यह एश्योरेंस जो चीफ मिनिस्टर का है

इसके बारे में असैम्बली में पूछा जाएगा । उनको इसको लेना चाहिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : सवाल को मन्जूर क्यों किया था ?

अध्यक्ष महोदय : उनके एश्योरेंस की बात वहां रहेगी ।जो इनका काम है वह यह करेंगे ।

श्री पी० के० थुंगन : उत्तर प्रदेश से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ समय पूर्व 5391 उर्दू शिक्षक नियुक्त किये गए थे ।

श्री वीरभद्र सिंह : हिमाचल प्रदेश में उर्दू बोलने वालों की संख्या नगण्य है तो भी हिमाचल प्रदेश ने उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया है और वह उस राज्य में पढ़ाई जा रही है। किन्तु राज्य में उर्दू शिक्षकों की कमी है और इस समय अनेकों स्कूलों में उर्दू शिक्षक नहीं हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण में राज्य सरकार को सहायता करने की कोई योजना है जिससे कि जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की सुविधा है उन सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षक प्राप्त हो जायें ।

श्री पी० के० थुंगन : योजना तो पहले से ही मौजूद है ।

उड़ीसा में रेल लाइनें

*473. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उड़ीसा में कुछ नई रेल लाइनें बनाने के लिए उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रस्तावित रेल लाइन कौन सी हैं; और

(ग) उड़ीसा में इन नई रेल लाइनों को बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलगन है ।

विवरण

उड़ीसा सरकार ने, रेल अभिसमय समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में निम्नलिखित लाइनों के निर्माण के लिए अनुरोध किया था :—

(1) जखापुरा-बांसपानी परियोजना का दैतारी-बांसपानी खंड ।

(2) तालचेर- सम्बलपुर लाइन ।

(3) रायगडा-कोरापुट लाइन ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने निम्नलिखित सर्वेक्षणों को आरम्भ करने का भी अनुरोध किया :—

(1) पश्चिम में बोलंगीर-रायगड़ा लाइन सहित दक्षिण में खोरधा रोड-ब्रह्मपुर लाइन को मिलाने के लिए एक लाइन ।

(2) जैपुर-अम्बागुडा-केसिंगा लाइन ।

(3) तालचेर-बिमलगढ़ लाइन ।

(4) गोपालपुर-ब्रह्मपुर लाइन ।

(5) जैपुर-मलकानगिरि लाइन ।

इन सुझावों से सम्बद्ध स्थिति इस प्रकार है :—

(i) जखापुरा-दैतारी-बांसपानी एक मिश्रित नयी लाइन परियोजना है । पहले चरण में, जखापुरा से दैतारी तक का खंड यातायात के लिए पहले से ही खोल दिया गया है । दूसरे चरण में, दैतारी से क्योंजारगढ़ तक निर्माण कार्य आरम्भ करने का कार्यक्रम है । जखापुरा-दैतारी खंड, जिसे यातायात के लिए पहले से ही खोल दिया गया है और उसका उड़ीसा खान निगम द्वारा दैतारी खानों से पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क की ढुलाई के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए दूसरे चरण का कार्यक्रम (दैतारी से क्योंजारगढ़) अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है ।

(ii) **सम्बलपुर-तालचेर लाइन :**

तालचेर क्षेत्र में कोयला निक्षेपों को परिहार्य करते हुए और भुवनेश्वर के दक्षिण के स्थानों के लिए इस मार्ग से होकर देश के उत्तरी और पूर्वी भागों से परिवर्तित यातायात को ध्यान में रखते हुए एक नया सर्वेक्षण आरम्भ करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । इस समय यह सर्वेक्षण चल रहा है । परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी व्यवहार्यता अर्थ सक्षमता, दोनों ही दृष्टियों से उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी । नई रेल लाइनों के निर्माण का विनिश्चय, योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है, जो नई लाइनों के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर रहता है ।

(iii) **कोरापुट-रायगडा लाइन :**

यह एक अनुमोदित परियोजना है और पहले चरण में कोरापुट से मातलापुत्तु तक के लगभग 23 कि० मी० लम्बे खंड में काम प्रारम्भ किया जा रहा ।

सर्वेक्षण :

जहां तक उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा नये सर्वेक्षणों के अनुरोध का सम्बन्ध है, बहुत बड़ी संख्या में सर्वेक्षण पहले से ही किये जा रहे हैं और धन की भारी तंगी के कारण, जिन परियोजनाओं

का इस समय सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके कार्यान्वयन की भी बहुत ही कम संभावना है, इन परिस्थितियों में, निकट भविष्य में जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की संभावना हो, केवल उन्हीं सर्वेक्षणों को आरम्भ करना वांछनीय होगा।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, रेलवे लाइन के मामले में उड़ीसा राज्य पीछे है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में नई लाइनें बिछाने के लिए रेलवे अभिसमय समिति को एक ज्ञापन दिया है। गत कितने ही वर्षों से न तो कोई नई रेलवे लाइन बिछाई गई है और न ही नई रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण ही किया गया है। अब, जब कि उड़ीसा सरकार द्वारा ज्ञापन दिया ही जा चुका है, तो क्या माननीय मंत्री से मैं यह जान सकता हूं कि नई रेलवे लाइन बिछाने का काम कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : रेलवे अभिसमय समिति के समक्ष अनेक राज्यों ने प्रस्ताव रखे है कि वे नई रेलवे लाइनें बिछाना चाहते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा सरकार ने भी बिछाई जाने वाली लाइनों के बारे में एक सूची दी है। विवरण में भी वही दी गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि दो लाइनें अनुमोदित हैं। जिनमें से एक जखपुरा से देतारी तक की है जो पूरी हो चुकी है तथा यातायात के लिये खोल दी गई है। जखपुरा-देतारी-बंसपानी की संयुक्त नई लाइन परियोजना में से पारादीप पत्तन तक लौह अयस्क के परिवहन के लिए जखपुरा से देतारी तक की लाइन खोल दी गई है। किन्तु, दुर्भाग्य वश खान निगम, उड़ीसा ने लौह अयस्क उठाने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया है। तथापि, वे दक्षिण-पूर्वी रेलवे सेक्शन में कुछ परिवर्तन चाहते थे और उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। हाल में ही उन्होंने देतारी से जखपुरा तक का यातायात आरम्भ कर दिया है। जब यातायात और बढ़ेगा तब फेस - II कार्य को पूरा करने के बारे में किया जाएगा।

दूरी लाइन को रापुट से रायगडा तक की स्वीकृत की गई थी और जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग स्वीकृत किया जा चुका है और फेस-I का कार्य पूरा हो चुका है। यह लाइन रायगडा से मचिल्लीगुडा तक है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 1982-83 में एक करोड़ रु० आवंटित किया गया है। सभलपुर-तल्चेर लाइन के मामले में सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। और भी कुछ सर्वेक्षण हैं किन्तु बहुत सारे सर्वेक्षण में कार्यवाही किये जाने के कारण तथा निधियों की कमी के कारण इस समय कोई आश्वासन देना सभव नहीं है।

श्री कृपा सिंधु भोई : महोदय, आप तो जानते हैं कि खनिज साधनों के दोहन तथा आन्तरिक साधनों के संचालन के लिए मूल भूत ढांचे आवश्यक है किन्तु माननीय मंत्री ने अभी उत्तर दिया है कि जखपुरा-बंस पानी रेलवे लाइन यातायात के लिये खोल दी गई हैं। किन्तु उड़ीसा खान निगम लौह अयस्क इसलिये नहीं उठा रहा है क्योंकि वहां साइडिंग की समुचित सुविधा

तथा अन्य प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। संबलपुर-तल्चेर लाइन के निर्माण के संबंध में योजना आयोग का एक प्रलेख है। योजना आयोग के प्रलेख के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति नियुक्त की गई थी और श्री पाण्डेय उसके अध्यक्ष थे। इस समिति ने टूटे हुए जोड़ों को जोड़ने के लिए विभिन्न मान-दंड निर्धारित किये थे। एक मान-दंड है भावनात्मक एकीकरण के लिए देश में लाइनें बिछाई जायें और देशभर में नई रेलवे लाइन बिठाने के लिये उन्होंने संबलपुर-तल्चेर लाइन को प्रथम वरीयता दिये जाने का उल्लेख किया है। संबलपुर और तल्चेर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिये एक सर्वेक्षण कार्य किया गया था और उन्होंने उस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण किया है क्योंकि तकनीकि आर्थिक सर्वेक्षण विशेषज्ञों के अनुसार वार्षिक वसूली दर 10 प्रतिशत से कम होगी। किन्तु माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उड़ीसा में पहले जो तीन रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं उनसे 10 प्रतिशत की प्राप्ति हो रही है और यह राज्य की औसत प्राप्ति का 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्ति दे रही हैं। इसलिए तकनीकि-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर माननीय मंत्री क्या एक स्पष्ट उत्तर देंगे कि क्या इस अप्राप्त कड़ी को वरीयता के आधार पर पूरा किया जाएगा जिससे न केवल उडीसा के तटीय क्षेत्र को उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र से जोड़े जायेंगे अपितु छत्तीसगढ़ के भीतरी क्षेत्र का भी यातायात खुल जायेगा? अन्तोगत्वा यह खनिज साधनों के दोहन में सहायक होगा और पारादीप पत्तन के माध्यम से माल का निर्यात करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। मैं माननीय मंत्री जी का एक निरपेक्ष उत्तर चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में 157 किलो मीटर के टूटी कड़ी का उल्लेख किया है और यह भी कहा है कि इसका निर्माण किया जाये। इसलिये 1977-80 में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-व-सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद पता चला था कि आन्तरिक लाभदर 10 प्रतिशत से कम होगी जो बिल्कुल भी लाभकारी नहीं थी। किन्तु बार-बार प्रतिवेदनों के प्राप्त होने तथा प्रारम्भिक इंजीनियरी-व-सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारण इस कड़ी की स्वीकृति तल्चेर कोयला क्षेत्र के माध्यम से की गई थी। तल्चेर कोयला क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जा रहा है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, क्या माननीय मंत्री से यह पता कर सकता हूं कि क्या तल्चेर और संबलपुर रेलवे लाइन के लिये जो कड़ी है वह खनिज क्षेत्र में पड़ती है। यह किस प्रकार निश्चित की गई थी? क्या पुनः सर्वेक्षण उस क्षेत्र में अथवा किसी अन्य क्षेत्र में किया जाएगा? यदि उस क्षेत्र में किया जाएगा तो क्या मैं जान सकता हूं कि पुनः सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा? क्या उनके लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी? और वह कब तक पूरा हो जाएगा?

मेरा दूसरा प्रश्न रूपसा-बांगरीपोशी छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तन किये जाने के संबंध में है जिसका तकनीकि-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जिसकी

रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। क्या माननीय मंत्री मुझे बतायेंगे कि इस तकनीकि-आर्थिक सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला क्या सर्वेक्षण लाभदायक पाया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्य छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया जाएगा अथवा नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, पहले प्रश्न के संबंध में मैं उत्तर दे चुका हूं।

रूपसा-बांगरीपोशी रेलवे लाइन के परिवर्तन किये जाने वाले मामले की जांच की जा रही है। जैसाकि मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि जांच के बाद, यदि योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाती है, तो कार्य आरम्भ किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, उन्होंने पहले भाग का सर्वेक्षण कब पूरा हुआ था और क्या इसे छठी पंच वर्षीय योजना में आरम्भ किया जायेगा, के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। महोदय, संरक्षण दिया जाये। उन्होंने निरपेक्ष उत्तर नहीं दिया है। यह खेदजनक है।

देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

*475. श्री जैनुल बशर : क्या नोवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान देश में सड़क दुर्घनाओं में हो रही लगातार वृद्धि की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं और उनमें कितने व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ?

नोवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से अद्यतन प्राप्त सूचनाओं के संकलन के आधार पर वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान सडक दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 1.44 लाख, 1.42 लाख और 1.47 लाख है। 1981 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, आये दिन हम बराबर समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि कहीं भयंकर दुर्घटना होती हैं और इनमें काफी लोग मर रहे हैं। मैंने 1981 की दुर्घटनाओं की फिगर मांगी थी और यह जानना चाहा था कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु की फिगर जवाब में नहीं आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : रोकने की बात पूछिए । कितना लोड लेकर चलते हैं, कितनों को लाइसेंस ठीक मिलता है, क्या तमाशा बना रखा है ?

श्री जैनुल बशर : कितनी गाड़ियां आपस में टकराती हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि 1980 और 1981 में कितने लोग इन दुर्घटनाओं में मारे गये हैं ?

श्री सीताराम केसरी : जैसा मैंने कहा कि 1981 के आंकड़े अभी हमारे पास प्राप्त नहीं हुए हैं, ज्यों ही प्राप्त होंगें, मैं सभा-पटल पर रख दूंगा। जहां तक 1980 का प्रश्न है इसमें तकरीबन 24,000 लोगों की मृत्यु हुई है ।

श्री मूलचन्द्र डागा : तकरीबन कैसे, फैक्ट होना चाहिए ।

श्री मदीराम बागड़ी : फंस गये ।

श्री सीताराम केसरी : फंसता नहीं हूं तकरीबन से मेरा अर्थ यह है कि 24,085 ।

जैनुल बशर : मैं जानना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ।

श्री सीताराम केसरी : माननवर, 1972 में एक स्टडी ग्रुप का निर्माण हुआ था और उसकी सिफारिशों के आधार पर हमारे मंत्रालय ने सभी प्रदेश सरकारों को आदेश दिया था कि राही और ड्राइवर दोनों को शिक्षित किया जाए । दुर्घटनाएं दो तीन कारणों से होती हैं । एक तो राही, यात्री, कुछ लापरवाही से चलते हैं और उनमें रोड-सेन्स के अभाव के कारण दुर्घटना होती है । दूसरे, ड्राइवर की रैश ड्राईविंग के कारण भी दुर्घटना होती है । तीसरे, सड़कों की गड़बड़ी के कारण, सड़कों के अच्छा न होने की वजह से परिवहन के चलन में कमजोरी आती है और उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं । इन सब बातों को जानने के बाद स्टडी ग्रुप ने कुछ निर्णय लिए और उनके आधार पर हमारे मंत्रालय ने सभी प्रदेश सरकारों को यह आदेश दिया है कि वे शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर के लोगों को शिक्षित करें, ताकि यात्रियों में सड़क पर चलने की सेन्स पैदा हो ड्राइवरों को पता लगे कि गाड़ी किस तरह से चलानी चाहिए। यह प्रबन्ध हमारे मंत्रालय ने किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अधिकांश दुर्घटनायें रेलवे फाटक पर और मोटर वाहन सड़कों पर होती हैं और 40,000 रेलवे फाटक में 24,000 रेलवे फाटकों पर चौकीदार नहीं है औसतन प्रति वर्ष सौ दुर्घटनायें मोटर वाहनों और रेल गाड़ियों के बीच इन रेलवे फाटकों पर होती हैं ?

क्या यह सच नहीं है कि इन दुर्घटनाओं को इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि एक सांविधिक उपबन्ध है कि बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर केवल स्थानीय सरकारें धन

खर्च करके चौकीदार रख सकती हैं और वे ऐसा नहीं कर रही है ? इसलिये क्या मंत्री महोदय रेल मंत्रालय से कुछ विचार विमर्श करेंगे, रेल मंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं—ताकि दो मंत्रालयों के बीच बातचीत करवा कर वह रेल मंत्रालय को 24,000 रेल फाटकों पर, जो अब तक बिना चोकीदार के हैं, चौकीदार रखने की व्यवस्था करने के लिये राजी कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि विदेशों में भी बिना चौकीदार के अनेक रेल फाटक होते हैं और ड्राइवरों का यह कर्त्तव्य होता है कि वह उन्हें पार करने से पहले ध्यान रखें।

प्रो० मधुदण्ड वते : विदेशी में ये खराबिया भारत से अपनाई गई है।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। वह विचारणीय है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाओं में मरने वाले ज्यादा लोग वे हैं, जो घटिया किस्म की सवारी वाले हैं या बिना सवारी के लोग हैं, जैसे साइकिल वाला, रिक्शा वाला और पैदल चलने वाला ...(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : घटिया किस्म की सवारी का क्या मतलब है ? सवारी सवारी है।

श्री मनीराम बागड़ी : बताता हूं। (व्यवधान) सीख रहे हैं। नये बच्चे हैं। उन्हें कुछ ज्ञान देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : हम आपसे नहीं सीखना चाहते।(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : बड़ों को तो सिखा दिया। ये चेले हैं। (व्यवधान) इन्हें सीखना चाहिए।

एक तो उन्होंने कहा कि घटिया सवारी कौन सी है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें। उनका जवाब न दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : बड़े लोग भी इन दुर्घटनाओं में मरते हैं, जैसे पंजाब कांग्रेस के नेता और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता। हमारे लिए तो किसी की भी मौत बराबर है, इन्सानी मौत बराबर है। लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सब से पहले यह सोचना पड़ेगा कि दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं। इसके कारण हैं —तंग सड़कें, कटी सड़कें, सड़कों के मोड़ और जहां पर सड़क दरिया से...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कर लीजिए।

श्री मनीराम बागडी : क्या मन्त्री महोदय ने ऐसे स्थान मार्क किए हैं जहां पर कई दुर्घटनायें

हो जाती हैं और उन दुर्घटनाओं की जांच की है ? मिसाल के लिए सड़कों पर ज्यादा मोड़, ज्यादा अर्से तक सड़क का टूटा रहना, वगैरह-वगैरह। क्या इन बातों की तरफ आपने ध्यान दिया है और देखा है कि ऐसे कौन से खास-खास प्वाइन्ट्स हैं जहां पर ज्यादा दुर्घटनायें होती हैं और उनको रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं ?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य का यह सुझाव अच्छा है कि जब कभी ऐसी जगहों पर भयंकर दुर्घटना हो जाए तो उसकी जांच-पड़ताल की जाय। हम ऐसी दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल करते हैं। सभी प्रदेशीय सरकारों को हमने इस सम्बन्ध में आदेश भी दिए हैं कि जब कोई इस तरह की दुर्घटना हो तो उसकी जांच-पड़ताल करें और शीघ्रातिशीघ्र हमारे सामने रिपोर्ट भेजें।

श्री जगदीश टाईटलर : दुर्घटनाएं होने के जो भी कारण बताये गये हैं उनके साथ यह भी सच है कि जब दुर्घटनाय होती हैं तब ड्राइवर नशे की स्थिति में पाये जाते हैं। दूसरे ड्राइवर 10 घण्टे, 12 घण्टे से अधिक ड्यूटी करते हैं। नियमों के अनुसार कोई भी ड्राइवर 8 घण्टे से अधिक ड्यूटी नहीं दे सकता। ट्रकों के मालिक जो इन ड्राइवरों को नियुक्त करते हैं शायद उनको कुछ अतिरिक्त धनराशि देते हैं और उनसे 12 घण्टे से अधिक काम लेते हैं और दुर्घटनायें होने का एक कारण यह भी है। तीसरी बात यह है कि शराब की अधिकांश दुकानें प्रमुख सड़कों पर होती हैं आप दिल्ली से पंजाब जाकर देख लीजिए। क्या मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि वे दुकानें प्रमुख मार्गों से हटा दी जायें ? दूसरे क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन ट्रकों के मालिक ड्राइवरों से 8 घण्टे से अधिक काम न लें।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्य ने ट्रक्स के ड्राइवर्स, ओनर्स के सम्बन्ध में जो कहा उस सम्बन्ध में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे ड्राइवर्स को लाइसेन्स न दिया जाए जिनको अच्छे ढंग की ट्रेनिंग न मिली हो। जहां तक शराब पीने और रैश ड्राइविंग करने का सम्बन्ध है, उसके लिए भी नियमों में प्राविजन है, नियमों के अन्तर्गत उसको आफेन्स माना जाता है और चालान भी किया जाता है। जहां तक कानून को लागू करने का सवाल है उसमें कभी कोई ढील नहीं की जायेगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्नत देश में इस बात कि जांच करने की व्यवस्था है कि क्या ड्राइवर नशे की स्थिति में है या नहीं। गति की जांच करने के लिए भी उनके पास चल एकक होते हैं। सामान्य तौर पर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाए जाते हैं और जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने दिल्ली से पंजाब तक जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं पाई। ट्रकों तथा अन्य वाहनों की गति की जांच करने के लिए सरकार के पास कौन से ठोस प्रस्ताव हैं। इस बात की जांच करने के लिए भी क्या व्यवस्था है कि ड्राइवर वास्तव में नशे की स्थिति में है और यदि

हां तो उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है। आपके पास कानून है। परन्तु कार्यान्वित करने के लिए कौनसा तंत्र है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या कोई हमारे पास ऐसा यन्त्र है, जिसके द्वारा यह चैकिंग करते हैं या नहीं ? मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विदित करता हूं कि हमने सभी प्रदेश की सरकारों को इस सम्बन्ध में आदेश दिए हैं कि हर 40-50 मील की दूरी पर चैकिंग आबजर्वर रखें और उनके द्वारा सड़कों पर चैकिंग करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ड्राइवर की नहीं जेब की चैकिंग करते हैं।

श्री सीताराम केसरी : डागा साहब का कहना है कि जेब को चैक करते हैं। इनकी जेब को चैक किया होगा, मुझे पता नहीं है। इसकी जानकारी हमको नहीं है। डागा साहब ट्रक चलाते होंगे, इनको जानकारी होगी।

मान्यवर, जहां तक चैकिंग का प्रश्न है, हर 40-50 मील की दूरी पर प्रदेश सरकारों को आदेश हैं और वे सड़कों पर चैकिंग करते हैं और जो पीए हुए होता है, उस हालत में पाए जाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं या तेज स्पीड में चलाते हैं, तो उनको मोटर वैहिकिल एक्ट नियम के मुताबिक चालान भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान डिपेंड करती है। बहुत एक्सीडेन्ट होते है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबकी यह भावना है। (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको तगड़े होकर इस सम्बन्ध में स्टैप्स लेने चाहिए। लोग रात को पांच-पांच लाइटें लगाकर चलते हैं। लाइसेन्स जल्दी मिल जाता है। यहां से कैंसिल कर दो, तो बंगाल से मिल जाता है और बंगाल वाले पंजाब से ले लेते हैं। इस सम्बन्ध में आप करिए यह बहुत आवश्यक है। लोगों की जो सिविक सेंस हैं, इसमें आप जरूर कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम जेठमलानी। वह गैरहाजिर हैं। श्री सोमजी भाई डामोर, प्रश्न संख्या 458। श्री अरविन्द नेताम।

दहोद में आदिवासी प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी

*458. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० 111/74/सी ए/3 दिनांक 24 मई, 1979 द्वारा मन्जूर किए गये आदिवासी प्रतिपूर्ति भत्तों को दहोद आदिवासी क्षेत्र में 10 दिसम्बर, 1981 से क्यों रोक दिया गया है जबकि दहोद (गुजरात राज्य) आदिवासी खंड में राज्य सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है,

(ख) आदिवासी भत्ते की अदायगी के लिए रेल कर्मचारियों पर चार वर्ष की पूर्व सेवा की शर्त लगाने के क्या कारण हैं जब यह शर्त गुजरात राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं है; और

(ग) गुजरात राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू शर्तें रेल कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?'

रेल मंत्रालय व संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) आदिवासी प्रतिपूरक भत्ते के भुगतान के लिए स्वीकृति की वैधता अब 1.12.81 से 31.5.82 तक बढ़ा दी गई है ।

(ख) और (ग) सामान्यत: केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा यथा निर्मित स्थानों के वर्गीकरण का अनुसरण करती है । लेकिन, ऐसे भत्तों के लिए वह स्वतन्त्र रूप से अपनी दर और शर्तें निर्धारित करती है । एक या एक से अधिक अनुसूचित/आदिवासी ब्लाकों में, जहां ऐसा भत्ता अनुमेय है, चार वर्ष की लगातार सेवा की शर्त राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श तन्त्र) की उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिन्हें राष्ट्रीय परिषद् ने 29/30 अक्टूबर, 1971 में हुई अपनी बैठक में स्वीकार किया था ।

श्री अरविन्द नेताम : प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा 1979 में मंजूर किए गए आदिवासी प्रतिपूर्ति भत्ते को 1-12-1981 से क्यों बन्द कर दिया गया है । आदिवासी प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए मन्जूरी की मान्यता 1-12-1981 से बढ़ाकर 31-5-1982 तक कर दी गई है । यह अवधि बढ़ा दी गई है । क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वर्ष 1981 से 31-5-1982 तक बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मैं दो पूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्री मल्लिकार्जुन : आदिवासी प्रतिपूर्ति भत्ता किन मंत्रालयों के परामर्श से आदिवासी क्षेत्रों में दिया जाता था और वित्त मन्त्रालय देश के विभिन्न भागों में आदिवासी क्षेत्र निर्धारित किए हैं जहां प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान किया जाता है । जहां तक विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका भुगतान तीन वर्ष तक किया गया था और बाद में इसकी अवधि 6 महीने और बढ़ा दी गई है, अब वित्त मन्त्रालय से परामर्श किया जा रहा है कि क्या वह इसकी अवधि और बढ़ाने पर सहमत है ।

श्री अरविन्द नेताम : मुख्य उत्तर में बताया गया है कि "एक या एक से अधिक अनुसूचित/

आदिवासी ब्लाकों में, जहां ऐसा भत्ता अनुपेय है, चार वर्ष की लगातार सेवा की शर्त राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तन्त्र) की उपसमिति की सिफारिशों पर आधारित है।" मुझे यह नहीं समझ में आया कि चार वर्षों की शर्त क्यों निर्धारित की गई है। सामान्यतौर पर कर्मचारी तीन या चार वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। जब कोई अधिकारी किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जाता है जहां उनको प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है, तो इसमें भेद भाव क्यों बरता जाता है ? क्या मैं इसका आधार पूछ सकता हूं ?

रेल मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : संयुक्त परामर्श तन्त्र कर्मचारी पक्ष की ओर श्रमिक बल का प्रतिनिधित्व करता है। अत: उन्हीं के अनुरोध पर ऐसा किया गया था। इस सिफारिश के पीछे शायद यही विचार है कि वे थोड़े समय के लिए ऐसे स्थानों पर ठहरते हैं, इसलिए उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। कर्मचारियो को असुविधा न हो, इसलिए चार वर्ष से अधिक अवधि तक ठहरने के लिये यह दिया जाता है। परन्तु जब वे किसी स्थान पर चार वर्ष से अधिक समय तक ठहरते हैं तब उनको पिछली बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया जाता है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में लतलाया कि हमने एक कमेटी एप्वाइन्ट की थी और आदिवासियों को हम ट्राइबल एलाउन्स देंगे। माननीय सदस्य ने वेस्टर्न रेलवे के दोहद के बारे में पूछा था, लेकिन मेरी कांस्टीचूएन्सी झाबुआ है जहां सैन्ट-परमेन्ट आदिवासी हैं परन्तु वहां नहीं मिलता है। रेलवे वही वैस्टर्न रेलवे है, लेकिन इस पार झाबुआ में नहीं मिलता है, उस पार मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वेस्टर्न रेलवे में जो ट्राइबल एलाउन्स डिक्लेअर्ड है वह इस क्षेत्र को भी दिया जाएगा ? 1971 के डिवीजन के अनुसार सारे ट्राइबल क्षेत्रों को चाहे मध्य प्रदेश हो या हिन्दुस्तान में जितने ट्राइबल स्टेट्स डिक्लेअर्ड हैं उन सबको दिया जायगा, क्या उनको एरियर्स सहित ट्राइबल एलाउन्स देंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी तक यह भेदभाव क्यों रहा है ? (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : राज्य सरकार द्वारा आदिवासी खण्डों का पता लगाया जाता है। जहां तक भुगतान का संबध है उसमें अन्तर भी है। राज्य सरकार का भुगतान करने का अपना मान-दण्ड है जबकि केन्द्रीय सरकार ने, जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय से परामर्श करके भुगतान की राशि निर्धारित कर रखी है।

श्री दिलीपसिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जब स्टेट गवर्नमैंट दे रही है तो रेलवे क्यों नहीं देना चाहती है ?

दक्षिण मध्य रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर दूषित पेयजल की सप्लाई

*462. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशनों पर दूषित पेयजल की सप्लाई के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की जानकारी है; और

(ख) इस प्रकार स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी हाल में अर्थात् विगत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार की कोई समाचार रिपोर्ट नोटिस में नहीं आयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० एम० स्वामी : दक्षिण में —विजयवाड़ा तथा अन्य अनेक स्टेशनों पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है । क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह सच नहीं है कि विजयवाड़ा और अन्य स्टेशनों पर शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है, दक्षिण मध्य रेलवे पर 840 स्टेशन हैं और लगभग सभी स्टेशनों पर नगर-निगमों और हमारे अपने खुले कुओं आदि से पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं । पानी गन्दा होने की स्थिति में पानी में क्लोरीन डालने और पानी को साफ करने के लिए नियमित कदम उठाये जाते हैं । मुख्य अभियन्ता के निदेश पर कार्य करने वाले ये विशिष्ट कर्मचारी हैं जो टंकियों में जमा पानी की जांच करते रहते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्रा/दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण

*460. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों की यात्रा/दैनिक भत्ते की दरें 1976 में पुनरीक्षित की गई थीं जबकि आज की तुलना में उस समय मूल्य कम थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त पुनरीक्षण रेलवे बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं० पी० सी० III/78 टी० ए०/1 दिनांक 20.4.1979 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान मूल्य स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार यात्रा/दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) यात्रा/दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन केवल रेल कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक साथ ही किया जा सकता है। बहर-हाल, सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है।

मेले में पाकिस्तानी मंडप द्वारा नक्शे का वितरण

*461. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व दिल्ली में आयोजित भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मे पाकिस्तानी मण्डप द्वारा एक इस्तहार वितरित किया गया था जिसमें एक नक्शा बांटा गया था और उसमें सम्पूर्ण आजाद कश्मीर क्षेत्र को पाकिस्तानी प्रदेश के अन्तर्गत दिखाया गया है और भारतीय जम्मू तथा कश्मीर राज्य के शेष भाग को "विवाद ग्रस्त प्रदेश" दिखाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तानी मंडप द्वारा इस प्रकार का कोई पैम्पलेट बांटा गया था। लेकिन हो सकता है कि इस तरह का कोई साहित्य जिसमें कथित विवरण का नक्शा रहा हो, भारत में आ गया हो और यहां बांटा गया हो।

(ख) सरकार ने यह मामला पाकिस्तानी राजदूतावास के साथ उठाया था और इस पर उनसे अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की थी।

लखनऊ और आगरा के बीच बरास्ता बदायूं-कासगंज (पूर्वोत्तर रेलवे) रेल सेवा

*463. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और आगरा के बीच रेल सेवा बरास्ता बदायूं-कासगंज (पूर्वोत्तर रेलवे) संतोषजनक रूप से चल रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार माल तथा यात्रियों के लिए संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है और यह कार्य कब तक हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) और (ख) कासगंज-बदायू के रास्ते आगरा फोर्ट और लखनऊ के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है। इसके बदले कासगंज-फर्रुखाबाद और कानपुर के रास्ते आगरा और लखनऊ के बीच एक सीधी गाड़ी है। सहेमार्ग पर यात्री गाड़ी सेवाएं यात्री जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं ;

लेकिन यह सही है कि उनका समय-पालन सन्तोषजनक नहीं है। इन गाड़ियों का समय-पालन निष्पादन पर मुख्यतः इन्जनों की खराबी और खतरे की जंजीर खींचने के कारण दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सभी स्तरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और खतरे की जंजीर खींचने की बुराई पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। डीजलीकरण और निगरानी रखने के कारण माल गाड़ियों के चालन में सुधार हुआ है।

सस्ते किस्म के लेन्सों के निर्माण पर नियन्त्रण

*464. श्री के० लकप्पा
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों के अनुसार सस्ते किस्म के लेन्स से अन्धापन आ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे लेन्सों के निर्माताओं पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण है ;

(ग) यदि नहीं, तो सस्ते किस्म के लेन्सों पर प्रतिबन्ध और जरूरतमन्दों को अच्छे किस्म के लेन्स उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सस्ते किस्म के लेन्सों का निर्माण करने वाली कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने का भी विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सस्ते किस्म के लेन्स से व्यक्ति को तकलीफ तो हो सकती है लेकिन उससे कोई स्थायी क्षति अथवा दृष्टिहीनता नहीं होती।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंजीनियरी कालेजों में शुरू किए जाने वाले इंजिनियरी शिक्षा कार्यक्रम का वित्तीय दायित्व

*465. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाठ्यक्रम में व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल करने के लिए किसी इंजिनियरी शिक्षा कार्यक्रम के बारे में केन्द्रीय सरकार का कितना वित्तीय दायित्व होगा;

(ख) क्या ऐसे समेकित कार्यक्रम देश के सभी इंजिनियरी कालेजों में शुरू कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो देश के उन इंजिनियरी कालेजों के नाम क्या हैं जिनमें ये कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए हैं ; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) सरकार ने इंजिनियरी और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली सभी इंजिनियरी संस्थाओं को मई, 1980 में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उनसे अध्ययन के दौरान कम से कम 24 सप्ताह के संगत व्यवहारिकता प्रशिक्षण की व्यवस्था करके प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के साथ व्याहरिक प्रशिक्षण को सम्बद्ध करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा गया था। इसके बाद जनवरी, 1981 में एक और पत्र भेजा गया। संस्थाओं को यह सूचित किया गया था कि जब वे पाठ्यचर्या के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण को सम्बद्ध करने की योजना शुरू करेंगे तो केन्द्रीय सरकार उस अध्यापन स्टाफ की जो उद्योग में प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण के लिए जाते हैं, यात्रा भत्ते तथा प्रतिमास 400 रुपये के जेब खर्च के भत्ते (उनके सामान्य वेतन के अलावा) के भुगतान की जिम्मेवारी वहन करेगी। केन्द्रीय सरकार का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के 320/- रुपये के मासिक वजीफे में (प्रशिक्षुता अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार) प्रशिक्षण के साथ बराबर का हिस्सा होगा।

2. क्षेत्रीय इंजिनियरी कालेज, वारंगल ने अगामी शैक्षिक वर्ष से धातु विज्ञान के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर इस योजना को शुरू करना मंजूर कर लिया हैं। अन्य संस्थाओं से उत्तर की प्रतीक्षा है। तथापि, डिग्री स्तर की 5 संस्थाएं तथा डिप्लोमा स्तर की 48 संस्थाएं पहले ही ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान कर रहीं हैं जिनमें उद्योग में व्यवहारिक प्रशिक्षण को अध्ययन के संस्थागत पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है।

अंतर्राज्यीय बस सेवायें

*466. श्री तारिक अनवर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो राज्यों के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं में कोई समन्वय नहीं है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है

(ख) क्या सरकार किसी राज्य की बस के खराब हो जाने की स्थिति में यात्रियों के लिए अन्य राज्य की बस का उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) साधारणतः राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा यात्री बस सेवा प्रदान की जाती है। राज्यों के बीच आपसी समझौतों के आधार पर अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं का संचालन होता है। इनके बीच आपसी उपयोग की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।

रेलगाड़ियों के नियंत्रक

*467. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के संचालन की सारी जिम्मेवारी रेल गाड़ियों के नियंत्रक पर आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद को रक्षा कार्मिकों की सूची में शामिल किए जाने का विचार है; और

(ग) अब तक इस पद का दर्जा न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाड़ियों के चालन में गाड़ी नियंत्रक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन गाड़ियों के समग्र परिचालन में विभिन्न कोटियों और विभागों के कर्मचारी शामिल होते हैं।

(ख) रेलों पर सुरक्षा कार्मिकों की ऐसी कोई सूची नहीं है।

(ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, खंड नियंत्रकों के लिए उप मुख्य नियंत्रकों और मुख्य नियंत्रकों के वेतनमान में उच्चतर ग्रेड के पदों की व्यवस्था कार्य-भार के साथ सम्बद्ध जिम्मेदारियों के आधार पर की जाती है।

एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक वेनाड एक्सप्रेस की विपरीत दिशा में ट्रेन का चलाया जाना

*469. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक, वेनाड एक्सप्रेस की विपरीत दिशा में सुबह और वापस शाम को, ट्रेन चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह ट्रेन कब शुरू होगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"एशियाई खेल सम्बन्धी परियोजनाओं" के बारे में दिल्ली नगरीय कला आयोग का पाचवां प्रतिवेदन

*476. श्री सरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने कृपा की करेंगे कि :

(क) "एशियाई खेलों सम्बन्धी परियोजनाओं" के बारे में दिल्ली नगरीय कला आयोग के पांचवे प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू निर्माण कार्य में इन टिप्पणियों का अन्ततः कैसे पालन किया गया है ; और

(ग) होटलों और अन्य भवनों के ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिनमें फर्श-क्षेत्र-अनुपात (एफ० ए० आर०) के बारे में आपत्तियां की गई हैं और इन आपत्तियों के किए जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) दिल्ली शहरी कला आयोग ने अपने 5वीं रिपोर्ट (1980-81) में "एशियाई खेल, 1982 के लिए परियोजनाएं" नामक शीर्षक के अन्तर्गत स्टेडियमों, होटलों, फ्लाई ओवरों और खेल ग्रामों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं । रिपोर्ट की प्रतियां निर्माण और आवास मन्त्री द्वारा पहले ही लोक सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं । होटलों, फ्लाई ओवरों के निर्माण, सडकों को चौड़ा करने और फ्लैटों के निर्माण जिनसे खेल ग्राम बनेगा जैसी परियोजनाएं सम्बन्धित प्राधिकरणों के सामान्य विकास कार्यक्रमों का ही भाग हैं । इन परियोजाओं का निर्माण केवल इसलिए पहले किया जा रहा है ताकि एशियाई खेल, 1982 के समय उनका लाभ उठाया जा सके । इन परियोजनाओं का खर्च एशियाई खेल बजट से वहन नहीं किया जा रहा है और यदि ये एशियाड परियोजनाएं नहीं हैं जिनके निर्माण के लिए शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय उत्तरदायी हो ।

स्टेटियमों के निर्माण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई एक मात्र विशिष्ट टिप्पणी यह है कि इन्द्र प्रस्थ इस्टेट में अंतरंग स्टेडियम परिसर का डिजाइन आयोग के पास उस समय भेजा गया जबकि लगभग 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका था । दिल्ली विकास प्राधिकारण ने आयोग को यह स्पष्ट किया कि कार्य क्यों शुरू कराना पड़ा था और स्थल पर और उसके इर्द-गिर्द

कार्य से सम्बन्धित परियोजना को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने में क्यों विलम्ब हुआ। आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकारण के दृष्टिकोण को समझा और परियोजना को अपनी स्वीकृति दी। आयोग ने लोदी रोड़ परिसर के प्रमुख स्टेडियम में भू दृश्य निर्माण और परिचालन प्रबन्धों के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ विचार विमर्श के दौरान सुझाव भी दिए जिन्हें स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में नए स्टेडियम के निर्माण अथवा मौजूदा स्टेडियमों के नवीनीकरण के सभी प्रस्तावों पर जहां कहीं शहरी कला आयोग से परामर्श आवश्यक था, दिल्ली शहरी कला आयोग की स्वीकृति प्राप्त की गई। एशियाड, 82 के लिए सभी स्टेडियम समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे।

होटलों तथा अन्य भवनों के मामले में फर्श क्षेत्र अनुपात के बारे में किसी आपत्ति का दिल्ली शहरी आयोग की पांचवी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है।

राष्ट्रीय संग्रहालय को स्वायत्त निगम के रूप में बदलना

*471. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय संग्रहालय निगम में बदलने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है?

शिक्षा और संस्कृति तथा कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : सरकार के समक्ष इस समय राष्ट्रीय संग्रालय का स्तर परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनोरोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि

*474. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत दशक के दौरान मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1982 के शुरू में बम्बई में आयोजित फर्स्ट इन्टरनेशनल कांग्रेस कम्युनिटी आफ साईक्रैटी के विचार विमर्श की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या जनसंख्या की दृष्टि से मनोरोग चिकित्सकों का अनुपात कम है; और

(घ) उन तीन बड़े नगरों में जिसमें मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों के नवीनतम आकड़े क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि देश में मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि कुछ स्थानीय मनश्चिकित्सकों ने बम्बई में एक बैठक की थी जिसमें कुछेक विदेशी मनश्चिकित्सकों ने भी भाग लिया था।

(ग) देश में मनश्चिकित्सकों की संख्या में काफी वृद्धि की हुई है।

(घ) शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सभी स्टेशनों पर रुकने वाली यात्री गाड़ियों में यात्रा टिकट निरीक्षकों को तैनात करना

* 476. श्री राम जेठमलानी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धीमी गति से चलने वाली तथा सभी स्टेशनों पर रुकने वाली यात्री गाडियों पर अभी तक स्थायी, नियमित तथा विशेष रूप से हर समय उपस्थित रहने वाले यात्रा टिकट निरीक्षकों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ऐसी गाड़ियों में बड़े पैमाने पर बिना टिकट यात्रा हो रही है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या योजनायें हैं?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) धीमी यात्री गाड़ियों में आवधिक कार्यक्रम के अनुसार टिकटों की जांच की एक नियमित प्रणाली है। बिना टिकट यात्रा की घटनाएं कुछ हद तक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती हैं।

'लंका प्रोबलम्स आफ पीस जोन' शीर्षक समाचार

5122. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 फरवरी, 1982 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित लंका प्रोबलम्स आफ जोन' (लंका-शांति क्षेत्र के लिए समस्या) शीर्षक समाचार की तरफ दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर आगे क्या कार्यवाही कर रही है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) यह बात सुविदित है कि सरकार हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सभी तरह की सैनिक उपस्थिति के हमेशा विरुद्ध रही है।

(ग) हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की 1971 की घोषणा के पूर्व क्रियान्वयन के लिए भारत हिन्द महासागर के अन्य तटवर्ती, पश्च और गुट-निरपेक्ष राज्यों के साथ मिलकर लगातार कार्य कर रहा है। भारत और समान विचार वाले दूसरे राज्य, हिन्द महासागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के शीघ्र आयोजन के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले 1981 में होना निश्चित हुआ था, लेकिन कुछ बड़ी ताकतों के रवैये के कारण नहीं हो सका। अपने 36वें अधिवेशन के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें हिन्द महासागर संबंधी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति "आवश्यक प्रारम्भिक कार्य पूरा करने" और अधिक से अधिक 1983 के पूर्वार्ध तक हिन्द महासागर के बारे में प्रस्तावित सम्मेलन के आयोजन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य पत्तनों पर जहाजों के आने जाने की व्यवस्था संबंधी नीति

5123. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों पर जहाजों के आने जाने की व्यवस्था करने की एक राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1981 के दौरान विभिन्न मुख्य पत्तनों में जहाजों में आने जाने की व्यवस्था के लिए क्या प्रक्रिया थी;

(ग) जब मन्त्रालय पूंजी निवेश करता है तो क्या वह यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पत्तन पर पर्याप्त संगम में जहाज आ जा सकें ताकि इसे आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके;

(घ) जहां एक लाख टन और इससे अधिक के बल्कि वाहकों के लिए भारी खर्च किया गया है वहां पत्तनों में छोटे वाहकों के आने जाने की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसा कोई निकाय है जो प्रत्येक पत्तन में आने जाने वालों जहाजों के बीच समन्वय रखता है ताकि ऐसा न हो कि कुछ पत्तनों पर अधिक जहाज आ जायें और अन्यों पर कुछ न जाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ङ) व्यापारी अपने माल का आयात निर्यात किस पत्तन से करें इस बारे में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है। अधिकांश माल का निर्यात/आयात प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जहाज को किसी भी पत्तन पर आने का अधिकार है। और फिर हिंटरलैंड की दूरी, घाट सुविधाओं का, उपलब्ध होना और पत्तन पर उपलब्ध जल स्तर आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखते हुए व्यापारी अपने माल के लिए पत्तन निश्चित करता है। फिर भी उर्वरक, कच्चा उर्वरक इस्पात9

खाद्य तेल, अखबारी कागज, सीमेंट आदि माल जिसका निर्यात और आयात सरकारी खाते में होता है, की योजना बनाने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय में एक स्थायी अन्तर-मंत्रालयी समिति है। जिससे विभिन्न पत्तनों के लिए माल के युक्तिपूर्ण वितरण संबंधी स्थायी समिति "कहा गया है। इस समिति का यद्यपि यह कार्य नहीं है कि वह पत्तनों को माल का नियतन करें। परन्तु वह समाधान खोजती है जो सबको मंजूर हो। इस बात के लिए सभी निर्यात आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं कि उन पत्तनों पर माल उपलब्ध किया जाए जहां सुविधाओं का प्रयोग नहीं होता जिससे की उन पत्तनों को राहत मिल सके जहां माल का अधिक कर्जेशन होता है।

(ख) 1981 के दौरान विभिन्न बड़ पत्तनों पर हैंडल किये माल का वस्तुवार विवरण संलग्न है।

(ग) पत्तन विकास परियोजनाओं पर पूंजी तभी लगाई जाती है जब मौजूदा पत्तन क्षमता प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा प्रस्तावित यातायात और ऐसी पत्तन परियोजनाओं आर्थिक स्थिति पर विचार कर किया जाए। परन्तु कभी-कभी प्रस्तावित यातायात विभिन्न कारणों से पूरा नहीं बैठता।

(घ) मद्रास और विशाखापत्तनम जैसे पत्तनों पर ड्राफ्ट कैरियर जहाजों को हैंडल किया जा रहा हो, जहां 100,000 के लौह-अयस्क कैरियर जहाजों को हैंडल करने की सुविधाओं का विकास किया गया है। परन्तु छोटे आकारों के जहाजों को भी इस पत्तन पर हैंडल किया जाता है, क्योंकि जहाज का आकार सामान्यतः व्यापारी की अपनी इच्छा पर ही निर्भर करता है।

विवरण

कैलेडर वर्ष 1981 की अवधि में बड़े पत्तनों पर माल के यातायात का विवरण

(लाख टन)

पत्तन	पेट्रोलियम तेल व लुब्रीकेंट की चीजें	कच्चा लोहा	अन्य धातु	कच्ची उर्वरक	तैयार उर्वरक	अनाज	कोयला	नमक	चीनी	सीमेंट	दूसरे माल	खाने योग्य तेल	कुल
हल्दिया	41.05	0.13	—	0.34	0.47	—	9.55	—	0.04	0.32	2.05	0.09	54.04
कलकत्ता	6.04	—	—	4.32	0.99	1.07	2.89	1.87	0.21	1.68	23.47	1.31	42.85
बम्बई	82.15	—	0.06	6.16	3.97	1.44	—	0.30	0.24	1.28	71.73	6.13	175.45
मद्रास	49.08	33.28	1.91	7.00	1.40	1.25	0.88	—	0.40	1.84	17.47	1.38	115.89
कोचीन	42.53	—	0.05	1.17	3.88	0.50	—	—	—	1.08	6.09	0.06	55.38
कांडला	72.96	—	0.69	3.61	3.7	5.14	—	0.20	0.35	2.40	2.58	4.87	96.27
विशाखपत्तनम	22.66	60.34	2.23	1.41	4.61	3.50	4.39	—	0.47	2.63	3.23	0.67	106.11
मामुंगाव	6.19	112.28	3.09	1.40	0.57	0.51	—	—	0.48	0.36	0.86	—	125.73
परादीप	—	15.71	1.32	0.92	—	—	1.17	—	0.24	0.42	0.90	—	20.68
न्यूमंगलौर	3.54	2.39	0.59	1.67	0.27	0.54	—	—	—	0.63	2.86	—	12.54
टूटीकोरिन	5.06	—	0.12	3.00	1.70	1.36	9.03	1.87	0.50	1.0	1.55	0.01	25.91
कुल	331.13	224.13	10.06	31.00	23.33	15.31	27.89	3.24	2.93	14.39	132.79	14.52	830.85

गुजरात में अदालज और मोधेरा को सुन्दर बनाना

5124. श्री नवीण रवाणी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात सरकार को गुजरात में अदालत और मोधेरा के पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने की मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस बारे में किसी प्रकार की सहायता दे रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) परिरक्षित राष्ट्रीय संस्मारकों के रखरखाव और संबद्ध क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, ये दोनों ही कार्य सामान्यतया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराये जाते हैं। गुजरात में अदालत और मोधेरा से चारों ओर के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की कार्रवाई सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है।

गावरा रोड बिलासपुर के लिए सर्वेक्षण

5126. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि गावरा रोड को बिलासपुर के साथ जोड़ने की रेल लाईन के लिए सर्वेक्षण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल लाईन को कब तक पूरा किया जाना है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी प्रकाशकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना

5127. श्री एन० ई० होरो : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय

पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना करने और उसमें हिन्दी प्रकाशनों को उचित प्रतिनिधित्व दे के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : जी हां । राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड को पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है और सरकार बोर्ड को पुनर्गठित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है जिनमें पुस्तक-क्षेत्र में आवश्यक संबंधी भारतीय प्रतिनिधित्व का पहलू भी शामिल है ।

बाडी थेगड पैसेन्जर हाल्ट

5128. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा के जिला कटक में बाडी घनमंडल क्षेत्रों से दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन बाडी-थेगंड पैसेंजर हाल्ट के विकास के लिए कोई अभ्यावेदन मिला हैं,

(ख) यदि हा, तो मंत्रालय को अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था,

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय को निदेश दिए गए हैं कि उड़ीसा के उक्त अपेक्षित यात्री हाल्ट का आगे विकास किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो बाडी-थेगड पैसेंजर हाल्ट का विकास कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 20 दिसम्बर, 1981 को ।

(ग) और (घ) उड़ीसा की राज्य सरकार ने पहले इस हाल्ट को महाविनायक रोड में एक नए स्थान पर अंतरित करने का प्रस्ताव किया था । राज्य सरकार को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और रेल प्रशासन को तदानुसार सूचित कर दिया गया था । लेकिन उड़ीसा सरकार ने यात्री हाल्ट स्टेशन का अंतरण करने का अपना प्रस्ताव त्याग देने के संबंध में अपने निर्णय से हाल ही में रेल प्रशासन को सूचित किया है । रेल प्रशासन द्वारा वर्तमान नियमों और मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार इस पर आगे कर्रवाही की जाएगी और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर अपेक्षित कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

कटक भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अधिक राशियां

5129. श्री चिन्तामणि जेना : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से कहा जा रहा है कि कटक भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की चार लेन में बांटने हेतु चौड़ा करने के लिए छठी योजना-वधि के दौरान उनके अनुदान में कम से कम 6 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र का उस मामले पर क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर खण्ड को चार लेनों में चौड़ा करने के लिए उड़ीसा सरकार की इस मांग के बारे में जानकारी भी है इस सड़क खंड के चुने हुए भागों को चार लेनों में चौड़ा करने के लिए 1980-85 में 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था संपूर्ण देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक कार्यों की परस्पर प्राथमिकता और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर की गयी है।

गुजरात राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या एवं उनके स्थान

5130. श्री मोहन लाल पटेल
श्री नवीन रवाणी } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालय है तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गुजरात राज्य में जयगढ़ नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की भारी मांग है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गुजरात में निम्नलिखित स्थानों पर इस समय सोलह केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) कार्य कर रहे हैं :—

(1) एम० आर० पारिसर, शाही बाग अहमदाबाद

(2) अन्तरीक्ष प्रयोजन केन्द्र (स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर) अहमदाबाद

(3) अहमदाबाद छावनी

(4) अंकलेश्वर

(5) बड़ौदा

(6) ए० एफ० एस० भुज जिला कच्छ

(7) ए० एफ० एस० नालिया, जिला कच्छ

(8) धारगधरा

(9) गान्धी नगर

(10) सी०आर० पी० एफ० गान्धी नगर

(11) आई० एन० एस० वलसुरा, जामनगर

(12) ए० एफ० एस० जामनगर

(13) ओ० एन० जी० सी० परिसर मेहसाना

(14) राजकोट

(15) सूरत

(16) वल्लभ विद्यानगर

(ख) से (ङ) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है जब ये उपयुक्त प्रायोजन प्राधिकारी से निर्धारित रूप में प्राप्त होते हैं हालांकि जूनागढ़ सहित गुजरात के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं, किन्तु उपयुक्त प्रायोजन प्राधिकारी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिणी रेलवे में मालगाड़ियों से पेट्रोल की चोरी

5131. श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में बुनियादी रेलवे स्टेशन और नाटम्पली रेलवे स्टेशन के बीच गत वर्ष के दौरान किसी रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी से जुड़े पेट्रोल टैंक से पैट्रोल की चोरी पकड़ी गई है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे के किसी कर्मचारी को मुअत्तिल किया गया है, और

(ग) इस समय जांच किस स्थिति पर है ?

रेल एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की ढुलाई के लिए एस० बी० एम० प्रणाली युक्त पत्तन

5132. श्री डी० पी० जवेजा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से पत्तनों पर तेल लाने ले जाने के लिए एस० बी० एम० प्रणाली है, और

(ख) इस प्रकार के पत्तनों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एस० बी० एम० प्रणाली संभवत सिंगल ब्याय मूरिंग सुविधा पर आधारित है। खुले समुद्र में तेल टैंकर लाने ले जाने की ऐसी सुविधा कांडला पत्तन के समीप सलाया में लगाई गयी है।

(ख) सलाया में आफशोर आयल टर्मिनल 27 अगस्त 1978 को चालू किया गया था और तब से यह कार्य कर रहा है।। फिलहाल किसी दूसरे पत्तन पर तेल टैंकर लाने ले जाने की सुविधा का विकास करने का प्रस्ताव नहीं है।

हाउस बिल्डिंग एंडवास के लिए बजट में प्रावधान

5133. श्री ई० के० इम्बीचीबावा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंक और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की तरह रेलवे कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस स्वीकृत करने के लिए बजट में अलग प्रावधान रख रही है;

(ख) यदि हां, तो किये जाने वाले आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए धन राशि के आवंटन का काम निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता है। रेल कर्मचारियों के लिए इसके लिए बजट व्यवस्था की अलग करने का कोई प्रस्ताव नहीं। है।

त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय मुख्यालय

5134. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय खोलने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं । यदि रेलों के पुनर्गठन के लिए कोई आवश्यकता हुई, तो उसकी जांच रेलवे सुधार समिति द्वारा की जायेगी ।

गत दो वर्षों के दौरान भारतीय पोतों द्वारा ढोया गया सामान

5135. श्री एच० एन० नन्जे० गौडा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात करारों में उचित प्रावधान करने के लिए कोई प्रयास किया है ताकि कम से कम निर्यात का एक बड़ा भारतीय पोतों द्वारा ढोया जा सके ;

(ख) क्या 1980 और 1981 के दौरान भारत के मलवाहक पोतों ने अपनी क्षमता से काम किया ; और

(ग) यदि हां तो इन दो वर्षों में पोतावार अलग-अलग क्षमता में कमी क्या थी, और उसके क्या कारण थे तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सभी सरकारी व्यपारिक एजेंसियों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि उस बात के लिए सभी प्रयास किए जाए । निर्यात कन्ट्रेक्ट सी० एण्ड एफ० आधार पर किए जाए जिससे कि माल की ढुलाई के ऊपर भारतीय नियंत्रण रहे और भारतीय जहाजों का जहां तक सम्भव हो अधिकाधिक उपयोग हो सके । यदि भारतीय माल के विदेशी खरीददार समुद्रवर्ती देश का हो जिसके पास अपना जहाज हो वे एफ० ओ० बी० आधार पर भारत से उसी तरह खरीद करेगा जिस तरह भारतीय खरीदार खरीदने की कोशिश करेंगे । सम्बन्धित पार्टियों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करते हुए निर्यात के कन्ट्रेक्ट एफ० ओ० बी० आधार पर करने पड़ते हैं परन्तु ऐसे मामलों में जहां तक सम्भव हो भारतीय जहाजों में निर्यात का माल ले जाने सम्बन्धी कन्ट्रेक्स में उपयुक्त व्यवस्था करने के प्रयास किए जाते हैं और भारतीय फेलेग धारी जहाजों को पहली बार इंकार किया जाता है । सरकार ने यू० एस० आर०, पौलेंड जी० टी० आर० के साथ द्विपक्षीय नौवहन करार और पाकिस्तान के साथ नौवहन प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें दोनों देशों की राष्ट्रीय कंपनियों के लिए माल की ढुलाई में समानता की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग) जहाज की माल ले जाने की वास्तविकता क्षमता विभिन्न बातों पर

निर्भर करती है, जैसे जहाजों आयात पत्तन पर उपलब्ध जल स्तर तथा अन्य समितताये। भारतीय और विदेशी पत्तनों पर विभिन्न कठिनाईयों और समितताओं की ओर जहाजों के लिए उपलब्ध माल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारिक नहीं है कि भारत के सभी माल जहाज अपनी पूरी पूरी क्षमता में काम करें परन्तु कमियों का जहाज वार दौरा उपलब्ध नहीं है। और यह सूचना एकत्रित करना व्यवहारिक नहीं है। जहां तक सरकारी माल का सम्बन्ध है सभी सम्बन्धितों को एफ० ओ० बी० आधार पर आयात करने और सी० एण्ड एफ० आधार पर निर्यात करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है तथा एफ० ओ० बी० आधार पर आयात करने और सी० एण्ड एफ० आधार पर निर्यात करने के लिए विदेशी जहाज केवल उसी समय नियुक्त किए जाते हैं, जब उपयुक्त भारतीय जहाज अपेक्षित स्थिति में उपलब्ध नहीं होते। इसके अलावा भारतीय जहाजों को अधिकाधिक माल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये है :

(i) भारतीय नौवहन और परिवहन निगम, सिंधिया स्टीम शिप नेविगेशन और इंडिया स्टीप शिप कंपनी लि० ने अप्रैल 1981 के एक कन्सोटियम बनाया है ताकि मौजूदा ब्रेक बल्क सेवाओं के अलावा कन्टेनर युक्त सेवाए चलाई जा सके ।

(ii) सरकारी उपक्रमों से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया है कि जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक माल भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा ढोया जा रहा है।

(iii) भारतीय व्यापारियों से कहा गया है कि वह आयात और निर्यात कर्ताओं को अपनी विशेष सेवाएं उपलब्ध करके भारतीय जहाज मालिकों और भारतीय जहाजों को संरक्षण दें।

डी० टी० सी० को अधिक कार्यकुशल और वैज्ञानिक बनाने हेतु उसके रूटों में परिवर्तन करना

5136. **श्री भीकू राम जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के रूटों के वर्तमान ढांचे से अकुशलता, काम लाभ, अधिक संचालन लागत और असंतोष सेवा परिणित होती है ; और

(ख) क्या दिल्ली परिवहन के रूटों के ढांचे को बदलने और अधिक कार्यकुशल तथा वैज्ञानिक बनाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के रूटों का अधिक परिचालन खर्च अथवा लाभ से सम्बन्ध बिल्कुल ही नहीं है। वर्तमान पैटर्न लगभग सन्तोषप्रद ढंग से काम कर रहा है। नये रूटों की मांग बढ़ रही

है जो परिचालन को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों की मदद से वर्तमान पैटनों में सुधार की कोशिश की जा रही है।

खेल कूद संवर्द्धन हेतु राज्यों के लिए राशि की मंजूरी

5137. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान खेल कूद संवर्द्धन के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल परिषदों को केन्द्रीय अनुदान आयोग के अन्तर्गत 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश को पृथक-पृथक रूप से संस्वीकृत अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वीकृत अनुदान

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1978-79	1979-80	1980-81 (राशि रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,90,027	97,000	3,80,116
2.	असम	2,98,000	3,57,250	20,000
3.	बिहार	50,000	83,600	50,000
4.	गुजरात	2,55,208	87,000	2,29,000
5.	हरियाणा	48,720	2,71,560	5,65,767
6.	हिमाचल प्रदेश	70,000	1,00,000	3,40,000
7.	जम्मू और काश्मीर	2,92,211	1,04,000	4,76,185
8.	कर्नाटक	1,50,000	1,75,000	2,60,000
9.	केरल	1,80,765	1,20,000	2,92,300
10.	मध्य प्रदेश	75,000	1,30,000	—
11.	महाराष्ट्र	3,67,100	1,40,000	4,13,375

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	1,48,440	2,60,400
14.	नागालैंड	47,780	1,50,000	—
15.	उड़ीसा	1,16,660	1,73,800	1,50,000
16.	पंजाब	2,33,800	2,50,000	4,76,800
17.	राजस्थान	48,500	2,07,000	4,02,000
18.	सिक्किम	1,25,000	—	—
19.	तमिलनाडु	26,500	1,45,985	3,34,000
20.	त्रिपुरा	95,320	1,35,000	—
21.	उत्तर प्रदेश	1,48,050	1,25,435	—
22.	पश्चिमी बंगाल	1,15,000	1,78,875	50,000
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—	50,000
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—
28.	गोवा, दमन और दीव	29,520	32,100	31,542
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	20,000	1,00,000	75.00
31.	पांडिचेरी	—	—	—
	योग	29,71,161	33,12,045	48,56,485

दक्षिण रेलवे में भवन निर्माण अग्रिम राशि के लिए आवेदन पत्र

5138. **श्री ए० के० बालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अधिकारियों ने भवन निर्माण अग्रिम राशि के लिए

रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिये गए आवेदनों के बहुत समय से स्थगित मामलों को निपटाने के लिए 43 लाख रुपये की बजट अनुदान की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि मंजूरी नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे को 43 लाख रुपये की आवश्यकता 1981-82 के वर्ष के लिए किए गए 22 लाख रुपये प्रारम्भिक नियतन के अतिरिक्त है ।

(ख) और (ग) निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि दिए जाने के परिणाम स्वरूप दक्षिण रेलवे को अधिक धनराशि आबंटित की गई है जिससे उस वर्ष के लिए कुल आबंटन बढ़ाकर 46.95 लाख रुपये हो गया है ।

सुरक्षा बल

5139. श्री के० मल्लनना: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय रेलवे के सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की देखभाल रेलवे रक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस दोनों के द्वारा की जाती है तथा दोहरा उत्तरदायित्व संतोषजनक प्रबंध नहीं रहा है क्योंकि क्षेत्राधिकार का प्रश्न अनेक बाधाओं में एक रहा है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजकीय रेलवे पुलिस रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं का मुकाबला करती है और यात्री जनता और उनके सामान की सुरक्षा व्यवस्था करती है । राजकीय रेलवे पुलिस रेल सम्पत्ति की हानि के उन मामलों का पंजीकरण है और उनकी जांच करती है, जो रेल सम्पत्ति अनधिकृत कब्जा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं । रेलवे सुरक्षा बल का गठन रेल सम्पत्ति और बुक करके रेलों को परिवहन के लिए सौंपी गई सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए किया गया है । दोनों बलों का दायित्व क्षेत्र पूर्णतया स्पष्ट किया है और इस प्रकार किसी भी स्तर पर दोहरे उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल्हापुर क्षेत्र का मध्य रेलवे के अंतर्गगत होना

5140. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कोल्हापुर क्षेत्र को मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई है। लेकिन, फिलहाल वर्तमान प्रबंध में बाधा डालना व्यवहारिक नहीं पाया गया है। रेल के पुर्नगठन, यदि आवश्यक हो, की रेल सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है।

कन्चौसी स्टेशन पर ऊपरी पुल

5141. श्री राम सिंह शाक्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत रेलवे कन्चौसी स्टेशन पर एक ऊपरी पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

(क) यदि हां, तो किस तारीख को और अब तक उसके निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) कंचौसी स्टेशन पर एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है। कम यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों के एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ऊपर एक पैदल पुल की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार पटरी की एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए अपेक्षित किसी ऊपरी पुल की व्यवस्था केवल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों की लागत पर ही की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मनमाड-औरंगाबाद लाइन

5142. श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन गेज को बदलने की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1981-82 में उक्त परियोजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई तथा इस वर्ष के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी राशि के आबंटन का प्रस्ताव है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने की मूल निर्धारित तथा यदि कोई परिवर्तन समयावधि है; तो वह क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) काम प्रगति पर है।

(क) 1981-82 में किए गए एक करोड़ रुपये के आबंटन का चालू वर्ष में पूरा उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

(ग) 45 लाख रुपये।

(घ) 1985 बशर्ते कि इस परियोजना के लिए संसाधन पूर्णत: उपलब्ध होते रहे।

विदेश मंत्रालय में अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए एक पृथक संवर्ग बनाया जाना

5143. श्री भीखा भाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय में अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों को केन्द्रीय राजभाषा संवर्ग में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार विदेश मंत्रालय के अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए एक पृथक संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय के अनुवादक और अभी तक केन्द्रीय हिन्दी अधिकारी अभी तक केन्द्रीय राजभाषा संवर्ग के सदस्य नहीं हैं। इन अधिकारियों के लिए एक अलग संवर्ग बनाने के बारे में भी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, सारे मामले पर फिर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली की ए० जी० सी० आर० कालोनी में नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलना

5144. श्री इरा अनवरासु : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की ए० जी० सी० आर० कालोनी में हाल ही में एक नया विश्व-विद्यालय खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्कूल ऐसे तम्बुओं से खोला गया है जो बहुत कमजोर है और तेज हवा चलने पर गिर सकते हैं ;

(ग) क्या इस स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जैसे पीने के लिए जल, लड़के और लड़कियों के लिए पानी की सुविधा सहित अलग शौचालय, पर्याप्त फर्नीचर टेलि फोन बिजली, पंखे और उचित फर्श ;

(घ) क्या हाल ही में इस स्कूल का किसी वरिष्ठ अधिकारी ने दौरा किया हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके द्वारा क्या सिफारिश की गई है ?

शिक्षा संस्कृतिक तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री)श्री पी० कें० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) नियमित भवन न होने की स्थिति में विद्यालय तम्बू में खोलना पड़ा ।

(ग) पीने के पानी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और फर्नीचर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है । विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को लिख दिया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ईंटों का फर्श डालने के सम्बन्ध में लिखा जा रहा है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अधिकारों ने सिफारिश की है कि निम्नलिखित में सुधार करने की जरूरत है ।

(i) फर्श डालना और मार्ग निर्माण ।

(ii) तम्बुओं की किस्म ।

(iii) शौचालयों में सफाई की व्यवस्था ।

सरोजनी नगर डिपो से दिल्ली के अन्य स्थानों को सीधी बस सेवा

5145. श्री आर० एन० राकेश : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर डिपो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन केन्द्रीय सचिवालय, लोधी रोड, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यस्तता के समय (पीक अवर्स) के दौरान रामकृष्णपुरम से शुरू होने वाली रूट संख्या 610 की बसें पूरी भरी होती है और मुद्रिका पकड़ने के लिए रिंग रोड जाना कठिन होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरोजिनी नगर डिपो को उक्त स्थानों से जोड़ने के लिए बस सेवाएं शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

नौहवन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरोजिनी नगर डिपो से केन्द्रीय सचिवालय तक सीधी बस सेवा है। दूसरे स्थानों के लिए रिंग रोड (अफ्रीका एवेन्यू) से सेवा उपलब्ध है जो सरोजिनी नगर डिपो से थोड़ी ही दूरी पर है।

(ख) (घ) शहर के प्रत्येक क्षेत्र को शहर के सभी क्षेत्रों से सीधी बस सेवा द्वारा जोड़ना संभव नहीं है। सुविधाजनक स्थानों पर दूसरी बस पकड़ने की सुविधा उपलब्ध है। सरोजिनी नगर डिपो में यातायात का आवधिक सर्वेक्षण किया गया था और यह पाया गया कि वर्तमान सेवा क्षेत्र के यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है।

टिकट कलेक्टर के लिए न्यूनतम योग्ताएं

5146. श्री राम किंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में टिकट कलेक्टर, माल बाबू, लिपिक तथा अन्य समान पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य मेट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के स्थान पर कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक की शर्त निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसा कोई निर्णय लेते समय, उनकी जानकारी में यह बात लाई गई थी कि केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में 50 प्रतिशत अंकों की ऐसी शर्त निर्धारित नहीं की गई है; और

(ग) ऐसा निर्णय लिये जाने का क्या आधार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह निर्णय रेल सेवा आयोगों के कार्य संचालन के बारे में किये गये एक अध्ययन के आधार पर लिया गया है। अध्ययन में यह कहा गया था कि इन आम कोटियों के लिए रेल सेवा आयोगों द्वारा अन्तिम रूप से तैयार किए गए पैनलों मे अधिकांशत: केवल स्नातक तथा स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी होते हैं। अत: यह सिफारिश की गयी थी कि इन कोटियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं भी बढ़ा दी जाये। ऐसा करने से रेल सेवा आयोगों द्वारा लाखों आवेदन पत्रों के सम्बन्ध मे कार्रवाई करने के भारी कार्यभार को, जिससे भर्ती में विलम्ब हो जाता था, कम करने में भी सहायता मिलेगी। अत: यह विनिश्चय किया गया है कि सहायक स्टेशन मास्टरों तथा गार्डों के मामले में जो 330-560 रुपये और 330-530 रुपये के उच्चतर वेतनमान में हैं, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं बढ़ाकर स्नातक तथा 260-400 रु० के ग्रेड में टिकट कलेक्टरों लिपिकों आदि की अन्य आम कोटियों के लिए मैट्रिकुलेशन (कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित) कर दी जाये। लेकिन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में न्यूनतम प्रतिशत अंकों की यह शर्त लागू नहीं होगी।

86 डाउन आसाम मेल के लिए डिब्बों की स्वीकृत संख्या

5147. प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम मेल (86 डाउन) के लिए डिब्बों की मंजूर संख्या को कभी-कभी ही पूरा किया जाता और इस सेवा में कम ही डिब्बे लगाए जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य टिकट परीक्षक डिब्बों की अपर्याप्तता के बारें में तथा यात्रियों द्वारा उठाई गई दिक्कतों को अनेक बार रेलवे अधिकारियों की जानकारी में ला चुके हैं,

(ग) यदि हां, तो आसाम मेल (86 डाउन) के साथ डिब्बों की स्वीकृत संख्या की तुलना में प्राय: कितने डिब्बे लगाए जाते हैं, और उसके क्या कारण हैं, और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । यह सही है कि 86 डाउन असम मेल सदैव अपने निर्धारित डिब्बों के साथ नहीं चली।

(ग) 86 डाउन असम मेल में 17 डिब्बे चलाये जाने निर्धारित हैं । किन्तु डिब्बों की अत्यन्त कमी के कारण 10.2.82 से 10.3.82 तक की अवधि में यह केवल 6 दिन ही अपने सामान्य डिब्बा भार के साथ चल सकी, 10 दिन एक डिब्बा कम, 8 दिन 2 डिब्बे कम तथा 5 दिन 3 डिब्बे कम के साथ चली ।

(घ) डिब्बों की स्थिति में सुधार होते ही, इसका सामान्य डिब्बा भार पुन: प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन पर फ्लेग स्टेशन

5148. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन पर जागुदान तथा एम्बलीमासन रेलवें स्टेशनों के बीच ए फ्लेग स्टेशन की मांग की जाती रही है,

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन कब तक बना दिए जाने की संभावना है,

(ग) नए रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में रेलवे के क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं,

(घ) यदि गांव वाले श्रमदान द्वारा प्लेटफार्म का निर्माण कर दें तो क्या उनकी यह मांग स्वीकार कर ली जाएगी; और

(ङ) क्या यह सच है कि इसान्द-पनसार तथा झुलासन स्टेशन इनमें से किन्हीं दो स्टेशनों के बीच कम दूरी होने के बावजूद भी स्थापित कर दिए गए थे जबकि मांगे गए इस नए रेलवे

स्टेशन से दो रेलवे स्टेशनों की दूरी अधिक है, और यदि हां, तो क्या उक्त नए स्टेशन की मांग स्वीकार कर ली जाएगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) श्री एम० आर० चौधरी, संसद सदस्य और सदस्य, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, पश्चिम रेलवे से जुलाई 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त होने पर मेहसाना-अहमदाबाद लाइन पर जगुदन और आम्बोलियासन स्टेशनों के बीच धोलासन गांव पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी। यह प्रस्ताव न तो वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया और न परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ही।

(ग) हाल्ट स्टेशन सामान्यत: तभी खोला जाता है जब प्रस्तावित हाल्ट उसके दोनों ओर के स्टेशनों से कम से कम 5 कि० मी० की दूरी पर स्थित हो और उसे खोलना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो। कुछ आपवादिक मामलों में, कम दूरी पर हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वह वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण और परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो और उस क्षेत्र में परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध न हों।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह न तो वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक ही है।

सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मैडिकल आफिसर जी० डी० ओ० II के काम करने के घण्टे

5149. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में सफदरजंग और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पतालों में कुछ मैडिकल आफिसरों (जी० डी० ओ० ग्रेड II) को लगातार 30 घण्टे से अधिक और एक सप्ताह में 100 घंटे से अधिक कार्य करना पड़ रहा है और ये कार्य उन्हें बिना किसी अवकाश अथवा छुट्टी के करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत किया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दो अस्पतालों में अपनी स्वयं की मर्जी पर कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा बिना किन्हीं लिखित आदेशों के ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय ने एक सप्ताह के दौरान इन मेडिकल आफिसरों द्वारा कितने अधिकतम घण्टे की ड्यूटी की जायेगी इस बारे में किसी स्थिति में कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वह सम्बद्ध आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) और (ङ) अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी के अधिकतम घंटों के बारे में ही कोई विशेष आदेश जारी नहीं गए किए हैं किन्तु उन पर वही सामान्य आदेश और प्रक्रियाएं लागू होती हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों पर लागू होती हैं।

औद्योगिक गृहों का नौवहन व्यापार में प्रवेश

5150. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल भाड़ा बाजार में गहन संकट के कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियां डूबती जा रही है ;

(ख) क्या भारत में कुछ औद्योगिक गृहों ने नौवहन व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय किया है तथा वे कुछ पोत खरीद रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा सरकार की ओर से अथवा नौवहन विकास निधि से उन्हें कहां तक सहायता दी जायेगी; और

(घ) माल-भाड़ा बाजार में मन्दी को देखते हुए सरकार अपने हितों को किस प्रकार रक्षा करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) लगभग एक वर्ष से भाड़ा दरों में गिरावट रही जिससे अब नौवहन कम्पनियां आमतौर से वित्तीय कठिनाई में हैं।

(ख) (घ) जो अनन्य रूप से नौवहन कम्पनियां हैं, उनको छोड़ कुछ संयुक्त कम्पनियों ने अभी हाल में जहाज खरीदने के लिए नौवहन विकास निधि समिति से अनुरोध किया है। मौजूदा सरकारी आदेशों के अधीन, संयुक्त कम्पनियों को, जो नौवहन कारोबार में प्रवेश करना चाहती हैं, नौवहन विकास निधि समिति/सरकारी सहायता नहीं दी जाती।

"मन्त्रालय के अधीन विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रचार पर खर्च की गई धनराशि"

5151. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि उनके मन्त्रालय के सरकारी उपक्रमों द्वारा गत तीन प्रचार पर, वर्षों के दौरान वर्षवार तथा एकक वार खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : इस मन्त्रालय के सरकारी उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रचार पर वर्षवार तथा एकक वार खर्च की गई राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

उपक्रमों के नाम	खर्च की राशि		
	1978-79	1979-80	1980-81
	रुपये	रुपये	रुपये
केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	1,06,193	12,518	6,448
कोचीन शिपयार्ड	4,078	22,520	11,274
ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	7१,386	3,63,167	6,20,204
दिल्ली परिवहन निगम	1,13,999	1,69,087	3,99,534
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	40,417	34,046	39,417
इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०	शून्य	शून्य	शून्य
मुगल लाईन लि०	1,14,884	94,128	90,408
भारतीय नौवहन निगम लि०	33,24,380	36,76,576	44,86,865

"अफिसियेत्स बंगल ब्रिसबेन गेम्स" शीर्षक समाचार

5152. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री मगन भाई बरोट : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "आफिसियेत्स बंगल ब्रिसबेन गेम्स" शीर्षक समाचार की ओर गया है, जिसमें कहा गया है कि (एक) एशियाई खेलकूद के अनामंत्रित अधिकारियों द्वारा टीम को दी गई सुविधा अपने हाथ में लेने की इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन को शिकायत की कि उनके बर्ताव से देश की प्रतिष्ठा कम हुई है, (दो) यह विवाद दो अधिकारियों द्वारा पैदा करना कि विदेशी खेल प्रतिनिधियों के आगे प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व कौन करेगा और साथ गए हुए संसद द्वारा, सदस्य जो खिलाडी नहीं है, टीम के नेता बनाये जाने का अनुरोध करना, जो नामांकित आई० ओ० ए० के स्थान पर मैडल प्रदान करेगा, (तीन) एशियाई खेल के अधिकारियों द्वारा इस टीम के लिए दी गई मिनी बस को अपने उपयोग में लेना जिसके कारण इस दल के सामने समस्याएं उत्पन्न हो गई है इत्यादि ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(घ) ब्रिसबेन को एशियाई खेलकूद अधिकारियों तथा संसद सदस्यों को लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (ग) सरकार को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार की जानकारी है। भारतीय ओलम्पिक संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय दल के नेता, जिसे उस संघ ने भेजा था, उसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय दल के नेता की रिपोर्ट पर भारतीय ओलम्पिक संघ की सामान्य सभा द्वारा विचार किया जाना है और इसे पारित किया जाना है।

जब तक भारतीय दल के नेता की रिपोर्ट पर भारतीय ओलम्पिक संघ के सामान्य निकाय द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता तब तक सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना असामयिक होगा। इस स्तर पर कोई कार्रवाई करने का भी प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति की सिफारिश पर लघु राष्ट्र-मंडलीय खेलों के अवसर पर ब्रिसबेन राष्ट्रमण्डलीय खेलों की आयोजन समिति के आयोजकों के साथ विचार-विमर्श करने और प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल को अक्तूबर; 1981 में ब्रिसबेन की यात्रा करने की स्वीकृति दी गई थी। प्रतिनिधि मंडल में कुछ अधिकारी और दो माननीय संसद सदस्य शामिल थे जो विशेष आयोजन समिति से सम्बद्ध हैं।

उपर्युक्त प्रतिनिधि मंडल लघु राष्ट्रमंडलीय खेलों के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों के भारतीय दल से पूर्णत: स्वतन्त्र रूप से ब्रिसबेन गया था।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा किराए पर दिए गए भवनों का ब्योरा

5153. **श्री निहालसिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के पास कुल कितने भवन हैं और वे कहां-कहां है ?

(ख) कौन-कौन से भवन किराए पर दे दिए गए है तथा किन-किन संगठनों को दिए गए हैं और उससे प्रतिवर्ष कितना किराया प्राप्त होता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन भवनों का कितना किराया वसूल हुआ और उस राशि का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी निम्नलिखित भवनों की मालिक है :—

(i) 1 रेड क्रास रोड, नई दिल्ली—

मुख्य कार्यालय भवन सामग्री भंडार भवन,

सौंध भवन, वर्ग-4 कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टर ।

(ii) काका नगर, नई दिल्ली में आवासीय क्वार्टरों के चार ब्लाक

(iii) सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों के आठ ब्लाक

(ख) 1, रेड क्रास रोड नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय भवन के तीन तल और एक तल का कुछ भाग तथा सौंध-भवन का एक तल लाइसेन्स फीस पर

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (दो तल), (ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (एक तल), (iii) भारतीय स्टेट बैंक (भू तल का कुछ भाग), (iv) अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्राश समिति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय के लिए (तल का कुछ भाग दिए गए हैं—ये सभी मुख्य कार्यालय के भवन में हैं और सौंध भवन का भू-तल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को दिया गया है । वार्षिक लाइसेन्स फीस इस प्रकार है :—

—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	16,43,592, रु०
—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	9,23,760 रु०
—भारतीय स्टेट बैंक	24,912 रु०
—अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति	36,000 रु०
—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	1,33,850 रु०

(ग) सम्बन्धित पार्टियों से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुई लाइसेन्स फीस इस प्रकार है :—

	1979	1980	1981
—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8,21,796	8,21,796	8,21,796
—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	4,61,880	4,61,880	4,61,880
—भारतीय स्टेट बैंक	24,912	24,912	24,912
		22,645.16	36,000

—अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति		(15.5.80 से 31.12.80 तक)
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	1,67,312,25 (6.11.78 से 5.2.80 तक)	1,54,234·97 (6.2.80 से 31.3.81 तक)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से लाइसेन्स फीस का 50 प्रतिशत भाग नकद प्राप्त हुआ तथा शेष 50 प्रतिशत फीस का समायोजन मुख्य कार्यालय भवन के कुछ भाग के निर्माण के लिए उनके द्वारा शुरू में दिए गए अग्रिम धन के प्रति किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी (क्षेत्रीय कार्यालय) से प्राप्त लाइसेन्स फीस अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी को भारतीय रेड क्रास सोसायटी के अन्शदान के रूप में वापस दे दी जाती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से नकद प्राप्त होने वाली 59 प्रतिशत लाइसेन्स फीस तथा भारतीय स्टेट बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय से प्राप्त होने वाली लाइसेन्स फीस को भारतीय रेड क्रास सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

राजकोट के लिए नगर परिवार कल्याण ब्यूरो

5154. **श्री दिग्विजयसिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट के लिए नगर परिवार कल्याण ब्यूरो बनाने का प्रस्ताव 1976 से अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) क्या अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में ऐसे ब्यूरो हैं और यदि हां, तो राजकोट में ऐसा ब्यूरो न खोलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए जी० ओ० आई० के दल के दौरे के बाद इस समय क्या निर्णय किया गया है और ब्यूरो की स्थापना कब की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) राजकोट में एक नगर परिवार कल्याण ब्यूरो खोलने सम्बन्धी गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से इस मन्त्रालय में विचार किया गया था। 1973 में नगर परिवार कल्याण ब्यूरो सम्बन्धी जिस योजना की जिस विशेषज्ञ दल ने जांच की थी। उसने नगर परिवार कल्याण ब्यूरो योजना को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तद्नुसार पांचवी योजना अवधि

में कोई नया नगर परिवार कल्याण ब्यूरो नहीं खोला गया। बड़ोदा, सूरत और अहमदाबाद में नगर परिवार कल्याण ब्यूरो 1973 से पहले स्थापित किए गए थे।

नगरीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है और नगर परिवार कल्याण ब्यूरो को जारी रखने/खोलने के प्रश्न पर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर इस समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा।

सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग में सामूहिक बीमा योजना शुरू किया जाना

5155. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सामूहिक बीमा योजना दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग में अनिवार्य है अथवा यह वैकल्पिक है ;

(ख) यदि यह वैकल्पिक है, तो क्या दिल्ली नगर निगम, करोल बाग क्षेत्र के अध्यापकों के वेतन से इस योजना की राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे अध्यापकों की इन कटौतियों के लिए विकल्प देने पर विचार करेगी यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पो० के० थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार योजना से बाहर रहने का विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया था, जो 9.11.81 को म्युनिसिपल की सेवा में थे। यह विकल्प 15 दिसम्बर, 1981 तक दिया जाना था। जिन कर्मचारियों ने उपर्युक्त तारीख तक योजना में शामिल न होने का अपना विकल्प नहीं दिया था, उन्हें योजना को लागू होने की तारीख से, योजना का सदस्य समझा गया था। 9-11-1981 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए बीमा अनिवार्य है।

(ख) ऐसे अध्यापकों के वेतन में कटौतियां की गई थी जिन्होंने योजना में शामिल न होने का विकल्प नहीं दिया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई-दिल्ली फंटियर मेल में टिकट निरीक्षकों द्वारा बर्थ का रिजर्वेशन दिया जाना

5156. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1982 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित 'द ट्रुथ' शीर्ष समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या थ्री टियर स्लीपर कोच, जिसमें कथित घटना हुई थी, में बम्बई से सभी बर्थ/सीटों का आरक्षण पहले ही पूरा हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो जब आरक्षण पहले ही पूरा हो गया था तो टिकट निरीक्षक ने दो दम्पत्तियों के लिए चार बर्थ का आरक्षण कैसे दिया;

(घ) यदि आरक्षण पहले से पूरा नहीं था, तो गाड़ी के बम्बई से चलते समय कितनी बर्थ अनारक्षित थीं; और

(ङ) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) : 6.1.1982 को बम्बई सेंट्रल से चलने वाली 3 डाउन फ्रंटियर मेल में दूसरे दर्जे की सभी शयन शायिकाएं पहले से पूर्णतः आरक्षित थीं। किन्तु, कुछ यात्री जिनके आरक्षण की पुष्टि की गई थी, स्टेशन पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण खाली हुई शायिकाएं प्रतीक्षा-सूची के यात्रियों को आवंटित कर दी गयीं। चूंकि समाचार में कोई विशिष्ट ब्योरा नहीं दिया गया, इसलिए आगे की अनुवर्ती कार्रवाई शायिकाओं के आरक्षण में तथाकथित कदाचार के बारे में विशिष्ट ब्योरा प्राप्त करने के बाद की जाएगी।

"हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी का राष्ट्रीयकरण"

5157. श्री अमर राय प्रधान : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी के राष्ट्रीयकरण पर कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नहीं।

(ख) कम्पनी के भविष्य के लिए विभिन्न परिवर्तनों की जांच की जा रही है।

विदेशी छात्रों को शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराना

5158. श्री जेवियर अराकल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है और वे कौन से देश के रहने वाले हैं और वे किस पाठ्यक्रम की शिक्षा ले रहे हैं ;

(ख) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में भारत और दूसरे देशों के बीच क्या समझौता हुआ है ; और

(ग) भारत इन छात्रों पर कुल कितनी धनराशि खर्च करता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विदेशी छात्रों को विदेशों के साथ बेहतर सद्भावना और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए सभी विषयों में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

(ग) इन छात्रों की शिक्षा पर भारत द्वारा वहन किए गए कुल व्यय का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

विवरण

31-3-1980 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन/पाठ्यक्रमों में स्तरवार विदेशी छात्रों की संख्या (अनन्तिम)

क्र० सं०	अध्ययन के विषय	अवर स्नातक	उत्तर स्नातक	कुल
1.	कृषि/वन विद्या पशु चिकित्सा	466	67	563
2.	वाणिज्य/व्यवसाय प्रबन्ध	1108	76	1184
3.	शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण	45	19	64
4.	इन्जीनियरी और प्रोद्योगिकी	1968	48	2016
5.	मानविकी/कला	3839	563	4402
6.	कानून	23	28	5
7.	चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/ नर्सिंग	1418	37	1455
8.	विज्ञान	2157	148	2305
9.	अन्य विषय	401	62	463
	कुल	11455	1048	12503

टिप्पणी :—उन विश्वविद्यालयों के मामले में, जिन्होंने यह सूचना नहीं भेजी है ; पिछले वर्ष/वर्षों के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

31-3-1980 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन/पाठयक्रमों में स्तरवार विदेशी छात्रों की संख्या (अनन्तिम)

अफ्रीका

1.	अंगोला	4
2.	इथोपिया	68
3.	पूर्वी अफ्रीका	12
4.	घाना	25
5.	कीनिया	550
6.	मालावी	10
7.	मोरिशस	1403
8.	मोजम्बीक	4
9.	नाईजीरिया	343
10.	रोडेशिया	87
11.	सोमालिया	66
12.	दक्षिण-अफ्रीका	222
13.	सूडान	42
14.	तनजानिया	308
15.	टोंगा	3
16.	यूगांडा	120
17.	यू० ए० आर०	30
18.	जाम्बिया	62
19.	जाजीबार	25
20.	अन्य	134
	कुल	3518

अमेरिका

1.	कनाडा	19
2.	यू० एस० ए०	95

3.	वैस्ट इंडीज	21
4.	अन्य	24
	कुल	159

एशिया

1.	ऐडन	4
2.	अफगानिस्तान	165
3.	बहरीन	64
4.	बंगला देश	109
5.	भूटान	73
6.	बर्मा	16
7.	कम्बोडिया	—
8.	सीलोन	435
9.	चीन	1
10.	इन्डोनेशिया	23
11.	ईरान	3683
12.	ईराक	143
13.	जापान	36
14.	जोरडन	319
15.	कोरिया	5
16.	कुवैत	136
17.	लाओस	3
18.	लेबनान	7
19.	मलेशिया	1118
20.	नेपाल	1376
21.	पाकिस्तान	9
22.	फिलीपाईन्ज	6
23.	सिंगापुर	40

24.	दक्षिणी-वियतनाम	4
25.	सीरिया	14
26.	थाईलैंड	427
27.	यमन	32
28.	अन्य	217
	कुल	8465
	ओसीनिक	
1.	आस्ट्रेलिया	6
2.	फिजी	148
3.	न्यूजीलैंड	3
	कुल	157
यू० एस० एस० आर०		18
	यूरोप	
1.	आस्ट्रीया	—
2.	बेलजियम	2
3.	बुल्गारिया	2
4.	डेनमार्क	—
5.	एफ० आर० जी०	12
6.	फ्रांस	34
7.	हंगरी	2
8.	आयरलैंड	—
9.	इटली	5
10.	नीदरलैंड	1
11.	नार्वे	—
12.	पोलैंड	6
13.	स्पेन	—

14.	स्वीडन	1
15.	यू० के०	107
16.	युगोस्लाविया	2
17.	अन्य	12
	कुल	1186
	कुल योग	12503

"पर्यटन बसों और चार्टर्ड बसों के रूप में ठेके पर चल रहे वाहन"

5159. श्री हरिश कुमार गंगवार : क्या नोवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने पर्यटक वाहन हैं जो दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप सज्जित नहीं हैं और उनके अनुसार उनका रख-रखाव नहीं किया जा रहा है;

(ख) दिल्ली में पर्यटक बसों के रूप में ठेके पर कितने वाहन चल रहे हैं और क्या उनका इस प्रकार ठेके पर चलना मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के उपबन्धों का उल्लंघन है; और

(ग) दिल्ली में ठेके पर चलने वाले कितने चार्टर्ड बसों के रूप में चल रहे हैं और उनका इस प्रकार चलना मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के नियमानुसार वैध है ?

नोवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने टूरिस्ट व्हीकलों के लिए उपादानों के विशेषीकरण और रख-रखाव आदि संबंधी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं किया है। परन्तु यह अन्य राज्यों द्वारा अपनायी गयी पद्धति का अनुसरण करता है। दिल्ली प्रशासन में अधिसूचना जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है। दिल्ली में 1.3.1982 को ठेके की बसों की संख्या 3654 थी। सभी टूरिस्ट गाड़ियों चाहे वह वातानुकूलित हों या गैर-वातानुकूलित हों, ठेके की गाड़ी हैं। इसके अलावा साधारण बसें भी है जो ठेके की गाड़ी के परमिट के अधीन चलती हैं। परिवहन निदेशालय, दिल्ली के अनुसार उल्लिखित प्रकृति का उल्लंघन उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ग) मोटर व्हीकिल एक्ट, 1939 के अधीन चार्टर बस की कोई श्रेणी नहीं है। सभी रजिस्टर्ड बसें किसी भी पार्टी अथवा व्यक्ति के द्वारा विशेष उद्देश्य या विशेष अवधि के लिए चार्टर्ड की जा सकती है।

दिल्ली के स्कूलों की प्रबन्ध समितियों में विभागीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति

5160. श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों की प्रबन्ध समितियों में विभागीय प्रतिनिधियों को नियुक्त/नामजद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे प्रबन्ध समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं ;

(ग) उस मामले में जब कोई प्रबन्ध समिति शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करती है और अध्यापकों को पदोन्नति एवं चयन श्रेणी नहीं देती, विभगीय प्रतिनिधियों ने क्या भूमिका निभाई ;

(घ) क्या शिक्षा निदेशक ने कभी इन विभागीय प्रतिनिधियों को इनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और कैसे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शिक्षा निदेशक द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59(1) (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति मे दो सदस्य नामजद किए जाते हैं । सदस्यों से प्रबन्ध समितियों की बैठकों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है । कुछ सदस्य कभी-कभी बैठकों में भाग नहीं ले पाते किन्तु कार्य के प्रति उनकी घोर उपेक्षा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । प्रबन्ध समिति के सदस्यों के रूप में नामजद व्यक्तियों से अपने कार्य और जिम्मेदारियां निभाना अपेक्षित होता है, जैसे कि दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 (2) (ङ) में परिकल्पना की गई है । जब उन्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो उसे शिक्षा निदेशक द्वारा बुलाई गई बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ।

एशियाई खेलों में देशों द्वारा भाग लिया जाना

5161. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जिनके द्वारा एशियाई खेलों में भाग लिए जाने की संभावना है और उनमें से प्रत्येक के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी ;

(ख) अनुमानत: कुल कितने खिलाडियों द्वारा भाग लिए जाने की संभावना है ;

और

(ग) इन खेलों की अवधि क्या होगी और एशियाई खेलों के दौरान खेले जाने वाले खेल-कूद का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नौवें एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति को अभी निमंत्रण पत्र जारी करने हैं और, इसलिए एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या और उनमें से प्रत्येक के खिलाड़ियों की संख्या बताना, इस स्तर पर, सम्भव नहीं है।

(ख) विशेष आयोजन समिति को खेलों में लगभग 1000 पुरुष और महिला खिलाड़ियों के भाग लेने की आशा है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

समय सारिणी

खेल	अवधि
उद्घाटन समारोह	19 नवम्बर, 1982
1. तीरन्दाजी	21 से 22 नवम्बर, 1982 तक
2. एथलेटिक्स	25 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1982 तक (29 दिसम्बर विश्राम दिवस)
3. बैडमिन्टन	25 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1982 तक
4. बास्केट बाल	20 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1982 तक
5. मुक्केबाजी	26 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1982 तक (2 दिसम्बर विश्राम दिवस)
6. साइक्लिंग	20 से 28 नवम्बर, 1982 तक
7. घुड़सवारी	20 से 27 नवम्बर, 1982 तक (24 तथा 26 विश्राम दिवस)
8. फुटबाल	20 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1982 तक
9. गोल्फ	21 से 24 नवम्बर, 1982 तक
10. व्यायाम	20 से 23 नवम्बर, 1982 तक
11. हैण्डबाल	23 से 30 नवम्बर, 1982 तक
12. हाकी (पु०)	20 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1982 तक

1	2
13. हाकी (म०)	20 से 26 नवम्बर, 1982 तक
14. नौका विहार (रोइंग)	20 से 25 नवम्बर, 1982 तक
15. निशानेबाजी	22 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1982 तक (29 नवम्बर विश्राम दिवस)
16. तैराकी	26 से 29 नवम्बर, 1982 तक
17. टेबल टेनिस	19 से 25 नवम्बर, 1982 तक (19 नवम्बर, 1982 को आधा दिन)
18. टेनिस लान	20 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1982 तक
19. बाली बाल	20 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1982 तक
20. भारोत्तोलन	20 से 29 नयम्बर, 1982 तक
21. कुश्ती	26 से 30 नवम्बर, 1982 तक
22. नौका विहार (यार्चिंग)	20 से 28 नवम्बर, 1982 तक
समापन समारोह	4 दिसम्बर, 1982

विकलांग व्यक्तियों के लिए सहकारी समिति की स्थापना

5162. **श्री सुभाष यादव** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी सहकारी समितियां बनाई गई/सहायता की गई ;

(ख) देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए भविष्य में ऐसी सहकारी समितियां बनाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की सहकारिताओं को बढ़ावा देने के लिए 10 दिसम्बर, 1981 को राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को दिशा निर्देश जारी किए थे । यह सुझाव दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की अधिक संख्या है वहां विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग सहकारी समितियां गठित की जाएं तथा अन्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को वर्तमान सहकारी संस्थाओं में सदस्यों के रूप में दाखिल किया जाए । यह भी सुझाव दिया गया था कि ऐसी सहकारी संस्थाओं को कच्चे माल और अन्य निवेशों की सप्लाई करके, उनके उत्पादनों के लिए मार्किटिंग सुविधाएं प्रदान करके तथा अतिरिक्त धन-

राशियां नियत करके उनकी सहायता की जाए। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिक्रिया अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

दवाओं और इन्जेक्शनों में मिलावट

5163. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जाली लेबलों और ब्रांडों से इन्जेक्शन तथा नकली और मिलावटी दवाएं सप्लाई करने वाली कितनी जाली फर्मों के बारे में सरकार को पता चला है ;

(ख) उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दवाओं में मिलावट की रोकथाम करने की दृष्टि से दवा बनाने वाली फर्मों की आकस्मिक जांच करने से सम्बन्धित कोई योजना शुरू करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : क) और (ख) यह सूचना राज्य औषधि नियन्त्रकों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन राज्य औषधि नियन्त्रकों द्वारा लाइसेन्स देने और निरीक्षण करने की पद्धति अपना कर औषधियों पर क्वालिटी नियन्त्रण रखा जाता है। ये औषधियां निर्धारित शर्तों के अनुसार तैयार की जाएं और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए औषधि निरीक्षकों को औषधियां बनाने वाली फर्मों की आकस्मिक जांच करनी होती है।

"दिल्ली में फैमिली कोर्टों" की स्थापना

5164. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति की सिफारिशें 1976 में स्वीकार कर ली थीं जिनकी शक्ति प्राप्त न्यायालय द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शीघ्र "फैमिली कोर्टों" की स्थापना के लिए जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार विभिन्न सामाजिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए तत्काल "फैमिली कोर्ट" स्थापित करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। फिर भी इस सिफारिश को जांच शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई थी, न कि शक्ति प्राप्त न्यायालय द्वारा जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ख) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवार को प्रभावित करने वाले विवादों से उत्पन्न मामलों की न्यायिक जांच करने के लिए तीन अधीनस्थ अदालतें स्थापित की हैं, यद्यपि उन्हें "परिवार अदालतों" का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि उसके लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित भस्म-कलश की स्थापना

5165. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या जिस कलश में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्म रखी हुई बताई जाती है उसे भारत में स्मारक के रूप में स्थापित करने की कथित कार्यवाही पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जिस कलश में नेताजी की अस्थि रखी बताई जाती है, उसके बारे में विभिन्न लोगों ने अलग-अलग राय व्यक्त की है ;

(ख) और (ग) सरकार ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विचारों पर गौर किया है ताकि इस विषय पर सर्वाधिक उपयुक्त कार्रवाई करने के बारे में निर्णय लिया जा सके।

लकड़ी की ढुलाई के लिए वैगन

5167. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेल प्राधिकरण की सिफारिश अथवा अनुरोध किए बिना, रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 1981 के दौरान उत्तर-सीमान्त रेलवे के सपत ग्राम और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों से एशियाई खेलों के नाम पर, लकड़ी के व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर बड़ी संख्या में वैगन आवंटित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार भेजी गई लकड़ी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को दिल्ली की कुछ पार्टियों को प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार लकड़ी भेजे जाने के बारे में, जिसे एशियाई खेलों के लिए वास्तव में वितरित नहीं किया गया, अपितु उसे खुले बाजार में बेच दिया गया, कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने एशियाई खेलों का झूठा नाम लेकर प्राथमिकता के आधार पर लकड़ी हेतु वैगनों का आवंटन प्राप्त किया था, सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मैसर्स लक्खी टिम्बर स्टोर, नई दिल्ली ने मई, 1981 में रेल मन्त्रालय को अभ्यावेदन किया था कि उन्होंने एशियाई खेलों के लिए इमारती लकड़ी सप्लाई करने के लिए आर्डर प्राप्त किए थे और इस प्रकार सपतग्राम से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक इमारती लकड़ी की ढुलाई करने के लिए विशेष सहायता देने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर विचार किया गया था और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन को अनुदेश जारी किए गए थे कि सपतग्राम से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए 25 माल डिब्बे आबंटित करें ताकि एशियाई खेल, 82 से सम्बन्धित कार्यों में रुकावट न आने पाए।

इस मामले के सम्बन्ध में टिम्बर, मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, सिलीगुड़ी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। मैसर्स लक्खी टिम्बर स्टोर ने सूचना दी है कि वे उन ठेकेदारों को इमारती लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं जो एशियाई खेल 82 से सम्बन्धित कार्यों का निर्माण कर रहे हैं। टिम्बर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, सिलीगुड़ी से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखा गया है।

महाराजगंज-दारुंदा रेल लाइन

5168. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में महाराजगंज-दारुंदा लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का मामला बहुत लम्बे अर्से से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है और इसे बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) महाराजगंज-दारुंदा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है। किन्तु इस काम को क्षेत्र में उस समय शुरू करने की आशा है जब बाराबंकी से समस्तीपुर तक आमान परिवर्तन के संबंध में शेष काम पूरे हो जायेंगे। इस लाइन का आमान परिवर्तन पूरा हो चुका है और उसे बड़ी लाइन के यातायात के लिए खोल दिया गया है।

निलंबित/सेवा मुक्त/ बर्खास्त किए गए रेलवे कर्मचारियों की संख्या

5169. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 में रेलवे के कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने के नोटिस दिए गए थे ; और

(खं) जनवरी से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान कितने-कितने रेलवे कर्मचारियों को सेवा से निलंबित किया गया, मुक्त किया गया और बर्खास्त किया गया ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नैमित्तिक श्रमिक

5170. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1980 को इन्सपेक्टर आफ वर्क्स दक्षिण रेलवे, सुल्लूर-पेट्टाई द्वारा 131 नैमित्तिक श्रमिकों को ड्यूटी से हटा दिया गया था हालांकि इन सभी श्रमिकों ने 5 से 10 वर्ष की सेवा की थी और उन्हें अब तक दोबारा काम पर नहीं लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 131 परिवारों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) पुलों के पुनर्निर्माण में लगे और कायंरत सूलूरपेट्ट के निर्माण/पुल निरीक्षक के 131 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी निर्माण-कार्यों के पूरा होने पर की गई थी और अन्य कोई निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है । जब कभी निर्माण-कार्यों का कार्य-निष्पादन शुरू किया जाएगा; उनकी वरिष्ठता के अनुसार उन्हें पुन: नियुक्त कर दिया जाएगा ।

गुन्टकल और नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

5171. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुन्टाकल और नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, संसाधनों की कमी के कारण ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग बच्चों के लिए नई दिल्ली में स्कूल

5172. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग बच्चों की बोलने की शक्ति में सुधार के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में एक स्कूल खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० युंगन) : (क) और (ख) बधिर बच्चों के लिए नई दिल्ली में पहले ही एक पूर्ण विकसित स्कूल है, जिसमें वाणी-सुधार संबंधी सुविधाएं हैं। एक और स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कामर्शियल इंसपेक्टरों का दर्जा बढ़ाया जाना

5173. श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रोलवेज में कामर्शियल इन्सपेक्टरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० 11180/यू० पी० जी० दिनांक 10 नवम्बर, 1980 में विहित निदेशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि इन निदेशों को क्रियान्वित किया गया है ; तो किन-किन जोनल रेलवेज में और उनके ग्रेड-वार कितने पद बढ़ाए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम, मध्य, पूर्वी. उत्तर और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने बोर्ड के निवेशों को क्रियान्वित नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी रेलवे में 425-640 रु० के वेतनमान सहायक क्लर्कों/कामर्शियल इन्सपेक्टरों के पदों के लिए लगभग गत पांच वर्ष से चयन नहीं किया जाता है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुरुलिया-कोटशिला लाइन का बदला जाना

5174. श्री बसुदेव आचार्य
श्री अजीत कुमार साहा
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया-कोटशिला संकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में प्रस्तावित प्राथमिक इन्जीनियरी-सह-यातायात सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया जाएगा और सत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) इन्जीनियरी भाग के संबंध में क्षेत्र सर्वेक्षण-कार्य पूरा किया जा चुका है और 50 प्रतिशत से अधिक यातायात सर्वेक्षण भी समाप्त है। आकलन और रिपोर्ट को संकलित किया जा रहा है।

स्थानान्तण के बावजूद सरकारी आवास खाली न किया जाना

5175. श्री दया राम शाक्य: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के ऐसे कितने डी० आर० एम० और अन्य रेल अधिकारी हैं जिनका 1978 से लेकर अब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है और जिन्होंने अपने पुराने मुख्यालय में आबंटित सरकारी आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं और उन्होंने कितनी अवधि तक उस आवास पर कब्जा बनाए रखा और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि स्थानान्तरण 1980 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान किया गया और यदि उनके द्वारा अभी तक आवास खाली नहीं किया गया है, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार अधिकारियों के प्रति तो उदार रवैया अपना रही है जबकि वह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करती है और इस प्रकार की कार्यवाही के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण सलग्न है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

नियमों के अनुसार स्थानान्तरण होने पर रेल अधिकारी/कर्मचारी आमतौर पर 2 महीने तक रेलवे क्वार्टर अपने पास रख सकते हैं। नियमों में निर्दिष्ट परिस्थितियों में; 2, 4 अथवा 6 माह की अवधि के लिए पुन: क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति भी दी जा सकती है। बहरहाल, विशेष मामलों में रेल मन्त्रालय उपर्युक्त अवधि के बाद भी क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दे सकता है।

उत्तर रेलवे में ऐसे 25 अधिकारी हैं, जो स्थानान्तरण के बाद भी क्वार्टर अपने पास रखे हुए हैं। इनमें से 20 अधिकारियों को नियमों के अधीन/सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। शेष पांच अधिकारी अनधिकृत रूप से क्वार्टर अपने कब्जे में रखने के संबंध में ब्यौरा यहां दिया गया है :—

मंडल का नाम	उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने अनधिकृत रूप से क्वार्टर रखे हुए हैं	अनधिकृत रूप से क्वार्टर अपने पास रखने की अवधि
1. दिल्ली	3	4, 9 और 14 मास
2. लखनऊ	1	31 मास
3. इलाहाबाद	1	5 मास

अनधिकृत रूप से कब्जे के सभी मामलों में वर्तमान अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

वर्धवान से और वर्धवान तक मासिक टिकट

5176. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बर्धवान, आसनसोल और दुर्गापुर से और इन तक इस मार्ग पर यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रयोक्ताओं के लिए मासिक/सीजनल टिकट शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सीजन टिकटों की सुविधा पहले से ही मौजूद है।

"बम्बई पत्तन से चुराई गई मूल ओषधि

5177. श्री बाल कृष्ण बासिनिक
श्री विजय कुमार यादव
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन से लाखों रु० की मूल ओषधि हाल ही में चुराई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह चुराई गई ओषधि दिल्ली भेज दी गयी और बेच दी गई ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है और अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कहा जाता है कि क्लोरोक्विन फास्फेट के 285 ड्रम "टैक्सास" नामक जहाज में एक कंटेनर में भेजे गए थे। यह जहाज 26 और 27 अक्टूबर 1981 को बम्बई पत्तन पर आया था। इन ड्रमों का अभी तक पता नहीं लग सका है। लागत बीमा भाड़ा समेत इस दवाई की कीमत लगभग 26.45 लाख रु० है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह माल कंटेनर में भेजा गया था या यह बम्बई में कंटेनर के उतारे जाने के पहले गुम हो गया, या यह बम्बई में कंटेनर के उतारे जाने के बाद चोरी चला गया।

(ख) बंबई पत्तन न्यास को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह दवा जिसके बारे में चोरी हो जाना कहा गया है, दिल्ली भेजी गयी और बेची गई।

(ग) और (घ) बंबई पत्तन न्यास ने अपराध शाखा, केन्द्रीय खुफिया विभाग बंबई के अपर पुलिस आयुक्त को सबसे पहले 4.3.1982 को शिकायत दर्ज की। इसकी जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

चारमीनार का संरक्षण

5178. श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित चारमिनार एक संरक्षित स्मारक है और केन्दीय संरक्षण के अन्तर्गत आता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस मीनार की सीढ़ियों पर भारी अन्धेरा रहता है और यहां प्रकाश की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कदम उठाए हैं और यदि हां, तो यह कार्य कब किया जाएगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उन जीनों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है, जो आम जनता के लिए खुले हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में नए रेल मार्ग और रेल सेवाएं

5179. श्री दौलत राम सारण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या है जिनके बीच नयी रेल लाइनें बिछाने और नयी रेल लाइनें शुरू करने की मांगें (एक) श्री भैरोंसिंह (दो) श्री पहाड़िया के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार और राजस्थान की वर्तमान सरकार द्वारा की गई ;

(ख) इन मांगों पर उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लम्बाई अन्य राज्यों की तुलना में अत्यन्त कम है और इससे राज्य के विकास में बाधा पैदा हो रही है और यदि हां, तो इस बारे में राजस्थान को अन्य राज्यों के स्तर तक लाने के लिए क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

नयी गाड़ियां चलाने के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सर्व श्री भैरोंसिंह शेखवत तथा जगन्नाथ पहाड़िया के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार और वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित नयी रेल लाइनों की सिफारिश की गयी है। इनमें से प्रत्येक लाइन का महत्व भी नीचे दर्शाया गया है :—

क्र० सं०	लाइन का नाम	वर्तमान महत्व
1.	रायसिंह नगर-अनूपगढ़-छतरगढ़-बीकानेर-कोलायत-फलोदी (बीकानेर और कोलायत के बीच लाइन उपलब्ध है)—380 कि० मी०	राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए इन सभी रेल संपर्कों की आवश्यकता थी। विस्तृत रूप से विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया कि केवल बीकानेर से छतरगढ़ तक रेल लाइन (मी० ला०) के लिए सर्वेक्षण किया जाए। क्योंकि इससे नहर के पहले चरण जो कि अब पूरा हो चुका है, के निर्माण के बाद स्थापित होने वाली सभी प्रमुख मंडियों के लिए एक रेल संपर्क की व्यवस्था हो जाएगी। तदनुसार, 1977 में प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी थी और इसे पूरा किया गया था और जनवरी, 1980 में प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है। लेकिन सूरतगढ़ से सरूपसर समानान्तर बड़ी लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण, सरूपसर-अनूपगढ़ मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम 1981-82
2.	हनुमानगढ़-रावतसर-सरदार शहर-रतनगढ़-फतेहपुर (सरदार शहर-रतनगढ़ के बीच लाइन उपलब्ध है)—200 कि० मी०	
3.	घरसाना-नचना-रामगढ़-जैसलमेर—400 कि० मी०	
4.	फलोदी नचना—70 कि० मी०	

1	2	3
		के बजट में शामिल कर लिया गया है और सर्वेक्षण लगभग पूरा होने वाला है।
		इस परियोजना को अब 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के भाग के रूप में रेलवे से कहा गया है कि अनूपगढ़ से छतरगढ़ तक एक बड़ी लाइन सम्पर्क के निर्माण की जांच करे। इस सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण कार्य के चल रहा है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा कि बीकानेर-छतरगढ़ को अथवा अनूपगढ़-छतरगढ़ के संरक्षण को वरियता दी जाए। चूंकि सूरतगढ़ बीकानेर आमान पतिवर्तन को भी 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है इसलिए पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बीकानेर छतरगढ़ मीटर लाइन के बदले बड़ी लाइन सम्पर्क बन जाएगा :
5. सूरतगढ़-चुरू—180 कि० मी०		
6. सूरतगढ़-जैसलमेर—479 कि० मी०		
7. जैसलमेर-आबू रोड—250 कि० मी०		
8. देवी कोट-पाली—195 कि० मी०		धन की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किया गया।
9. मेड़ता सिटी-अजमेर—350 कि० मी०		
10. पलौदी-कोलायत— 110 कि० मी०		
11. टोंक को रेल द्वारा जोड़ना—210 कि० मी०		
12. छोटी सादड़ी तथा प्रतापगढ़ के रास्ते मालवी-बड़ी सादड़ी लाइन को दोहद तक विस्तार —350 कि० मी०		

1	2	3
13.	बिलाड़ा-बार —55 कि० मी०	सर्वेक्षण कार्य 1981-82 के बजट में शामिल किया गया था और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।
14.	फालना-नाथ द्वारा —110 कि० मी०	सर्वेक्षण किया गया था और परियोजना अलाभप्रद पायी गयी।
15.	रतलाम-बांसवाड़ा —79 कि० मी० का डूंगरपुर तक विस्तार— —79 कि० मी० प्रथम बदलाव —96 कि० मी० दूसरा बदलाव	,,
16.	कोटा-चित्तौड़गढ़ बड़ी लाइन सम्पर्क	बूंदी के रास्ते कोटा से चित्तौड़गढ़ तक बड़ी रेल लाइन और नीमच तक समानान्तर बड़ी लाइन (242 कि० मी०) का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है और 41.09 करोड़ रुपये की लागत पर इसे 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। कोटा से बूंदी तक के खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और इस समय इस लाइन पर काम हो रहा है। इस खंड के शेष भाग में अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पर है।
17.	सूरतगढ़ से जैसलमेर तक बड़ी लाइन	ऊपर मद 1—4 के सामने दी गई टिप्पणी को देखें।
18.	टोंक से देवली, शाहपुरा-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ तक बड़ी लाइन	भीलवाड़ा तथा केकरी के रास्ते नाथद्वारा से टोडा राय सिंह के बीच एक रेल लाइन (मी० गा०) के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के कार्य को 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया

1	2	4
		गया है । सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है । सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर लिए जाने के बाद ही प्रस्तावित लाइन के निर्माण पर विनिश्चय किया जायेगा । प्रस्तावित लाइन को टोंक से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह लाइन टोंक सहित आस-पास के क्षेत्रों की पर्याप्त रूप में सेवा करेगी ।
19.	कोटा-अजमेर	धन की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
20.	कोटा-गोधरा	
21.	करौली-सवाई माधोपुर	
22.	अम्बाजी के रास्ते पालनपुर-उधीपुर	धन की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।
23.	बीकानेर-जैसलमेर, बाडमेर तथा धोनीमान के रास्ते गंगा-पुर-गांधीधाम	
24.	लूणी के रास्ते जोधपुर-मेवाड़	सर्वेक्षण कार्य 1981-82 के बजट में शामिल किया गया और सर्वेक्षण किया जा रहा हैं ।
25.	लुम्बिया तथा ब्यावर से मीटर लाइन स्कंध सहित कोटा-देवगढ़ मंदारिया	सर्वेक्षण कार्य 1981-82 के बजट में अनुमोदित किया गया था और सर्वेक्षण प्रगति पर है ।
29.	पुष्पकर के रास्ते अजमेर-मेड़ता रोड	सर्वेक्षण कार्य 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

(ग) भारतीय रेलों के कुल 60,777 कि० मी० मार्ग में से 5,609 कि० मी० लम्बे रेल मार्ग का जाल राजस्थान में फैला हुआ है । राजस्थान में प्रति हजार वर्ग कि० मी० में मार्ग किलोमीटर 16.39 है जबकि राष्ट्रीय औसत 18.48 किलोमीटर है । राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे मार्ग 21.77 किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय औसत 11.09 किलोमीटर है ।

राज्यवार अथवा क्षेत्रवार आधार पर रेलवे विकास नहीं किया जा सकता, यह सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय अग्रताओ के अनुरूप किया जाता है । नई रेलवे लाइनें की योजना सम्बन्धित क्षेत्र की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं से पूर्णतः जुड़ी हुई हैं । मौजूद रेल किलोमीटर दूरी की अपेक्षा प्रत्याशित यातायात की बहुलता ही नई लाइन परियोजनाओं क

विनिश्चय करने की एकमात्र कसौटी है। लाइन के औचित्य के लिए यातायात की उपयुक्त प्रत्याशा पर ही ऐसी लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं।

बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने पिछड़े क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ नई लाइनों के लिए अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। योजना आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इस समिति की स्वीकृति सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में नयी लाइन के प्रस्तावों पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग में मरीजों का दाखिला

5180. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग में दाखिले के लिए 31 जनवरी, 1981 से 16 फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान कितने मरीज आए और उनमें से कितने मरीजों को प्रवेश दिया गया और कितने मरीजों का आपरेशन किया गया ;

(ख) इस तरह के जिन मरीजों का आपरेशन किया गया उनकी संख्या कितनी है और कितने मरीज अपना आपरेशन होने से पूर्व ही मर गए ;

(ग) उन मरीजों को दाखिल न करने के क्या कारण हैं जो दाखिले के लिए आए थे ;

(घ) अस्पताल की दशा में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में बतलाया है कि 31 जनवरी, 1981 से 15 फरवरी, 1982 तक 714 रोगी दाखिल किये गये और 673 रोगियों का आपरेशन किया गया।

(ख) दाखिल किये गये 714 रोगियों में से 8 रोगी आपरेशन से पूर्व ही मर गये।

(ग) मूलभूत ढांचे की सीमित सुविधाओं को देखते हुए इस समय दाखलों और परवर्ती आपरेशनों के लिए प्रतीक्षा-काल को घटा पाना संभव नहीं है। वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) हृदय-वक्ष चिकित्सा केन्द्र बनाया जा रहा है और इसके छठी योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस केन्द्र के बन जाने से इसमें पलंगों की वर्तमान संख्या 40 से बढ़कर 85 हो जाने की आशा है।

तिरुनेलवेली त्रिवेन्द्रम रेल लाइन पर ठेके पर मजदूर

5181. श्री ई० बालानंदन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि रेलवे अधिकारी, तिरूनेलवेल्ली त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ठेके पर मजदूरों की व्यवस्था कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसी ठेकेदार को कार्य न सौंपने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,।

(ख) इस परियोजना के शेष काम स्टेशन की इमारत का निर्माण, कर्मचारी क्वार्टर और रेल की पटरी पर गिट्टी बिछाना आदि जैसे है। गिट्टी डालने के काम को छोड़कर ये सभी काम परम्परागत रूप से ठेकेदारों की एजेंसी द्वारा किये जाते हैं। किफायत, काम की थोड़ी अवधि और कार्यों के समाप्त होने के बाद श्रमिकों की छटनी/समाहरण में कटिनाई को दृष्टिगत रखते हुए गिट्टी डालने का काम भी ठेकों के माध्यम से कराया जा रहा है।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में सीटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया जाना

5182. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में कुछ व्यावसायिक व्यक्ति यात्रियों को रोक कर सीटों और सोने की बर्थों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इन सीटों और बर्थों को यात्रियों से अनधिकृत रूप से पैसा वसूल करने के बाद देते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेल अधिकारी और पुलिस लम्बे अर्से से चली आ रही इस प्रथा को रोकने के लिए कोई कदम उठाने में असमर्थ हैं; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) समाज-विरोधी तत्वों द्वारा दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों पर शायिकाओं और सीटों पर कब्जा करने के मामलो की रिपोर्ट मिली है। पुलिस के सहयोग से रेलवे द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए बंधन उपाय किये थे। दिल्ली क्षेत्र में हाल ही में चलाये गये एक गहन और विस्तृत अभियान के आस पास में लगभग 200 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से 70 को जेल भेज दिया गया तथा 10 तिकड़मी व्यक्तियों को पुलिस की हिरासत में रखा गया था। 186 व्यक्ति अन्तरित आरक्षणों पर यात्रा करते पकड़े गये थे।

मध्य बम्बई में ई० एम० यू० रेक्स

5183. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बम्बई में मध्य रेलवे की उपनगरीय सेवा के पास कितने ई० एम० यू० रेक्स हैं,

(ख) इनमें से कितने रेक्स दैनिक उपयोग में हैं,

(ग) क्या गाड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए ये रेक पर्याप्त हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 68

(ख) वास्तविक सेवा के लिए दैनिक औसतन। सहायक रेक सहित 53 रेक उपलब्ध कराये जाते हैं। 53 रेकों में से एक रेक का उपयोग पूना-लोनावला खंड पर किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) चल स्टाक कार्यक्रम में अभी तक 126 अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है। किन्तु, बिजली गाड़ी डिब्बों का चालू उत्पादन का उपयोग गतायु बिजली गाड़ी के डिब्बों के बदलाव के लिए किया जा रहा है। 1983-84 में कुछ अतिरिक्त सेवायें शुरू किये जाने की संभावना है।

क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति

5184. श्री अनन्त रामलु मल्लु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में क्षय रोगियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री(कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1955-58 में किये गये राष्ट्रीय क्षय रोग नमूना सर्वेक्षण के अनुसार यह आकलन किया गया है कि कुल जनसंख्या में से लगभग 1/5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनका यह रोग एक्स-रे के हिसाब से सक्रिय है। इनमें से 1/4 अथवा 0.4 प्रतिशत लोगों का थूक पांजीटिव है अथवा वे संक्रामक हैं इसके बाद देश के विभिन्न भागों में किये गये सीमित सर्वेक्षण से इन उपर्युक्त निष्कर्षों की पुष्टि हो गई है। 1981 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या लगभग 68 करोड़ है। इस प्रकार यह आकलन किया गया है कि लगभग एक करोड तीन लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो फेफड़ों के क्षय रोग से पीड़ित हैं और उनका यह रोग एक्स-रे की दृष्टि से सक्रिय है, इनमें से लगभग 26 लाख लोगों का थूक पाँजीटिव है या वे सक्रामक हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई लाइनें बिछाने में हुई प्रगति

5185. श्री आर० पी० यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने में असंतोषजनक प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय उक्त परियोजना में इंजन-शक्ति के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किए जाने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नयी रेल लाइनों की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं;

(1) उस क्षेत्र में विदेशियों से संबंधित लम्बे समय से चल रहे अन्दोलन, (2) अन्दोलन, बन्द और कार्यालयों के साथ-साथ कार्य-स्थल पर धरना देने के कारण निर्माण कार्य में बार-बार रुकावट उत्पन्न होना। कार्य-स्थल पर काम की स्थिति के बारे में अनिश्चय की परिस्थिति के कारण ठेकेदार पूरी तरह श्रम शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं, (3) स्थल दशाओं और (4) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब होना।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये जा रहे निर्माण कार्यों में जन शक्ति के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करने के बारे में रेल मंत्रालय कोई योजना नहीं बना रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु एक्सप्रेस की दुर्घटना पर दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट

5186. श्री एम० अरूणाचलम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाली दुर्घटना जांच समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन कारणों से हुई; और

(ग) इस तरह की अन्त: सेक्शन दुर्घटनाएं दुबारा न हों इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय 31.8.81 को दक्षिण-मध्य रेलवे के रालापेट स्टेशन के निकट 121 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में है। इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, बेंगलूरू, ने की है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना मुख्यत: इस कारण हुई क्योंकि गाड़ी प्राधिकृत रफ्तार से कहीं ज्यादा रफ्तार पर चलाया गयी था जिसके फलस्वरूप गाड़ी रेलपथ जो कि अपेक्षित स्तर का नहीं था, से उत्तर गयी। इसके अलावा, इस दुर्घटना का कारण यह भी था कि चल स्टाक में मामूली खराबियां थीं। चल स्टाक तथा रेलपथ की ये खराबियां अत्यधिक रफ्तार के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बहरहाल, सभी स्तरो पर रेल कर्मचारियों के बीच संरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, निरीक्षणो की संख्या बढ़ा दी गयी है और दो उच्च स्तरीय विभिन्न चल दलों जिनमें विभागो के वरिष्ठ प्राशासनिक ग्रेड के अधिकारी शामिल हैं का गठन किया गया है। ये दल किसी क्षेत्र मे पायी जाने वाली त्रुटियो को तत्काल ठीक करने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों के महत्वपूर्ण वर्ग से सम्पर्क करेंगे। इन दलों के कार्य को समन्वित करने के लिए रेलवे बोर्ड के वरिष्ट निदेशको को विशेष रूप से मनोनीत किया गया है। कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए, रेल कर्मचारियों की फेडरेशनों तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ मूल स्तर पर बैठकें आयोजित की गयी हैं।

मारडेका फुटबाल टुर्नामेंट में भारत द्वारा भाग लिया जाना

5187. श्री बी० डी० सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया ने, चालू वर्ष के दौरान क्वालालम्पुर में आयोजित किए जा रहे मर्डेका फुटबाल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारत को आमन्त्रित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अखिल भारतीय फुटबाल संघ के अवैतनिक सचिव ने सरकार को सूचित किया है कि संघ को मलेशियाई फुटबाल संघ से निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसमें चालू वर्ष के दौरान क्वालालम्पुर में होने वाले मर्डेका फुटबाल टुर्नामेंट में भाग लेने के लिए भारतीय फुटबाल टीम को आमंत्रित किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नवम्बर-दिसम्बर, 1981 के दौरान बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्ति

5188. श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में प्रतिमाह कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये;

(ख) बिना टिकट यात्रियों से इस अवधि के दौरान किराये और जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार, बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए और अधिक कठोर कानून बनाने का है ?

रेल मन्त्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1981 के महीनों में बिना टिकट अथवा गलत टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूल की गयी राशि नीचे दी गयी है :—

(लाख रुपयों में)

	नवम्बर 1980	दिसम्बर 1981
(1) बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गये यात्रियों की संख्या	2.68	2.45
(2) वसूल किया गया किराया	20.65 रु०	20.06 रु०
(3) वसूल किया गया अधिक प्रभार	24.45 रु०	21.94 रु०
(4) वसूल की गयी अदालती जुर्माने की रकम	3.16 रु०	2.17 रु०

(ग) बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वर्तमान कानून पूर्णतया पर्याप्त हैं।

भारतीय बंदरगाहों में कन्टेनरयुक्त मालवाहक जहाजों का रखरखाव

1589. श्रीमती संयोगिता राणे
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बन्दरगाह पर भारतीय मालवाहक जहाजों का रखरखाव अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति से नहीं किया जाता और सिंगापुर और कोरिया से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में कंटेनरयुक्त मालवाहक जहाजों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित श्रमिक नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए विदेश से सहयोग लेने का है, और

(घ) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कार्गो हैंडलिंग का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति से करने के निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। वास्तव में, जहां तक खनिज लोह का प्रश्न है, हमारे पत्तनों में मशीनों से माल उतारने-चढ़ाने की जो पद्धति है। वह वैसी ही है जैसी अन्य पत्तनों पर है। केवल कन्टेनर हैंडलिंग के मामले में हमारे पत्तन पीछे हैं। चालू पंचवर्षीय योजना में बहुत से उपकरण और अन्य मशीनें लगाकर इसमें सुधार किया जाना है।

(ख) से (घ) कुछ पत्तनों ने कंन्टेनर हैंडल करने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रखा है फिर भी आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकियों के विशेषकर कन्टेनर युक्त माल के अनुरूप कार्गो हैंडलिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारी विदेशी विकसित पत्तनों को भेजे गए हैं, और उन्होंने कन्टेनर हैंडलिंग के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त की है। इन अधिकारियों का कन्टेनर हैंडलिंग में कर्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि बम्बई, कलकत्ता मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम के पांच बड़े पत्तनों पर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं ताकि आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकियों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता प्राप्त की जा रही है।

उत्तर रेलवे के दोषी कर्मचारियो को दंड

5190. श्री मूल चन्द्र डागा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के उन कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिन्हें 1980-81 और 1981-82 के दौरान रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और उन्हें क्या दंड दिया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप है; और

(ख) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है और यह कब से विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाए के लिए निर्माण सम्बन्धी मानक तथा उनमें पाए गए तकनीकी दोष

5191. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के लिए निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानक तक है ;

(ख) क्या इनमें तकनीकी कठिनाइयां हैं और इन निर्माण कार्यों में क्या दोष पाए गए है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में दोष पाए गए हैं और क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृत तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाड, 82 के लिए बनाए जा रहे स्टेडियम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"समुद्र भाड़े के लिए आई० एम० सी० ओ० और आई० एल० ओ० करारों का अनुमोदन"

5192. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र भाड़े के लिए मर्चेन्ट शिपिंग कन्वेंशन (न्यूनतम स्वर) 1976 के निर्णयों सहित आई० एम० सी० ओ० और आई० एल० ओ० करारों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय को लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं तो ऐसे उपबन्धों को कब तक लागू कर दिया जाएगा और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सीफेयरर्स से सम्बन्धित इसको इंस्ट्रूमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन आन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एन्ड वाच कीपिंग फार सिफयरर्स 1978 है जिसकी पुष्टि अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गयी है।

आई० एल० ओ० ने जितने मेरीटाइम कन्वेंशस अभी तक अपनाए हैं, उनमें से सिर्फ तीन की पुष्टि सरकार द्वारा की गयी है जो ये हैं : —(i) ट्रीमर्स और स्टोकर्स के रूप में रोजगार के लिए युवाओं की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण करने वाला कन्वेंशन 1921 (ii) समुद्र में काम करने वाले बच्चों और युवाओं की आवश्यक मेडिकल परीक्षा करने वाला कन्वेंशन 1921 और (iii) नाविकों की वस्तुओं का एग्रीमेंट वाला कन्वेंशन 1926 है ।

इन कन्वेंशनों का परिचालन इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है । अपुष्ट कन्वेंशनों की पुष्टिकरण के निर्धारण के लिए समय-समय पर संवीक्षा/जांच की जाती है ।

एक समान शैक्षिक पाठ्यक्रम

5193. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की परिषद जिसकी बैठक चण्डीगढ़ में फरवरी, 82 में हुई थी, ने इस क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए सभी स्तरों पर एक समान शैक्षिक पाठ्यक्रम अपनाने का विचार व्यक्त किया था और इस से सम्बन्धित-सभी मामलों की विस्तार से जांच करने और परिषद को विभिन्न मामलों की रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्य उप-कुलपतियों, राज्यों और केन्द्र के शिक्षा सचिवों के साथ-साथ अन्य शिक्षा विदों के एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की परिषद की

बैठक जो चंडीगढ़ में फरवरी 1982 में हुई थी, उसकी कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली छावनी में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

5194. श्री शिव शरण वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस भूमि पर कब से अनधिकृत कब्जा है और उसे खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर 1981 से 1 रेल प्रशासन को सलाह दी गई है कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा की बेदखली) अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत झुग्गी झोंपड़ियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिना चौकीदार वाले क्रासिंगों पर चौकीदार नियुक्त करना

5195. श्री लहना सिंह तूर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर जिले की तरनतारन तहसील में डाबुरजी ग्राम पंचायत ने दो वर्ष पूर्व बिना चौकीदार वाले क्रासिंगों पर चौकीदार नियुक्त करने के बारे में क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर रेलवे, फिरोजपुर को पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राम पंचायत को लगभग 2,600 रुपये जमा करने का निदेश दिया गया था ;

(ग) क्या जब ग्राम पंचायत 2600 रुपये जमा करवाने गई तो प्राक्कलन में संशोधन कर उसे 3,800 रुपए कर दिया और पुन: जब ग्राम पंचायत 3,800 रुपये जमा करवाने पहुंची तो प्राक्कलन में संशोधन कर उसे 5,800 रुपये कर दिया गया ;

(घ) क्या जब ग्राम पंचायत 5800 रु० जमा करवाने पहुंची तो प्राधिकारियों ने इस योजना को रद्द कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरपंच, ग्राम पंचायय डबुरै की ओर से वर्ष 1976 में अमृतसर खेमकरण खंड के दुख निवारण और तरन-तारन स्टेशनों के बीच कि० मी० 18/6 पर एक विना चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था न कि बिना चौकीदार वाले समपार को चौकीदार वाले फाटक में बदलने के लिए ।

(ख) और (ङ) बिना चौकीदार वाले फाटक की लागत और उसके पूंजीकृत अनुरक्षण प्रभारों की बाबत ग्राम पंचायत से 18-5-76 को 2420/-रुपये जमा कराने के लिए कहा गया था। ग्राम पंचायत की ओर से कोई राशि जमा नहीं करायी गयी बल्कि इसके बदले में उन्होंने 1000/रु०—जमा कराने और श्रमदान द्वारा कुछ काम किये जाने का प्रस्ताव रखा। अगस्त, 1976 में मंडल रेल प्रबन्धक/फिरोजपुर द्वारा ग्राम पंचायत को यह सूचित किया गया कि चूंकि मिट्टी का काम श्रमदान के आधार पर ग्राम वासियों द्वारा किए जाने के बारे में पहले ही विचार कर लिया गया है, इसलिए लागत में कमी करना संभव नहीं है इसके बाद 25-3-80 तक ग्राम पंचायत ने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने समपार की व्यवस्था करने के लिए पुनः अनुरोध किया। 1976 से 1980 तक मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण निर्माण कार्य की लागत बढ़ कर 5167/-रु० हो गयी और मार्च, 1980 में ग्राम पंचायत से 5167/-रु० जमा कराने के लिए कहा गया। दिसम्बर, 1981 में कथित समपार के लिए ग्राम पंचायत ने पुनः अनुरोध किया। उसकी लागत और बढ़कर 5849/-रु० हो गई और मंडल रेल प्रबंधक फिरोजपुर द्वारा 25-1-82 को ग्राम पंचायत से यह राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है। ग्राम पंचायत की ओर से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

ऋषीकेश से देहरादून तक नई रेल लाईन

5196. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋषीकेश से देहरादून और देहरादून से विकास नगर तक नयी रेल लाइन का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी रेल लाइन पर कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऋषिकेश से रायवाला के रास्ते देहरादून तक एक रेल लाइन पहले से ही मौजूद है। इसे विकास नगर तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए घटिया आयुर्वेदिक औषधियों की सप्लाई

5197. श्री बी० एम० पुत्ते गौंडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेद स्टोर के कार्य प्रभारी अधिकारी ने डिपु को घटिया आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद सप्लाई में कदाचारों के बारे में शिकायत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के स्टोर अधिकारी (आयुर्वेद) से एक शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है ।

रलवे सुरक्षा आयुक्त 1979-80 के कार्यकरण की रिपोर्ट

5198. श्री चित्त बसु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने इस बीच "रेल सुरक्षा आयुक्त 1979-80 के कार्यकरण से संबंधी रिपोर्ट" की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल सुरक्षा आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

अमरीका द्वारा परमाणु ईंधन की सप्लाई

5199. श्री मोहन लाल पटेल
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री बी० वी० देसाई } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा यूरेनियम की सप्लाई किए जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) अमरीका से यूरेनियम की खरीद के लिए करार कब किया गया था [illegible] एम० जोशी): अवधि तक के लिए था, और

(ग) करार की अवधि समाप्त होने से पूर्व भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने लिए अमरीका द्वारा संकोच करने के क्या कारण हैं ? [illegible]ई

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अमरीका तारापुर रिएक्टरों के लिए 1963 के भारत-अमरीका करार के अधीन समृद्ध यूरेनियम सप्लाई करने के संविदात्मक दायित्व को निभाने से बराबर इन्कार ही कर रहा है।

(ख) भारत सरकार और अमरीका के बीच परमाणु ऊर्जा के असैनिक उपयोग से सम्बन्धित सहयोग करार पर 8 अगस्त, 1963 में हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र में ईधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए जितने भी समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी, अमरीका उसे बेचेगा और भारत खरीदेगा। तत्पश्चात्, समृद्ध यूरेनियम की बिक्री के लिए दोनों सरकारों के बीच एक अलग संविदा 17 मई, 1966 को निष्पादित हुई थी। 1963 के जिस करार के अधीन अमरीका ने तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के लिए ईंधन सप्लाई करने का दायित्व लिया था उसमें इसके लिए 30 वर्ष की, यानी 7 अगस्त, 1973 तक की अवधि निर्धारित की गई थी।

(ग) अमरीका ने समृद्ध यूरेनियम सप्लाई करने का अपना उत्तरदायित्व निभाने से इन्कार करने का कारण अपना एक आन्तरिक कानून यानी 978 का नाभिकीय शस्त्र निरोधक अधिनियम बताया है। भारत ने अमरीका को स्पष्ट शब्दों मे अपने इस मत से अवगत करा दिया है कि एक आन्तरिक कानून को किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय करार से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक दायित्वों को निभाने से इन्कार करने का कारण नहीं बताया जा सकता, जिसे संधि का दर्जा प्राप्त है।

स्कूल पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने हेतु उसमें काट-छांट करने की योजना

5200. श्री एम० एम० ए० खां : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल पाठ्यक्रम में कांट-छांट करने की योजना है जिससे कि इसे और अधिक रचनात्मक, उद्देश्यपूर्ण और रोजगार प्रधान किया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा इसे क्रियान्वियन करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत कक्षा X तक शिक्षा की सिफारिश

की गई है, ताकि बच्चे अपने उभरते हुए जीवन में सन्तुलित बढ़ोत्तरी तथा सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त कर सकें। तथापि, पाठ्यचर्या को विकेन्द्रित करने तथा अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया को पर्यावरण से सम्बद्ध करने का प्रयास किए जाते हैं जिससे कि शिक्षा स्थानीय स्थितियों तथा जीवन की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बन सके।

+2 स्तर पर, शैक्षिक तथा व्यवसायिक, दोनों प्रकार के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सिफारिश की गई है। रचनात्मक की भावना जागृत करने के लिए स्कूली शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप से लाभ उत्पादन कार्य का समावेश किया गया है ।

2045

कृष्णा नगर और लालगोला घाट के बीच और अधिक शटल गाड़ियां

5201. श्री रणवद दास : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नगर पर यात्रियों को लोकल इलेक्ट्रिक मल्टीपल कोचिंग का लाभ उठाने में सहायता करने की दृष्टि से कृष्णनगर और लालगोला घाट के बीच और अधिक शटल गाड़ियों के चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का क्या भविष्य है ;

(ग) यदि नहीं, तो सियालदाह डिविजन के अन्तर्गत राणाघाट-कृष्णा नगर-लालगोला घाट सेक्शन में अत्याधिक भीड़-भाड़ के कारण महिलाओं, और अशक्त लोगों सहित सभी वर्गों के यात्रियों को होने वाली रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्व रेलवे के प्रधिकारियों का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राणाघाट-कृष्ण नगर-लालगोला खण्ड पर आजकल 1 जोड़ी गाड़िया चल रही हैं। यात्री डिब्बों कीअत्यन्त कमी तथा अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओ के कारण फिलहाल इस खड़ पर अतिरिक्त गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

चिकित्सा उपचार की पद्धति के रूप में "एकूपंचर" को मान्यता देना

5202. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमारे देश में चिकित्सा उपचार की पद्धति के रूप में सूचीवेध (एकूपंचर) पद्धति को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि देश में सूचिवेध (एकूपंचर) पद्धति का प्रशिक्षण देने के लिए कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा कालेज नहीं है, इसलिए इस पद्धति को भी मान्यता देने का कोई विचार नहीं है।

मृत रोगियों की आंखों को कथित अवैध रूप से निकाला जाना
(ऐलेज्ड इल्लीगलरिमूवल आफ डेड पेसेन्ट्स आइज)
शीर्षक समाचार

5203. श्री बापूसाहिब परूलेकर
श्री विजय कुमार यादव
श्री एम० राजगोपाल रेड्डी
श्री के० ए० राजन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी 1982 को टाइम्स आफ इंडिया में मृत रोगियों की आंखों को कथित अवैध रूप से निकाला जाना (ऐलैज्ड इल्लीडललीगत रिमूवल आफ डैट पेसेंट्स आइज) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली के अस्पतालों में मानव शरीर के अंगों का नियमित व्यापार किया जाता है !

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां। यह रिपोर्ट किंग्सवे कैम्प के टी० बी० अस्पताल में एक युवा रोगी की दाईं आंख के निकाले जाने के बारे में है।

(ख) दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, 23-12-81 को सतीश कुमार नामक रोगी को हिन्दू राव अस्पताल से तपेदिक रोगी के रूप में भर्ती करने के लिए भेजा गया था। इस रोगी के दोनों फेफड़ों में तपेदिक थी और उसके दाईं तरफ नयूमोथोरैक्स था। उसे टी० बी० अस्पताल, किंग्सवे कैम्प के मेल-7 वार्ड में भर्ती किया गया था और जांच के बाद उसका आवश्यक इलाज किया गया था। यह इलाज जारी रखा गया किन्तु रोगी ने सांस लेना बन्द कर दिया। 27-2-82 को रोगी की हालत खराब हो गई। ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने उसकी जांच की और आवश्यक इलाज किया, किन्तु हृदयश्वसन के बन्द होने और फेफड़ों की तपेदिक के कारण 27-2-82 को 12.10 बजे (मध्य रात्रि) रोगी की मृत्यु हो गई। इस अवधि के दौरान मृतक की मां पूरे समय

मौजूद थी और उसे मृत्यु के बारे में बतला दिया गया था। तत्पश्चात उसका शव शवगृह में भेज दिया गया था। मृतक की मां अस्पताल के कर्मचारियों को कोई सूचना दिए बिना अस्पताल से गायब हो गई। इस शव को 21-2-82 तक शव गृह में रखा गया और मृत्यु के लगभग 80 घंटे बाद, मृतक के रिश्तेदार शव लेने आए। शव को लेते समय, मृतक के भाई ने देखा कि मृतक की दाईं आंख गायब है। शिकायत मिलने पर वार्ड ने उप-चिकित्सा अधीक्षक और वक्ष चिकित्सक इस बात की जांच करने के लिए शवगृह गए और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में करा दी गई। मृतक के रिश्तेदार ने शव गृह के रजिस्टर में यह लिख दिया कि एक आंख गायब थी।

(ग) दिल्ली के अन्य अस्पताल में हुई ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत रेल पथ की पटरियों का बदला जाना

5204. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे की बम्बई, सूरत, बड़ोदा, रतलाम और कोटा डिविजनों के अन्तर्गत रेल पथ की पटरियां कितनी-कितनी पुरानी हैं और वहां रेल-पथ की पटरियों को बदल दिया गया है और यदि हां, तो इन डिविजनों के प्रत्येक सेक्शन में कितने-कितने किलोमीटर लम्बे रेल पथ की पटरियों को बदला गया है ;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान डिविजन के अन्तर्गत रेल-पथों की टूट फूट की कितनी-कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) रेल दुर्घटना अध्ययन समिति रिपोर्ट के अनुसार अथवा सामान्य नियमों के अन्तर्गत कितनी अवधि के बाद रेल-पथ की पटरियों को बदल दिया जाना चाहिए ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) पश्चिमी रेलवे के बम्बई, बड़ोदरा, रतलाम और कोटा मंडलों में विभिन्न स्थानों पर रेल-पथ 1 वर्ष से 25 वर्ष पुराना है। जो रेल-पथ 20 से 25 वर्ष पुराना है, उसे कार्यक्रमबद्ध आधार पर बदला जा रहा है। इन मंडलों में 2099 रेलपथ किलोमीटर 20 से 25 वर्ष पुराना है। इसमें से 842 रेल-पथ किलोमीटर के बदलाव की स्वीकृति दे दी गई है और 223 रेल-पथ किलोमीटर का बदलाव पहले ही किया जा चुका है।

(ख) 1981 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक मंडल के अधीन रेल-पथ की टूट-फूट की घटनाओं की संख्या यहां दी गई है:

मंडल	रेल पथ की टूट फूट की घटनाओं की संख्या
बम्बई	181
बडोदरा	239
रतलाम	193
कोटा	90

(ग) रेलवे रेलपथों का बदलाव कुछ मापदंडों अर्थात पटरियों पर ढ़ोया गया कुल यातायात पटरियों की घिसावट, पटरियों की हालत और आयु के आधार पर किया जाता है। आयु का मापदंड 45 से 50 वर्ष है।

ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करना

5025. श्री एम० एम० लारेंस : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेली-त्रिवेन्द्रम रेलवे एम्पलाइज यूनियन द्वारा सरकार का ध्यान ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तिरुनेलवेलि तिरुवनन्तपुरम रेलवे एम्पलाइज यूनियन से दिनांक 30-1-82 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने का अनुरोध किया गया है ?

(ख) और (ग) तरूनेलवेली-केप-तिरुवनन्तपुरम लाइन योजना पर स्टेशन इमारत, कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण और रेल पथ में गिट्टियां बिछाने आदि, जैसे कुछ अधूरे निर्माण कार्य मितव्ययिता अल्पावधि वाल निर्माण कार्यों को पूरा हो जाने के बाद छंटनी/श्रमिकों को समाहित करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों की एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किये जा रहे हैं।

दक्षिण रेलवे में नई रेल लाइनें

5206. श्री के० टी० कोसलराम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1652 से अब तक दक्षिण रेलवे में नई रेल लाइनें और छोटी लाइन की बड़ी लाइनों में बदलने का ब्योरा क्या है ; और

(ख) दक्षिण रेलवे में ऐसी नई लाइनों और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर कितना व्यय हुआ है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

1952 से अब तक दक्षिण रेलवे पर नयी लाइनों और लाइनों में आमान परिवर्तन किए जाने पर लागत और विवरण :—

क्र० सं०	खण्ड	लाइन	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत (लाख रुपये में)	खोले जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	अरणघांगी कारैक्कुडी	मी० का०	2 .50	37.94	मार्च, 1952
2.	इरुगुर-कोयम्बतूर नार्थ जं०	ब० ला०	13.92	30.00	जनवरी, 1953
3.	शेरुवण्णूर निलम्बूर रोड़ (पुनः स्थापन)	ब० ला०	66.76	109.80	अप्रैल, 1954
4.	मदुराई-बोदिनायक्कनूर (पुनः स्थापन)	मी० ला०	50.02	81.79	जुलाई, 1954
5.	एर्णाकुलम-कोल्लम	मी० ला०	156.00	644.29	जनवरी, 1958
6.	मानमदुरै-विरुदनगर	मी० ला०	66.56	267.64	मई, 1964
7.	सेलम ज० बैंगलुरु सिटी	,,	231.31	1021.11	जनवरी, 1969
8.	रामेश्वरम-रामेश्वरम बंदरगाह	,,	1.09	1.12	जनवरी, 1972
9.	एर्णाकुलम-कोल्लम मीटर लाइन का बड़ी लाइन में और कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन	ब० ला०	156.00	1809.59	नवम्बर, 1975
		ब० ला०	65.00		सितम्बर, 1976

1	2	3	4	5	6
10	तिरुवनन्तपुरम-नागरकोइल	ब० ला०	159.85	3749.96	अप्रैल, 1979
	कण्याकुमारी-नागरकोइल तिरुनेलवेल्लि	ब० ला०			अप्रैल, 1981
11.	मंगलूर-हसन	मी० ला०	189.21	5099.65	दिसम्बर, 1979

रक्त दाताओं के रक्त को कूड़े में ढेर फेंकना

5207. श्री एस० एम० कृष्ण
श्री भगत भाई बरोट } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री रेड क्रास द्वारा कूड़े करकट के रूप में फेंके गए मानव रक्त के बारे में 11 मार्च, 1982 के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न संख्या 289 के उत्तर के सम्बद्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्त दाताओं के रक्त को कूड़े के ढेर में फेंकने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच पैनल के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय रेड क्राम सोसायटी द्वारा गठित किए गए जांच बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :—

1. डा० बी० के० वर्मा,
निदेशक, नागरिक सुरक्षा (चिकित्सा),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।

2. डा० एन० तनेजा,
रक्तदान अधिकारी,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

3. डा० आर० के० सरन,
रक्तधान अधिकारी,
हिन्दू राव अस्पताल।

(ख) जी हां।

(क) जांच बोर्ड ने बताया है कि प्लास्टिक के एक ही थैले (लेबल नं० 269 ग्रुप—बी०आर० एच०—नेगेटिव) में थोड़ा सा रक्त था, जो कूड़े के ढ़ेर में से मिला था, जबकि अन्य थैले खाली थे। प्लास्टिक के इस थैले में 18 जनवरी, 1982 को इकट्ठा किया गया रक्त था। चूंकि रक्त

भंडारण की सामान्य अवधि 21 दिन, अर्थात 7 फरवरी तक ही थी और भारतीय रैडक्रास सोसायटी रक्त बैंक से किसी नेगेटिव रक्त की कोई मांग नहीं आयी थी, इसलिए इसमें से प्लज्मा अलग करके 8 फरवरी, 1982 को सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया।

कर्मचारियों को दिए गए सुविधा-टिकट आदेश (पी० टी० ओ०)

5208. श्री प्रताप भानू शर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रत्येक वर्ष दिए गए सुविधा-टिकट आदेश (पी० टी० ओ०) का कोई समेकित रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष इस सुविधा का लाभ औसतन कितने व्यक्ति उठा रहे हैं; और

(ग) इससे रेलवे विभाग को कितने राजस्व की हानि उठानी पड़ती है ?

रेलमन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

"कलकत्ता पत्तन में गहराई को बनाये रखने के लिए ड्रेजिंग आपरेशन"

5209. श्री नीरेन घोष : क्या नौवहन और परिवहन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग से कलकत्ता पत्तन में गहराई कायम रह सकी है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक ;

(ग) क्या बलारी बार से नौचालन चैनल को बहुत बाधा अथवा खतरा बना हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिए कोई परियोजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) नदी को नियन्त्रित रखने के कार्यों के साथ निकर्षण कार्यों से कलकत्ता पत्तन के जलस्तर में कुछ वृद्धि हुई है, सिवाय उस भाग के जिसे बलारी-बार कहा जाता है।

(ख) बलारी बार को छोड़ पत्तन पर 250 दिनों के लिए (1975 में 175 दिनों की तुलना में) इस समय 26 इंच का जल स्तर उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों को जाने वाले नौचालय जलमार्ग में

जल-स्तर बढ़ाने के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास ने जल सर्वेक्षण और विधिपूर्वक किए माडल अध्ययनों पर आधारित एक प्रस्ताव किया है। परियोजना में बलारी-वार पर मुख्य निकर्षण कार्य करने नदी को नियन्त्रित रखने के कार्य की व्यवस्था करने और निकर्षण बालू को फेंकने के लिए शोर-टर्मीनलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित लागत 33 करोड़ रु० है। परियोजना के लिए छटी पंचवर्षीय योजना में 12.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रैक्टरों/उप-कुलपतियों (प्रो० वाइस चांसलर) के चयन के लिए मानदंड

5210. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रैक्टरों/उपकुलपतियों के चयन के लिए अपनाये गए मानदंड क्या हैं ;

(ख) उनके कर्तव्य और दायित्व क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रैक्टरों और उप-कुलपतियों के नाम क्या हैं ;

(घ) इन अधिकारियों में किसी के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संविधियों के प्रावधान के अनुसार, रैक्टर/उपकुलपति की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाती है। वह ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करते हैं जिनका उल्लेख कुलपति द्वारा किया जाता है और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करते हैं तथा ऐसे कार्यों को सम्पादित करते हैं जिन्हें कुलपति द्वारा उन्हें सौंपा जाता है। जब कभी कुलपति का पद रिक्त हो जाता है तो वह कुलपति का कार्य भी करते हैं। रैक्टर/उप-कुलपति का कार्य-काल सामान्यतः कुलपति की कार्यावधि के साथ ही समाप्त होता है।

(ग)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	रैक्टर/उप-कुलपति का नाम
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	श्री के० एम० बहउद्दीन
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	डा० के० एन० उडुपा

1	2	3
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	डा० पी० सी० मुखर्जी
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	(1) प्रो० के० जे० महाले (2) प्रो० पी० एन० श्रीवास्तव

हैदराबाद विश्वविद्यालय और उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में इस समय कोई रैक्टर/उप-कुलपति नहीं है। विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन मे ऐसे किसी पद की व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रो० के० जे० महाले जब वह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे थे, के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपो को छोड़कर सरकार को इन रैक्टरों अथवा उप-कुलपतियों में से किसी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नही हुई है। प्रो० महाले के विरुद्ध लगाए गए ये आरोप नये कुलपति के नोटिस में ला दिए गए थे जिन्होंने यह बताया है कि ये आरोप सही नहीं हैं।

लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस में टनकपुर से डिब्बों का आरक्षण

5211. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस गाड़ी मे टनकपुर से टू-थ्री टियर डिब्बों के आरक्षण के लिये जनता के प्रतिनिधियों से आभ्यावेदन मिला है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, । आजकल टनकपुर स्टेशन को टनकपुर और लखनऊ के बीच चलने वाले एक थ्री-टियर शयन यान में 30 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध किया गया है परन्तु इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए, टनकपुर से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान आवंटित करने का यातायात संबंधी औचित्य नहीं है।

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन और इसके अन्तर्गत राज्य-वार बच्चे

5212. **श्री मुकुन्द मडल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं तथा इसके अन्तर्गत आने वाले बच्चों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 'केअर' से प्राप्त सामान सहायता से अथवा स्वदेशी संसाधनों के साथ मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम अधिकांश राज्यों/संघीय क्षेत्रों में चल रहा है । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बच्चों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघीय क्षेत्र	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, 1979-80 के अन्तर्गत शामिल बच्चों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.68
2.	असम	कुछ नहीं
3.	बिहार	17.30
4.	गुजरात	4.27
5.	हरियाणा	4.03
6.	हिमाचल प्रदेश	0.23
7.	जम्मू और कश्मीर	कुछ नहीं
8.	कर्नाटक	10.50
9.	केरल	18.12
10.	मध्य प्रदेश	8.91
11.	महाराष्ट्र	10.25
12.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
13.	मेघालय	0.43
14.	नागालैंड	0.11
15.	उड़ीसा	7.60

1	2	3
16.	पंजाब	3.16
17.	राजस्थान	4.01
18.	सिक्किम	0.39
19.	तमिलनाडु	20.00
20.	त्रिपुरा	1.63
21.	उत्तर प्रदेश	8.20
22.	पश्चिम बंगाल	30.71
23.	अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.34
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.24
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	0.30
26.	दादरा और नागर हवेली	0.14
27.	दिल्ली प्रशासन	1.33
28.	गोआ, दमन और दीप	0.22
29.	लक्षद्वीप	0.09
30.	मिजोरम	0.05
31.	पांडिचेरी	0.45

टिप्पणी : 1. 1979-80 के बाद के वर्षों से संबंधित पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. इन आंकड़ों में केअर और स्वदेशी कार्यक्रम दोनों शामिल हैं।

पांडिचेरी के चावल क्षेत्रों में खोजा गया मच्छर नाशक सूक्ष्म जीवाणु

5212. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के चावल क्षेत्रों में चार वर्ष पहले खोजे गए मच्छर नाशक सूक्ष्म जीवाणु का भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक बड़े हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी खोज भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने की थी ;

और

(ग) यदि हां, तो मलेरिया के रोगियों के उपचार के लिए इसका देश में किस हद तक उपयोग किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पांडिचेरी स्थिति वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र ने पांडिचेरी के धान के खेतों से बी० थुरिंजीयन्सिस के सीरोटाइप एच-14 प्रजाति के जीवाणु का पता लगाया है जो मच्छर के लावों के लिए बड़ा ही प्रभावकारी है ।

(ग) इस जीवाणु का इस्तेमाल वैक्टर नियंत्रण के लिए किया जाना है न कि मलेरिया के रोगियों के उपचार के लिए ।

धनवन्तरि आयुर्वेदिक कालेज, दिल्ली

5214. श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनवन्तरि आयुर्वेदिक कालेज, मुंडका, दिल्ली में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और इन छात्रों को दिल्ली के अन्य दो कालेजों में भेजने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन छात्रों को दिल्ली के अन्य दो आयुर्वेदिक कालेजों में भेजने में विलम्ब के कारण छात्र घबराहट में हैं और चिन्तित हैं क्योंकि उनका एक वर्ष बर्बाद होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि धनवन्तरि आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की संख्या 242 थी । उस कालेज के छात्रों को सीटें देने के बारे में दिल्ली प्रशासन ने अन्य दो आयुर्वेदिक कालेजों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठकें भी की थी । किन्तु धनवन्तरि कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा प्रवास (माइग्रेशन) के खिलाफ अदालत से स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के कारण इस मामले पर निर्णय रुका हुआ है । इन छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने के बारे में भी कदम उठाए गए हैं, बशर्ते कि वे नियमों/अदालत के आदेशों के अनुसार इसके पात्र हों ।

देश भर में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागू करना

5215. श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान देश भर में, समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले लोगों तथा लड़कियों के लिए अनिवार्य निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा शुरू करने का विचार है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। इस नीति के अनुसरण में, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश को छोडकर, जहां कक्षा vi-viii तक लड़कों के लिए शिक्षा अभी तक निःशुल्क नहीं है, मिडिल स्तर तक शिक्षा निःशुल्क बना दी गई है। कुछ राज्यों/संघीय क्षेत्रों ने माध्यमिक स्तर तक भी शिक्षा को निःशुल्क बना दिया है। इसके अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लाभ के लिए छात्रवृत्ति की अनेक योजनाएं विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में चल रही हैं।

जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर ऊपरिपुल

5216. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन में एक ऊपरिपुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव को अब तक अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर वर्तमान समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल की लागत में हिस्सा बटाने तथा अन्य शर्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

डी० टी० सी० के अन्तर्गत संचालित प्राईवेट बसों पर देय शुल्क की दर में वृद्धि करने की मांग

5217. श्री ए० रामगोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइवेट बस संचालन कल्याण एसोसिएशन ने सरकार से दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों पर देय शुल्क की दर में वृद्धि करने का अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या डी० टी० सी० बोर्ड ने उनकी मांगों की जांच की है; और

(ग) इस मामले पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

दया के आधार पर नियुक्ति

5218. श्री अशफाक हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में दया के आधार पर नियुक्त किए गये लोगों का श्रेणी-वार ब्योरा क्या है;

(ख) उन लोगों की संख्या क्या है जिनके दया के आधार पर नियुक्त हेतु प्रार्थना पत्र जोनवार और श्रेणीवार सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) क्या के आधार पर नियुक्ति के लिए बनाये गये नियमों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों के प्रात्र आश्रितों से इसके लिए अनुरोध प्राप्त होने पर आवेदन पत्रों की जांच तथा सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से की जाती है जो सम्बन्धित संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है, आप इस बात से सहमत होंगें कि लम्बित मामलों में नियुक्ति करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि स्थिति संवर्ग से संवर्ग और रेलवे से रेलवे में भिन्न-भिन्न होगी। तथपि, ऐसे मामलों में यथासंभव शीघ्रता की जाती है।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु अथवा उनकी शारीरिक अक्षमता, जो उन्हें समय से पूर्व सेवा निवृत्ति के लिए विवश कर देती है, पर की जाती है। ऐसी नियुक्तियां करने का अधिकार महाप्रबन्धक को है। महाप्रबन्धक द्वारा आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है किन्तु निर्धारित शैक्षिक योग्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यद्यपि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों की मृत्यु या अक्षमता के 5 वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए परन्तु उचित मामलों में, जहां यह मानदंड पूरा नहीं होता सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया जाता है।

विवरण

रेलवे	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर उन व्यक्तियों की संख्या जिनके आवेदन पत्र विचाराधीन हैं पर की गयी नियुक्तियों की संख्या			
	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'
मध्य	732	2403	80	686
पूर्व	1300	3776	163	1363
उत्तर	1049	2237	187	490
पूर्वोत्तर	386	849	109	50
पूर्वोत्तर सीमा	426	870	161	1121
दक्षिण	1074	1860	223	265
दक्षिण मध्य	533	1247	140	457
दक्षिण पूर्व	747	2000	129	972
पश्चिम	765	2021	106	462
स०डि०का०	35	100	17	69
डी०रे०का०	20	25	3	10
चि०रे०का०	20	10	10	8

"माल भाड़ा दर"

5219. श्री जगदीश टाइटलर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश-वर्मा-श्रीलंका शिपिंग कांफ्रेंस ने भारत सरकार की भाड़ा दर में वृद्धि करने की इच्छा स्वीकार नहीं की है जिसने भाड़े की दर को बढ़ाये जाने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह सरकार के निर्णय का भारतीय नौवहन निगम द्वारा समर्थन करने से मना करने के कारण हुआ है ; और

(ग) सरकार का इस मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) भारत-पाकिस्तान-बंगला देश-श्रीलंका और बर्मा आउटवार्ड फ्रेट कान्फ्रेंस, ने जिसका भारतीय नौवहन निगम भी एक सदस्य है भाड़ा देश 15.10.1981 से लागू किए जाने के लिए 14.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। परन्तु इस विषय पर विचार-विमर्श किए जाने तक कांफ्रेंस इस बात के लिए सहमत हो गया था कि प्रस्तावित वृद्धि 1.2.1982 से लागू की जाए। कान्फ्रेंस के साथ वार्ता के दौरान नौवहन और परिवहन मंत्रालय (ट्रान्सपोर्ट) के प्रतिनिधि ने प्रस्तावित भाड़ा दरों में कम से कम वृद्धि करने के लिए सदस्य कम्पनियों को राजी करने का प्रयत्न किया। परन्तु, तीन सदस्य नौवहन कंपनियां सरकार का अनुरोध मानने को एक मत नहीं थी सिवा इसके कि भाड़ा दरों में केवल 1/2 प्रतिशत की कमी की जाए। 14 प्रतिशत की वृद्धि 1.2.1982 से लागू हो गई है।

जोधपुर-दिल्ली-अहमदाबाद लाइन पर नई गाड़ियां चलाना

5220. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर-दिल्ली-अहमदाबाद लाइनों पर नई रेल गाड़ियां चलाने के लिए की गई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन रेल गाड़ियों को चालू करने की सही तारीख क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) डिब्बों और रेल इन्जनों जैसे संसाधनों की कमी और मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कठिनाई के साथ-साथ अहमदाबाद तथा दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण दिल्ली, जोधपुर और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

बीड़ी के पत्तों की ढुलाई के लिए वैगन

5221. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनेश बीड़ी कोआपरेटिव से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश तथा अन्य उत्तरी भारतीय राज्यों से बीड़ी के पत्तों की ढुलाई के लिए वैगनों के न मिलने के कारण पच्चीस हजार श्रमिक बेरोजगार होने जा रहे हैं ;

(ख) केरल को बीड़ी के पत्तों की ढुलाई के लिए दिनेश बीड़ी कोआपरेटिव द्वारा कुल कितने डिब्बे मांगे गए हैं और उसे कुल कितने डिब्बे आबंटित किए गए हैं ; और

(ग) कितने वैगनों के लिए अनुरोध किया गया है और उन्हें वैगन कब तक उपलब्ध कराए जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पार्टी ने बीड़ी के पत्तों की ढुलाई में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन दिया था और मध्य

प्रदेश से बीड़ी के पत्तों की ढुलाई के लिए 10 रेकों के आबंटन किए जाने का अनुरोध किया था। इस मामले पर विचार किया गया था और दक्षिण-पूर्व रेलवे को तदर्थ वरीयता के आधार पर इन रेकों के आबंटन के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। सितम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक इस पार्टी के नाम से कुल 972 माल डिब्बों की मांग के अनुसरण में मध्य प्रदेश कण्णनूर तक बीड़ी के पत्तों से 899 माल डिब्बों का लदान किया गया था। फरवरी, 1982 के अन्त तक इस यातायात के लदान के लिए 73 माल डिब्बों की मांग बकाया थी जिसकी शीघ्र ही निकासी कर दी जाएगी।

प्रताप नगर छोटा उदेपर लाइन का बदला जाना

5222. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रताप नगर-छोटा उदेपुर तथा छुछापुरा-तनखाला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए पश्चिम रेलवे, बम्बई के मुख्य अभियन्ता के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण दल ने गुजरात सरकार के डिपोजिट वर्क के रूप में एक यातायात सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह सर्वेक्षण मूल रूप से नर्मदा परियोजना के लिए नवगाव के डेम स्थल पर जो प्रस्तावित बदली जाने वाली छोटी लाइन पर तनखाला के टर्मिनल स्टेशन से लगभग 10 कि० मी० दूर है, माल की ढुलाई के लिए किया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के मुख्य अभियन्ता से, जिससे फरवरी 1982 तक रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा थी, सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। 1971-72 में किए गए पुराने सर्वेक्षण को अक्तूबर, 1981 में अद्यतन किया गया है।

(ख) जी हां। इस सर्वेक्षण में अंकलेश्वर-राजपिपला खण्ड का बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन और उसे गोरा तक बढ़ाया जाना भी शामिल था।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छपरा में ऊपरि पुल का निर्माण

5223. प्रो० सत्य देव सिंह : क्या रेल मंत्री बनीपुर पर ऊपरि पुल के बारे में 26 फरवरी, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्रालय द्वारा पश्चिम छपरा को बनीपुर रोड से जोड़ने वाले छपरा जंकशन पर एक ऊपरि पुल क निर्माण के प्रस्ताव की अभी भी जांच की जा रही है ; और

(ख) उक्त पुल का निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छपरा जकशन पर छपरा वेस्ट को बनियापुर रोड से मिलाने वाले वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव की विगत में जांच की गई थी, परन्तु समपार पर कम रेल/सड़क यातायात होने के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था । पुनर्विचार करने पर इस प्रास्ताव पर कार्रवाई करने का विनिश्चय किया गया और राज्य सरकार से एक नया प्रस्ताव प्रायोजित करने का अनुरोध किया गया था । अभी तक राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

धर्म नगर-सबरूम लाइन

5224. श्री अजय विश्वास : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्य रेलों की कमी के कारण पिछड़े हैं और इस क्षेत्र के लोग गरीबी के कारण बाहर नहीं निकल सकते ;

(ख) क्या रेल मन्त्रालय त्रिपुरा में धर्मनगर और सबरूम के बीच रेल सम्पर्क के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) यह मान्य तथ्य हैं कि रेल परिवहन की सुविधाएं किसी क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का पिछड़ापन और भौगोलिक सुदूरता, ऐतिहासिक परिस्थितियों और उस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण के लिए ठोस योजनाओं की कमी के कारण है । इस स्थिति में सुधार लाने और त्रिपुरा राज्य में रेल संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पांच अन्य लाइनों के साथ-साथ, 9.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धर्मनगर से कुमारघाट तक रेल लाइन (मी० ला० 33.5 कि० मी०) का विस्तार करने का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है । इस परियोजना पर काम हो रहा है । यह लाइन 1984 के अन्त तक बन जाने की सम्भावना है बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहे ।

कुमारघाट से अगरतला/सबरूम तक लाइन का आगे विस्तार करने के सम्बन्ध में, उत्तर-पूर्वी परिषद् ने अपनी लागत पर कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन (120 कि० मी०) के लिए एक प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण (अद्यतन) प्रायोजित किया है। सर्वेक्षण शीघ्र करने के उद्देश्य से, रेलवे इस मैसर्स राइट्स को सौंपने की योजना बना रही है क्योंकि अल्प समय में इसे कार्यान्वित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पास क्षेत्र कर्मचारियों की कमी है। सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने पर ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाए। इस लाईन को अगरतला से आगे सबरूम तक बढ़ाने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

माल गाड़ियों द्वारा कच्ची सामग्री की ढुलाई

5225. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल गाड़ियों द्वारा कच्ची सामग्री की प्राथमिकता के आधार पर ढुलाई करने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सामानों की ढलाई के लिए माल डिब्बों की सप्लाई अधिमान्य यातायात अनुसूची जिसे रेल मंत्रालय द्वारा हर छः महीने में जारी किया जाता है, में निर्धारित प्रत्येक यातायात की प्राथमिकता के अनुसार की जाती है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं को प्राथमिकताओं के 5 ग्रुपों अर्थात् 'क' से 'ङ' में वर्गीकृत किया गया है, जो मदों के अन्तर्गत आते हैं। इन ग्रुपों की पारस्परिक ग्रुप प्राथमिकता अवरोही क्रम में होने के कारण मद 'क' की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है। विभिन्न प्राथमिकताएं निम्नलिखित यातायात के लिए हैं :—

(क) रक्षा के लिए सभी प्रायोजित संचलन,

(ख) प्रायोजित खाद्यान, उर्वरक, लेवी की चीनी आदि की योजनाबद्ध ढुलाई,

(ग) केन्द्र/राज्य सरकारों और सार्वजनिक उद्यमों आदि द्वारा प्रायोजित योजनाबद्ध ढलाई,

(घ) उद्योगों आदि के लिए कच्ची सामग्री,

(ङ) उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अन्तर्गत न आने वाले सामान तथा विविध यातायात।

इस्पात कारखानों के लिए कच्चे सामानों तथा बिजली घरों के लिए माल डिब्बों में कोयले की ढुलाई के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा रेलों के साथ परामर्श करके एक कार्यक्रम निर्धारित

किया जाता है और उसके अनुसार प्राथमिकता 'ग' के अन्तर्गत माल डिब्बे सप्लाई करने की व्यवस्था की जाती है जो एक उच्च प्राथमिकता है । जब केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए कच्चे सामान की ढुलाई प्रायोजित की जाती है तो यह ढुलाई भी प्राथमिकता 'ग' के अन्तर्गत की जाती है । जहां तक देश के सभी भागों में फैले अनेक लघु उद्योगों को कच्चे सामान की ढुलाई का सम्बन्ध है, इसके लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाता है । फैनो-मैंगनीज उद्योग, माचिस कारखाने, कागज मिल, ग्लास शीट उद्योग, एस्बेस्टस सीमेंट उद्योग जैसे कुछ लघु उद्योगों के लिए कच्चे सामान की ढुलाई उच्चतर प्राथमिकता 'घ' के अन्तर्गत की जाती है । कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण जब कोई लघु उद्योग संकट में पड़ जाता है और उसके लिए कच्चे सामानों का मिलना निहायत जरूरी होता है, तो ऐसे मामले में रेलों द्वारा ऐसे उद्योगों को कच्चे सामान की ढुलाई के लिए तदर्थ आधार पर माल डिब्बे आबंटित किए जाते हैं ताकि उनका उत्पादन गिरने न पाए ।

परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग

5226. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है, पुनर्विलोकन समिति ने अपनी कितनी बैठकें की और पुनर्विलोकन समिति की सबसे बाद की बैठक में क्या बड़े-बड़े निर्णय किए गए ;

(ख) क्या परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु स्वयं-सेवी संगठनों का सहयोग भी लेने का विचार है ; और

(ग) इन संगठनों की परिवार नियोजन सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ाने और उन्हें प्रभावी रूप से इस कार्य अंतर्ग्रस्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री हैं । सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वैच्छिक और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, कुछेक संसद सदस्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे गणमान्य व्यक्ति इस परिषद के सदस्य हैं । इस कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा केन्द्र और राज्यों, दोनों में उच्च स्तर के अधिकारियों तथा मन्त्रालय की बैठकों में भी की जाती है । इस कार्यक्रम के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने के लिए हाल ही में दो फरवरी, 1982 को स्वास्थ्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया गया था और निम्नलिखित उपायों द्वारा इस कार्यक्रम की गति को तेज करने का निर्णय लिया गया था :—

(1) स्वैच्छिक संगठनों को और सक्रिय ढंग से शामिल करना (2) तेल और कल्पनाशील अभियान चलाना और (3) लोगों के घरों के निकट सभी परिवार नियोजन तरीकों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों और सामग्री के रूप में सेवाएं और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री ने 17 फरवरी, 1981 को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इस कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पहले ही स्वैच्छिक एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त कर रही है। उन्हें पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिवार नियोजन की सेवाए प्रेरणा और प्रशिक्षण सुविधाएं देने सम्बन्धी योजनाएं चलाने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं में शामिल है—(क) ऐसे नगर परिवार कल्याण केन्द्र चलाना जो नगरीय क्षेत्रों में प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं समेत परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हों, (ख) नसबन्दी पलंग योजना जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके द्वारा संचालित संस्थाओं में पुरुष नसबन्दी की सुविधाएं देने के लिए सहायता दी जाती है, (ग) सहायक नर्स मिडवाइफ प्रशिक्षण स्कूल तथा प्रसवोत्तर केन्द्र चलाना, (घ) जनांकिकी एवं संचार में अनुसंधान और (ङ) जन नेताओं के शिविर लगाना आदि। स्वैच्छिक एजेन्सियों को भी नई-नई किस्म की व्यावहारिक और उपयुक्त योजनाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के लिए सहायता दी जा रही है।

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में तीन बार चलाने का प्रस्ताव

5227. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और हावड़ा तथा दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में हमेशा ही भारी भीड़ होती है और इन गाड़ियों में यात्रा करने के लिए कम से कम 15-20 दिन पहले चेयर कार में सीट बुक करानी पड़ती है ;

(ख) इन गाड़ियों में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन दोनों महत्वपूर्ण गाड़ियों को सप्ताह में दो बार की बजाय तीन बार चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लाइन क्षमता तथा चल स्टाक की कमी के कारण, बम्बई और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, बम्बई राजधानी के सवारी डिब्बों की संख्या में निकट भविष्य में और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव है। हावड़ा राजधानी के सवारी डिब्बों की संख्या पिछले वर्ष 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गयी थी।

दिल्ली परिवहन निगम के संवाहकों तथा चालकों द्वारा अभद्र व्यवहार

5228. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के संवाहकों तथा चालकों के अभद्र व्यवहार के बारे में यात्रियों से प्रायः शिकायत प्राप्त होती रहती है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस कर्मचारी अगले द्वार से बस में चढ़ जाते हैं परन्तु जब महिलायें या बच्चे इसी द्वार से चढ़ते हैं तो चालक आपत्ति करते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिदिन ऐसा होता है कि संवाहक रेजगारी की कमी का बहाना लेकर यात्रियों को पांच या दस पैसे लौटाते नहीं हैं और यात्रियों को विवश होकर उक्त हानि को सहन करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन समस्याओं पर गौर करने का है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा विचरित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम को इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) पुलिस कर्मियों द्वारा बस के अगले द्वार से चढ़ने की जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसे पुलिस कमिश्नर के ध्यान में लाया जाता है। पुलिस कमिश्नर द्वारा अनुदेश जारी किए गए है जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे इस प्रकार की अनियमितता न करें। कंडक्टर को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे ड्यूटी पर जाने से पहले कार्यालय से प्रयाप्त रेजगारी ले लें। कंडक्टर और ड्राइवरों के अभद्र व्यवहार के बारे में यात्रियों से शिकायतें मिलने पर दोषी के विरुद्ध हमेशा कार्रवाई की जाती है।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति की प्रणाली में परिवर्तन

5229. **श्री नरसिंह मकवाणा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि राज्यों को प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नियुक्त करने के बारे में कोई सुझाव दिए गए हों तो वे क्या हैं और कब दिए गए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए राज्यों को सुझाव नहीं दिए गए हैं। यह मामला पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

रियायती दरों पर कागज की सप्लाई

5230. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को रियायती दरों पर कागज सप्लाई कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को रियायती दरों पर 1981 में कुल कितनी मात्रा में कागज सप्लाई किया गया है ; और

(ग) उड़ीसा को 1982 में रियायती दरों पर कुल कितनी मात्रा में कागज सप्लाई किए जाने की आशा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा सरकार को शैक्षिक प्रयोजन के लिए 4,295 टन रियायती कागज आबंटित किया गया है ।

(ग) वर्ष 1982 में आबटित किए जाने वाले कागज की मात्रा, वर्ष के दौरान कागज की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों तथा पुलों के सम्बन्ध में प्रगति

5231. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नई दिल्ली और दिल्ली में निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों तथा पुलों के सम्बन्ध अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उनमें से कितने फ्लाई ओवरों और पुलों के नवम्बर, 1982 से पहले पूरा हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों की प्रगति और पूरा होने की लक्ष्य तिथि निम्नलिखित है :—

क्रम० सं०	फ्लाई ओवरों का नाम	उत्तरदायी एजेन्सी	15.3.82 तक की प्रगति प्रतिशत	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1.	मूलचन्द अस्पताल चौराहे पर फ्लाई ओवर	लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन	78	जून, 1982
2.	लोदी होटल चौराहे पर फ्लाई ओवर	—वही—	74	—वही—

1	2	3	4	5
3.	डा० जाकिर हुसैन मार्ग चौराहे पर फ्लाई ओवर	लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन	83	जून, 1982
4.	रिंग रोड चौराहे पर फ्लाई ओवर	—वही—	80	—वही—
5.	सेवा नगर के समीप फ्लाई ओवर	दिल्ली नगर निगम	79	—वही—
6. (क)	दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के समीप जेल रोड पर फ्लाई ओवर (उचित पुल)	—वही—	75	—वही—
(ख)	जेल रोड पर पुल सहित फ्लाई ओवर	—वही—	48	अक्टूबर, 1982
7. (क)	स्कूल लेन पर फ्लाई ओवर (उचित पुल)	नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी	97	जून, 1982
(ख)	स्कूल लेन पर पुल सहित फ्लाई ओवर पहुंच	—वही—	77	—वही—

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दी गई रेलवे वैगनों की मांग

5232. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों ने कुल कितने रेलवे वैगनों की मांग की थी और वर्ष 1980 और 1981 के दौरान उन्हें कुल कितने वैगन सप्लाई किए गए तथा उसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों ने विलम्ब शुल्क की कितनी राशि का भुगतान किया था ;

(ग) क्या 1981 में रेल कोयला समन्वय में कोई सुधार हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें कोल कम्पनी वार ब्यौरे नहीं रखतीं। वे प्रत्येक रेलवे वार सूचना रखती हैं। उन क्षेत्रीय रेलों के लिए जो कोल इण्डिया लि० को सेवित करती हैं, 1980 और 1981 के दौरान रेलवे माल डिब्बों की मांग और सप्लाई की स्थिति नीचे दी गयी है :—

(चौपहियां के हिसाब से दैनिक औसत)

क्षेत्रीय रेलवे	1980		1981	
	मांग	सप्लाई	मांग	सप्लाई
पूर्व	5631	4497	6006	4879
दक्षिण पूर्व	3118	2764	3739	3327
मध्य	707	597	725	679
पूर्वोत्तर सीमा	68	63	87	85

(ख) कोयला कम्पनियों द्वारा क्षेत्रीय रेलों को दिया गया विलम्ब शुल्क नीचे दिखाया गया है :—

	1980	1981
पूर्व	90.09 लाख रुपये	60.21 लाख रुपय
दक्षिण पूर्व	89.85 लाख रुपये	75.49 लाख रुपये
मध्य	17.17 लाख रुपये	19.29 लाख रुपये
पूर्वोत्तर सीमा	0.10 लाख रुपये	1.74 लाख रुपये

(ग) जी हां।

(घ) मंडलीय और क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय स्तर पर अब नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं। औद्योगिक अवसंरचना पर मंत्री मंडलीय समिति भी कोयले के उत्पादन और प्रेषण का समन्वय कर रही हैं। रेल मन्त्रालय और ऊर्जा मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग-निर्देशक-सिद्धान्तों का अनुपालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप कोयले के लदान में लगभग 11,000 माल डिब्बा प्रतिदिन का सुधार हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-मुजफ्फरपुर गाड़ी तथा समस्तीपुर दानापुर-रेल गाड़ी दुर्घटना पर आरम्भिक प्रतिवेदन

5233. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-मुजफ्फरपुर यात्री गाड़ी तथा समस्तीपुर-दानापुर एक्सप्रेस गाड़ी की पिछले वर्ष 12 नवम्बर, को हुई टक्कर पर आरम्भिक प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 12-11-1981 को लगभग 04.20 बजे, जबकि 45 डाउन समस्तीपुर-दानापुर एक्सप्रेस गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के साठाजगत स्टेशन की लाइन न० 1 पर खड़ी थी, तो गाड़ी न० 329 अप हावड़ा-मुजफ्फपुर पैसेंजर गाड़ी भी उसी लाइन पर स्टेशन के अन्दर दाखिल हुई और आमने-सामने 45 डाउन एक्सप्रेस गाड़ी से टकरा गयी। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 7 व्यक्ति मारे गए, 14 को गंभीर चोटें आयीं और 35 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। इस दुर्घटना में हुई रेल सम्पत्ति की हानि की लागत का अनुमान 1,40,000 रुपये लगाया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त, गोरखपुर के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

भवन निर्माण अग्रिम के लिए रेल कर्मचारियों के आवेदन पत्र

5234. श्री ई० के० इम्बीचीबावा
श्री ए० के० बालन } : क्या रेल मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त समय से रेल कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम राशि प्राप्त नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 1979 से 1981 के अन्त तक भवन निर्माण अग्रिम के लिए प्राप्त आवेदनों और मंजूर की गयी भवन निर्याण अग्रिम राशि सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह सही नहीं है कि रेल कर्मचारियों को काफी समय से गृह निर्माण सम्बन्धी अग्रिम राशि नहीं दी जा रही है। 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (दिसम्बर 1981 तक) के वित्तीय वर्षों में रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण सम्बन्धी अग्रिम राशि का विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है जिससे यह सिद्ध हो जाएगा :

(लाख रुपये में)

वर्ष	वास्तविक अदाएगी
1978-79	403
1979-80	406
1980-81	411
1981-82	*160 (दिसम्बर 1981 तक)

* बजट में 440 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा रेल कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए और स्वीकार किए गए आवेदनों की सख्या के बारे में क्षेत्रवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"कन्टेनर जहाजों की खरीद के लिए नौवहन कम्पनियों को ऋण

5235. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर जहाजों की खरीद के लिए गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियों को ऋण दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में अनुमानतः कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ;

(ग) कन्टेनर जहाजों की खरीद के लिए उनके मंत्रालय से ऋण पाने के लिए नौवहन कम्पनियों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है ;

(घ) उन कम्पनियों का नाम क्या है जिनके ऋण आवेदन पत्र उनके मंत्रालय के समक्ष अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ङ) उन कम्पनियों का नाम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिनका उपरोक्त प्रयोजन के लिए 1982-83 के दौरान ऋण दिए जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) भारत सरकार नौहवन कंपनियों को जहाज खरीदने के लिए नौवहन विकास निधि समिति द्वारा ऋण देना पहले ही

अनुमोदित कर चुकी है जिसमें कंटेनर जहाजों को खरीदने के लिए भी ऋण देना शामिल है।

जहाजों के प्रकार	विदेशों से जहाज खरीदने की नई योजना के अधीन ऋण	रुपया ऋण	कुल ऋण
नए	15 से 20 प्रतिशत	70 से 75 प्रतिशत	90 प्रतिशत
सैकेंड हैंड	20 से 30 प्रतिशत	60 से 70 प्रतिशत	75 प्रतिशत

जहाज खरीदने की सामान्य शर्तें कंटेनर जहाज खरीदने पर भी लागू होंगी।

(घ) मन्त्रालय में नौवहन विकास निधि समिति का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो कंटेनर जहाज की खरीद के बारे में अनुमोदन देने के लिए विचाराधीन हो।

(ङ) चूंकि प्रत्येक आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसलिए यह अनुमान करना संभव नहीं है कि वर्ष 1982-83 के दौरान कौन-कौन सी कंपनिया ऋण प्राप्त करेंगी।

विभिन्न जोनों में बिना टिकट चलने पर गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

5236. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में विभिन्न रेल गाड़ियों में पिछले तीन महीनों के दौरान बिना टिकट पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनके मन्त्रालय ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं 1-11-81 से 31-1-1982 के दौरान बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकटों के साथ यात्रा करते हुए पकड़े गए, व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूल की गई रेलवे को देय राशि और न्यायिक दण्ड के रूप में ली जाने वाली राशि, जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या और जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(हजार रुपयों में)

रेलवे	बिना टिकट पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	वसूल की गयी रेलवे को देय राशि		वसूल की गयी न्यायिक दण्ड की राशि	जितनों पर मुकदमा चलाया गया	जेल भेजे गए व्यक्तियों की संख्या
		भाड़ा	अधिप्रभार			
		रुपये	रुपये	रुपये		
मध्य	117.8	1263.1	11137.6	108.9	7.2	4.4
पूर्व	155.7	683.3	1196.4	192.4	37.1	21.2
उत्तर	108.1	911.0	1079.6	238.6	8.3	4.6
पूर्वोत्तर	33.6	165.0	313.3	142.4	3.5	2.4
पूर्वोत्तर सीमा	19.5	411.4	185.0	—	—	—
दक्षिण	57.8	671.5	629.0	10.7	1.4	0.9
दक्षिण मध्य	43.1	618.1	414.7	7.5	1.9	1.2
दक्षिण पूर्व	104.5	754.1	718.0	27.6	1.0	0.7
पश्चिम	1368	116.6	1322.8	52.1	14.3	6.7
कुल	776.9	659414	6996.4	810.2	74.7	42.1

छोटे परिवार के मान दंडों को बढ़ावा देने के लिए निगमित क्षेत्र में बोनस की योजना

5237. श्री हरिहर सारेन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों में छोटे परिवार के मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए निगमित क्षेत्र में बोनस की नई योजनायें लागू की जायेंगी ;

(ख) क्या इन श्रमिकों को, जो तीसरा बच्चा नहीं चाहते, "बर्थ बोनस" देने का विचार है ; और

(ग) निगमित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही छोटे परिवार के लिए बोनस योजना के बारे में ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ऐसी किन्हीं योजनाओं पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा यूनेस्को से वित्तीय सहायता प्राप्त करना

5238. श्री नवीन रवाणी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्कूलों में बच्चों की अधिक संख्या रखने को सुनिश्चित करने के लिए "यूनेस्को ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) आजकल पांचवें और आठवें स्तर पर कितने बच्चे, राज्यवार, स्कूल जाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भेजा गया धन अन्य क्षेत्रों में खर्च नहीं किया जाए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) बनाए रखने तथा स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों की समस्या, प्रारम्भिक शिक्षा, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) का एक अंग है, से अधिक संबन्धित है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए धन को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूल बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दरें हैं— 1978-79	
	कक्षा v के अन्त में (%)	कक्षा viii के अन्त में (%)
1. आन्ध्र प्रदेश	62.3	80.5
2. असम	74.4	80.2
3. बिहार	67.0	86.8
4. गुजरात	50.2	77.2
5. हरियाणा	28.1	54.5
6. हिमाचल प्रदेश	28.6	54.0
7. जम्मू और कश्मीर	47.9	67.7
8. कर्नाटक	63.6	78.8
9. केरल	11.1	40.2
10. मध्य प्रदेश	57.8	77.7
11. महाराष्ट्र	57.7	74.1
12. मणिपुर	82.7	86.1
13. मेघालय	78.3	85.4
14. नागालैंड	68.6	78.2
15. उड़ीसा	69.6	83.1
16. पंजाब	44.8	54.6
17. राजस्थान	68.6	69.7
18. सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नह

1	2	3
19. तमिलनाडु	41.0	69.1
20. त्रिपुरा	67.9	79.8
21. उत्तर प्रदेश	79.0	84.4
22. पश्चिम बंगाल	74.1	81.7
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.2	47.1
24. अरुणाचल प्रदेश	78.2	87.9
25. चंडीगढ़	0.1	18.4
26. दादरा और नागर हवेली	80.9	88.3
27. दिल्ली	36.8	22.7
28. गोवा, दमन और दीव	35.8	66.8
29. लक्षद्वीप	33.5	53.9
30. मिजोरम	65.3	77.3
31. पांडिचेरी	23.2	52.4
भारत	62.6	76.8

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा पेट्रोल और डीजल पर किया गया खर्च तथा टेलीफोन बिलों का भुगतान

5239. **श्री निहालसिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय रेड-क्रास सोसायटी द्वारा पैट्रोल और डीजल पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) उनकी खपत घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार उक्त सोसायटी ने टेलीफोन बिलों सम्बन्धी कितनी कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री(कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा पैट्रोल तथा डीजल पर खर्च की गई राशि

का ब्योरा इस प्रकार है :—

1979—1,35,986.43 रुपए

1980—1,51,922.67 रुपए

1981—2,06,741.00 रुपए

(ख) पैट्रोल और डीजल की खपत में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस सोसायटी ने अपने काम-काज का हर्ज किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक बचत करने का प्रयास किया है।

(ग) भारतीय रेड-क्रास सोसायटी ने पिछले तीन वर्षों में भारतीय टेलीफोन बिलों की जितनी राशि चुकाई है, वह इस प्रकार है :—

1979—1,30,500.39 रुपए

1980—1,16,482.55 रुपए

1981—1,39,091.12 रुपए

विधवाओं को नौकरी में प्राथमिकता जो मैट्रिक पास नहीं है

5240. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मृत कर्मचारियों की उन विधवाओं की रेलवे विभाग में आया, प्रतीक्षालय सेविका, आदि पदों के लिए नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है, जो मैट्रिक पास नहीं है,

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के दानापुर डिवीजन में ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है,

(ग) उन्हें रेल सेवा में अब तक नौकरी न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने उन्हें नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मृत रेलवे कर्मचारियों की अशिक्षित विधवाओं और अन्य आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने के लिए चतुर्थ श्रेणी की कुछ कोटियां जैसे आया, प्रतीक्षाकक्ष बेयरे आदि निर्धारित की गयी हैं।

(ख) 46

(ग) उनमें से 4 की नियुक्ति की जा चुकी है।

(घ) चतुर्थ श्रेणी में उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध होने पर, शेष व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा।

खागोल में केन्द्रीय विद्यालय

5241. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर में जहां पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, हजारों रेल कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां निवास कर रहे रेलवे कर्मचारी खागोल (दानापुर) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग वर्षों से करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दानापुर पूर्व रेलवे का एक मडल मुख्यालय है जहां लगभग 4500 कर्मचारी काम करते हैं। दानापुर में एक सेंट्रल स्कूल खोले जाने की मांग है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

यहां लंका में व्हील और एक्सल संयंत्र

5242. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बंगलौर के निकट यहां लंका में व्हील और एक्सल संयंत्र के विकास के लिए 55 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितनी धनराशि इस संयत्र के लिए अब तक दी गई है; और

(ग) उन विकास परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिन पर यह धनराशि खर्च की जा रही है, और प्रत्येक परियोजना मे अब तक कितना कार्य हुआ है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए दिल्ली में सम्मेलन

5243. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए फरवरी, 1982 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो देश में प्राइमरी के बाद विभिन्न स्तरों पर स्कूल छोड़ने पर इस सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं और राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) जहां तक स्कूल छोड़ने का संबंध है इन दोनों में अधिक चौकाने वाली स्थिति कौन-सी है और स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कालेज छोड़ जाने वाले लड़कों का भी इसी प्रकार पता लगाने का है और यदि हां, तो यह कार्य कब किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 17 फरवरी, 198 को हुए शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में स्कूल छोड़ जाने वालों की समस्या का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। इसमें मुख्य रूप से यूनिसेफ द्वारा समर्थित शिक्षा की नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर विचार-विमर्श किया गया था। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की आवश्यकताओं तथा पर्यावणात्मक परिस्थितियों के अधिक अनुकूल बनाना है। ये परियोजनाएं शिक्षा की कोटि को सुधारने के साथ-साथ शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ जाने वालों को संख्या कम करने में भी सहायक होती है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में आने वाली विभिन्न रुकावटों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार को "यूनिसेफ" की वित्तीय सहायता

5244. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी "यूनिसेफ" सहायता करता है ; और

(ख) कर्नाटक में चल रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्राप्ति का निर्धारित लक्ष्य क्या है और ये परियोजनाएं शुरू करने के बाद कितनी लक्ष्य प्राप्ति हुई है और कितना लक्ष्य बकाया हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं निम्नलिखित है :

(1) पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण सम्बन्धी सफाई (पो० स्वा० शि० प० स०)

(2) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण (प्रा० शि० पा० न०)

(3) समुदाय शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप तथा सहभागिता (स० शि० वि० का० स०)

(4) शिशु शिक्षा (शि० शि०)

(5) प्राथमिक शिक्षा की व्यापक सुलभता (प्रा० शि० व्या० सु०)

कर्नाटक 2,3 और 5 परियोजनाओं में भाग ले रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा हुई प्रगति निम्नलिखित पैराग्राफों में बताई गई है :

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के जरिए परियोजना 2 के अन्तर्गत औपचारिक स्कूलों के लिए विकेन्द्रित प्राथमिक पाठ्यचर्या विकसित की जा रही है, जिसे सामाजिक, आर्थिक, सांकृतिक और भौगोलिक पहलुओं के आधार पर राज्य की अनेक विविधताओं के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस तरह से विकसित की गई पाठ्यचर्या का परियोजना स्कूलों में परीक्षण किया जाता है और अन्य स्कूलों में लागू करने से पहले इन्हें इन परीक्षणों के आधार पर परिष्कृत किया जाता है। इसे एक ब्लाक के 30 प्राथमिक स्कूलों म प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू किया गया था और 1981-1983 के दौरान इस योजना का विस्तार करके एक सौ और प्राथमिक स्कूलों को शामिल किया गया। मार्गदर्शी चरण में तैयार की गई तथा परियोजना क्षेत्र में उत्तरोत्तर शुरू की गई कक्षा i—v की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों को संसोधित किया जा रहा है। अन्य नए क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और 1981 के दौरान प्रायोगिक चरण में क्षेत्रों के लिए कक्षा I की पाठ्यपुस्तकें तैयार कर ली गई हैं। शेष कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें अगामी वर्षों में उत्तरोत्तर तैयार की जाएंगी।

परियोजना 3 के अन्तर्गत, जो 1975 में मार्गदर्शन आधार पर शुरू की गई थी, 3-6 (पूर्व-स्कूल), 6-14 (प्रारम्भिक-आयु-वर्ग) तथा 15-35 (उत्पादनकारी आयु वर्ग) के सभी वर्गों के स्कूल न जाने वालों के लिए संगत पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु दो सामुदायिक केन्द्र आयोजित किये गये थे। यह समुदाय को पूरी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी। 1981-1983 के दौरान प्रायोगिक चरण में पांच और सामुदायिक केन्द्र शुरू किए गए हैं।

परियोजना 5 के अन्तर्गत, कर्नाटक के 105 प्रशिक्षत संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के जरिए प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के गैर-औपचारिक माध्यम के लिए विकेन्द्रित अध्यापन सामग्री विकसित की गई है। अभी तक पूरे किए गए कार्य में अध्यापक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यविवरण का संसोधन शामिल है ताकि अध्यापक प्रशिक्षकों को समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो सके। स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षार्थी अध्यापकों की समस्याओं के आधार पर अध्यापन सामग्री की जांच करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र इस वर्ष खोले जाएंगे, जिनकी संख्या प्रति अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के

मुकाबले तीन होगी । छात्रों के निष्पादन के मूल्यांकन से सम्बन्धित कार्य अगले वर्ष शुरू किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक ने भी परियोजना 1 और 4 में भाग लेने के लिए हाल ही में करारों पर हस्ताक्षर किये हैं । उनके संबंध में कार्य अभी शुरू किया जाना है ।

सी-1 टर्मिनस जनकपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा

5245. **श्री भीक् राम जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी के सी-1 ब्लाक के मेन "बस टर्मिनस" केन्द्रीय सचिवालय के बीच सीधी बस सेवा नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस सेवा के अभाव में सैकड़ों यात्रियों को ठेके की बसों में जाना पड़ता है,

(ग) सी-1 टर्मिनस जनकपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच, बरास्ता धोलाकुआं, साउथ ब्लाक और उद्योग भवन नियमित बस सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार रूट संख्या 710 को जनकपुरी तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यद्यपि जनकपुरी के सी-1 ब्लाक और केन्द्रीय टर्मिनल के बीच सीधी बस सेवा नहीं है तथापि जनकपुरी के सी-1 ब्लाक से सुबह कार्यालय जाने वालों की सुविधा के लिए निम्नलिखित बसे चलती हैं :—

रूट	
740	0820 बजे
720	0905 बजे
720	0925 बजे

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम सम्बधित क्षेत्र की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनकपुरी से बहुत सी बस सेवाएं चला रहा है । दिल्ली परिवहन निगम के लिये यह संभव नहीं है कि वह जनकपुरी के सभी ब्लाकों से सीधी बसें चलाये ।

(घ) रूट न० 710 को बदलने का कोई विचार नहीं है । इस रूट को मांडल पैटर्न सर्विस के अन्तर्गत चाल किया गया है ।

जेनेवा में हुई बैठक में कश्मीर का मामला

5246. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर के दावे का मामला जेनेवा में उठाने के कारण भारत के विदेश सचिव का पाकिस्तान का दौरा स्थगित किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस बारे में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया 25 फरवरी 1982 को जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति में व्यक्त की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हाल की बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने जम्मू और कश्मीर का जो उल्लेख किया था, उसके कारण भारत सरकार द्वारा विरोध व्यक्त करने और विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा रद्द किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

गुलेर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग

5247. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे के गुलेर तथा बहुत से अन्य स्टेशनों पर वित्तीय वर्ष 1981-82 में नमक, खाद्यान्न आदि जैसी कुछ वस्तुओं की बुकिंग पर पाबंदी लगायी है;

(ख) यदि हां, तो यह पाबन्दी किस तारीख से लगायी गयी है और इसके क्या कारण हैं क्योंकि इससे इस क्षेत्र के लोगों की बहुत असुविधा हो रही है,

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र के लोगों के अभ्यावेदन को ध्यान में रख कर इस पाबन्दी को हटायेगी; और

(घ) यह पाबन्दी कब तक हटाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सामान्य नीति के अनुसार, जिन स्टेशनों पर अपर्याप्त माल यातायात होता है उनको केवल वित्तीय दृष्टिकोण से माल यातायात के लिए बन्द कर दिया जाता है। गुलेर स्टेशन पर माल यातायात की मात्रा बहुत कम है। इसलिए, इस स्टेशन को 16-5-1981 से आवक और जावक माल यातायात के लिए बन्द कर दिया गया है।

कांगड़ा घाटी रेलवे पर माल यातायात के लिए खुले स्टेशनों की माल यातायात की

बुकिंग कोटा सीमा के अन्तर्गत की जाती थी, किन्तु फरवरी, 198 · के मध्य से अब बुकिंग को निर्बाध कर दिया गया है ।

ई० एम० यू० कोचों द्वारा ले जाये जाने वाले पैसेंजर ट्रैफिक से घाटा

5248. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० यू० कोचों द्वारा ले जाये जाने वाले 'पैसेंजर ट्रैफि०' से रेलवे को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं तथा इस घाटे के क्या कारण हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो घाटे का हिसाब लगाने का आधार क्या है और सरकार इसका गहराई से अध्ययन करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) अध्ययन से पता चला है कि 1980-81 में उपनगरीय खंडों पर बिजली गाड़ी सेवाओं के परिचालन से रेलों को 28.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । उपनगरीय बिजली गाड़ी सेवाओं से मुख्यत: रियायती किराया संरचना, जिससे परिचालन खर्च भी पूरा नहीं होता है, के कारण हुआ है । इन सेवाओं के परिचालन के लिए रेलों द्वारा इस्तेमाल में लायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की साधन-सामग्री के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण, इन खंडो पर दैनिक यात्रियों से रियायती दरों पर लिए जाने वाले किरायों से हुई आमदनी से खर्च पूरा करना सभव नहीं हुआ है ।

भारतीय मिशनों/दूतावासों/उच्च आयोगों में हिन्दी का प्रयोग

5249. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित उन भारतीय मिशनों/दूतावासों/उच्च आयोगों के नाम क्या हैं जहां हिन्दी में काम किया जा रहा है;

(ख) कुल कार्यभार की तुलना में कितने प्रतिशत काम हिन्दी में किया जा रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन मिशनों/दूतावासों/उच्च आयोगों में हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों/टाइपिस्टों के बहुत से पद लम्बी अवधि से रिक्त पडे हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हमारे प्राय: सभी मिशन

अपने सरकारी काम-काज में सरकार के निर्देशों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रतिशत कहीं अधिक कहीं कम है किन्तु अधिकतम 12 प्रतिशत तक है।

(ग) हमारे मिशनों में हिन्दी अधिकारी के केवल दो पद खाली हैं—एक पोर्ट लुई में 6-11-81 और दूसरा पोर्ट आफ स्पेन में 19-10-81 से।

दक्षिण मध्यवर्ती रेलवे प्रशासन पर दुर्घटना का आरोप

5250. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तुबर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस (हैदराबाद संस्करण) में एस० सी० आर० एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेम्ड मिशाप शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां; तो दुर्घटना का ब्योरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) स्टेशन बिना स्टेशन मास्टर के खोलने के और दो नये सहायक स्टेशन मास्टरों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करते ही और यार्ड पोर्टर की बिना योग्यता प्रमाण-पत्र केबिन मैन के रूप में चयन कर रेलवे स्टेशन (दक्षिण मध्यवर्ती रेलवे) पर नियुक्त करने तथा दुर्घटना वाले दिन से पहले एक महीने तक उन्हें एक दिन का भी विश्राम दिये बिना 10 घंटे तक ड्यूटी देने के लिए बाध्य करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) स्टेशन को खोलने और दुर्घटना के बाद उसे बन्द करने के कारण तथा औचित्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 4-9-81 को अप इटारसी विशेष माल गाड़ी चनाका स्टेशन पर लूप लाइन पर चली गयी तथा वहां खड़ी हुई एक गाड़ी से टकरा गयी। यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) चनाका स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर तथा तीन सहायक स्टेशन मास्टर स्थायी तौर पर तैनात थे। स्टेशन मास्टर तथा दो सहायक स्टेशन मास्टर 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके थे जब कि तीसरे सहायक स्टेशन मास्टर ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल में स्टेशन मास्टर की ड्यूटियों से संबन्धित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया था और चनाका स्टेशन पर कार्य करने से पहले वह अन्य स्टेशनों पर 4 महीने तक स्वतन्त्र रूप से कार्य कर चुका था। कर्मचारियों को केबिनमैन के रूप में कार्य करने के लिए तभी लगाया जाता है जब वे आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर ले तथा परीक्षा में पास हो जाय। कर्मचारियों की अधिक संख्या में अनुपस्थिति के कारण, अन्य कर्मचारियों को 12 घंटे तक काम करना पड़ा।

(घ) खंडवा दोहरी लाइन बिछाने से पहले लाइन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस स्टेशन को अस्थायी क्रासिंग स्टेशन के रूप खोला गया था। लेकिन, इस स्टेशन पर काम करने के लिए कर्मचारियों की अनिच्छा को देखते हुए, इसे बन्द कर दिया गया।

रेलवे द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई

5251. श्री तारिक अनवर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ढुलाई किये जाने वाले खाद्यान्न रेल गाड़ी में भरते समय ठीक तरह से नहीं ढके होते जिसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में काफी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाता है;

(ख) क्या किसी विशेष अधिकारी पर इसका दायित्व निर्धारित किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) रेलवे ने दावे की कितनी राशि की अदायगी की है और पिछले तीन वर्षों में (वर्ष-वार) कितना खाद्यान्न खराब हुआ है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जब खुले माल डिब्बों में खाद्यान्न का लदान किया गया होता है तो उन्हें तिरपाल से उपर्युक्त ढंग से ढक दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बन्द और खुले माल डिब्बों में ढोये गये अनाज और दालों के गीले हो जाने पर क्षति के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम वर्षवार नीचे दी गयी है।

वर्ष	भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम (लाख रुपयों में)
1978-79	105-80
1979-80	130-05
1980-81	141-68

क्षतिग्रस्त मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

मूल आवश्यकताओं के अभाव में बच्चों का मरना और अपंग होना

5252. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बच्चे मूल आवश्यकताओं के अभाव में प्रति वर्ष मर जाते हैं और अपंग हो जाते हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं।

(ख) स्वास्थ्य की मूल सुविधाओं में सुधार करने के लिए यह अनेक कार्यक्रम सक्रिय रूप से चला रहा है। तत्सम्बन्धी ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

बच्चों की स्वास्थ्य की मूल सुविधाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है :—

1. डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टाइफाइड तथा क्षय रोग जैसे निरोधक रोगों का टीका लगाना।

2. अपोषणज कमियों, विशेषकर बच्चों (1-5 वर्ष) का विटामिन "ए" तथा बच्चों (1-11 वर्ष) का अपोषणज अरक्तता से बचाव करना।

इन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से शुरू किया गया है तथा गत वर्ष के दौरान लगभग 600 लाख बच्चों को कवर किया गया है। इनके अलावा, उप-केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तालुक अस्पतालों, जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज के अस्पतालों जैसे विभिन्न स्तरों के चिकित्सा संगठनों में बच्चों की विभिन्न छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधायें प्रदान की गई हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, दोनों में विभिन्न योजनाओं और एजेन्सियों के जरिये स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण-शिक्षा बढ़ा दी गई है, अर्थात् ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को ग्रामीण स्तरों पर संवर्द्धक और निवारक स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करने के काम में लगाया गया है तथा प्रशिक्षित दाइयां अधिक स्वास्थ्यकर प्रसव सेवायें प्रदान कर रही हैं।

समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछेक चुने हुए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तथा शहरों की गंदी बस्तियों में स्कूल पूर्व

बच्चों की उचित देख-भाल तथा महिलाओं को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

दिल्ली की वृद्धि पर

5253. श्री भीकू राम जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या की बदलती हुई स्थिति, संसाधनों और पर्यावरण संबन्धी स्थिति का अध्ययन करने हेतु कोई अध्ययन दल ग ठित करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी की जनसंख्या देश के अन्य शहरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पड़ौसी राज्यों में बढ़ रही जनसंख्या में से बहुत बड़ी संख्या में लोग राजधानी में आ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक सुविधाओं में कमी हो जाती है; और

(घ) जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नगरीय सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का इस विषय पर अध्ययन दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय जनगणना 1981 के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों और नगरों की जनसंख्या तथा उसकी वृद्धि की अनन्तिम दरें दी गयी हैं। इसे देखने से यह पता चलता है कि 10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में उच्चत्तम वृद्धि दर में तीसरा स्थान दिल्ली का है।

(ग) यह तो सब जानते ही हैं कि राजधानी की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का एक अंश पड़ौसी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण है और नगरीय सुविधाओं पर किस हद तक इसका प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है।

(घ) राजधानी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर उचित विचार किया जाता है।

विवरण

10 लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों और नगरों की अनन्तिम जनसंख्या और वृद्धि दर।

क्रम संख्या	नगर/शहर	जनसंख्या 1981	वृद्धि दर 1971-81(+)
1	2	3	4
1.	कलकत्ता	9,165,650	30.35
2.	ग्रेटर बम्बई	8,227,332	37.80
3.	दिल्ली	5,713,581	56.66
4.	मद्रास	4,276,635	34.91
5.	बंगलौर	2,913,537	76.17
6.	हैदराबाद	2,528,198	40.74
7.	अहमदाबाद	2,515,195	43.53
8.	कानपुर	1,688,242	32.39
9.	पुन्णे	1,635,300	48.48
10.	नागपुर	1,297 977	39.50
11.	लखनऊ	1,006,538	23.66
12.	जयपुर	1,004,669	57.78

"स्पूरियस कास्मेटिक्स सीज्ड" शीर्षक समाचार

5254. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1982 के "नेशनल हैरल्ड" में "स्पूरियस कास्मेटिक्स सीज्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी हां।

माननीय सदस्य महोदय का ध्यान उद्योग मन्त्री द्वारा लोक सभा में 24 मार्च, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5071 के दिए गए उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें उन्होंने पूरा ब्योरा दे दिया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के औषधि नियन्त्रण विभाग ने निरीक्षण कार्य को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रसाधन सामग्री का निर्माण उपयुक्त स्वास्थ्यकर स्थितियों में किया जाता है। नकली प्रसाधन सामग्री का पता लगाने के लिए छापे भी मारे जाते हैं और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही भी की जाती है।

वर्ष 1979-80 में नकली दवाइयों का उत्पादन और बिक्री तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों पर मुकदमें

5255. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नकली दवाओं के उत्पाद तथा बिक्री के अपराध में 1979-80 में कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए ; और

(ख) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने इस पर काबू पाने के लिए कुछ मार्ग विदेश सुझाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1979-80 में सत्रह ड्रगिस्ट, डाक्टरों और औषधिनिर्माताओं पर मुकदमें चलाए गये।

(ख) जून, 1981 में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सातवें संयुक्त में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं :—

(1) राज्यों को चाहिए कि वे औषधि नियंत्रण संगठन को पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करें।

(2) जिन राज्यों को खाद्य और औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मिल चुकी है उन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि इनमें पर्याप्त स्टाफ और उपकरण हों ताकि ये प्रयोगशाएं अपना कार्य ठीक से करना आरम्भ कर दें।

(3) राज्यों को चाहिए कि वे खास तौर से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दवाइओं के निर्माण और बिक्री के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाएं। इन भ्रष्ट गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए जाने चाहिए।

(4) राज्यों को चाहिए कि वे केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा औषधि निरीक्षकों और औषध विश्लेषकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग करें।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर माचिसों की चोरी

5256. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी दिल्ली स्टेशन पर माचिस से भरे रेल डिब्बों को बिना किसी की जिम्मेदारी के खाली कर दिया जाता है और इसके पश्चात माचिसों की चोरी हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने तथा उचित मुआवजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, निवारक उपाय के रूप में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए अधिक सतर्क रहने के लिए चौकस कर दिया गया है।

16 फरवरी, 1982 को दक्षिण पूर्वी रेलवे में विशेष रेल गाड़ियों की व्यवस्था

5257. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 फरवरी, 1982 को दक्षिण-पूर्व रेलवे में कितनी विशेष रेल गाड़ियों की व्यवस्था की गई और इसका उद्देश्य क्या था,

(ख) रेल गाड़ियो का ब्योरा है,

(ग) प्रत्येक विशेष रेल मार्ग से कितनी धनराशि एकत्रित की गयी,

(घ) क्या यह सच है कि एक विशेष राजनैतिक दल की सार्वजनिक सभा में लोगों को लाने हेतु दिन के लिए विशेष रेल गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) 16 फरवरी, 1982 को पश्चिम बंगाल की युवा कांग्रेस (आई) के अनुरोध पर, पूरी दर सूची दरों पर किराये का भुगतान किये जाने पर, पांच जोड़ी विशेष गाडियां दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरुलिया, गिधनी, दांतन, खड़गपुर और गड़बेला—प्रत्येक से एक-एक गाड़ी हावड़ा तक और हावड़ा से चलायी गयी थीं।

पुरुलिया और हावड़ा के बीच चलायी गयी एक जोड़ी गाड़ी से 77,430 रुपये की राशि एकत्रित की गयी थी और अन्य 4 जोड़ी गाड़ियों से, प्रत्येक से 61,708 रुपये एकत्र किये गये थे ।

रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान

5258. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान करने के बारे में सांविधिक प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो मरने वालों और प्रत्येक मामले में किए गए मुआवजे के भुगतान का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के लिए भुगतान में कटौती करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां । रेल गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों को समय-समय पर या संशोधित भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के उपबन्धों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करती हैं । भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि 50,000 रु० है । छोटी-मोटी गाड़ी दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा नामित पदेन दावा अभ्युक्तों द्वारा बड़ी गाड़ी दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तदर्थ दावा आयुक्तों द्वारा किया जाता है । इसके फलस्वरूप, अनेक दावे अन्तिम निपटान के लिए बकाया पड़े हुए हैं । भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा वर्ष विशेष के दौरान हताहतों की संख्या से अनिवार्यतः सम्बन्धित नहीं होता है । प्रत्येक मामले में भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि से सम्बन्धित आंकड़े इतने अधिक हैं कि उनका सकलन करने के लिए किये गये प्रयासों के अनुरूप नहीं होंगे । 1978-79, 79-80 और 80-81 में 3 वर्षों के दौरान हताहतों की संख्या और भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि नीचे की तालिका में दी गयी हैं ।

वर्ष	यात्रियों की संख्या		दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि
	मृत	घायल	(लाख रुपयों में)
1978-79	74	390	60.66
1979-80	113	473	17.88
1980-81	118	518	45.38

दिल्ली के स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की कमी के बारे में समाचार

5259. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अध्यापकों की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली पशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की कोई कमी नहीं है । अत: भाग (ख) और (ग) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों का सम्बन्ध है अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विकलांग वर्ष 1981

5260. श्री माधवराव सिन्धिया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 'विकलांग वर्ष 1981" के संबंध में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के परिव्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना पर कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इसके अन्तर्गत निर्धारित किए लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए नए और चालू कार्यक्रमों पर परिव्ययों और खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

यद्यपि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे फिर भी 1980-81 के खर्च के साथ तुलना करने पर 1981-82 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिये कार्यक्रमों में विस्तार का पता लग जायेगा ।

कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियां संलग्न विवरण-2 में दर्शाई गई है ।

इस अनुबन्धों में दर्शाई गई विशिष्ट योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के विशेषकर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषाहार, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, रोजगार, जल प्रदाय इत्यादि के क्षेत्रों में सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी विकलांग व्यक्तियों का कल्याण आता है ।

विवरण-1

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1981-82 के दौरान नए और चालू कार्यक्रमों पर प्रतिव्यय और खर्च

क्र० सं०	समाज कल्याण मंत्रालय योजनाएं	व्यय 1980-81		संसोधित प्राक्कलन 1981-82		20 मार्च, 1982 तक खर्च	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
1.	विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना और विकास	26.88	22.59	45.00	26.56	4052	23.81 (फरवरी 1982 तक)
2.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली	19.66	—	35.00	—	35.00	—
3.	विकलांगों को छात्रवृत्तियां	9.00	52.08	16.51	50.00	16.51	50.00
4.	कुष्ठ रोगियों समेत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	111.27	—	160.00	—	136.82	—
5.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण	40.74	—	60.00	—	59.13	—
6.	विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और रोजगार	5.79	—	76.67	—	71.67	—
7.	प्रचार उपाय	8.65	—	20.68	—	20 68	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	पुनर्वास, अनुसंधान अथवा विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी सहायक यन्त्र और स्कूल तथा अन्य विविधि योजनाएं	4.88	12.76	6.00	16.11	5.84	13.94 (फरवरी 1982 तक)
9.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	33.00	60.00	5.00	83.70	—	83.70

विवरण-2

1981-82 के दौरान के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियां नीचे दर्शाई गयी हैं :—

1. दृष्टिहीनों बधिरों और अस्थिविकलांगों के लिए छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत 56.51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि के द्वारा भारत के सभी भागों से 10,000 छात्रों को पुरस्कृत किये जाने की संभावना है।

2. शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विकलांगों के स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत 1981-82 के दौरान 101 स्वैच्छिक संगठनों को 116.82 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

3. समेकित शिक्षा की एक संशोधित योजना 1 अप्रैल, 1981 को लागू हुई। इस संशोधित योजना के अन्तर्गत योजना का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस समय यह योजना 3789 लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 688 केन्द्रों के माध्यम से 14 राज्य सरकारों, 1 केन्द्र प्रशासित प्रदेश और 1 स्वायतशासी निकाय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

4. विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण तथा यंत्र खरीदने के लिए सहायता देने की एक नयी योजना मार्च, 1981 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत आज तक 44 संगठनों को जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण तथा यंत्र प्रदान करने वाले केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है। 59.13 लाख रुपये की धनराशि उनको सौंपी जा चुकी है।

5. व्यावसयिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 1981 के दौरान बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। 1 जनवरी, 1981 से 30 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों ने 3231 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में सफलता प्राप्त की। 1981 के दौरान पांच व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से सम्बन्ध 11 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

6. विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के रोजगारों में लगाने के लिए देश में 21 विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं। इन में से 3 कार्यालय 1981-82 के दौरान खोले गये हैं। इन रोजगार कार्यालयों ने स्थापना से लेकर 31 सितम्बर, 1981 तक 25437 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया।

7. विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1981 के दौरान विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ देने की एक योजना आरम्भ की गई थी।

31, दिसम्बर, 1981 तक 1981-82 के 887 के लक्ष्य के स्थान पर विकलांग व्यक्तियों को 978 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ आबंटित किये गये हैं।

8. इस क्षेत्र में स्वैच्छिक तथा निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1981 के दौरान विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को विकलांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी मान्यता प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की गई।

विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम रेल लाइन का विद्युतीकरण

5261. श्री के० ए० स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के बीच की रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कार्य के पूरा होने में लगने वाले अपेक्षित समय का ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) धन-राशि की सीमितता के कारण यातायात के घनत्व, यातायात की वृद्धि और कर्षण के माध्यमों में परिवर्तन के बिना यातायात के प्रवाह की निरन्तरता के आधार पर उच्च घनत्व वाले अन्य मार्गों को प्राथमिकता दी गयी है। इसलिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस खंड का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का मांग पत्र

5262. श्री मोहम्मद असरार अहमद
श्री हीरालाल आर० परमार } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक मांग पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय और कालेज संघ ने कोई नया मांग-पत्र विश्वविद्यालय के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी संघ ने

15 दिसम्बर, 1981 से आन्दोलन शुरू किया और आन्दोलन के दौरान जो मांगे रखी गयीं वे अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति के अवसरों, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, अधिक मकान व्यवस्था, उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक तंत्र की स्थापना, कालेजों में कर्मचारी नियोजन पद्धति (स्टाफिंग पैटर्न) में संशोधन, वेतनमानों को युक्तिसंगत बनाने इत्यादि के संबंध में थीं। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और संघ के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद संघ ने 12 फरवरी, 1982 को अपना आन्दोलन वापस ले लिया।

खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग, दिल्ली खाद्य निरीक्षकों को स्थायीवत घोषित करने में विलम्ब

5263. **श्री के० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण विभाग दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में काम कर रहे योग्यता प्राप्त खाद्य निरीक्षकों को स्थायीवत घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें अब तक स्थायीवत् घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर स्थायिवत् घोषित किए जाने के पात्र खाद्य निरीक्षकों के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। इन मामलों में कार्य-विधि संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग गया है।

दिल्ली में गाड़ियों द्वारा "प्रेशर हार्न" का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाना

5264. **श्री के० लकप्पा :** क्या नोवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डी० टी० सी० की बसों सहित बहुत अधिक संख्या में भारी वाहन "प्रेशर हार्न" का प्रयोग करते हैं जिससे कानों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है ;

(ख) क्या ऐसे हारनों का प्रयोग करना नियमों के अन्तर्गत हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

नोवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) आई० एस० आई० द्वारा निर्धारित आटोमोबाइल हार्न को लगाने के लिए दिल्ली मोटर

व्हीकिल नियम, 1940 के नियम 5.5 (1) में 19.4.1981 को संशोधन किया गया है। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें इस नियम के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं मिली है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा "यूनीएन्जाइम" की अस्वीकृत गोलियों का प्रयोग

5265. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरियों में "यूनीएन्जाइम" की हजारों रुपए की अस्वीकृत गोलियों का प्रयोग किया गया है और प्रतिकर्ताओं को अदायगी भी कर दी गई है ·, हालांकि अदायगी से पहले अधिकारियों को इस दोष की खबर थी ·, और

(ख) यदि हां, तो दायित्व निर्धारित करने और दोषी अधिकारियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पूर्वी रेलवे की वरिष्ठता सूची

5266. श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच सालों में उत्तर पूर्वी रेलवे में कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है ·,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ·,

(ग) क्या यह सुनिश्चित था कि यह हर दूसरे साल जारी की जाएगी ·,

(घ) क्या यह भी सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के सोनपुर डिवीजन में इसकी स्थापना के बाद कर्मचारियों की भविष्य निधि के बारे में कोई पी० आई० स्लिप जारी नहीं की गई है ·, और

(ङ) क्या कर्मचारियों को हर साल पी० आई० स्लिप जारी किए जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां । सोनपुर मंडल बनाए जाने से पूर्व, 1978-79 के वर्ष तक अभिदाताओं के भविष्य निधि खाते समस्तीपुर मंडल में रखे जाते थे । वे खाते समस्तीपुर मंडल से सोनपुर मंडल में अन्तरित किए जा रहे थे और विलम्ब उन्हे अलग छांटने तथा नए यूनिट निर्माण के कारण हुआ । 1979-80 और 1980-81 के वर्षों की निर्वाह निधि पर्चियां सोनपुर मंडल द्वारा शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी ।

(ङ) जी हां ।

किलो मीटर रूट में वृद्धि

5267. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से किलोमीटर रूट में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1980 और 1981 वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में रूट में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है ;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, तथा प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के प्रथम वर्षों में प्रत्येक जोन में रूट किलोमीटरों में वृद्धि की तुलना में यह स्थिति क्या है ; और

(घ) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में रूट किलोमीटरों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) कुल मिलाकर लगभग 2548 कि० मी० लम्बी नयी रेल लाइनों के लिए इस समय अनेक परियोजनाए प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं । चूंकि इन सभी योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, अतः अपर्याप्त संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके कुछ परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ; ताकि थोड़ा-थोड़ा धन अनेक परियोजनाओं के लिए आबंटित करने की बजाय, राष्ट्र किए गए निवेश का लाभ उठा सके ।

विवरण

रेलवे	* 1980	* 1981	@ 80-81	@ 81-82	x 74-75	x 75-76	** 69-70	** 70-71	† 61-62	† 62-63	@@ 56-57	@@ 57-58	× 51-52	× 52-53
मध्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.68	--	—
पूर्व	2.69	—	2.69	—	—	5.81	—	57.56	139.97	26.55	1.27	—	—	—
उत्तर	118.50	—	118.50	—	—	—	27.56	—	—	--	—	107.71	267.17	75.94
पूर्वी०	—	—	—	—	23.00	36.25	—	11.71	49.99	—	—	—	—	—
पू० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	180.30	147.53	—	8.70	—	—
दक्षिण	—	73.29	—	73.29	—	—	—	—	—	—	59.90	95.45	149.33	13.92
द०म०	—	73.52	73.52	—	—	—	—	—	22.53	—	—	—	—	—
द०पू०	7.80	25.25	33.05	—	—	—	—	—	51.67	207.36	37.99	—	—	—
पश्चिम	—	—	—	—	32.95	27.85	100.62	—	4.14	--	55.01	—	51.48	273.05
जोड़	128.99	172.06	227.76	73.29	55.95	69.61	128.18	69.27	448.60	381.44	154.17	270.54	467.98	362.91

* जैसा प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है (कैलेंडर वर्ष)।

@ छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

x पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

** चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

† तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

@@ दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

× पहली पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष।

"जिन्ना हाउस" को पाकिस्तान दूतावास को सौंपा जाना

5268. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित "जिन्ना हाउस" पाकिस्तान दूतावास को सौप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो यह उनको कब तक सौंपा जाएगा ; और

(ग) इसके सौंपे जाने की यदि कोई शर्तें हैं तो वे क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) सम्पदा निदेशालय को इस परिसर का कब्जा मिलने के बाद ही इसे पट्टे पर दिया जा सकता है ।

(ग) यह परिसर पाकिस्तान के प्रस्तावित महाकोसलावास को केवल रिहायश के लिए पट्टे पर दिया जाएगा । पट्टे की शर्तें तय की जा रही है ।

भारतीय नाविकों में बेरोजगारी विषयक विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

5269. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिरल एस० एम० नन्दा की अध्यक्षता में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की विशिष्ट सिफारिशें क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रत्येक सिफारिश पर कोई कार्रवाई की है ; और

(घ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की समस्या पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग 6.2.1982 को प्रस्तुत किया है । सरकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है ।

दिल्ली के उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में भारतीय भाषाएं सीखना

5270. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परीक्षा में बैठने के लिए उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में 12वीं कक्षा के स्तर पर एक भाषा का सीखना अनिवार्य है ;

(ख) क्या अधिकतर छात्र भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी अन्य भारतीय भाषा को नहीं सीखते ;

(ग) अखिल भारत तथा दिल्ली उच्चतम स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा में 1981 में (विज्ञान वर्ग सहित) कितने छात्र बैठे तथा उनमें से कितने छात्रों ने अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी भाषा का विकल्प दिया तथा कितनों ने अंग्रेजी भाषा का विकल्प दिया ;

(घ) सरकार का इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की उपेक्षा न हो ; और

(ङ) क्या वर्तमान विधान में तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों में कोई संशोधन करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) एक छात्र 24 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा ले सकता है; जैसा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यवस्था की गई है। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित भाषाओं की सूची में शामिल की गई हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा संचालित सीनियर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्यापन की सुविधाओं की व्यवस्था, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु छात्रों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार की जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण					
	1981 में सम्मिलित उम्मीदवारों की सं०	हिन्दी लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या		अंग्रेजी लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या	
		कोर विषय के रूप में	ऐच्छिक विषय के रूप में	कोर विषय के रूप में	ऐच्छिक विषय के रूप में
1. अखिल भारतीय सीनियर माध्यमिक परीक्षा	19,750	3153	3283	17,668	1928
2. दिल्ली सीनियर माध्यमिक परीक्षा	35,296	3341	17,853	29,318	869

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

5271. श्री जैनुल बशर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संशोधन विधेयक सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक संसद में कब तक पेश किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संबंध में, व्यापक विधान के प्रस्ताव, गत कुछ समय से सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में, संसद में संशोधन विधेयक कब लाया जाएगा, यह बताना सम्भव नहीं।

चीन और पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय भू-क्षेत्र

5272. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन और पाकिस्तान ने भारत के कितने-कितने क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है ;

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक सेक्टर-वार और देश-वार इन देशों ने सीमा झड़पों और विभिन्न युद्धों में भारत के कितने-कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है; और

(ग) इन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए क्या कूटनीतिक तथा अन्य उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) लद्दाख क्षेत्र के लगभग 14,500 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर चीन कब्जा किए हुए है।

जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 30,200 वर्ग मील इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 में सम्पन्न तथाकथित चीन-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर का लगभग 2000 वर्ग मील का इलाका गैर-कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया है।

(ग) भारत सरकार पंचशील के आधार पर सीधी द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से चीन से अवैध कब्जे वाला अपना इलाका वापस लेने के लिए प्रयास करती रही है और उसने चीन सरकार के साथ अन्य बातों के साथ-साथ सीमा के प्रश्न पर भी बात-चीत शुरू की है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, सरकार की नीति यह है कि जम्मू और कश्मीर का जो भाग पाकि-

स्तान के अवैध कब्जे में है, उससे सम्बद्ध सवालों को शिमला समझौते की भावना के अनुरूप शान्तिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जाए।

रेल दुर्घटनाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5273. श्री जितेन्द्र प्रसाद
श्री हरीश रावत } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 1981-82 के दौरान रेल दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1981-82 (जनवरी, 1982 तक) की अवधि में गाड़ी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दण्डित किए गए रेल कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिए गए दण्ड की किस्म नीचे दी गई है :—

दण्ड की किस्म		दण्डित किए गए रेल कर्मचारियों की संख्या
सेवा से हटाए गए	—	47
सेवा भंग/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	—	13
पदावनति/वेतन के ग्रेड में कमी	—	78
उपदान रोकना	—	3
पदोन्नति रोकना	—	2
वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकना	—	445
पास/सु० टि० आ० रोकना	—	60
कड़ी चेतावनी चेतावनी	—	81
	जोड़	729

डीज़ल ट्रेक्शन में ट्रैफिक यूनिटों का उत्पादन

5274. श्री राम जेठमलानी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के डीजल ट्रैक्शन में ट्रैफिक यूनिटों के उत्पादन के 1971 और 1981 के दैनिक औसत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) यदि वे 1981 में कम हैं तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा भाप के इन्जनों की कोयले की खपत को समाप्त करने के लिए दैनिक ट्रैफिक यूनिटों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक रेल इन्जन के उपयोग की सीमा लाइन पर प्रतिदिन प्रति इन्जन अर्जित इन्जन किलोमीटर द्वारा मापा जाता है, वर्ष 1971 और 1982 की अवधि में डीजल रेल इन्जनों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	1971	1981
बडी लाइन	309	302
मीटर लाइन	244	302
छोटी लाईन	125	114

(ख) जब 1971 में डीजल कर्षण अपेक्षाकृत नया था तब उसका उपयोग महत्वपूर्ण सेवाओं में किया गया। अब शटिंग सेवाओं में भी इनका उपयोग किया जा रहा है जिनकी किलो-मीटर संख्या बहुत कम बनती है। अतः बड़ी लाइन पर इनका उपयोग कम किया जाता है जब कि मीटर लाइन पर इनका उपयोग बेहतर है जहां डीजल शटर नहीं है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर रखे जाने वाले नियन्त्रण के अलावा, दिन-प्रतिदिन की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा डीजल रेल इन्जनों में सुधार लाने के उपायों का विनिश्चय करने के लिए बोर्ड कार्यालय में प्रतिदिन परिचालनिक बैठकें होती हैं जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड करते हैं। कोयले की बचत करने तथा मितव्ययता लाने के लिए भाप रेल इन्जनों को उत्तरोत्तर सेवा से हटाया जा रहा है और भाप रेल इन्जन शेड बंद किए जा रहे हैं।

उत्तर पूर्वी रेलवे में एकमा रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों के हाल्ट की व्यवस्था करना

5275. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर-पूर्व रेलवे पर बिहार में दुरौंधा एवं छपरा के बीच एकमा रेलवे स्टेशन पर 1. अप/2 डाउन, 15 डाउन 16 अप तथा 9अप/10 डाउन गाड़ियों के हाल्ट की व्यवस्था के लिए मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे के दुरौंधा-छपरा खंड को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है, इसलिए 1 अप/2 डाउन ए० टी० मेल, 1 /16 गुवाहाटी-वाराणसी एक्सप्रेस और मीटर लाइन की अन्य गाड़ियां एकमा से होकर नहीं जा रही हैं। बहरहाल, एकमा के रास्ते जाने वाली बड़ी लाइन की सभी गाड़ियां अब एकमा रेलवे स्टेशन पर ठहरती हैं।

गंगापुर स्टेशन पर 171/172 तथा 181/182 गाड़ियों के लिए 'स्टापेज'

5276. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि गंगापुर सिटी स्टेशन पर 171/172 तथा 181/182 रेल गाड़ियों को रोके जाने के लिए जनता द्वारा मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां,

(ख) 171/172 बम्बई सेंट्रल-जम्मूतवी एक्सप्रेस और 281/282 नयी दिल्ली-अहमदाबाद सर्वोदय एक्सप्रेस को गंगापुर सिटी स्टेशन पर रोकने के प्रश्न की जांच की गयी है और उसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति

5277. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में रेलवे में केवल मात्र मात्र वरिष्ठता अथवा गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति न देकर कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एक ही श्रेणी के भीतर विभिन्न ग्रेडों में भी पदोन्नति को शासित करने वाले विस्तृत नियम और आदेश हैं। इनमें गोपनीय रिपोर्टों में परिलक्षित कार्य निष्पादन के साथ-साथ वरिष्ठता को शामिल किया जाता है। इन नियमों/आदेशों में कोई मौलिक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित निदेश की क्रियान्विति

5278. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित निर्देश की क्रियान्विति के लिए सरकार ने क्या कारगर कदम उठाए हैं,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1979 से अब तक वर्षवार शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रतिशतखर्च किया है;

(ग) यदि कोई राज्य अब तक भी प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क नहीं बना सके हैं, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) देश में प्राथमिक अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या की तुलना में उनका अनुपात क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विवरण 1 संलग्न है ।

(ख) विवरण 2 सलग्न है ।

(ग) सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर (कक्षा i-v) पर शिक्षा नि:शुल्क है ।

(घ) वर्ष 1979-80 के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कुल संख्या 21,47,223 थी और 6-14 आयु वर्ग की जनसंख्या 13,52,60,600 थी । अत: शिक्षक बच्चे का अनुपात 1.63 था ।

विवरण 1

किए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है —

(i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और नये 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को शामिल करना ।

(ii) शिक्षा के लिए छठी योजना के कुल परिव्यय में से प्रारम्भिक शिक्षा को 36% आबंटित करके इसे उच्च प्राथमिकता देना ।

(iii) बहुत कम दूरी के अन्दर प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोलना ।

(iv) प्राथमिक पाठ्यचर्या को स्थानीय परिस्थितियों और जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए इसे विकेन्द्रित करने के प्रयास ।

(v) लड़कियों और अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों, भूमिहीन मजदूरों और गंदी बस्तियों में रहने वाले जैसे लक्षित वर्गों के लोगों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(vi) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निशुल्क वर्दियां, मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था ।

(vii) उन बच्चों के लाभ के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ करना, जो औपचारिक पद्धति द्वारा प्रदान की गई सुविधायें प्राप्त नहीं कर सकते ।

(viii) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता ।

(iv) नई परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता ।

विवरण 2

वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय की प्रतिशतता
1	2
1978-79*	3.3
1979-80*	3.0
1980-81*	2.8
1981-82*	3.1

*बजट प्राक्कलनों के आधार पर तैयार किया गया ।

दक्षिण रेलवे के माइक्रोवेव निर्माण विभाग के लिए नियतन

5279. श्री के० राममूर्ति : क्या रेल मंत्री वर्ष 1981-82 में दक्षिण रेलवे के माइक्रोवेव निर्माण विभाग के लिए किए गए नियतन के बारे में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान सामग्री की खरीद पर कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा उक्त खरीद में से कितनी सामग्री देश मे से ही खरीदी जायेगी क्या कितनी सामग्री का आयात किया जायेगा, और

(ख) उक्त विभाग के कर्मचारियों (उनके वेतन, समयोपरि भत्ते आदि) पर कितनी राशि खर्च होगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (i) सक्षम तरंग सहित दूरसंचार सम्बन्धी कार्यों के लिए दक्षिण रेलवे के सिगनल और दूर संचार निर्माण विभाग को 1981-82 के लिए 113 लाख रुपये का आबंटन किया गया है ।

(ii) 1981-82 के दौरान सामान की खरीद पर किया गया खर्च 65 लाख रुपये है जिसमें 31 लाख रु० देशी सामान पर और 34 लाख रु० आयातित सामानपर खर्च किए गए।

(ख) दूर सचार विभाग निर्माण कर्मचारियों पर अभी तक 14.24 लाख रु० खर्च हुए हैं जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है।

	स्थायी कर्मचारी	रु०
(i)	वेतन और यात्रा भत्ता	4.71 लाख
(ii)	समयोपरि भत्ता	0.11 लाख
	नैमित्तिक कर्मचारी	
(i)	वेतन	8.15लाख
(ii)	यात्रा भत्ता	1.17 लाख
	जोड़	14.14 लाख

कुष्ठ रोग पर अध्ययन दल का प्रतिवेदन

5280. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कुष्ठ रोग के बारे में अध्ययन दल ने अपने विचार विमर्श पूरे कर लिए हैं और अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी है,

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के सदस्य कौन है, इसके निदेश पद और सिफारिशें क्या हैं,

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर निश्चित निर्णय करने के लिए सरकार को कितना समय लगने की संभावना है;

(घ) क्या इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद सदस्यों को उपलब्ध कराने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) से (ङ) कुष्ठ उन्मूलन के कार्य दल की अन्तिम रिपोर्ट 12 मार्च, 1982 को सरकार को प्रस्तुत की गई है। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और रिपोर्ट के साथ-साथ उस पर लिए गए निर्णयों को यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दरभंगा जयनगर लाइन

5281. श्री हरीनाथ मिश्र
श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से जयनगर तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है तथा प्रगति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त परियोजना की सक्षमता का निर्णय करते समय किन बातों को विचार में रखा गया है; और

(घ) उक्त परियोजना की पूर्ण क्रियान्विति पर वर्तमान मूल्य स्तर के अनुसार अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर कई सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों की पारसपरिक प्राथमिकता के आधार पर कार्य को चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। आशा है कि क्षेत्र में कार्य आगामी कार्य मौसम में शुरू कर दिया जायेगा और जून 1983 तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

(ग) दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की व्यवहार्यता अन्य बातों के साथ-साथ भारत संयुक्त परियोजना के भाग के रूप में लक्ष्मीपुर में सीमेंट कारखाने की स्थापना तथा इस लाइन द्वारा सेवित इस क्षेत्र में अन्य उद्योगों की स्थापना पर निर्भर करेगी।

(घ) दरभंगा-जयनगर लाइन लगभग 68 किलोमीटर लम्बी है। मोटे मूल्यांकन के अनुसार कीमतों के वर्तमान स्तर पर इस लाइन पर अनुमानितः लगभग 14 करोड रुपये खर्च होंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रेल पटरियां

5282. श्री हरीनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन कुल कितनी लंबी रेल पटरियां हैं और उनसे कुल कितनी जनसंख्या सेवित होती है;

(ख) मीटर गेज लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलने की कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वित हेतु शुरू कर दी गई हैं और प्रत्येक परियोजना क्रमशः कितनी-कितनी अवधि में पूरी हो जायेगी; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे का आधुनिकीकरण करने हेतु तथा उसे अन्य आधुनिकीकृत एवम् उन्नत रेलवे जनों के बराबर लाने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.3.1981 की पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवित कुल मार्ग किलोमीटर 5163 था । अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्रों से गुजरती है और ये राज्य अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा भी सेवित है ।;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर आमान परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनायें तथा उन्हें पूरा करने के लिए लक्ष्य तारीखों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	काम पूरा करने के लिए लक्ष्य तारीख
बाराबंकी समस्तीपुर खंड	हालांकि इस लाइन को 8.7.81 से बड़ी लाइन के यातायात के लिए खोल दिया गया था, फिर भी कुछ अवशिष्ट कार्य तथा लाइन पर गिट्टा बिछाने आदि का काम प्रगति पर है ।
बरौनी कटिहार खंड मुरादाबाद रामनगर खंड भटनी-वाराणसी खंड समस्तीपुर दरभंगा खंड काशीपुर लालकुआं खंड बरेली और भोजीपुरा के बीच समानान्तर बड़ी लाइन तथा भोजीपुरा-काठगोदाम मीटर लाइन को बड़ी लाइन मे बदलना	धन की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता होने के कारण, अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर मीटर लाइन के डीजल रेल इन्जनों का इस्तेमाल किया जा है । बाराबंकी समस्तीपुर खंड को बड़ी लाइन में बदल दिये जाने से, गोंडा में 40 रेल इन्जनों को खड़ा करने की क्षमता वाले बड़ी लाइन के एक डीजल शेड का निर्माण कार्य प्रायः पूरा होने वाला है । जहां तक सिगनल और दरसंचार, चल स्टाक, आदि का सम्बन्ध है, पूर्वोत्तर रेलवे पर पहले ही सभी प्रकार के नवीनतम उपस्करों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अन्य रेलों की तुलना में इस रेलवे पर कोई असमानता नहीं है ।

"संस्कृत विद्यापीठ इन पूअर शेप" शीर्षक समाचार

5283. श्री हरीनाथ मिश्र : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में "संस्कृत विद्यापीठ इनपूअर शेप" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एक स्वायत्तनिकाय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित नई दिल्ली की लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ अपर्याप्त ग्रन्थालय तथा शेष सुविधाओं होस्टल आवास के अभाव और प्रशासन के कारण खराब हालत में है जिससे इस विद्यापीठ के जो छात्र अर्हक परीक्षाएं पास करते हैं उनको इसलिए रोजगार नहीं मिलता कि कुछ राज्य तथा विश्वविद्यालय इस विद्यापीठ की डिग्री को मान्यता नहीं देते हैं;

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या शोध सुविधाएं अपर्याप्त हैं और छात्रों को अपने कार्यों के लिए अन्य संस्थानों में जाना पड़ता है; और

(ङ) क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जिसका प्रबन्ध राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है, की पूरी वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें 25,000 मुद्रित पुस्तकें, 1,600 पाण्डुलिपियां और 46 शोध पत्रिकाएं हैं । शोध छात्रों के मार्गदर्शन के लिए विद्यापीठ में सक्षम अध्येता भी हैं । अब तक तैंतालीस शोध अध्येताओं ने अपना शोध कार्य पूरा करने के बाद विद्या वरिधि (पी एच डी) को अपनी डिग्री प्राप्त कर ली है और उनचास अध्येता अभी विद्या वरिधि (पी एच डी) के लिए शोध कार्य कर रहे हैं । उनचास अध्येताओं में से जीविका अर्जित नहीं करने वाले सभी अध्येता प्रति माह 300 रु० की दर से छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं अत: विद्यापीठ को अपर्याप्त पुस्तकालय, अथवा शोध सुविधाओं के अभाव के कारण कोई बाधा नहीं हो रही है । अध्येताओं के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पहले ही प्रारम्भ हो चुका है ।

शोध छात्र अपने अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अन्य संस्थाओं में जा रहे हैं क्योंकि विद्यापीठ में उपलब्ध संदर्भ सामग्री के अलावा, उनके यथा संभव अधिक से अधिक विभिन्न श्रोतों से आंकड़े/सूचना एकत्र करने की अपेक्षा की जाती है ।

शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से मन्द बच्चों को शिक्षित करने हेतु आवासीय संस्थाएं

5284. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से मन्द बच्चों को शिक्षित करने हेतु आवासीय संस्थाओं की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रस्तावित संस्थाओं की संख्या और वे कहां कहां (खोली) जायेंगी; और

(ग) सरकार का उन्हें कब तक खोलने का विचार है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)। (क) से (ग) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही वह प्राप्त होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेल टिकटों की चोरी

5285. श्री राम प्यारे पनिका
श्री आनन्द पाठक
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकटों की चोरी की गई थी ;

(ख) यदि हां, कितने रुपये मूल्य की टिकटें चुराई गई;

(ग) क्या इस बीच कुछ टिकटें बरामद कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो कितनी और किस स्थान से: और

(ङ) जिन व्यक्तियों से ये टिकट बरामद किए गए, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) चोरी हुए टिकटों का मूल्य 1,11,000 रुपये था।

(ग) जी हां।

(घ) 1190 टिकट वेरसा ट्रेवल्स, अमृतसर मार्किट, पहाड़गंज से बरामद किए गए थे। 562 टिकट सोना ट्रेवल्स, पहाड़गंज, दिल्ली के संस्थापक के पिता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

(ङ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अधीन पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है।

छठी योजनावधि के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु कदम

5286. **श्री कृपा सिंधु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मनोरोग चिकित्सकों ने जनवरी, 1982 में हुई भारतीय मनो. रोग चिकित्सा सोसाइटी के 31 वें वार्षिक सम्मेलन में एक वक्तव्य में राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं से मानसिक स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दिए जाने की बात पर निराशा प्रकट की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को ऐसा कोई वकतव्य नहीं मिला है । फिर भी सरकार मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती हुई जरूरतों के प्रति जागरुक है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मानसिक रूप से बीमार रोगियों के उपचार की आधुनिक पद्धति में इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि मानसिक रोगियों का इलाज उन्हें मनोरोग अस्पतालों में भर्ती करके नहीं बल्कि जनरल अस्पतालों और मनश्चिकित्सा यूनिटों में बाह्य रोगियों के रूप में चिकित्सा सुविधाएं देकर किया जाए । इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में दो ऐसी संस्थाएं हैं । जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के काम में लगी हुई हैं । उनमें से एक रांची का केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान और दूसरा बंगलौर का राष्ट्रीय मनश्चिकित्सा और तंत्रिका विज्ञान सस्थान है । इन संस्थाओं का विकास करने के लिए योजना में आवश्यक प्रावधान दिए गए हैं ।

खेल/एथलिट के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित प्रशिक्षण केन्द्र

5287. **श्री जेवियर अराकल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल/एथलिट के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं और वर्ष 1981 और 1982 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) इन प्रशिक्षणार्थियों का चयन किस प्रकार किया जाता है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कितनी सहायता दी जाती है और कितने समय के लिए दी जाती है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) शारीरिक शिक्षा और खेल के केन्द्रीय प्रायोजित प्रशिक्षण केन्द्र दो प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) शारीरिक शिक्षा और खेल में अधिक महत्व के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के दो प्रशिक्षण केन्द्र अर्थात् नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और बंगलोर स्थित इसका दक्षिण केन्द्र तथा कलकत्ता स्थित पूर्वी केन्द्र (जिसके शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है) और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर।

(ii) खेल के विभिन्न विषयों में युवकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/राज्य खेल परिषदों के सहयोग से स्थापित चौबीस क्षेत्रीय खेल शिक्षा केन्द्र।

वित्तीय वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ इन दो प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने हेतु दोनों संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए थे;

1980-81	160-73	लाख रुपए
1981-82	222.17	लाख रुपए
(22.3.1982 तक)		

(ख) इन दोनों संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर चयन परीक्षा और साक्षात्कार के परिणाम पर किया जाता है।

इन दो संस्थानों में दाखिल उम्मीदवार अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि के लिए निम्न सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

(1) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला

(i) नियमित/संक्षिप्त और मास्टर पाठ्यक्रम के लिए निःशुल्क शिक्षा और आवास।

(ii) प्रति माह 15/रुपए पर आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन व्यवस्था।

(iii) अनुमोदित श्रेणियों के भूतपूर्व अन्तराष्ट्रकों के लिए निःशुल्क भोजन और आवास।

(iv) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को प्रति माह 100 रुपए की दस छात्रवृत्तियां ताकि वे भोजन, किट आदि के व्यय को वहन कर सकें।

(v) मास्टर पाठ्यक्रम में दाखिल योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रति माह 300 रुपए की शिक्षावृत्तियां ।

(vi) कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनके प्रायोजित उम्मीदवारों को दी गई छात्रवृत्तियां ।

(vi) कुछछ राज्य सरकारों द्वारा उनके प्रायोजित उम्मीदवारों को दी गईं छात्रवृत्तियां ।

(vii) महिला प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों के लिए प्रति माह 150 रुपए की छात्रवृत्तियां ।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

(i) नि:शुल्क आवास ।

(ii) प्रतिमाह 100 रुपए पर आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन प्रबन्ध ।

(iii) शारीरिक शिक्षा स्नातक के लिए प्रति वर्ष 1000 रुपए और शारीरिक शिक्षा मास्टर छात्रों के लिए प्रति सत्र 575 रुपए की दर से छात्रवृत्तियां ताकि उन लोगों के लिए भोजन और अन्य खर्चे शामिल किए जा सकें जिन्होंने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने राज्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा किसी राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया है ।

(iv) योग्यता के आधार पर शारीरिक शिक्षा छात्रों के लिए नि:शुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति (प्रति व्यक्ति पति वर्ष 300 रुपए)

(v) शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों के योग्य उम्मीदवारों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति ।

पश्चिमी रेल के संचालन और वाणिज्यक विभागों द्वारा न्यायालय में दायर मुकदमें

5288. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के संचालन और वाणिज्यिक विभागों के कर्मचारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई और अहमदाबाद उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालयों और श्रम न्यायालयों में कितने मुकदमे दायर किए गए थे,

(ख) क्या गलत नीतियों के कारण कर्मचारियों को मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा ;

(ग) रेलवे द्वारा इन मुकदमों के निपटाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(घ) प्रशासन के खिलाफ कितने मुकदमों में डिग्री दी गई और नया राष्ट्रीय राजस्व की क्षति के लिए कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया गया और

(ङ) बम्बई और अहमदाबाद में न्यायालयों में कितने मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह सही नहीं है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसी कर्मचारी ने मुकदमा दायर किया था ।

कामर्शियल इन्सपेक्टरों आदि के लिए पदोन्नति नीति

6289. श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जोनल रेलों में नियुक्त कलेम्स ट्रेसरों, असिस्टेंट कामर्शियल इन्सपेक्टरों और कामर्शियल इन्सपेक्टरों के लिए कोई सामान पदोन्नति नीति है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे कलेम्स इन्सपेक्टरों के लिए एक अलग संवर्ग बनाने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए सामान्य निर्देशों को कार्यान्वित नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति सरणियां सामान्यतया स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार श्रम संगठनों से परामर्श करके रेलों द्वारा स्वयं ही निर्धारित की जाती हैं । इसलिए सभी क्षेत्रीय रेलों पर लागू समान पदोन्नति सरणि निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्लेम्स ट्रेसरों की संख्या

5290. श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में ग्रेड वार क्लेम्स ट्रेसर/ असिस्टेन्ट कामर्शियल इन्सपेक्टर और कामर्शियल इंसपेक्टर की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि क्लेम्स ट्रेसर क्लेम्स ब्रांच का भाग है;

(ग) यदि हां, तो कामर्शियल इन्सपेक्टर संवर्ग में दर्जा बढ़ाए जाने के समय उनकी संख्या को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे की खान पान की दरें

5291. श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान खान पान की दरें पुनरीक्षित की गई और बढ़ाई गई; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) खान पान कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की दरें वही हैं जो अन्य रेल कर्मचारियों के लिए हैं। खान पान की मदों की दर से इसका कोई संबंध नहीं है।

उत्तर रेलवे सिगनल इन्सपेक्टर (डब्ल्यू)

5292. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगनल इन्सपेक्टर (डब्ल्यू) उत्तर रेलवे के सेक्शन का प्रमुख कार्य अहमदाबाद में तथा उसके आस पास केन्द्रित है; और

(ख) यदि हां, तो जिला मुख्यालय आर्टिजन स्टाफ तथा रिलिविंग व्यक्तियों को दूरस्थ स्थान वाराणसी में रखने का क्या औचित्य है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह काम 164 मार्ग कि० मी० से अधिक दूरी में ऐसे खंड में पूरी तरह फैला हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। वाराणसी बहुत अधिक दूरी पर स्थित नहीं है परन्तु खंड वाराणसी (रहित) से शुरू होता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां से इस खंड का सर्वोत्तम नियंत्रण हो सकता है और जहां मण्डल मुख्यालय के साथ सीधी संचार व्यवस्था है।

वैगनों की कमी

5293. श्री रेणुपद दास
श्रीमती जयन्ती पटनायक] : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वैगनों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वैगनों की मांग पूरी करने के लिए सरकार का कुल कितने वैगन प्राप्त करने का विचार है;

(ग) देश में ये वैगन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे;

(घ) उन वैगनों को प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। चालू वर्ष के दौरान ढोया गया माल यातायात अब तक भारतीय रेलों के इतिहास में सर्वाधिक है।

(ख) से (ङ.) रेलों द्वारा माल डिब्बों की खरीद यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा इस प्रयोजन के लिए वर्षानुवर्ष उपलब्ध करायी गयी योजना निधियों को ध्यान में रखते हुए की जाती है 1982-83 के रेलवे बजट में निधियों के नियतन को देखते हुए, 1982-83 के दौरान, चौपहियों के हिसाब से 15,050 माल डिब्बे खरीदने के लिए प्रावधान किया गया है।

बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक निरीक्षक

5294. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में 1978 के बाद अब तक 455-750 रु० के वेतनमान में वाणिज्यिक निरीक्षकों के कितने पद विभागीय रूप से भरे गये;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों की वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति की गई है;

(ग) क्या वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर कुछ व्यक्ति नियुक्ति किये गये हैं और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई भी कर्मचारी तदर्थ आधार पर वाणिज्यिक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ.) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदन्नति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक पद नियमित रूप से और 5 पद तदर्थ आधार पर ।

(ख) एक पद अनुसूचित जन जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं ।

(ग) इस समय निम्नलिखित वाणिज्य निरीक्षक तदर्थ आधार पर 455-700 रु० के ग्रेड में कार्य कर रहे हैं :—

1. श्री सी० एल० मीना (अ०ज०जा०)
2. श्री राम दास
3 श्री साधू राम
4. श्री शिव प्रसाद

नियमित कर्मचारी श्री दीपक राम को हाल ही में स्थानान्तरित किया गया है ।

श्री सुन्दर सिंह को जिसकी तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गयी थी, पिछले वर्ष मृत्यु हो गई है ।

(घ) जी नहीं । अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी को तदर्थ आधार पर 455-700 रु० (सं० वे०) के ग्रेड में वाणिज्यिक निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की गयी थी । लेकिन, अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार पदोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त तथा ग्राह्य नहीं था जो कि इस पद के लिए एक अपेक्षित अर्हता है । हालांकि इस समय भी बीकानेर मंडल पर अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ.) 455-700 रु० के ग्रेड में वाणिज्यिक निरीक्षक का पद मुख्यालय द्वारा नियमित पद है । इसलिए इन पदों को भरने के लिए सभी मंडलों से सभी ग्राह्य कोटियों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं भले ही उन्होंने पी 13 पाठ्यक्रम पास किया हो या नहीं । इस सम्बन्ध में एक लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा । यहां तक जिन उम्मीदवारों ने

पी-13 पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त नहीं की होगी उनके मामले पर भी विचार किया जायेगा और उन्हें बाद में पदोन्नति से पहले पी-13 प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा ।

सिगनल इंसपेक्टर (डब्ल्यू) वाराणसी

5295. श्री शुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल इंसपेक्टर (डब्ल्यू), वाराणसी का कार्य क्षेत्र सराय हरखू से शिवपुर तक का है ;

(ख) यदि हां, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर का मुख्यालय कहां स्थित है;

(ग) आर्टिजन स्टाफ और रिलीविंग कर्मचारी कहां नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) इस प्रकार की नियुक्ति के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । इस के अलावा, इनका कार्य-क्षेत्र जाफराबाद, जंघाई खण्ड पर जाफराबाद से जंघाई (रहित) तक और जाफराबाद-फैजाबाद खण्ड पर जाफराबाद से शाहगंज तक भी बढ़ाया गया है ।

(ख) जिला सिगनल निरीक्षक का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है ।

(ग) करीगार और विश्रामदाता कर्मचारी वाराणसी, शिवपुर, जलालगंज, सराय हरखू, जाफराबाद और जौनपुर में तैनात किये गये है ।

(घ) खण्डीय अनुरक्षकों को उनके कार्यभार वाले खण्ड के अनुरक्षण कार्यों की देखभाल करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर तैनात किया गया है । निरीक्षक, उनका 'फलांइग' गैंगों और विश्रामदाता कर्मचारियों को अधिकतर वाराणसी और जौनपुर में तैनात किया जाता है । सिगनल निरीक्षक (पश्चिम) वाराणसी के अधीन कार्यरत-III के दोनों खण्डीय सिगनल निरीक्षण, जौनपुर में तैनात किये गये है । प्रशासनिक हित और सुविधाजनक गाड़ी सेवा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मुख्यालयों के चयन का निर्णय किया जाता है ।

रेलगाड़ियों में कथित अपर्याप्त ब्रेक पावर

5296. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1982 के 'स्टेट्समेन' के कलकत्ता संस्करण में 'इनएडी केट ब्रेक पावर इन ट्रेन्स अलेज्ड" (रेल गाड़ियों में अपर्याप्त ब्रेक पावर) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) वह समाचार वर्ष 1979-80 के लिए रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य की रिपोर्ट से सम्बन्धित है। समाचार में उल्लिखित मुख्य मुद्दों और उनके सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गयी है :—

1. गाड़ियों में अपर्याप्त ब्रेक शक्ति

ब्रेक गियर की अपूर्ण फिटिंगों को पूरा करने की कारंवाई के अलावा, गाड़ियों की ब्रेक शक्ति को सुधारने के लिए, रेलों को केवल उन्हीं स्थानों की जांच करने के अनुदेश दिये गए हैं जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन्हें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ब्रेक शक्ति की समुचित जांच और समायोजन किये जाते हैं। ब्रेक गियरों आदि के लिए खरीदे गये रबड़ फिटिंगों की बेहतर किस्म को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान, अभिकल्प और मानक सगठन द्वारा निरीक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है।

2. गाड़ी गुजारने और गाड़ी परीक्षण के काम से सम्बद्ध कोटियों के कर्मचारियों की कमी

सहायक स्टेशनों मास्टरों की कोटि में विद्यमान रिक्तियों के बारे में सरकार को जानकारी है। टिकट कलक्टरों, लिपिकों, आदि अन्य आम कोटियों के साथ-साथ सहायक स्टेशन मास्टरों की सीधी भर्ती भी रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है। सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों के उम्मीदवारों को अनुसधान, अभिकल्प एवम् मानक सगठन द्वारा ली जाने वाली मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं भी पास करनी होती हैं। बहरहाल रेलों को इस आशय के अनुदेश दिये गये हैं कि वे पहले से योजना बनाएं और सहायक स्टेशन मास्टरों की रिक्तियां समय पर भरने के लिए प्रयास करें। कुशलता ब्यूरो की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, रेल सेवा आयोगों द्वारा भर्ती की कार्यविधि को भी कारगर बनाया जा रहा है।

3. ड्राइवर का सतर्कता नियंत्रण उपकरण

एक उपयुक्त तथा दोष-मुक्त सतर्कता नियंत्रण उपकरण को तैयार करने का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। विभिन्न कठिनाइयों के कारण, सतर्कता नियत्रण उपकरण सदैव ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। रेल दुर्घटना जांच समिति, 1978 ने यह सिफारिश की है कि डीजल और बिजली रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय रेलों पर गाड़ी परिचालन म प्रत्येक डीजल और बिजली रेल इंजन में 2-2 कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि ऐसा उपयुक्त उपकरण तैयार

करने के लिए अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों को जारी रखा जाये जो वर्तमान आशक्तताओं के बिना संतोषजनक ढंग से कार्य कर सके । इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ।

4. टर्मिनल स्टेशनों पर कोचिंग स्टाफ के रख-रखाव की सुविधाएं

टर्मिनल स्टेशनों पर कोचिंग स्टाफ के रख-रखाव के लिए जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, उनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा कमियों को पूरा करने के लिए काम की नयी मदों को वार्षिक निर्माण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो । गर्त लाइनों और अन्य सुविधाओं के लिए अलग से धन राशि निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

5. रेलपथ की बकलिंग और इंजीनियरी विभाग के कार्य-निष्पादन में शिथिलता

रेलपथ की बकलिंग के कारणों का पता लगाया गया है और बकलिंग की रोकथाम के लिए रेलों को निम्नलिखित निवारक उपाय करने के निदेश जारी कर दिये गये हैं :—

(1) दोनों ओर कड़ी रेल पथ रचनाओं के बीच कहीं-कहीं लकड़ी के स्लीपरों वाले खण्डों को समाप्त करना ;

(2) पर्याप्त शोल्डर गिट्टी की व्यवस्था करना;

(3) जहां आवश्यक हो, वहां रेल स्थिरकों की व्यवस्था करना

(4) पटरी के जोड़ों के बीच खाली जगह का सर्वेक्षण करना तथा क्रीस, जहां हो, समायोजित करना और जमा हो गये जोड़ों को हटाना ;

(5) लम्बी/छोटी झली हुई पटरियों की नियमावली के अनुसार गर्मी के महीनों में, बकलिंग की रोकथाय के लिए, लम्बी/छोटी झली हुई पटरियों पर सुरक्षित अनुरक्षण प्रक्रिया अपनाना,

कार्य-संचालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता को दूर करने के लिए, सभी स्तरों पर क्षेत्र निरीक्षणों के नाम को तेज कर दिया गया है ।

6. बी० ई० एम० एल० निर्मित सवारी डिब्बों को 100 कि०मी० प्रति घटे से अधिक रफ्तार पर चलाना

एम० ए० एन० किस्म की बोगियों और स्लैक एडजस्टर तथा डी० ए० बाल्ब युक्त बी० ई० एम० एल० निर्मित सवारी डिब्बों को कुछ विशिष्ट मार्गों पर, जब उन्हें उच्चतर निर्धारित

स्तर पर बनाये रखा गया हो, 110 कि०मी० प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति दे दी गयी है। इन सवारी डिब्बों के अनुरक्षण का अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिए कार्रवाई की गयी है ताकि ये संरक्षित ढंग से 110 कि०मी० प्रति घंटे की गति से चलाये जा सकें। एम० ए० एन० किस्म की बोगियों वाले इन सवारी डिब्बों का निर्माण भी 1977 से बन्द कर दिया गया है और अब बी० ई० एम० एल० निर्मित सवारी डिब्बों में सवारी डिब्बा करखाना निर्मित आल-क्वाइल बोगियां लगायी जा रही हैं, जिनके रख-रखाव में वह कठिनाईयां नहीं आतीं जो एम० ए० एन० किस्म की बोगियों से युक्त सवारी डिब्बों के रख-रखाव में आती हैं।

मार्च 1982 को छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई दिल्ली परिवहन की बसें

5297. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1982 को दिल्ली परिवहन निगम की तीस बसें देव नगर, मध्य दिल्ली में खालसा कालेज के छात्रों की एक उग्र भीड़ द्वारा कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भीड़ ने तीन बसों की सीटों में आग लगा दी थी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) दो बसों के छह सीटें जला दी गई।

(ग) से (ङ) विद्यार्थी बसों को रोकते हुए/क्षति पहुंचाते हुए यह मांग कर रहे थे कि 27.2.82 को चलती हुई बसों में अगले दरवाजे से चढ़ने की कोशिश करते हुए मारे गये उस विद्यार्थी के परिवार को 1 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए। भारतीय दंड सहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 332, 186 और 427 के तहत पुलिस ने एफ० आई० आर० 147 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। नौ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गुंडेरदेही और विसमा स्टेशनों के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

5298. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के द्रुगदलही राजहरा सेक्शन पर सभी सवारी और माल गाड़ियां गुंडेरदेही और विसमा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के लौह-अयस्क से लदे सात वैगनों के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप 27 फरवरी, 1982 से स्थगित कर दी गई है :

(ख) यदि हां, तो डिब्बों के पटरी से उतर जाने के क्या कारण हैं :

(ग) क्या कोई जांच कराई गई थी ,

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ.) क्या यातायात को पुनः शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 27-2-82 को 11-30 बजे से 28-2-82 को 21-30 बजे तक यातायात स्थगित रहा ।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना की जांच रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी थी। उनके निष्कर्षों के अनुसार गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण उनकी अत्यधिक रफ्तार था ।

(ङ.) 28-2-1982 को 21-30 बजे सामान्य गाड़ी सेवाएं शुरू कर दी गयी थीं ।

माइनर धोली रेल लाइन

5299. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत माइनर धोली के बीच रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है :

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है ;

(ग) इस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी , और

(घ) क्या इस बारे में सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) प्रस्ताविक रेल लाइन के लिए अभी तक कोई इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, कच्चे अनुमान, के अनुसार, प्रस्तावित लाइन 40 कि० मी० लम्बी होगी और उस पर लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

हरिजन तथा आदिवासी छात्रों को चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता में रियायत

5300. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुरोध किया है कि चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता को हरिजन तथा आदिवासी छात्रों के लिए 40 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछली सरकार के शासन काल में ऐसे छात्रों के लिए न्यूनतम प्रतिशतता को घटा कर 35 प्रतिशत किया गया था, और

(घ) क्या यह भी सच है कि न्यायालयों द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि हरिजन तथा आदिवासी छात्रों को दाखले के मामले में पात्रता के निर्धारित अंकों में पूरी छूट देना संवैधानिक तथा कानूनी हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) इस पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार इस मामले में इस परिषद के वर्तमान विनियमों को अवश्य अपनाये।

(ग) स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा में दाखले भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों के अनुसार किये जाते हैं। परिषद ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की।

(घ) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में इस राज्य के मेडिकल कालेजों में दाखले के लिए छात्रों का चयन करने हेतु उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से संबंधित शर्तें में छूट देने के बारे में मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य बनाम भारतीय चिकित्सा संघ, मध्य प्रदेश और अन्य 1981 को सिविल अपील संख्या 553 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने 22 सितम्बर, 1981 के निर्णय में यह कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद का विनियम

एक केवल एक सिफारिश की तरह का है। इस न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि यह बहुत ही वांछनीय है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु चयन के लिए पात्रता के अलावा कोई न्यूनतम मानदंड भी होना चाहिए।

गोमोह और गया के बीच चल रही यात्री गाड़ियां

5301. श्री० ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1982 को गया और डेलहरी-आन-शोन के बीच पूर्वी रेलवे की ग्रांडकोर्ड लाइन पर कितनी यात्री और एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चल रही थीं ;

(ख) क्या वही गाड़ियां धनबाद और बाराकर के बीच ग्रांडकोर्ड लाइन पर चल रही हैं ;

(ग) क्या वही गया और गोमोह के बीच चल रही हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि जबकि उसी ग्रांडकोर्ड लाइन के अन्य सेक्शनों पर उपेक्षाकृत अधिक यात्री रेल गाड़ियां चल रही है, गोमोह और गया के बीच 24 घण्टे में एक बार चलने वाली केवल एक यात्री रेल गाड़ी है जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई पैदा हो रही है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 9 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और 3 जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियां।

(ख) 11 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और 4 जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियां।

(ग) 10 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और एक जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियां।

(घ) से (च) जी हां। परन्तु कोचिंग जैसे संसाधनों की कमी और अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के कारण फिलहाल गया और गोमोह के बीच अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

तट दूर कांडला परियोजना का विकास

5302. श्री नवीन रवाणी
श्री डी०पी० जडेजा } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन, भारत के पश्चिमी तट पर सबसे अधिक गहरा प्राकृतिक पत्तन है ,

(ख) यदि हां, तो तट दूर कांडला परियोजना का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समुद्र तट पर तलकर्षक की भी कोई समस्या नहीं है और यहां गाद भी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के स्थानों का विकास करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) नहीं । परन्तु वाडीनर पर आफ-शोर आयल टर्मिनल, जो कांडला पोर्ट की सीमा में है, उन जलयानों के लिए मूरिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके लिए अधिक जलस्तर की आवश्यकता होती है ।

(ख) और (घ) अभी आफ-शोर सुविधा के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है । कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने पूर्णत: यांत्रिक लदान सुविधाओं से सम्पन्न लगभग 14 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर वाडीनर (सलाया) में गहरे जल में बल्क कारगो के हैंडलिंग के लिए कारगो बर्थ के निर्माण की योजना बनाई है । इसके निर्माण से गहरे जल के जलयान को सुविधा होगी और ड्रेजिंग के रख-रखाव की समस्या नहीं होगी क्योंकि गहरा प्राकृतिक जल उपलब्ध है । इस क्षेत्र में रेलों की की सुविधा नहीं है । वाडीनर में बड़ी लाइन बिछाने पर तकनीकी आवश्यकता और अनुमानित व्यय का पता लगाने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना है ।

(ग) यद्यपि समुद्र तट पर ड्रेजिंग की कोई गम्भीर समस्या नहीं, फिर भी यह क्षेत्र बालू से रहित नहीं है । परन्तु, यहां क्रीक्स या खड़िया है जो प्राकृतिक तौर से लहरों से बची हुई है और वहां बालू जमा होने की समस्या नहीं है । वाडीनर में प्रस्तावित डीपकार्गो बर्थ का निर्माण इसी तरह की एक खाड़ी में किए जाने की योजना है ।

गैर कानूनी गर्भपातों के कारण हुई मौतें

5303. **श्री सुभाष यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में गैर कानूनी गर्भपातों से कारण कितनी मौतें हुईं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : अवैध गर्भपात जितने गुप्त रखे जाते हैं और जितने चोरी छिपे किए जाते हैं इसे देखते हुए इसके बारे में कोई सही आकलन उपलब्ध नहीं है ।

इलाहाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा के अन्तर्गत यूनानी डिस्पेंसरी का न होना

5204. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत यूनानी डिस्पेन्सरी की सविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद के लिए वर्ष 1974 में यूनानी डिस्पेन्सरी पहले ही मंजूर की है ;

(ग) यदि हां, तो इस डिस्पेन्सरी के अब तक न खुलने के क्या कारण हैं ', और

(घ) क्या सरकार इस डिस्पेन्सरी को शीघ्र खोलने के लिए कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की विस्तार योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद में यूनानी औषधालय खोलने की बात नहीं है।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारण के अन्तर्गत चालान

5305. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दिल्ली में कितने लोगों का चालान किया गया है ',

(ख) कितने लोगों को सजा दी गई है और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की कुल आस्तियां

5306. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय दिल्ली परिवहन निगम की कुल आस्तियां कितनी हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : 31-3-81 के अनुसार स्थायी परिसम्पतियों का कुल मूल्य 59 करोड़ रुपये है जिसमें 47 करोड़ रुपया बसों के लिए, 11 करोड़ रुपया भूमि और बिल्डिंग के लिए और 1 करोड़ रुपया प्लांट मशीनरी फर्नीचर आदि के लिए है। चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर वर्ष के दौरान 12.85 करोड़ रुपयों के पूंजी व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों से कुल परिसम्पत्ति बढ़कर लगभग 71 करोड़ रुपए की हो जाएगी।

मार्च अप्रैल, 82 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या

5307. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मार्च, अप्रैल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या अलग-अलग कितनी है ;

(ख) कला, वाणिज्य और विज्ञान के ग्रुपों में अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन छात्रों में अंग्रेजी को प्रथम भाषा चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० युंगन) : (क) इस वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (ए० आई० एस० एस० सी०) तथा दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (डी० एस० एस० सी०) में बैठने वाले छात्रों की सख्या निम्नलिखित है :—

ए० आई० एस० एस० सी०	:	25704 (पूरे विषयों सहित)
डी० एस० एस० सी०	:	43153 (पूरे विषयों सहित)

(ख)	ए० आई० एस० एस० सी०	डी० एस० एस० सी०
विज्ञान	14053	6734
वाणिज्य	5107	10116
मानविकी विषय	6482	25771
व्यावसायिक	62	534

(ग) दिल्ली अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षाओं के लिए केवल एक भाषा (कोर अनिवार्य) है। तथापि, उम्मीदवार एक वैकल्पिक विषय के रूप में अन्य भाषा भी ले सकते हैं जिन छात्रों ने अंग्रेजी कोर भाषा के रूप में ली है तथा जिन्होंने अंग्रेजी एक वैकल्पिक विषय के रूप में ली है, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

	ए० आई० एस० एस० सी०	डी० एस० एस० सी०
अंग्रेजी (कोर)	23654	31767
अंग्रेजी (वैकल्पिक)	2230	623

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या और उन्हें प्रदान की गई सुविधाएं

5308. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी अन्तिम तारीख निश्चित की गई है, जिसके बाद कोई भी स्कूल टेंटों में या खुले में नहीं लगेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि पूरे स्कूल-समय के दौरान शौचालयों और स्नान घरों में पानी उपलब्ध रहे और उनसे दुर्गन्ध नहीं आए जैसी अब आती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार शिविरों के स्थान पर पक्की इमारतों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, निम्नलिखित कारणों से कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती :—

(i) प्रत्येक वर्ष आबादी की वृद्धि के कारण पर्याप्त दाखिला का होना जिसके लिए पक्की इमारतों के निर्माण की प्रतीक्षा किए बिना अस्थायी आवासों/शिविरों में अतिरिक्त कक्षाएं/स्कूल खोले जाते हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त दाखिले की जरूरतों को समुचित रूप से पूरा करने के पक्की इमारतों के निर्माण के लिए अपर्याप्त धनराशि का होना।

(iii) उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना।

(iv) कुछ स्कूलों की भूमि के कब्जे से संबंधित विवाद के कारण न्यायालय में मामलों का अनिर्णीत पड़ा रहना।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों में स्कूल समय के दौरान शौचालयों तथा स्नानघरों में पानी की व्यवस्था बनी रहे और उनमें किसी प्रकार की बदबू पैदा न हो, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहें हैं :—

(i) ऊपरी/भूमिगत टंकियों, बूस्टर-पम्पों तथा नल-कूपों का निर्माण ।

(ii) पानी की सप्लाई में रुकावट की स्थिति में लोक निर्माण विभाग की सहायता से आवश्यक मरम्मत कराई जाती है ।

(iii) जहां जल प्रणाली उपलब्ध नहीं है वहां सूखे शौचालयों तथा सेप्टिक टंकियों की व्यवस्था ।

(vi) शौचालयों की सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था ।

हिन्डन कट रिवर में गिर जाने वाली कांट्रेक्ट कैरिज को जारी किया गया परमिट

5309. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1981 को हिन्डन कट रिवर में गिर जाने वाली कान्ट्रेक्ट कैरिज को जारी किए गए परमिट की एक प्रति और उन शर्तों को एक प्रति जिसके अधीन कोई कान्ट्रेक्ट कैरिज अथवा स्टेज कैरिज दिल्ली में चलाई जा सकती है, सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) परिवहन निदेशालय द्वारा दिए गए व्हीकल संख्या डी० एल० पी० 5320 को जारी किए गए स्थानीय परमिट संख्या 3094, इस व्रोकल को नोएडा मे ले जाने के लिए परमिट संख्या 17484 और ठेके की बसों की परमिट शर्तों की प्रतिलिपियां सलग्न विवरण 1 से 3 में दी गई हैं ।

विवरण-1

प्रपत्र पी० टैम मूल प्रति

दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1940 की धारा 4.8 (I) (iv)

दिल्ली प्रदेश अस्थायी परमिट

राज्य परिवहन अधिकरण दिल्ली

पी० टैम

पुस्तक सं० 4412 कुल संख्या 12

1. धारक का नाम पी० टी ई एम 3094

2. पिता का नाम विनय खन्ना

3. पता

4. वाहन की किस्म

5. पंजीकृत चिन्ह डी० एल० पी०—5320

6. एक समय में लादी जाने वाली अधिकतम सवारियों की संख्या

7. मार्ग क्षेत्र केवल दिल्ली राज्य

8. यात्रा का उद्देश्य

9. शर्तें लोग बुक रखनी पड़ेगी।

वैध तिथि 18.9.81 से 17.1.82

10. समाप्ति की तिथि 17.1.82

दि० 18.9.81

ह०/—

सचिव राज्य परिवहन अधिकरण

दिल्ली

अनुप्रमाणित

मोहर

ह० सहायक सैक्रेट्री

राज्य परिवहन प्राधिकरण परिवहन दिल्ली

20.3.82

विवरण-2

प्रपत्र पी० टैम मूल प्रति

दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1940 की धारा 4.8 (I) (iv)

दिल्ली प्रदेश अस्थायी परमिट

राज्य परिवहन अधिकरण दिल्ली

पी० टैम

पुस्तक सं० 3418 1784 क्रम सं० 20

1. धारक का नाम श्री विनय कुमार

2. पिता का नाम

3. पता

4. वाहन की किस्म

५. पंजीकृत चिन्ह	डी० एल० पी०-5320	221 रुपये 686414
	बैंक ड्राफ्ट्स नं०	दि० 7.12.81
		18 रुपये 917637
6. एक समय में ल'दी जाने वाली अधिकतम सवारियों की सं०		दि० 5.12.81
		5.30 रुपये 918382
7. मार्ग क्षेत्र	दिल्ली से नोएडा (यू० पी०) और वापिस	दि० 7 12.81
		2.50 रुपये 903091
		दि० 16.11.81

8. यात्रा का उद्देश्य

9. शर्तें

वैध तिथि 11.12.81 से 12.12.81

10. समाप्ति की तिथि 12.12.81

ह०

दिनांक 11.12.81 सचिव राज्य परिवहन अधिकरण
दिल्ली

अनुप्रमाणित कापी

मोहर

ह० सहायक सैक्रेट्री
राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली

20.3.82

विवरण-3

सचिव कार्यालय, राज्य पविहन प्राधिकरण, दिल्ली

ठेके की बसों की परमिट शर्तें (दिनांक 15.11.81 के एस० टी० ए० का संकल्प)

1. प्रार्थी को दिल्ली का निवासी होना चाहिए।

2. दिल्ली मोटर व्हीकल नियम की धारा 5.32 के उपबन्ध के साथ बस में बैठने की क्षमता निश्चित की गई है। सीटें अच्छी वस्तुओं से बनी होनी चाहिए।

3. 4 से 6 घूमने वाले पंखे और ठंडे पीने का पानी का टैंक दिया जाना चाहिए।

4. ग्लासों के साथ पर्दे लगे बड़े खिड़कियां छत तक दिया जाना चाहिए।

5. बस के प्रस्तुत करने पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के अन्तिम रूप से अनुमोदित बसों को ओर क्रीम रंग में पेन्ट होना चाहिए।

6. "कान्ट्रेक्ट कैरिज" शब्द बस के चार तरफ पेन्ट होना चाहिए।

7. प्रत्येक ट्रिप का पूर्ण ब्योरा देते हुए एक लौग बुक रखनी चाहिए जिसका पुलिस प्राधिकारियों और परिवहन विभाग के निरीक्षक कर्मचारी द्वारा जांच किया जाना चाहिए।

8. खंड 51 की सभी शर्तें लागू होंगी।

9. बस संचालित टूर्स के मामलों को छोड़कर बस का प्रयोग व्यक्तिगत यात्रियों को ढोने के लिए उपयोग नहीं होगा।

10. यदि यह किसी तरह से सिद्ध हो जाता है कि बस का दुरुपयोग किया गया है तो परमिट रद्द हो जाएगा और व्हीकल किसी दूसरे परमिट पर दिल्ली मे उपयोग नहीं होगा।

सड़क ओर डी० टी०सी० के बस स्टापों पर मोटर गाड़ियों की पार्किंग के कारण भीड़-भाड़

5310. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नोवहन ओर परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा कोई प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण के साथ परामर्श करके उन स्थानों का निर्धारण कर सकता है जहां मोटर वाहन या तो अनिश्चित अवधि के लिए अथवा निर्धारित अवधि के लिए रुक सकते हैं और उन स्थानों का निर्धारण भी कर सकता है जहां यात्रियों के चढ़ाने और उतारने के लिए सार्वजनिक सेवा के वाहन आवश्यकता से अधिक समय के लिए रोके जा सकते हैं,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में टैक्सियां, स्कूटर, साइकिल रिक्शा और निजी स्वामित्व की स्टेज कैरिज किस प्रकार डी० टी० सी० के बस स्टापों के निकट खड़ी रहती है और ट्रकों आदि को लाहोरी गेट, कुतब रोड, नया बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, जी० बी० रोड, अजमेरी गेट, कमला मार्केट, आसफ अली रोड जैसे व्यापारिक केन्द्रों की मुख्य सड़कों पर किस प्रकार पार्क किया जाता है जिससे वहां यातायात के गुजरने में कठिनाई होती है, और

(ग) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के उपबंधों को सख्ती से लागू करके स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

नोवहन ओर परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली यातायात पुलिस ने पी० ए० उपकरण के जरिए चेतावनी देने, शिक्षित करने तथा व्यापक प्रचार करने का अभियान चलाया हुआ है, ताकि इस प्रकार यातायात में रुकावट पैदा करने और अनियमित रूप से गाड़ियां खड़ी करने की प्रवृत्ति को रोका जाए।

यातायात पुलिस ने उन टैक्सी चालकों और टी० एस० आर० चालकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है जो दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टेंड के निकट और अन्य स्थानों पर अनुचित रूप से गाड़ियां खड़ी करके यातायात में बाधा पहुचा रहे थे। 1981 में इस तरह के जुर्म में 582 टैक्सी और 9983 टी० एस० आर० चालकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। जहां तक भीड़ वाली व्यस्त सड़कों पर अन्य गाड़ियां खड़ी करने का प्रश्न है, यातायात पुलिस ने 1981 में अनुचित रूप से खड़ी करके बाधा पहुंचाने वाली 21,296 गाड़ियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया और 7907 गाडियों को क्रेनों से उठाया।

देश में केन्द्रीय विद्यालयों और उनमें अध्यापकों की संख्या तथा नए स्कूल खोलना

5311. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और उनमें कितने अध्यापक हैं; और

(ख) क्या इन विद्यालयों में अभी तक अध्यापकों की पूरी संख्या नहीं हैं और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने और विद्यालयों की स्थापना हेतु मांग की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) इस समय 366 केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) हैं तथा 31.12.1981 की स्थिति के अनुसार अध्यापकों के विभिन्न वर्गों के 13,569 पद संस्वीकृत किये गए थे। नियमित आधार पर अधिकतम पदों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहे है। तथापि शेष रिक्त पदों को यदि कोई हों, भरने के लिए अल्प कालीन प्रबन्ध करने के लिए भी विद्यालय प्राधिकृत हैं। फलस्वरूप, सामान्यत: अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। तथापि, प्रशासनिक कारणों से कमियों के छुटपुट मामलों से बचा नहीं जा सकता।

विभिन्न स्थानों पर और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें हैं।

खान-पान विभाग में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या

5312. श्री निहाल सिंह। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के खान-पान विभाग में अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या खान-पान विभाग में विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों के, वेतनमान एक समान हैं और यदि नहीं, तो विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के श्रेणी-वार वेतनमान क्या-क्या हैं, और

(ग) उनके वेतनमानों में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अस्थायी कर्मचारियों की संख्या लगभग 3500, स्थायी कर्मचारियों संख्या लगभग 3500

(ख) जी हां। तुलनात्मक कार्यभार वाले उसी प्रकार के काम के लिए समान ग्रेड आबंटित किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को नकली दवाओं की सप्लाई

5331. श्री निहाल सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए दवाएं खरीदते समय इनकी अपनी प्रयोगशालाओं में जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि दवाएं सप्लाई करने वाली कुछ फर्मों ने नकली दवाएं सप्लाई की हैं, और

(ग) उन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री(कुमारी कमुद बेन एम० जोशी): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दवाइयों की खरीद पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, चिकित्सा सामग्री भण्डार के माध्यम से और सीधे करती है। क्वालिटी नियंत्रण की जिम्मेदारी मुख्यत: संबन्धित राज्य औषधि नियंत्रक की है और वह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादन स्थल पर ही सुनिश्चित की जाती है। फिर भी, सुरक्षा के एक और उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अनुमोदित प्रयोगशालाओं/जांच गृहों के माध्यम से दवाइयों की रचनात्मक जांच करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जेल रोड पर ऊपरि पुल

5314. श्री शिव शरण वर्मा: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेल रोड पर ऊपरि पुल, नई दिल्ली का नीचे का हिस्सा हवा गुजरने के लिए छोड़ दिया जायेगा अथवा ढक दिया जायेगा, यदि ढक दिया जायेगा तो उसका प्रयोजन क्या है; और

(ख) सुचारू यातायात के लिए मकानों और पुलों के बीच छोड़ी गई गली को अधिक चौड़ी करने के लिए सड़क के दोनों ओर पुल की दीवारों पर बिजली के खम्भे लगाए जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जेल रोड फ्लाई-ओवर के नीचे की जगह के प्रयोग के बारे में और पहुंच मार्गों को दोनों ओर के बिजली के खाम्बों को वहां से हटाने के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है, जो इस फ्लाई-ओवर के निर्माण कार्य से संबंधित है।

5315

परिवार कल्याण नसबन्दी अभियान के दौरान हुई मृत्यु और अस्पताल में भर्ती कराए जाने की घनाएं

15. श्री शिव शरण वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नसबन्दी के बढ़ते हुए अभियान पर प्रकाश डालते हुए 1 मार्च 1982 को इंडियन एक्सप्रेस में "स्टरलाइजेशन ड्राइव लीव्स टूडैड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) 1 जनवरी, 1982 से परिवार कल्याण नसबन्दी अभियान में देश में आपरेशन के बाद के 10 दिनों के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितनों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया ;

(घ) क्या आपरेशन करने से पूर्व अपेक्षित जांच कर ली गई थी; और

(ङ) क्या परिवारों को अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि के बराबर थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री(कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) और (ख) हां, पर्याप्त देख-रेख के बावजूद ये मौतें हुई।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार जनवरी, 1982 से नसबन्दी आपरेशन के बाद 10 दिन की अवधि के अन्दर 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन सभी मामलों की विधिवत जांच कर ली गई है। सभी मामलों में आपरेशन से पूर्व और आपरेशन के बाद अपेक्षित जांच की जाती है।

(ङ) जी हां।

पंजाब के उद्योगों के लिए स्टीम कील की कमी

5316. श्री आर० एन० राकेश
श्री लहना सिंह तुर } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलों की सप्लाई कम होने के कारण पंजाब के उद्योगों की स्टीम कील और हार्ड कोक की भारी कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि वर्ष 1981 के दौरान पंजाब को आबंटित स्टील कील/ कोक का केवल 15 प्रतिशत भाग ही रेलवे विभाग द्वारा ले जाया गया था जिससे औद्योगिक उत्पादन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) कठिनाई दूर करने के लिए इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल माल डिब्बों की कमी नहीं है । देश की सभी औद्योगिक इकाइयों की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध भार कोयला और हार्ड कोक पर्याप्त नहीं है और इसी वजह से पंजाब सहित सभी राज्यों में इनकी कमी महसूस की जाती है। इस समय पंजब की जो औद्योगिक इकाइयां भाप कोयले और हार्ड कोक का उपभोग कर रही हैं, उन्हें उनकी मांग का लगभग 25 प्रतिशत दिया जा रहा है ।

(ग) रेल शीर्षों पर अन्य कोयले और हार्ड कोक की उपलब्धता में सुधार होने पर रेल पंजाब तथा अन्य राज्यों को और अधिक भाप कोयले और हार्ड कोक की ढुलाई करेंगी । इसके बारे में कोयला विभाग के साथ निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में लगाये गये
बहुरंगी विज्ञापन बन्द करना

5317. श्री एन० ई० होरो : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजधानी में चल रही बसों मे लगाये गए बहुरंगी विज्ञापनों का पता है जिनकी ओर लोगों का ध्यान खिंच जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पद्धति को बन्द करने का है क्योंकि इससे सडक पर लोगों का ध्यान खिंच जाता है और इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां, ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम बसों पर बहुरंगी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए पहले से ही दिल्ली नगर कला आयोग ने कुछ शर्तें रखी हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्राधिकारी इस विषय पर मार्गदर्शन के विस्तार के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से बात चीत कर रहा है आयोग जो मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाएगा दिल्ली परिवहन निगम उनका पालन करेगा।

दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों के लिए 25 बैड़ों वाले एलोपैथिक अस्पताल का निर्माण

5318. **श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के सम्बन्ध में एक 25 बैड़ों वाले एलोपैथिक अस्पताल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एशियाई खेलों के पश्चात इस अस्पताल का एक होम्योपैथी के अस्पताल में तबदील करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य विकल्प क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां, एशियाई खेल गांव कम्पलैक्स में 20 पलंगों वाला एक अस्पताल बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस अस्पताल का किसी दूसरे काम में उपयोग करने के बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है।

नौपाड़ा-गुनपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5319. **श्री के० प्रधानी**
श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को नौपाड़ा-गुनपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1982-83 में इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की संभावना है ;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के चरणों का ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सांकराइल में नया यार्ड

5320. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के समीप सांकराइल में दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत माल के लाने ले जाने हेतु एक नया यार्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई अनुभव की जा रही है तो वह क्या है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ।

(ख) भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है ।

(ग) मुख्य समस्या निर्माण कार्यों के लिए धन राशि की कमी की है । भूमि के अधिग्रहण में भी समस्याएं रही हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से हल किया जा रहा है ।

प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकरियों के लिए नये स्थायी पद

5321. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 में भारतीय रेलवे विभाग में क्रमश: प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में कितने रेलवे अधिकारी थे ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में अधिकारियों के कितने स्थायी पद मंजूर किये गए थे ;

(ग) क्या कार्य भार में वृद्धि और नौकरियों के विविधीकरण के कारण इस समय अधिक संख्या में विशेषज्ञ अधिकारियों की वास्तविक जरूरत है ; और

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों के नये स्थायी पदों का सृजन करने और संघ लोक सेवा आयोग के जरिए उनकी भर्ती में क्या बाधा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार रखी

जाती है। क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, रेलवे बोर्ड और अन्य विविध कार्यालयों में वर्ष 1979, 1980 और 1981 में नियोजित रेल अधिकारियों की वर्गवार संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	वर्ग 'क' (श्रेणी-I)	वर्ग 'ख' (श्रेणी II)
1979	5,278	4,653
1980	5,397	5,054
1981	5,492	5,671

(टिप्पणी : वर्ग 'ख' के अधिकारी बड़ी संख्या में वर्ग 'क' के पदों पर कार्य कर रहे हैं।)

(ख) अधिकारियों के स्थायी पदों की वर्गवार संख्या सम्बन्धित वर्षों में इस प्रकार थी :—

वर्ष	वर्ग 'क' (श्रेणी-I)	वर्ग 'ख' (श्रेणी-II)
1979	5,960	1,520
1980	5,981	1,515
1981	6,357	1,945

(इसके अलावा बड़ी संख्या में अस्थायी और कार्य-प्रभारित पद हैं।)

(ग) जी नहीं। अधिकारियों की संख्या कार्यभार पर आधारित होती है और इनकी आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की जाती है और यथा अपेक्षित स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेकिन, रेलवे की गतिविधियों का तेजी से विस्तार होने के कारण वर्ग 'क' के अधिकारियों की कमी है और वर्ग 'घ' के अधिकारी अस्थायी रूप से इस कमी को पूरा कर रहे हैं। वर्ग 'क' के अधिकारियों की भरती तेजी से की जा रही है। संगठित सेवाओं में वर्ग 'क' (श्रेणी-I) के पदों के लिए भर्ती तथा उन पर पदोन्नति भी वार्षिक आधार पर की जाती है और इनकी संख्या का निर्धारण संवर्ग की स्थिति, भावी प्रत्याशित रिक्तियां और विकासात्मक आवश्यकताओं, आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नीमपुरा पर डीजल लोको शेड

5322. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना दक्षिण पूर्व रेलवे पर खड़गपुर के समीप नीमपुरा पर एक डीजल लोको शेड की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को किस वर्ष मन्जूरी दी गई थी ;

(ग) इस योजना के प्राक्कलन क्या हैं ;

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) नीमपुरा में डीजल इन्जन शेड के काम की स्वीकृति 1980-81 में दी गई थी ।

(ग) इस शेड की स्वीकृति अनुमानित लागत 296 लाख रुपए है ।

हावड़ा स्टेशन पर भीड़-भाड़

5323. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे कोचिंग टर्मिनल सर्विस पर जो पूर्वी रेलवे द्वारा नियंत्रित एक स्टेशन है, टर्मिनल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि हावड़ा पर भारी भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए हावड़ा के समीप बदमाकुर पर एक नया टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई थी और इस योजना के चालू होने के क्या प्राक्कलन हैं ; और

(घ) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए हावड़ा में कोचिंग सेवाओं को सम्हालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1973 में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण को मन्जूरी दी गई थी । विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर 31.45 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना के लिए अनुमान तैयार किया गया था । सर्वप्रथम 1,65,13,000 रुपये की लागत पर भूमि अधिग्रहण करने की मन्जूरी दे दी गई है ।

(घ) राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण से सम्बधिन्त कार्रवाई प्रगति पर है । लेकिन अधिगृहीत की जाने वाली आवासीय भूमि के मालिकों की ओर से भूमि अधिग्रहण विरोध किया जा रहा है और राज्य सरकार के सहयोग से मामले को निपटाया जा रहा है । भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा होने पर ही कार्य शुरू किया जा सकता है । अत: इस सब्य योजना को पूरा करने के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती ।

राज्य परिवहन उपक्रमों का 27वां वार्षिक सम्मेलन

5324. श्री भीकू राम जैन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य परिवहन उपक्रमों के नई दिल्ली में हुए 27वें वार्षिक सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार के योगदान, ब्याज की कम दर जीवन बीमा निगम तथा आई० डी० बी० आई० से ऋणों की राशि में वृद्धि की मांग की है।

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क परिवहन के लिए छठी योजना में क्रमशः क्या उपबंध रखा गया है; और

(ग) देश में परिवहन की समस्या को हल करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डर टेकिंगज की एसोसिएशन के 27वीं सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ उनमें ये शामिल थे राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ऋण दिया जाना, कम ब्याज दर पर आई० डी० बी० आई० से सीधे वित्तीय सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण सहित एल० आई० सी० के नियतन में वृद्धि करना।

(ख) सड़क परिवहन के लिए छठी योजना में राज्य सेक्टर में 70 करोड़ की व्यवस्था है।

(ग) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सरकार के अंशदान का जो बकाया है उसको पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस कार्य के लिए 1982-83 के बजट प्रावधान में भी वृद्धि की गई है। वित्त मन्त्रालय से पहले ही अनुरोध किया गया है कि वह एल० आई० सी० ऋण और आई० डी० बी० आई० सीधे ऋण देने की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार करें।

व्यवहारिक प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की एकीकरण सम्बन्धी सरकारी नीति

5325. श्री रेणु पद दास : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाठ्यक्रम सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने सम्बन्धी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) शारीरिक कार्य को व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से करने के लिए छात्रों को

तैयार करने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में सिफारिश की गई है। शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायीकरण की भी सिफारिश की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखायें निर्धारित की हैं ; ताकि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को ग्रामीण पर्यावरण और समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके और शिक्षा को कार्य क्षेत्रीय और व्यावहारिक अनुभव तथा उत्पादकता के साथ जोड़ा जा सके।

जहां तक तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध है, सभी इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं से इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है।

बन्देल और सिरमपुर पर ऊपरि पुल

5326. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूर्व रेलवे में हावड़ा डिवीजन के बन्देल-हावड़ा स्टेशन पर बंदेल और सिरमपुर में ऊपरि पुलों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बन्देल में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सिरमपुर में जी० टी० रोड पर वर्तमान समपार के बदले ऊररी सड़क पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव की रेलवे और राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क) द्वारा सिरमपुर सड़क दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अस्थायी मार्ग परिवर्तन का सुझाव दिया गया था। स्थल का सत्यापन करने के बाद ही व्यावहारिक नहीं पाया गया। इन सार्वजनिक निर्माण विभाग(सड़क)द्वारा संशोधित संरेखण का सुझाव दिया गया है जिस पर स्थल की हालत और उसकी व्यवहारिता के सम्बन्ध में सक्रियता से विचार किया जा रहा है। अन्तिम संरेखण आपास स्वीकारकर लिए जाने के बाद विस्तृत योजनाओं और अनुमानों पर कार्रवाई की जाएगी।

बन्देल-कटवा लाइन का विद्युतीकरण

5327. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा डिवीजन में बन्देल कटवा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कटवा तथा बन्देल के बीच रेलो के तेजी से आवागमन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बन्देल कटवा खंड पर चलने वाली 28 यात्री वाहक गाडियों में से 13 गाड़ियों, जिनमें 6 लोकल गाड़ियां शामिल हैं, में डीजल रेल इन्जन लगाये जा चुके हैं ।

रुपसा-बांगरीपोसी रेल लाइन

5328. श्री चिन्ता मणि जेना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपसा-बांगरीपोसी छोटी रेल लाइन 1905 में बनी थी और प्रयोक्ता तथा उड़ीसा राज्य सरकार केन्द्र से अनुरोध कर रहे हैं कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है और उसके परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या व्यवहार्यता रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और व्यवहार्यता रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी और केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ;

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार केन्द्र से वर्तमान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए और अधिक वैगनों, यात्री डिब्बों की सप्लाई तथा वर्तमान इन्जन व्यवस्था में परिवर्तन आदि और इस लाइन के बडी लाइन में बदलने की मांग की जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उक्त कामों को पूरा करने हेतु केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है, और यह परिवर्तन कब तक कर दिए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रुपसा से वारिपदा तक की लाइन 1905 में और शेष भाग अर्थात् वारिपदा से बांगरीपोसी तक की लाइन 1920 में खोली गयी थी । राज्य सरकार और अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनसे रुपसा बांगरिसोसी लाइन को बड़े आमान की लाइन में बदलने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) एक सर्वेक्षण किया गया था और उसकी व्यवहारिकता, लागत और प्रति-फल की सम्भावित दर के पहलू से सम्बन्धित एक रिपोर्ट तैयार की गयी है ।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और रेल मन्त्रालय में इस की जांच की जा रही है। इसकी व्यावहारिकता और अर्थ सक्षमता, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, और संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। सरकार आशा करती है कि चालू वर्ष के दौरान ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा।

(ङ) हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति में अपनाया जाने वाला मानदण्ड

5329. **डा० ए० यू० आ जमी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिक नियुक्त करने में क्या मानदंड अपनाया जाता है ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे किन पदों के लिए नियुक्त किये गए थे तथा उनकी सेवा स्थिति की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार/यू० जी० सी० की नीति क्या है; और

(घ) क्या सरकार, यदि स्थानीय अभ्यर्थी उपयुक्त पाये गए तो इन विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के स्थान पर उन्हें रखेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय सामान्यतया नियमित आधार पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त नहीं करते। फिर भी, शिक्षण और अनुसंधान का कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्धारित अवधि के लिए उनके द्वारा विदेशी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के द्विपक्षीय कार्यक्रमों अथवा संस्कृति विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेशी नागरिकों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। कुछ विशेष मामलों में भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को भी नियुक्त किया जाता है यदि उपयुक्त अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक उपलब्ध न हों।

(ख) इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे विदेशी नागरिकों के नाम, उनके पद और उनकी नियुक्ति की शर्तों को संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार का यह विचार है कि विश्वविद्यालयों को विदेशी नागरिकों को स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। फिर भी, ऐसी नियुक्तियां ठेके के आधार पर की जा सकती हैं यदि उपयुक्त अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक उपलब्ध न हों। जहां कहीं

विदेशी नागरिकों को नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त भारतीयों कार्मिकों नियुक्त करने का हर प्रयास किया जाना चाहिए ।

स्कूलों तथा कालेजों में जनसंख्या शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

5330. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के स्कूलों तथा कालेजों में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम को अध्ययन-विषय के रूप में शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) विभिन्न राज्यों के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जहां ऐसे कार्यक्रम को निकट भविष्य में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है । इसको देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य और जनसंख्या शिक्षा को चुनिन्दा विश्वविद्यालयों के रूप में शुरू किया जाना चाहिए । यह सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान के विचाराधीन है ।

माल तथा यात्री यातायात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा नियमों का उल्लघन

5331. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद माल/यात्री यातायात/आवागमन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलों में टूटे हुए स्प्रिंग वाले वैगनों को लगाकर सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और रेल दुर्घटना को रोकने हेतु क्षतिग्रस्त एवम् पुराने वैगनों, कोचों, ट्रेकों आदि को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) क्या 1 जनवरी 1981 से प्रत्येक रेल दुर्घटनाओं की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर स्थापित सुरक्षा संगठनों का मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति चेतना पैदा

करना और यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव उपाय न अपनायें जिनसे दुर्घनायें हो सकती है । पर्यवेक्षण के सभी स्तरों पर क्षेत्र निरीक्षण कार्य गहन कर दिया गया है । सभी प्रकार की एतिहात के बावजूद कर्मचारियों द्वारा नियमों/कार्य-प्रणाली के उल्लंघन के कुछ मामले घटित हो जाते हैं ।

टूटे स्प्रिंग वाले डिब्बों को शुरू से ही पटरी पर नहीं चलाया जाता । केवल बी० ओ०एक्स०/बी० सी० एक्स० टाइप के उन माल डिब्बों, जिनके स्प्रिंग रास्टे में टूट जाते हैं, को क्लैम करने के पश्चात् चलाया जाता है, ताकि वे रास्ते में अलग न हो जायें । ऐसे टूटे हुए स्प्रिंगों को अगले कर्षण बदलाव स्थल पर बदल दिया जाता है अथवा गाड़ी के आगे जाने से पूर्व माल डिब्बों को अलग कर दिया जाता है ।

माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, इंजनों और पटरियों जैसे गतायु परिसम्पत्ति के नवीकरण/बदलाव का काम धन की उपलब्धता के अनुरूप तेज कर दिया गया है । ऐसा गतायु चल स्टाक जो आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के योग्य नहीं है को लाइन से हटा दिया जाता है । 1980-81 के दौरान लगभग 600 गतायु सवारी डिब्बों और 12,000 मालडिब्बों को नकारा किया गया तथा सेवा से हटा लिया गया । अप्रैल से दिसम्बर, 1981 के दौरान लगभग 450 सवारी डिब्बों और 12,000 मालडिब्बों को नकारा किया गया । सभी गतायु रेल इंजनों को छठी योजना के अन्त तक सेवा से हटा लिये जाने की आशा है । रेलपथ नवीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए धन आबंटन वर्ष 1980-81 के 70 करोड़ रुपये (शुद्ध) से बढ़ाकर 198 -82 के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये (शुद्ध) कर दिया गया है । स्वदेशी सप्लाई में कमी को पूरा करने तथा अधिक आयु वाली पटरियों को प्राप्त करने के लिए पटरियों के आयात की व्यवस्था कर दी गयी है । लकड़ी और स्टील के स्लीपरों की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण तेज किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि यह निरर्थक होगा ।

उत्तर रेलवे द्वारा गर्डरों की खरीद

5332. डा० ए० यू० आजमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान 32' × 24' × 7 × 1/2 " आकार के कितने गर्डर खरीदे गये ; इनका उपयोग किस प्रकार किया गया और उनमें से कितने नीलाम किये गये और उनका पूरा ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या उनके लेखों में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई गर्डर नहीं खरीदे गये । इसलिए उनके कोई उपयोग और नीलामी नहीं की गयी ।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गैर सरकारी चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र

5333. श्री आर० एन० राकेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी चिकित्सकों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्रों को अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को परिणत (कम्युटेड) अवकाश देने के लिए स्वीकार किया जाता है किन्तु राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को समाप्त करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां ।

(ख) अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को परिणत (कम्युटेड) अवकाश देने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा जारी किए गये चिकित्सा प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने का कारण यह है कि दूरवर्ती बस्तियों में जहां चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या प्राधिकृत चिकित्सक नहीं हैं जिन कर्मचारियों को तैनात किया जाता है उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दी टाइपिस्टों के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धियां

5334. श्री आर० एन राकेश : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने जनवरी, 1982 से हिन्दी टाइपिस्टों को देय वार्षिक वेतन-वृद्धि अभी तक मंजूर नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और हिन्दी टाइपिस्टों को वार्षिक वेतन-वृद्धियों की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हिन्दी टाइपिस्टों की वार्षिक वेतन-वृद्धि उनकी सवा-पंजियां उपलब्ध न होने के कारण, जो उत्तर रेलवे के पास हैं, नहीं लगायी जा सकी। फिर भी, अप्रैल, 1982 के वेतन के माध्यम से उनकी वार्षिक वेतन-वृद्धि लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

दिल्ली में मानसिक शैथिल्य वाले बच्चों के लिए स्कूलों का खोला जाना

5335. श्री राम प्यारे पनिका : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मानसिक शैथिल्य वाले बच्चों के लिए कुछ स्कूलों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की संख्या क्या है और वे कहां पर स्थित हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में भी ऐसे स्कूलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन स्कूलों को कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या ये स्कूल दिल्ली के मानसिक शैथिल्य वाले सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त होंगे; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली/नई दिल्ली में मानसिक शैथिल्य वाले बच्चों के लिए पहले ही 25 स्कूल चल रहे हैं तथा कोई नया स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। इन स्कूलों के स्थान सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ.) हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

संस्थाओं की सूची

1. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए स्कूल /ग्रह, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।	(दिल्ली प्रशासन)
2. मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों (प्रोढ़)के लिए माडल स्कूल, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली।	(दिल्ली प्रशासन)

3. मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए माडल स्कूल, कस्तूरबा निकेतन, नई दिल्ली-24 (समाज कल्याण मंत्रालय)

4. मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए स्कूल/ग्रह (एनेक्स), 14/78, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। (दिल्ली प्रशासन)

5. ओखला केन्द्र, मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए स्कूल, ओखला रोड, होली फेमिली अस्पताल के सामने, ओखला रोड, नई दिल्ली। (स्वयं सेवी संगठन)

6. बाल मार्गदर्शन स्कूल, उप, राजेन्द्र पार्क, नया राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली। (स्वयं सेवी संगठन)

7. मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए नई दिल्ली नगर निगम स्कूल, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली। (नई दिल्ली नगर निगम)

8. मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए स्कूल, मेण्टल अस्पताल, केम्पस, शाहदरा। (दिल्ली प्रशासन)

9. मानसिक रूप से अविकसितों के लिए (मानसिक रूप से अविकसितों के कल्याणार्थ संघ)

एस० ए० एच० एन० स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समीप, हौज खास, नई दिल्ली।

10. मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए वाई० एम० सी० ए० स्कूल, निजामुद्दीन नई दिल्ली। (स्वयंसेवी संगठन)

शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समेकीकृत स्कूलों की सूची

1. बलतंतराय विद्या मन्दिर मूलचन्द चौराहे के समीप, नई दिल्ली। (स्वयंसेवी संगठन)

2. दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय (मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए विशेष सैक्शन

1. शालीमार बाग

2. मॉडल टाऊन

3. गीता कालोनी, ब्लाक-5,

4. नन्द नगरी, ब्लाक डी-2

5. मदनगीर फेज-2

6. राजोरी गार्डन एक्सटेन्शन

7. कर्मपुरा औद्योगिक क्षेत्र

8. मुब्तीवालान, दरियागंज

9. चित्रगुप्त मार्ग

10. जहांगीरपुरी

11. डी० डी० ए० फ्लैट्स, कालकाजी

12. वेस्ट पटेल नगर

13. नरेला मण्डी

14. नजफगढ़-3

कोट्टायम-वोडीनया कनूल रेल लाइन

5336. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोट्टायम-वोडीनया-कनूल रेल लाइन के निर्माण के बारे में कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्विलोन त्रिवेन्द्रम सैक्शन में रेल लाइन को दोहरा बनाया जाना

5337. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्विलोन-त्रिवेन्द्रम सैक्शन की रेल लाइन को दोहरा बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी क्योंकि त्रिवेन्द्रम केप के खुलने से यातायात की मांग में वृद्धि के साथ त्रिवेन्द्रम कोप सैक्शन में यातायात की क्षमता अधिक है और त्रिवेन्द्रम डिवीजन बन गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि लाइन पर क्षमता तभी बढ़ायी जा सकती है जब दोहरी लाइन बिछाने की तुलना में सस्ते विकल्पों द्वारा उसकी आवश्यकता होती है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

5338. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम में अप्रैल, 1977 से आगे तक लगभग ऐसे तीस नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे थे जिन्हें रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनको नियमित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां ।

(ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्हें इसलिए नियमित नहीं किया जा सका कि चयन समिति ने उनमें से किसी को भी नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं पाया ।

(ग) श्रमिकों ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है इसलिए यह मामला उक्त न्यायालय में निर्णयाधीन है ।

श्रीलंका और भारत के बीच नौका सेवा के लिए तलाईमनार में गाद निकालना

5339. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम और श्रीलंका सरकार के रेलवे के विभाग तलाई-मन्नार में गाद निकालने की तत्काल आवश्यकता के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं जिसके बिना श्रीलंका और भारत के बीच नौका-सेवा अचानक रुक सकती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विचार विमर्श के परिणामस्वरूप क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तलाईमनार पत्तन पर निकर्षण कार्य की जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार के पत्तन अधिकारियों की है । भारतीय नौ-वहन निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्री लंका सरकार ने निकर्षण कार्य श्री लंका फिशरीज हारबर कारपोरेशन को सौंप दिया है । भारतीय उच्चायुक्त, कोलम्बो से भारतीय नौवहन निगम को प्राप्त सूचना के अनुसार एक ड्रेजर 25 मार्च, 1982 के आसपास तलाईमनार पत्तन पर पहुंचने और 26.3.1982 तक निकर्षण कार्य शुरू

किए जाने की संभावना है। रामेश्वरम में भारतीय नौवहन निगम का प्रतिनिधि और कोलम्बो में भारतीय उच्चायुक्त, और कोलम्बों में भारतीय नौवहन निगम के एजेन्ट इस संबंध में श्रीलंका रेलवे अधिकारियों और पत्तन अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है।

नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कुल अध्यापक

5340. श्री भीखा भाई : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम में सेवारत अध्यापकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या क्या है;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शेष रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (घ) : जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की कुल संख्या 14687 है, जिनमें 1019 शिक्षक अनुसूचित जातियों के हैं। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि दिल्ली में ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति की 250 अध्यापिकाओं की कमी है।

जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संबंध है अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन द्वारा एक जर्मन फर्म से जहाजों की खरीद

5341. श्रीमती मोहसिना किदवई
श्री राजनथ सोनकर शास्त्री } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन द्वारा एक जर्मन फर्म से कुछ जहाजों की खरीद के लिए सौदा किए जाने पर तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्र के बीच विवाद पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या जहाजों की खरीद के लिए कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं । मद्रास स्थित पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन द्वारा एक जर्मन फर्म से जहाजों की खरीद के लिए सौदा करने के बारे में तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्र के बीच कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है । जहाज की कीमत के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण माँगा गया है । तब तक के लिए पुम्पुहार शिपिंग कारपोरेशन के अनुरोध पर उसके सुझाव को केवल स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों की नियुक्ति

5342. श्री रशीद मसूद
श्री के० कुन्हम्बु } : क्या शिक्षा मंत्री जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षाविदो की नियुक्ति के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त जानकारी प्राप्त कर ली गई है और उसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक सभा पटल पर रखे जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्यमंत्री श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं ।

(ख) सूचना बहुत लम्बी चौड़ी होने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वरिष्ठ मण्डलीय संचालन अधीक्षक

5343. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में अतिरिक्त मण्डलीय रेलवे प्रबन्धकों के पद पर पदोन्नत किए गए वरिष्ठ मण्डलीय संचालन अधीक्षकों और वरिष्ठ मण्डलीय वाणिज्यिक अधीक्षकों की संख्या तथा उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लोगों की बजाय कनिष्ठ लोगों को पदोन्नत किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इस प्रकार है: —

नाम	जन्म तिथि	सेवा में नियुक्ति की तारीख	समय वेतन-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धि की तारीख
सर्वश्री			
1. बी० पी० भार्गव, अपर मण्डल रेल प्रबन्धक मुरादाबाद	6-10-38	16-7-62	16-7-62
2. एन० एन० वासुदेव अपर मण्डल रेल प्रबन्धक, दिल्ली	12-3-38	2-8-62	2-8-62

(ख) जी नहीं।

केरल में रेल लाइनों के बारे में प्रगति रिपोर्ट

5344. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में रेलों में विकास के लिए वर्ष 1979 से 1981 के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और शुरू किए गये विभिन्न कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट क्या है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1979 से 1981 तक की अवधि के दौरान केरल राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है :—

1. तिरुनेलवेल्लि-नगरकोइल-कन्याकुमारी-तिरुवनन्तपुरम बड़ी लाइन जिनका एक भाग केरल राज्य में पड़ता है, को 37.50 करोड़ रुपए की लागत पर पूरा किया जा चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बजट में 1979-80 के लिए 2.62 करोड़ रुपए, 1980-81 के लिए 0.9 करोड़ रुपये और 1981-82 के लिए 1.39 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी।

2. 15 करोड़ रुपये की लागत पर एर्णाकुलम से अलेप्पि तक (57.12 कि० मी०) एक बड़ी लाइन सम्पर्क के निर्माण का काम चल रहा है। फरवरी, 1982 के अन्त तक इस लाइन की कुल प्रगति 15 प्रतिशत है। बजट में 1979-80 के लिए 1.00 करोड़ रुपये, 1980-81 के लिए 2.00 करोड़ रुपये और 1981-82 के लिए 2 करोड रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

3. एक नया मंडल-तिरुवनन्तपुरम मंडल का गठन हो गया है (3.57 करोड़ रुपये की लागत)। बजट में 1979-80 के लिए 0.04 करोड़ रुपये, 1980-81 के लिए 0.18 करोड़ रुपये और 1981-82 के लिए 0.19 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी।

4. निम्नलिखित दोहरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है :—

(करोड़ रुपयों में)

नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	अनुमानित लागत	बजट में की गयी परिव्यय की व्यवस्था			फरवरी 82 के अन्त तक की प्रगति
			1979-80	1980-81	1981-82	
पालघाट-शेरुवण्णूर	44.20	6.25	0.30	0.25	2.06	22.5%
शेरुवण्णूर-अल्वाय चरण-I	18.42	4.00	0.14	0.20	0.18	खोल दी गयी
" चरण-II	44.67	8.98	2.62	0.80	1.13	65.50%
शेरुवण्णूर-अल्वाय खंड पर मुलगुण्णत्तुकावु-त्रिचूर इरिंगाल कुडा I-चालकुडी और अंगामालि के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण	—	0.17	—	0.01	0.15	काम हो रहा है।
शेरुवण्णूर-अल्वाय चरण-III	24.33	3.65	—	—	0.20	—

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा हेरा-फेरी को रोकथाम करने की बजाय भाड़ा बढ़ाने को प्राथमिकता देना

5345. डा० ए० यू० आजमी
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम चोरी चकारी हेरा-फेरी घटिया फालतु पुर्जों की खरीद की रोकथाम करने, वर्कशापों को बेहतर बनाने, प्रबन्ध में सुधार लाने आदि की बजाय भाड़ा बढ़ाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने 2.10 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से 600 प्राइवेट बसें किराए पर ले रखी हैं और स्कूलों को अपनी बसें 1.80 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से दे रखी है, जिससे इसे रोजाना एक लाख रुपए का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्कूलों से डी० टी० सी० को बसें वापिस लेने और उतनी ही संख्या में डी० टी० सी० के अन्तर्गत चल रही प्राइवेट बसों, को विशेष रूप से पुरानी और ऐसी बसें जो मोटर वाहन अधिनियम 1939 की विशिष्टा के अनुरूप नहीं हैं किराए पर से हटा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(घ) वर्ष 1977 और 1978 की वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित योजना के अनुसार चरण बद्ध तरीके से प्राइवेट बसों की सेवा से हटाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) स्टोर के सामानों के जारी करने को समुचित पद्धति हेरा-फेरी, भविष्य में फालतू पुर्जों आदि को खरीद पर रोक समेत दिल्ली परिवहन निगम को बसों को परिचालन क्षमता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। द्वितीय केन्द्रीय कार्यशाला की सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिसके कुछ महीनों में चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) 19.2.1982 को दिल्ली परिवहन निगम के अधीन किलोमीटर स्कीम के अधीन चलने वाली बसों की संख्या 463 थी। दो वर्ष पुराने स्टैंडर्ड बसों का भाड़ा 1.90 रुपए प्रति किलोमीटर और मिनी बस के लिए यह 1.61 रुपए है। 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर लगभग 400 बसें दिल्ली परिवहन निगम स्कूलों को उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य के लिए कम भीड वाले घंटों में बसें दी जाती हैं इसीलिए यह बसों के सही उपयोग में आय की मदद करता है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं होता।

(घ) लगातार बढ़ती हुई यातायात को देखते हुए पर्याप्त बस सेवा की स्थापना आवश्यक है। दिल्ली परिवहन निगम इन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्राइवेट संचालकों से बसें भाड़े पर लेता है।

मार्च-अप्रेल, 82 में केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड, दिल्ली तथा अखिल माध्यमिक बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में बैठ रहे छात्रों की संख्या

5346. श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस वर्ष मार्च-अप्रैल 82 में केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड दिल्ली तथा अखिल भारतीय माध्यमिक बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में कितने छात्र बैठ रहे हैं ;

(ख) उनमें दिल्ली से ऐसे छात्रों छात्राओं की संख्या क्या है जिन्होंने हिन्दी को एक विषय के रूप में नहीं लिया है ;

(ग) मातृ-भाषा हिन्दी के बिना दसवीं कक्षा में बैठना कहां तक उचित है ; और

(घ) दिल्ली शिक्षा अधिनियम और मैनुअल में भाषाओं के लिए क्या उपबंध है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा और दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा और दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :

अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा :	47156 (सभी विषय)
दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा :	70052 (सभी विषय)
(ख) अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परिक्षा	1232 (दिल्ली के कुल 10305 उम्मीदवारों में से)
दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा	7962

(ग) अखिल भारतीय योजना में देश के विभिन्न भागों और यहां तक की विदेश के कुछ स्थानों के छात्र भी परीक्षा देते है। इनमें से बहुत से छात्रों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं होती है। उसी तरह संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में हमें बहुत से भाषाई अल्प संख्यकों का ध्यान रखना होता है।

दिल्ली में कक्षा vi से viii तक हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य है। ऐसे छात्रों के लिए यह कक्षा ix और x में अनिवार्य है जिन्होंने कक्षा vi से viii तक अनिवार्य रूप से हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है। सभी छात्र कक्षा ix और x में अनिवार्य रूप से दो भाषाओं (जिनमें से एक हिन्दी हो सकती है) का अध्ययन करते हैं।

जैसा कि उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) और(ख) में दी गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में अधिकांश छात्र हिन्दी का अध्ययन अवश्य करते हैं।

(घ) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"त्रिभाषा सूत्र का अपनाया जाना—कक्षा vi से x में भाषाओं के शिक्षण में केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण किया जाएगा"। ऐसे स्कूलों में जहां शिक्षण का

लिखित उत्त-

माध्यम हिन्दी नहीं है हिन्दी के बारे में नियम ó(4) में यह व्यवस्था है कि इन स्कूलों में प्राथ मिक स्तर के कक्षा iii या इससे पहले से हिन्दी को एक विषय के रूप में शुरू किट जाएगा।

स्पेन के सम्राट का दौरा

5347. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पेन के सम्राट कारलोस ने हाल में भारत-दौरे के दौरान हिन्द महासागर की सीमा के साथ अन्य देशों के साथ इस क्षेत्र में बढ़ते हुए चिन्ता व्यक्त व है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शान्ती तथा तनाव में शैथित्य लाने हेतु प्रयासों के समर्थन स्पेन सरकार के साथ हुई वर्ता के क्या निष्कर्ष रहे ; और

(ग) इस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र बनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कि गए हैं और किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) स्पेन नरेश की हाल की भार यात्रा के दौरान आपसी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और हिन्द महासागर क्ष में व्याप्त तनावों के बारे में भारत की चिन्ता से स्पेनी पक्ष को अवगत कराया गया। इस बातचं से दोनों पक्षों को एक-दूसरे के दृष्टिकोणों को अच्छी तरह समझने में सहाय मिली।

भारत हिन्द महासागर को शान्ती का क्षेत्र बनाए जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोष का समर्थन करता है और इसे वास्तविक रूप देने के लिए हर संभव प्रयास कर र है।

श्री लंका के लिए पार-पत्रों का अवैध व्यापार

5348. श्री आर० एन० राकेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में श्री लंका के लिए पार-पत्रों के बढ़ते हुए व्यापार के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि ये पार-पत्र 5000 रु० प्रति पार-पत्र की दर से बिक रहे हैं और इनका उपयोग पाकिस्तान यूरोप यात्रा के लिए किया जाता है ; और

(ग) पार-पत्रों के इस अवैध धन्धे को रोकने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार इस बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगा रही है ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें

5349. श्री रणजीत सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो भूतपूर्व रेल मन्त्रियों (श्री कमलापति त्रिपाठी और श्री केदार पाण्डेय) ने गया से शेरघाटी, शेरघाटी से इमामगंज, इमामगंज से छतरा और हजारीबाग के लिए रेल लाइन बढ़ाने का आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए बजट में प्रावधान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) संसाधनों की कठिनाई के कारण प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए अभी हाल में कोई प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया है । नयी लाइनों के निर्माण के लिए रेलों को सीमित धन-राशि आबंटित की गई है जो चालू योजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं है । इसलिए अभी लगभग 200 कि० मी० लम्बी इस नयी रेल लाइन का निर्माण शुरू करना जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान हैं, सम्भव नहीं है ।

कटक रेलवे स्टेशन पर ऊपरिपुल

5350. श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य सरकार के निर्माण विभाग ने दिनांक 26 जून, 1981 के अपने पत्र संख्या 14801 द्वारा दक्षिणी पूर्व रेलवे अधिकारियों को सूचित किया था कि दो 'लो ट्रैफिक' सहित सड़क के ऊपरिपुल की लागत को राज्य सरकार 50 :50 के आधार पर वहन करेगी; यदि हां, तो उस पर केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सड़क के इस ऊपरिपुल को वर्ष 1981-82 अथवा 1982-83 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है । यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसे निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने तथा उड़ीसा राज्य सरकार को अपने हिस्से के योगदान के लिए सूचित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार अधिग्रहीत की गई भूमि की लागत को वहन करने और केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को मानने के लिए सहमत हो गई है, यदि हां तो इस मामले पर केन्द्र का दृष्टिकोण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा सरकार कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर पर वर्तमान समपार के बदले दो लाइन वाले यातायात की चौड़ाई के प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल की लागत को वर्तमान नियमों के अनुसार 50 :05 के आधार पर वहन करने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) यह कार्य रेलवे निर्माण कार्यक्रम 1982-83 के अन्तर्गत शामिल किया जा चुका है।

(ग) राज्य सरकार वर्तमान नियमों के अनुसार भूमि की लागत तथा अन्य सामान्य शर्तों को वहन करने के लिए भी सहमत हो गयी है।

संयुक्त उद्यम पर भारत अल्जीरियन समिति

5351. श्री हीरालाल भार० परमार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्जीयर्स में हुई भारत और अल्जीरिया के संयुक्त उद्यम समिति की बैठक में किन प्रश्नों और विषयों पर चर्चा की गई ;

(ख) इस पर लिए गए निर्णय की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) भारत-अल्जीरियाई संयुक्त आयोग 8 से 11 फरवरी, 1982 तक अल्जीरिया में हुई मंत्री स्तर की पहली बैठक में दोनों देशों के बीच के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सम्बन्धों की समीक्षा की गई है। जिन विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें ये शामिल हैं—परिवहन में सहयोग, मध्यम तथा लघु उद्योग, भारी उद्योग, सिंचाई और होटल-निर्माण। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने अनेक उपायों के बारे में निर्णय किया। संयुक्त आयोग की बैठक से दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण और सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध और मजबूत हुए तथा इससे इस समय चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर भी मिला। भारतीय पक्ष अल्जीरियाई पक्ष की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भर्ती में सहायता करने पर भी सहमत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागडी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : निर्देश 2 के अधीन विशेषाधिकार प्रस्ताव को पूर्ववर्तिता मिलती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सुब्रह्मण्यम स्वामी जी, मुझे बोलने दीजिए, मुझे टाइम मिला है । (व्यवधान) स्पीकर साहब, गृह मन्त्री जी खड़े हो गए हैं, ये बोले या मैं । गृह मन्त्री जी, आप ही पहले बोल लें ।

श्री अटल बिहारी बाजपेई (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस बात का सम्बन्ध आपसे है । वह हमें आपसे करनी है । गृह मन्त्री जी बीच में नहीं आ सकते ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री शिव शंकर) : उनको अपनी बात कह लेने दीजिए । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह सदन की कल की कार्यवाही की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सदन में जो कुछ हुआ, वह रिकार्ड नहीं किया गया । डिप्टी स्पीकर महोदय ने बहुत से हिस्से एक्सपंज कर दिये । जब उनसे पूछा गया कि यह किस नियम के अनुसार किया जा रहा है, तो उन्होने कहा कि रेजीडुयेरी पावर्स के हिसाब से । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बातचीत करेंगे । (व्यवधान)

प्रो० मधु दडवते (राजापुर) : गृह मन्त्री क्या कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कुछ शब्द निकाले जा सकते हैं लेकिन पूरी कार्यवाही कैसे निकाली जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा परन्तु कल सभा में क्या बात हुई थी, मुझे बताया गया था कि सभा में ही अध्यक्ष पीठ द्वारा सभा की भावना को समझकर ऐसा किया गया था ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी समाप्त नहीं किया है ।

प्रो० मधु दंडवते : पहली बात यह है कि सभा की भावना को समझकर कोई विनिर्णय नहीं दिया जाता । क्या आपने कभी इस प्रकार विनिर्णय दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कई उदाहरण हैं जब राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कहे गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है, इस प्रकार के विशिष्ट उदाहरण है । मैं आपसे बातचीत करूंगा, सभा में नहीं ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी नियम देखे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने मुझे पहले बोलने के लिए कहा था लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। पहले जब आपने मुझे बोलने को कहा था तो बगैर मुझे सुने आपने कह दिया। आप कैसे इनकी बात सुन रहे हैं। (व्यवधान) आपने मुझे पहले बोलने का अवसर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं। मैं इनकी बात नहीं सुन रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने किसको पहले बुलाया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको बुलाया था।

श्री मनीराम बागड़ी : आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप दूसरों की बात सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप कहिये।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं बोलूं कैसे जब आप इनकी बात सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। जो प्रोसीजर की बात कही गई थी, उसके बारे में मैंने कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने हमको पूरा सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन सकता हूं लेकिन यहां इस हाउस में इस पर बहस नहीं हो सकती। वह अध्यक्ष पीठ द्वारा किया गया था, मैं कुछ नहीं सुन सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : (व्यवधान) हम नियम विशेष से सम्बन्धित व्यवस्था के प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी : आपके पास कल का पूरा विवरण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन सकता हूं लेकिन इस तरह से नहीं। आप मेरे पास आइये।

प्रो० मधु दंडवते : चेम्बर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हम उसे यहीं उठाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, न तेज आवाज से काम चलेगा और न नाराज होने से काम चलेगा। मैं तो सदन की कार्यवाही देश के हित में चलाना चाहता हूं। इतनी सी बात है।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि कल हमने यहां सदन में जब गृह मन्त्री जी ने बोलते हुए हिटलर के बारे में प्रशंसा की बात की ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री मनीराम बागड़ी : उसको डिप्टी स्पीकर साहब ने एक्सपंज कर दिया ।...(व्यवधान) ...मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुन लीजिए ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : किस का विनिर्णय अन्तिम है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय अन्तिम है । अध्यक्षपीठ का निर्णय अन्तिम है, जो भी पीठासीन होता हो उसे अध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त होती हैं । चाहे वह सभापति हो अथवा उपाध्यक्ष हो या मैं स्वयं हूं, जब वह पीठासीन होता है वह अध्यक्ष होता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, गृह मन्त्री के शब्द अगर आप एक्सपन्च करते हैं तो घर मन्त्री की वह भावना बदस्तूर रह जाती है । गृह मन्त्री को इन शब्दों को विदड्रा करना चाहिए, वापिस लेना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने आपसे अनुरोध किया था क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । हमें ठीक प्रकार से व्यवस्था का प्रश्न बताने की अनुमति दीजिए । यह आपकी मर्जी है कि आप उसे रद्द कर दें परन्तु मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि व्यवस्था का प्रश्न उचित है तो मैं सुनूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु जानने के लिए सुनना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : इकतरफा बात नहीं की जा सकती । मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया के कुछ नियम हैं । प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली के नियम 380 में कहा गया है कि जो शब्द अपमानजनक, असंसदीय और अशिष्ट हों । सभा के कार्ययाही वृतान्त से निकाल दिए जाने चाहिए । अध्यक्ष की शक्तियां भी असीमित नहीं हैं और जब मैं अध्यक्ष कहता हूं तो इसमें उपाध्यक्ष भी शामिल हैं जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है । इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कल एक अनुचित बात हुई है । मैंने एक नियमित सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देख लिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान की धारा 19 के अधीन गृह मन्त्री सहित, इस सभा के प्रत्येक सदस्य ने संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ग्रहण कर रखी है, जो प्रजातन्त्रीय प्रणाली में विश्वास रखता है। एक ऐसे सदस्य द्वारा, जिसने यह शपथ ली है, हिटलर की प्रशंसा करना वास्तव में···

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : क्या आप इन्हें अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को चुनौती देने की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन रहा हूं। मुझे इसे रद्द करना है।

श्री जगदीश टाइटलर : सभा में यह बात स्वीकार की गयी थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे रद्द कर रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? मुझे इसे रद्द करना है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न पूरा करने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अभी तक कोई गलती नहीं है। जो कुछ ये कहेंगे मैं सुनूंगा। मैं इसे रद्द करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं पूरी बात कह दूं तब आप ऐसा कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उसी का इन्तजार कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : यदि किसी सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन इस सभा में शपथ ली है और यदि वह संविधान की भावनाओं के विरुद्ध कोई ऐसी बात कहता है जिससे हिटलर के फासिस्ट तरीकों की प्रशंसा होती हो तो यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और इसलिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम न लें।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे पूरा करने दीजिये। ऐसा करने से मेरा तात्पर्य विशेषाधिकार से नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अनुचित कार्य किया गया है, और वह भी जानबूझकर। जब सतारूढ़ दल तथा विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने उनसे उन शब्दों को वापिस लेने के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें वापिस नहीं लिया। अतः यह विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान एक अनौचित्यपूर्ण कृत्य है। अतः आपको इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से बाहर निकालने की बजाय इसका ध्यान रखना चाहिए। आपको गृह मन्त्री को इन टिप्पणियों को वापिस लेने के लिए कहना चाहिए जो संविधान के विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री जी।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । हमें सुनना चाहिए कि गृह मन्त्री क्या कहते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम लोग प्रोसीजर का मामला रेज कर रहे हैं । कल की बात आप भूल जाइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से बात करूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बात वही होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस बात की क्यों चिन्ता करते हैं ? मैंने कभी आपका दरवाजा बंद नहीं किया, फिर आप इसकी चिन्ता कर रहे हैं । मैं ध्यान से सुन रहा हूं । मैं सुझावों के पक्ष में हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पहला मौका नहीं है कि डिप्टी स्पीकर ने रिमार्क्स एक्सपंज किया हो । उन्होंने अपना ही रिमार्क एक्सपंज कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय : बात कर लेंगे, मीटिंग हो रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक्सपंज के बारे में एक बात तय होनी चाहिए । (व्यवधान) आप मुझ को बोलने नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हू । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप गृह मन्त्री को बीच में लाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवधान का प्रश्न उठाये जाने पर प्रधान मंत्री तक भी अपनी बात जारी नहीं रख सकती .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्यों शोर कर रहे हैं । मुझे शोर नहीं चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कहिए, क्या प्वाइंट आफ आर्डर है आपका ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सदन में हमेशा इस बात पर बल देते है कि कार्यवाही नियमानुसार होगी ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल होगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल जो कार्यवाही हुई है वह किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं थी । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ? इस बात को मैं देखूंगा कि नियम के अनुसार हुई या नहीं हुई । यह देखना मेरा काम है कि क्या कार्यवाही सीमाओं के अन्दर है या कि नहीं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आप होम मिनिस्टर को क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई कहने दे तब न । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल हमने चेयर से कहा एक्सपंगशन के बारे में । नियम 380... ।

अध्यक्ष महोदय : वह भी मैं आपको बताऊंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे पूरा कर लेने दीजिए । उन्होंने कहा कि एक्सपंक्शन में रेसीड्युअरी पावर्स से कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह भी होता है, मैं आपको बताऊंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं रेसीड्युअरी पावर्स का नियम पढ़कर बताना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज़बानी याद है और उस रूल के अलावा... ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे आप कहने ही नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी कहना चाहते हैं, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं । मैं बाजपेयी जी यह कहना चाहता हूं कि आपका रूल 380 मुझे ज़बानी याद है और इसके बारे में आपके मन में कोई संशय है तो उसके बारे में आपसे बैठकर बात करने के लिए मैं तैयार हूं । मैं मीटिंग बुलाना चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस में बात नहीं हुआ करती ।

प्रो० मधदडंवते : व्यवस्था के प्रश्न पर चैम्बर में कभी भी चर्चा नहीं होती । इसे सभा में ही सुना जाना चाहिए और यहीं इस पर निर्णय लिया जाना चाहिये । (व्यवधान) व्यवस्था के प्रश्न को सभा में सुना जाना चाहिये अध्यक्ष के चेम्बर में नहीं । इसका समाधान तत्काल ही किया जाना चाहिये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लिया है । आपका प्वाइंट आफ आर्डर अभी बाकी है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैंने आपको लिखकर दिया है... ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखा है, मैंने देखा है। उसके अलावा क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपंक्शन के बारे में एक बार पूरी बहस करके प्रक्रिया तय हो जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही करना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो कहते हैं चैम्बर में आइए ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की मीटिंग करना चाहता हूं। बहस नहीं हुआ करती। मैं मीटिंग बुलाऊंगा ! उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज हो, आप समझें कि कोई गल्ती हुई है तो मैं आपकी बात मान लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन एक्सपंज कर सकते हैं...।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं...।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने कल की कार्यवाही देखी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे हिसाब से जो चेयर ने किया है देट इज फाइनल, लेकिन मैं आपसे बात करके अपनी बात मनवा भी सकता हूं और आपकी बात मान भी सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या फाइनल है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा, रूल बता दूंगा, प्रोसीजर बता दूंगा, सारा कुछ बता दूंगा। यस, मिस्टर होम मिनिस्टर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब शांत रहिये। मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। मैंने अभी आपको अनुमति नहीं दी है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं उस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जो कल गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान मेरे उत्तर देते समय हुई थी। उस समय हिटलर सम्बन्धी मेरे विचार चर्चा की गर्मागर्मी के फलस्वरूप प्रकट हुए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नही दी है।

श्री जैल सिंह : मैं स्वंय, मेरा दल और मेरी सरकार हमेशा फासिस्ट पूंजीवाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा रुढ़िवाद के विरुद्ध लड़ते रहे हैं और संविधान के आदर्शों को निरन्तर उठाने की कोशिश करते रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पूंजीवाद, जातिवाद तथा फासिस्टवाद के विरूद्ध संघर्ष का इतिहास है। (व्यवधान)

मेरी टिप्पणियां तथा विचार इरादे से नहीं कहे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : ये इसे वापिस ले रहे हैं।

श्री जैल सिंह :.....और किसी प्रकार के प्रहार से दूर थे और उनका उद्देश्य मेरी असली भावनाओं, विचारों तथा उद्गारों को प्रकट करता नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : ये वापिस ले रहे हैं।

श्री जैल सिंह : जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है और हिटलर सम्बन्धी अपनी टिप्पणियों को वापिस लेता हूं। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं और रिकार्ड को ठीक कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने खेद भी प्रकट कर दिया है और अपनी टिप्पणियों के वापिस भी ले लिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एकसपंज कर दिया तो विदड्रा कैसे कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह मैं आपसे बात करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने, यदि कुछ कहा हो, उसके लिए खेद प्रकट किया है और कार्यवाही वृत्तान्त में जो कुछ है उसके लिए नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपने कार्यवाही वृत्तान्त को देखा है? जो कार्यवाही में ही नहीं है और जो एकसपंड कर दिया गया है वह विदड्रा कैसे हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय हित में मैं एक बैठक बुलाऊंगा और हम चर्चा करेंगे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय हित आपके हितों से ऊपर हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आप को हो सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सभा का संचालन करने का तरीका नहीं है। जो कुछ कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया आप उसे वापिस कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जो कुछ निकाल दिया गया है उसे वापिस शामिल नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है। सभा के हित में यह रिकार्ड में नहीं था।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : वापिस क्या लिया गया है?

अध्यक्ष महोदय : अभिव्यक्तियां यदि कोई है तो ।

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन उन्हें जो पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है (व्यवधान) । जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं है । जब यह रिकार्ड में नहीं है तो वह क्या वापिस ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जो राष्ट्रीय हित में न हो, मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो राष्ट्रीय हित में न हो, मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री हरिकेश बहादुर : आप सदस्यों में रुचि नहीं रखते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जिस को एक्सपंज कर दिया गया है उसको क्या घिदड़ा कर सकते हैं ? करना था तो वर्ड को एक्सपंज करते लेकिन पूरी कार्रवाई को ही एक्सपंज कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मीटिंग बुला रहा हूं । उस में आपको भी बता दूंगा । नेशनल इंटरेस्ट में जो नहीं है, उसको मैं एलाउ नहीं करूंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : चेयर पर बैठ कर इस तरीके से आप न्याय कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे आपके आदमी ने शुरू किया । आपके दल ने ही इसे शुरू किया । मैं वही करूंगा जो मेरी अन्तरात्मा कहेगी । मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : कालिंग अटेंशन का पार्टी से क्या ताल्लुक है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं केवल दो बातें कह रहा था । दुर्भाग्यवश आप कल सभा में नहीं थे । सभा में इस बात पर लगभग एक मत था कि जो कुछ भी कहा गया, वह खेदजनक है । हो सकता है कि मुझे यह न मालूम हो कि गृह मंत्री ने किस स्थिति में कैसा कहा था । दुर्भाग्यवश वह एक खेदजनक बात थी । हम उनका पूरा वक्तव्य नहीं सुन सके । लेकिन आपने कहा है कि उन्हों ने खेद प्रकट किया है और अपनी टिप्पणियों को वापिस ले लिया है । मैं कह रहा था जब कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ नहीं है तो वे क्या वापिस ले रहे हैं ? मैं यही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बात कोई भी हो सकती है । क्या वह उसे दोबारा पढ़ें ?

श्री चन्द्रजीत यादव : पढ़ने दीजिये ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अनेक बार यह बात कही है कि आप नियमों से बंधे हुए हैं। मैं उस नियम का उल्लेख हूं जो आप पर और मुझ पर भी लागू है। वह नियम 380 है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कल इस पर चर्चा हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : अन्य बातें भी हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : गृह मंत्री अध्यक्ष पीठ की अनुमति से बोल (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दिखाऊंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया था यदि कोई अनुभव करें तो मेरे भाषण को भी अध्यक्षपीठ की अनुमति से कार्यवाही वृत्तान्त निकाल दिया जायेगा। यह संसद सदस्य का एक मूलभूत अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इन्होंने इसे किस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही वृत्तान्त निकाला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दिखाऊंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह नियम 380 अथवा 389 होना चाहिये। मुझे क्या यह नियम 380 के अधीन किया गया है अथवा 389 के अधीन आप हमारे अधिक संरक्षण हैं। जब हम तर्क देते हैं तो हम सभा के लिए देते हैं, अपने लिए नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है। श्री वाजपेयी इस बात को क है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं भाषण के गुणावगुणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं वह ठीक है या कि गलत। लेकिन गृह मंत्री के भाषण को अंश के कार्यवाही-वृत्तान्त निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है। मैं आपको बुलाऊंगा और आपको व (व्यवधान)

श्री हरीकेश बहादुर : मुझे खुशी है कि आखिर आपने मुझे न्याय देने का नि लिया है। आप...को अनुमति दे रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : मैं न्याय देने से भी बड़ा काम कर रहा हूं। आप ही मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री हरीकेश बहादुर : मुझे खुशी है कि आप न्याय कर रहे हैं। मैं काफी समय से कोशिश कर रहा हूं।

श्री हरीकेश बहादुर : मैं सुबह से चिल्ला रहा हूं। अध्यक्षपीठ को किसी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त से बाहर निकालने की मनमानी शक्ति नहीं है। कल गृह मंत्री के भाषण का एक भाग कार्यवाही-वृत्तान्त से बाहर निकाला गया। कुछ दिन पहले जब श्री नाडार...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : जब श्री नाडार बोल रहे थे, तो उनके भाषण के एक भाग को उपाध्यक्ष ने कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाला था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक निरन्तर प्रक्रिया बन गयी है (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि नियम 380 के अन्तर्गत अध्यक्ष को मनमानी करने की शाक्तियां नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं मुझे नियम जबानी याद हैं। मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बुलाऊंगा और समझाऊंगा कि यह कैसे किया गया था। फिर मैं आपकी सलाह लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आने के लिए भी कहूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : आपने उन्हें उनके शब्दों को वापिस लेने का वक्तव्य देने की अनुमति दी है। आपने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या वापिस लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना नहीं। मैं क्या कर सकता हूं ? एक ओर तो आप उन शब्दों को वापिस कराना चाहते हैं और दूसरी ओर आप कुछ और चाहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम चाहते हैं कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाये और फिर हम चाहते हैं कि वे शब्द वापिस लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ राष्ट्रीय हित संबद्ध है। चाहे पार्टी का हित हो या व्यक्ति का हित हो या अन्य कोई हित हो, उन सबसे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। जो सर्वोच्च तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह राष्ट्रीय हित है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : श्रीमान, इसी कारण इसे रिकार्ड किया जाना चाहिए तथा बाद में वापिस लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल मैं सभा में था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब मेरे साथी सभा त्याग कर चले गये, मैं नहीं गया । यही कारण आपको इस विवाद में सहायता करेगा । श्रीमान, सर्व प्रथम मैं कहना चाहूंगा कि यह नियम 364 के अधीन था जोकि सभा के निर्णय के बारे में है । मैंने तत्काल एक प्रस्ताव रखा । मैंने सुझाव दिया कि पूरे मामले को रिकार्ड से हटा दिया जाये । उपाध्यक्ष महोदय ने इसे उसी समय सभा में रखा । मैंने सोचा उन्होंने सभा की राय पूछी तथा वह इस निर्णय पर पहुंचे कि इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं भी उपस्थित था । वह.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह गलत हैं आप कृपया बैठ जाएं । आप खड़े क्यों हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टाईटलर, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : कल किसी ने भी सभा में विरोध नहीं किया । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्, कोई साम्यवादी मुझे चुप नहीं करा सकता । यह बात उन्हें समझ लेनी चाहिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : ऐसा मत कहिए ।(व्यवधान) कोई साम्यवाद विरोधी मुझे भी चुप नहीं करा सकते । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान् वह कहते हैं कि मुझे जैसे के साथ तैसा किया जायेगा । इसे मैं नहीं समझता कि इसका क्या अर्थ है । क्या यह चुनौती है । अथवा और कुछ ? मै सभा के भीतर तथा बाहर दोनों जगह साम्यवादियों का ध्यान रख सकता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही इनकी लोकतंत्र में विश्वास की बात है मुझे बोलने नहीं दिया जाता (व्यवधान) यह मेरी पार्टी को श्रेय है कि मुझे बोलने की अनुमति है जबकि मेरी पार्टी के नेता बोल चुके हैं ।

इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : पार्टी अनुशासन की क्या स्थिति है ? इस पर ध्यान दे ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे को बोलने क्यों नहीं देते ? आप बीच में प्रश्नों द्वारा तंग क्यों कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं ऐसा नहीं कर रहा । मैं सचाई बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गृह मन्त्री द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में सभा में कोई दो राय नहीं हैं । जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह भूल थी और इसीलिए इस संदर्भ में मैंने प्रस्ताव किया कि इसे रिकार्ड से हटा दिया जाये, यदि अध्यक्ष महोदय इस पर सहमत हों । उपाध्यक्ष महोदय पर इस बात के लिए दोष देना गलत बात है कि उन्होंने सभा में उठायी गई कुछ बातों को मेरे द्वारा यहां उठाये गए मुद्दों के आधार पर निकाल दिया यह सर्वसम्मति से किया गया । मैं नहीं जानता कि क्या इस बारे में किसी ने मत विभाजन की मांग की थी या नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य : कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह मात्र उसी समय की बात थी । प्रस्ताव का प्रश्न नहीं था । यह केवल सुझाव था । उन्होंने सुझाव दिया था । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वह एक सुझाव था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसे भी रिकार्ड नहीं किया गया । यह वाद-विवाद का भाग नहीं बना ।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति जैसी थी वैसी ही थी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसको तो एक्सपंज कर दिया ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सभा के वाद विवाद की व्यापक हत्या थी ।

एक माननीय सदस्य : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा के भावों को जानकर ही उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसा किया । (व्यवधान)

मैं आपको बता रहा हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सभा में अपने साथियों से अपील करता हूं कि श्री जैल सिंह ने अब जो कहा है उसके बाद इस मामले को छोड़ दिया जाये और इसे आगे न बढ़ाया जाये।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको गृह मन्त्री महोदय का वक्तव्य देखना चाहिए। क्या आपने उसे देखा है। क्या आपने वक्तव्य पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको वह सुनना चाहिए था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने ऐसी बात को वापस लिया जो कि कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पूरी सभा को विषम स्थिति में डाल दिया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : स्थिति क्या है ? मैं नहीं समझ सका। कुछ का कहना है कि सभा की भावनाओं को समझ कर इसे निकाला गया। कुछ कह रहे हैं कि यह रिकार्ड में नहीं है। कुछ का कथन है कि इसे वापस ले लिया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री मनीराम बांगड़ी : एक्सपंज से पहले आपने उसे देख लिया था या नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं देखा, नहीं देखा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। आपके दो आदमियों को सुन लिया है, यहां 543 मैम्बर हैं, कैसे हो सकता है ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो देशहित में होती हैं और पार्टी का हित छोड़कर, सेल्फ का हित छोड़कर हमें देश के हित में काम करना होता है। सीधी-सी बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : यानी गृह मन्त्री देश के हित के विपरीत आचरण कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तोड़ मरोड़कर बात नहीं करें। कई बातें ऐसी होती हैं, जो मेरे पास हैं। मैं आप सब की मीटिंग भी बुलाऊंगा, मैं आप से डिस्कस करूंगा, क्योंकि यह मेरा हाउस नहीं है, मैंने कभी यह नहीं कहा कि अपनी मजी चलाऊंगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपसे सहायता लेकर आपसे एडवाइस लेकर मैं बनाऊंगा, आप उसमें कोई खामी समझेंगे तो उसे दूर करेंगे।

श्री मनीराम बोगड़ी : मेरे नियम 222 वाले का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको देख लूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महाराष्ट्र वाले का क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देख रहा हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जो कुछ मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के बारे में कहा है उस पर आपत्ति कैसे हो सकती है ? क्या रामायण भी रिकार्ड में नहीं हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्रीमती शीला कौल ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली कानपुर और खड़गपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन के विलम्ब से रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, दिल्ली, कानपुर, और खड़गपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, लेखाचार्य की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3715/82]

(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3716/82]

(3) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में तथा (दो) प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3717/82]

(5) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1978-79* के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3718/82]

(6) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980/81 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(7) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(8) राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(9 उपर्युक्त मद संख्या (6), (7) और (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3719/82]

---

*विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण 7 जुलाई, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था।

[श्रीमती शीला कौल]

(10) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 35 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(11) उपर्युक्त मद संख्या (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3720/82]

(12) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल), कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(13) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल) कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन)।

(14) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी अंचल), कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(15) उपर्युक्त मद संख्या (12), (13) (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल रखने हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3721/82]

(16) सांस्कृतिक स्त्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रदिवेदन@को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3722/82]

कुतुब मीनार, नई दिल्ली में 4.12.81 को हुई दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं

@वार्षिक प्रतिवेदन 25 फरवरी, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कुतुब मीनार, नई दिल्ली में 4 दिसम्बर, 1981 को हुई दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन ।

[गृह मन्त्रालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3723/82]

चिकित्सा शिक्षा विकास सम्बन्धी भारतीय एसोसिएशन नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) चिकित्सा शिक्षा विकास सम्बन्धी भारतीय एसोसिएशन नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3724/82]

(2) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र सरकार, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3725/82]

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरों का प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन-दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

[श्री आर० आर० भोले]

(एक)समिति के अध्ययन दल के 19 दिसम्बर, 1981 को देवली के दौरे संबंधी प्रतिवेदन।

(दो) समिति के अध्ययन दल 1 जनवरी, 1981 के दौरान कलकत्ता, मिजोरम, रायपुर, बस्तर और भिलाई के दौरे संबंधी प्रतिवेदन।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मन्त्री के वक्तव्य को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसकी एक प्रति आपको भी नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी दिखला देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मुझे श्री जगदीश टाइटलर धमकी दे रहे हैं। आप मेरी बात को क्यों नहीं सुनते। तब आप मुझे पूरा संरक्षण देंगे। वह कह रहे हैं "मैं तुम्हें देख लूंगा" वह किस तरह के व्यक्ति हैं? वह अपने को क्या समझते हैं? वह मुझे धमकी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाईटलर आपने कोई थ्रेटन किया है?

श्री हरिकेश बहादुर : मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाईटलर, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आपने उन्हें धमकी दी है?

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें धमकी दे रहे हैं? क्या आपने उन्हें धमकी दी है?

श्री जगदीश टाइटलर : नहीं उन्हें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मैंने थ्रेटन नहीं किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह कहते हैं कि धमकी देने की जरूरत नहीं है, यानी अगर जरूरत पड़ी, तो वह धमकी देंगे। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी छाती पर हाथ रख कर बताएं कि क्या मैं श्रीमती नजर आ रहा हूं। कल साठे साहब की आकाशवाणी पर संसद समीक्षा में मेरा नाम श्रीमती राम बागड़ी कहकर लिया गया। ज्ञानी जी भी थोड़े दिनों में श्रीमती बन जाएंगे। क्या मैं श्रीमती नजर आ रहा हूं? (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मेरे श्री वसन्त साठे के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसे देखूंगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

विवरण

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं उत्तर रेल—उत्तर रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा उत्तर रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके देने के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रथम की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों के संबंध में रेल मन्त्रालय के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है।

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग रेल विधेयक, 1982 को जिसे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

सोलहवां तथा सत्तरहवां प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष)—हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन—के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(दो) रेल मन्त्रालय (रेल बोर्ड)—दक्षिण मध्य रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और दक्षिण मध्य रेल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे ठेके, पार्सल बुकिंग एजेन्सियां और आउट एजेन्सियां देने—के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

———

प्राक्कलन समिति

(तेईसवां प्रतिवेदन)

श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव (राजामुंद्री) महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्रालय—निर्यात संवर्धन—के बारे में प्राक्कलन समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री बन्सीलाल (भिवानी) : महोदय, मैं इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (परमाणु ऊर्जा विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अखिल भारतीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के कई प्रश्न-पत्रों का समय से पूर्व पता लग जाने का समाचार

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें—

"अखिल भारतीय केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के कई प्रश्नों-पत्रों का समय से पूर्व पता लग जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा में प्रश्न पत्रों का पता लग जाने के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गई हैं। इनमें से कुछ शिकायतें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। सीधे ही प्राप्त हुई शिकायतों पर मुस्तैदी से प्रतिक्रिया दिखाते हुए बोर्ड ने इस बात की जांच करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू कर दी थी कि क्या प्रश्न-पत्रों का पता लग गया है और यदि ऐसा हुआ है तो किन विषयों तथा किस सीमा तक ऐसा हुआ है।

अपनी प्रारम्भिक जांच के परिणामों के आधार पर बोर्ड के पास इस बात को सिद्ध करने का प्रमाण है कि कुछ प्रश्न-पत्रों का पता लग गया है। यहां यह बताना सुसंगत है कि बोर्ड माध्यमिक स्तर (अर्थात कक्षा X) पर दो परीक्षाएं तथा सीनियर माध्यमिक स्तर (अर्थात कक्षा XII) पर दो परीक्षाएं आयोजित करता है। जिन प्रश्न-पत्रों का पता चल गया था, वे अखिल भारतीय सीनियर माध्यमिक परीक्षाओं के ही थे। अन्य सभी अपेक्षित उपायों के अलावा समस्या के मूल कारण का पता लगाने के उद्देश्य से बोर्ड ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करायी थी, ताकि प्रश्न-पत्रों का पता लग जाने के स्रोत का पता लगाया जा सके। पुलिस जांच चल रही है। हमें आशा है कि पुलिस के लिए अपराधियों का पता लगाना सम्भव होगा।

इसी बीच बोर्ड भी निजी तौर पर अपनी व्यापक जांच करता रहा। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि क्या किन्हीं और प्रश्न-पत्रों का पता तो नहीं लग गया है, लिखित प्रमाण प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य को लेकर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न भागों के परीक्षा केन्द्रों के अचानक निरीक्षण किए गए। ऐसी जांचों के परिणामस्वरूप बोर्ड इस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा कि अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के गणित, रसायन शास्त्र तथा जीव-विज्ञान के प्रश्न-पत्रों का पता लग गया था।

[श्रीमती शीला कौल]

उपलब्ध प्रमाण से यह पता चला कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के ही कुछ स्कूलों में प्रश्न-पत्रों का पता लग गया था। बोर्ड को प्रश्न-पत्रों का पता लग जाने के संबंध में दिल्ली के बाहर किसी भी स्थान से और यहां तक निकटवर्ती शहरों से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में बोर्ड ने इन तीन विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दीं और केवल दिल्ली संघ शासित क्षेत्र मे इनकी परीक्षाएं पुनः लेने का आदेश दे दिया।

दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के लिए गणित, रसायन शास्त्र तथा जीव-विज्ञान की परीक्षाएं क्रमशः 5, 7 तथा 8 अप्रैल, 1982 को पुनः होंगी। यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षाएं पुनः आयोजित करने के लिए बोर्ड को सभी तैयारियां नए सिरे से करनी पड़ती हैं। यह सब करने के लिए उन्हें समय चाहिए। तथापि, दो परीक्षाओं के बीच इतने लम्बे अन्तर के कारण सम्बन्धित छात्रों को परिहार्य कठिनाई होगी। इस बात को देखते हुए, बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाएं समाप्त हो जाने के तुरन्त बाद परीक्षाएं पुनः आयोजित करने का निर्णय किया है।

इस तथ्य के बावजूद, कि बोर्ड द्वारा आयोजित चार परीक्षाओं में से एक परीक्षा के कुछ ही विषयों के प्रश्न-पत्रों का पता लगा है, सरकार ने इस घटना को गम्भीरता से लिया है। बोर्ड का नियन्त्रक प्राधिकारी होने के नाते शिक्षा सचिव, भारत सरकार ने परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रणालियों तथा पद्धतियों की जांच का आदेश दिया है। एक अनुभवी शिक्षा प्रशासक श्री एम० वी० राजगोपाल तथा आन्ध्र प्रदेश के एक भूतपूर्व कुलपति को जांच का कार्य सौंपा गया है। जांच के लिए व्यापक विचारार्थ विषय दिए गए हैं ताकि इसे सार्थक बनाया जा सके।

हमें खेद है कि अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के तीन विषयों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। हम यह महसूस करते हैं कि इसके कारण बहुत से छात्रों तथा अभिभावकों को असुविधा होगी। किन्तु हमें यह आशा है कि जनता तथा अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्ति इसमें निहित व्यापक हित को समझेंगे तथा असुविधा पर ध्यान नहीं देंगे।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)]

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सबसे पहले मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्पष्ट उत्तर देने के लिए मन्त्री महोदय की प्रशंसा करता हूं जिससे कि बहुत निराशाजनक और गंभीर स्थिति स्पष्ट हो गई है। महोदय, संभवतः आप जानते हैं कि पिछले करीब चार वर्षों से दिल्ली में इस स्तर पर प्रश्न-पत्रों का समय से पूर्व पता लगाने की घटना हो रही है, यद्यपि इस साल यह संभवतः अधिक व्यापक स्तर पर हुई है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उनके द्वारा उल्लिखित तीन प्रश्न पत्रों के लावा अन्य प्रश्न पत्रों के समय से पूर्व पता लग जाने के प्रमाणों पर वह विचार करें। प्रश्न

पत्रों का व्यापक स्तर पर समय से पूर्व पता चल गया था तथा तीन अन्य प्रश्न पत्रों—जिनका मैं शीघ्र ही उल्लेख करूंगा—अर्थात् अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथा मैकेनिकल ड्राइंग– के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं। वास्तव में सभी प्रश्न पत्रों का समय से पूर्व पता चल गया था। मैं तो केवल व्यापक रूप से पता चल जाने वालों की बात कर रहा हूं तथा मैं अन्य प्रश्नपत्रों के मुकाबले इनके पता चल जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि सभी प्रश्नपत्रों का समय से पूर्व पता चल गया था। मैं इसे यहां इसलिए कहूंगा क्योंकि प्रश्न पत्र का मूल्य बहुत अधिक था.— लगभग 2000, रुपये प्रति प्रश्न पत्र। कुछ प्रश्न पत्रों जैसे – अंग्रेजी, राजनैतिकशास्त्र—को लेने वाला कोई नहीं होता। मुझे यही सूचना मिली है तथा उन प्रश्नपत्रों के ग्राहक होते हैं, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है—तीन प्रश्न पत्र जिनका मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है तथा तीन वे प्रश्न पत्र जिनका मैंने उल्लेख किया है, क्योंकि समझा जाता है कि इन विषयों में अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा ये व्यवसायिक तथा प्रौद्योगिक विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं मन्त्री महोदय से विनती करता हूं कि वह इस अत्यन्त गंभीर स्थिति पर ध्यान दें जो कि हमारे संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली तथा शिक्षण संस्थानों को प्रभावित करती है। जहां तक हम समझते हैं, परीक्षाओं का अर्थ है— विद्यार्थी के शैक्षिक ज्ञान की जांच। लेकिन वास्तव में जो हो रहा है अथवा जो हो चुका है या होने वाला है उससे यह ज्ञान नहीं होता कि विद्यार्थी के ज्ञान का विस्तार कितना है ; यदि मैं दूसरे तरीके से कहूं तो यह विद्यार्थियों के माता-पिता के पैसे का मूल्य है, जिसे महत्व दिया जा रहा है। यदि आप किसी मेडिकल कालेज अथवा इन्जीनियरिंग कालेज या फिर स्कूल में ही प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको दान देना पड़ेगा। आपको केपिटेशन फीस देनी पड़ती है और आप कितना धन दे सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपको प्रवेश मिलेगा अथवा नहीं। यदि आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल 2000 रुपये प्रति प्रश्नपत्र लेकर वहां पहुंचना होगा। उपाधियां बेची जा रही हैं। महोदय, आप जानते हैं कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहां ऐसे पत्राचार पाठ्यक्रम हैं। वे, सभी उद्देश्यों के लिए, ऐसी वस्तुएं बेचते हैं। क्या विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं? क्या उन्हें शिक्षा के मंदिरों के रूप में ही बना रहना चाहिए? अथवा क्या वे बाजार बन रहे हैं जहां उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेने से परीक्षा तक सभी वस्तुएं विभिन्न मूल्यों पर बिकती हैं?

मैं सरकार से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए निवेदन करता हूं। मेरे मुख्य प्रश्न से हैं : क्या सरकार हमारी शैक्षिक संस्थानों तथा शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने वाली इस धन शक्ति को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी? इनमें धन की कोई भूमिका अथवा उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए? इसीलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वास्तव में हमारे संस्थानों को विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने के लिए कोई उपाय खोजने चाहिए। आज विश्वसनीयता को चुनौती दी जा रही है। आप कक्षा 12 की परीक्षा में पास हो जाते हैं। कालेज में प्रवेश पाने के लिए पुनः आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। परिणामों के आधार पर वे प्रवेश परीक्षा लेते

[श्री एडोआर्डो फैलीरो]

हैं। इसी से इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। यदि आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं वो आपको इस बात की जांच के लिए पुनः परीक्षा देनी होगी कि क्या आप नौकरी के योग्य हैं अथवा नहीं। पुनः आपको चुनौती मिलती है —उस परीक्षा की चुनौती जो आप दे चुके हैं। आपको प्रमाण-पत्र डिप्लोमा या डिग्री का महत्व रह गया है? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं—मैं समस्या की ओर उनके सकारात्मक रुख को समझ सकता हूं—कि वह शैक्षिक संस्थाओं की पूर्व समस्या पर इस दृष्टिकोण से ध्यान दें कि शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा धन की शक्ति की उसमें कोई भूमिका नही रहनी चाहिए।

मैं अब एक विशिष्ट प्रश्न पर आता हूं। दुर्भाग्य से दिल्ली के सर्वाधिक प्रतिष्ठत स्कूल हैं, जो कि उसे जो वास्तव में व्यापक रूप से प्रश्न-पत्रों को समय से पूर्व खोलने का कार्य क्षेत्र बने हुए है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, माडर्न स्कूल तथा बाल भारती एयर फोर्स स्कूल का उल्लेख करता हूं। ये तीन स्कूल ऐसे हैं जहां कि व्यापक रूप से प्रश्न पत्रों का समय से पूर्व पता लग गया था, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है। प्रधानाध्यापक प्रश्नपत्रों के पता चल जाने की रिपोर्ट बोर्ड को करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हैं। इन स्कूलों में, प्रधानाध्यापकों ने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया। मैं चाहता हू कि सरकार इस बात का पता लगाए कि प्रधानाध्यापकों ने अपने स्कूलों में प्रश्नपत्रों के समय से पूर्व पता चल जाने की रिपोर्ट क्यों नहीं की, जब कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी? क्या सरकार शिक्षण संस्थानों से यह निवेदन करेगी कि भविष्य में उन्हें ऐसी स्थिति की सूचना बोर्ड को तत्काल देनी चाहिए ताकि शीघ्र कदम उठाए जा सकें?

क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी। अब यह पता चला है कि तीन प्रश्नपत्रों का समय से पूर्व पता चल गया था। मैं कहता हूं कि अन्य तीन प्रश्नपत्रों का भी व्यापक रूप से समय से पूर्व पता चल गया था। मैं थोडा सा पता चल जाने की बात नहीं कर रहा। अन्य प्रश्न पत्रों का भी व्यापक रूप मे समय से पूर्व पता चल गया था। प्रश्न पत्रों का समय से पूर्व पता चल जाने से केवल उन लोगों को ही परेशानी नहीं होती जो परीक्षा आयोजित करते हैं बल्कि परीक्षा देने वालों को भी परेशानी होती है। इस परीक्षा में विद्यार्थियों सहित सभी को बहुत परेशानी हो गई है। क्योंकि प्रश्न पत्रों के पहले पता चल जाने के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई है, उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी। ऐसा होने के कारण वे प्रवेश परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में। किसी अन्य प्रवेश-परीक्षा में बैठने का उनका एक अवसर खत्म हो जाएगा। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें कोई असुविधा न हो? मैंने सरकार से यह इसलिए पूछा है कि इस समय मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर सरकार को यह सुनिश्चित करने का कोई उपाय खोजना होगा कि उन्हे कोई असुविधा नहीं हो।

मुझे खुशी है कि सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह सब जानते हैं कि प्रश्न-पत्रों का समय से पर्व पता चल गया है। हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं

जिन्हें ये प्रश्नपत्र पहले से दे दिए गए थे। उनसे, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उन्हें प्रश्नपत्र किसने दिए। हम उस स्रोत का सीधा पता लगाना चाहिए। क्या शिक्षा समुदाय में किसी व्यक्ति ने – जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया अथवा जिसकी अभिरक्षा में ये प्रश्नपत्र रखे थे—इनका प्रकटीकरण किया है ? क्या सरकार इसके मूल स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस की सहायता लेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कमियों को दूर किया जाए क्या दुबारा ऐसी घटनाएं नहीं हों मैं सरकार से विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्यां उसने जांच के आदेश दे दिए हैं ? जांच में विचारणीय विषय कौन से हैं ? मुझे विश्वास है कि उससे सदन को यह जानकारी मिल जाएगी कि क्या वास्तव में इस जांच से शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का इच्छित परिणाम सामने आएगा, जिस ओर मैंने संकेत किया था।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, अब मैं इसका उत्तर देने के लिए खड़ी हुई हूं तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि लोगों के नैतिक मूल्यों में इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। मुझे याद है पहले समय में जब हम परीक्षा देते थें तो निरीक्षक हमेशा वहां होते थे, लेकिन वह या तो कमरे के बाहर खड़े रहते थे या फिर अन्दर आ जाते थे, पर कोई भी विद्यार्थी अपने नोट्स बदलता नहीं था। मैं नहीं जानती लोग अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इससे मुझे बहुत दुःख पहुंचा है तथा यदि ऐसा है तो हमें इसके लिए बहुत सावधान रहना होगा।

महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि शिक्षा सचिव ने एक जांच समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भूतपूर्व उपकुलपति श्री रामगोपाल हैं तथा हमने किसी प्रयोजन से ही ऐसा किया है। इसका भी एक कारण है कि हमने दिल्ली से किसी को क्यों नहीं लिया। हमने बहुत दूर से उन्हें बुलावाया है ताकि कोई यह न कहे कि दिल्ली का कोई व्यक्ति इसमें था। माननीय सदस्य जांच समित के विचारार्थ विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। वास्तव में हमने इसके प्रति बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है और इसलिए विचारणीय विषय भी व्यापक है। विचारणीय विषय ये हैं :

(1) प्रश्नपत्रों के समय से पूर्व पता चल जाने को आमतौर पर और विशेष रूप से अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 1982 के प्रश्न पत्रों के समय से पूर्व पता चल जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की गहराई से जांच करना तथा यह देखकर कि उससे निपटने के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही पर्याप्त थी अथवा नहीं।

(2) इस प्रकटीरण के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना।

(3) परीक्षा लेने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई जा रही प्रणालियों और प्रकिया की जांच करना तथा उनमें यदि कोई त्रुटियां हों तो उनका पता लगाना।

(4) प्रश्नपत्र पहले से पता लगाने सम्बन्धी शिकायतों की जांच करना तथा उनका विश्लेषण करने के लिए बोर्ड में उपलब्ध व्यवस्था की जांच करना ;

[श्रीमती शीला कौल]

(5) यह पता लगाना कि प्रश्न पत्र पहले से कैसे पता लगता है तथा प्रश्नपत्र के पहले से पता लगाने के सम्बन्ध में पुनः परीक्षा के आदेश देने के सिद्धांतों का सुझाव देना ; और

(6) परीक्षा के सम्बन्ध में सामान्यतः और प्रश्न पत्र के सम्बन्ध में विशेषकर गुप्त जानकारी के पता लग जाने को रोकने के उपायों की सिफारिश करना।

समिति के ये निदेश पद हैं। किसी भी व्यक्ति के पास यदि इस तरह के साक्ष्य हों कि प्रश्न पत्र पहले से पता लगा है तो वह मामला भी समिति को भेजा जा सकता है। माननीय सदस्य ने मैकेनिकल ड्राइंग और अन्य प्रश्न पत्रों से पहले से पता लगने का उल्लेख किया है। बोर्ड को इस सम्बन्ध में कभी कोई साक्ष्य नहीं मिला है और यदि कोई साक्ष्य उपलब्ध हों तो वह इस समिति के सम्मुख पेश किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रश्न-पत्र के पता लगने के तुरन्त बाद ही सम्बन्धित अधिकारियों को कुछ निदेश जारी करेगी ?

श्रीमती शीला कौल : प्रधानाचार्यों को पहले सम्बन्धित साक्ष्य का पता लगाना चाहिए। कुछ मामलों में उन्होंने ऐसा किया है परन्तु जीव विज्ञान, भौतिकी और गणित के सम्बन्ध में जब मामले जानकारी में लाये गए तो उन पर तुरन्त कार्यवाही की गई तथा समाचार पत्रों में इनसे सम्बन्धित समाचार बहुत बाद प्रकाशित हुआ। परन्तु क्योंकि उस समय जांच कार्य चल रहा था, वे नहीं चाहते थे कि इस सम्बन्ध में कोई शोर शराबा किया जाए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अखिलभारतीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 में गणित, रासायन शास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न-पत्रों के बारे में जो जवाब मन्त्री महोदय ने दिया है, वह वास्तव में संतोषप्रद है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बोर्ड की जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और पत्रों जिस प्रकार की सूचना दी गई थी, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स आफ इण्डिया में और अन्य पत्रों में जो सूचना आई, तो क्या उससे पहले प्रिंसपल ने या किसी अधिकारी ने इस लीकेज के बारे में किसी प्रकार की इन्फार्मेशन दी थी। अगर इन्फार्मेशन गई, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस सोर्स से वह इन्फार्मेशन आई और कब वह इन्फार्मेशन दी गई और उसके आधार पर बोर्ड के सैक्रेटरी ने कब एक्शन लेना शुरू किया।

दूसरी बात मैं यह जाना चाहता हूं कि परीक्षा पेपर्स किस की कस्टडी में थे। डिप्टी सैक्रेटरी के ग्रेड के बराबर के अधिकारी की कस्टडी में ये पेपर्स होने चाहिए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो पेपर्स लीक हुए, ये किस अधिकारी के कस्टडी में थे।

तीसरी बात यह जानना चहता हूं कि क्या इस में सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्डरी एजूकेशन के एम्पलाइज का हाथ है, जिसके कारण पेपर्स लीक हुए।

परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रणाली और पद्धति की जांच के आप ने आदेश दे दिए हैं और एक जनरल वे में और इस स्पेसीफिक केस में आप ने जो आदेश दिये हैं, इसकी हम सराहना करते हैं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो स्पेसीफिक कैस है, इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी क्योंकि अगर इसमें विताम्ब होता है, तो इसका प्रभाव कम होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच इस केस को डील कर रही है, उसकी क्या प्रगति है और शिक्षा विभाग मे किसी अधिकारी को यह जिम्मेदार सौंप रखी है कि वह इस बात की पूरी जानकारी रखे कि पुलिस जो इसमें कार्यवाही कर रही है, वह ठीक ढंग से कर रही है। इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है या नहीं, मैं इसकी जानकारी भी चाहता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी जानकारी के लिए यह पूछा है कि सबसे पहले कब इसके बारे में मालूम हुआ। मैं बताना चाहती हूं कि सबसे पहले 12 मार्च को इसकी इत्तिला मिली थी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने इस ख्याल से इस बात को फैलाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि पुलिस को कह दिया था कि वह इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दे। हमें ऐसा बताया गया था कि अगर एक दम से इस बात को बताते हैं, तो एवीडेंस गड़बड़ाएगी। इसलिए हम इसके बारे में चुप रहे।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि क्या ह० में सी० वी० एस० ई के कुछ लोग इनवोल्व्ड हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें एक जांच होगी।

आपको याद होगा कि कोई सात-आठ दिन हुए, एक अखबार में निकला था कि एक बहुत बड़ा पेपर निकला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही आयेगा लेकिन जब उसको देखा गया तो वह पर्चा बिल्कुल दूसरा था। यह कहना कि पेपर लीक हो जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ चीजें इन्वाल्व्ड हैं। लेकिन यह कहना कि सी० बी० एस० टी० इन्वाल्व्ड है, यह बात अभी हमारी जानकारी में नहीं आयी है। बल्कि ऐसा भी हुआ, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि एक लड़के की तस्वीर निकली है, जिसकी आंख नही दिखायी हैं लेकिन उसकी कमीज पर सारे सवाल और जवाब लिखे हुए हैं। उसके बारे में जब किसी को मालूम पड़ा और बोर्ड के आफिशियल्स को किसी ने फोन किया तो बोर्ड के आफिशियल्स फौरन वहां पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इन्वीजिलेटर ने उस लड़के को पहले पकड़ रखा है। इस तरह से बोर्ड अपनी तरफ से भी काफी अलर्ट है। वह लड़का पकड़ा गया है।

[श्रीमती शीला कौल]

आपने पूछा कि इन्क्वायरी कब तक होगी। इसमें 6 महीने लगेंगे क्योंकि हम उन लोगों को कमेंटी के सामने एवीडेंस देने का मौका दे रहे हैं जो समझदार हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यह कहूंगी कि वे लोग कमेटी के सामने पेश हों और मेरी राय दें कि इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अब कमेटी रोज बैठती नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह लीक कब हुआ ?

श्रीमती शीला कौल : जैसा मैंने कहा कि 12 तारीख को हुआ था।

अब क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और यह बेहतर होगा कि वह अपना काम करती रहे और हम उसके काम में इन्टरफीअर न करें और देखते रहें कि क्या काम हो रहा है।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : उपाध्यक्ष जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कालिंग अटेंशन के जरिये वह बड़ा गंभीर और सीरियस मसला है। यह जो हमारा एजूकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको ठीक करने के लिए बहुत-सी कोशिशें की गयी हैं और बहुत दिनों से चिंता भी व्यक्त की जा रही है।

इस के लिए 1946 में एक राधाकृष्णन कमीशन कायम हुआ था। आप उसकी रिपोर्ट को देखें। तकरीबन 32 सालों के बाद भी यह चीज अभी तक चल रही है। में उस रिपोर्ट में से कोट कर रही हूं—यदि विश्वविद्यालय में सुधार के लिए कोई सुझाव हमें देना है तो वह परीक्षा होनी चाहिए।

देश के आजाद होने के बाद इतनी सीरियसनेस से कमीशन बनाया गया था और उसने बताया था कि हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज लाएं और दूसरी सारी चीजें लाएं।

मैं मंत्री जी का ध्यान एक और कमीशन की तरफ दिलाना चाहूंगी जो कि 1956 में सेट अप हुआ था कि उसका भी तकरीबन यही कहना था

> "बाह्य परीक्षा का उच्च शिक्षा के कार्य के परिमाण पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव इतना अधिक है कि परीक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है।"

जब हम आजाद हुए थे यह उस वक्त की समस्या नहीं थी। उसके बाद एजूकेशन का बहुत प्रसार हुआ और स्कूल कालिज एजूकेशन बहुत बढ़ी। उस वक्त से ये बातें जेरे गौर हैं। मैं

यह जानना चाहती हूं कि ये जो कमीशन कायम हुए और उनकी रिपोर्टस आयी, उनके ऊपर आपने ध्यान दिया है या नहीं ? क्या उनको कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं ?

दूसरे ये जो क्वेश्चन पेपर लीक आऊट हो रहे हैं, यह चीज बतला रही है कि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले स्कूल और कालिजों में ही ऐसा होता था अब यह चीज मेडिकल कालिजों में भी पहुंच गयी है। सबसे बड़ी चीज तो यह है पब्लिक स्कूल, जिनका कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त समझा जाता है वहां भी अब यह चीज होने लगी है।

वहां से ये लोक-आऊट होने लगे तो मैं समझती हूं कि यह बड़ी भारी सीरियस चीज है। जो लड़के नकल करते हैं और दिन-ब-दिन यह चीज बढ़ती जा रही है, कहीं-कहीं तो समाचार आते हैं कि वलिदान खुद बच्चों को नकल में मदद देने के लिए जाते हैं तो यह बड़ी सीरियस चीज नहीं है, लेकिन यह जो लीक-आऊट होते हैं इससे पूरा एजूकेशन सिस्टम असर-अन्दाज होता है। इट इज ए वैरी सीरियस प्राब्लम इस चीज को कम करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए सरकार कौन से तरीके अपनाने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

एक बात और में कहना चाहती हूं जिससे हमारे बच्चों को नुकसान होता है कुछ परसेंटेज बच्चों का ऐसा है जो कापिंग करने की कोशिश करता है, गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहां जो एजुकेशन सिस्टम है वह अंग्रेजों के जमाने का है और इस सिस्टम से हिन्दुस्तानी लड़के क्लर्क ही बन सकते हैं, जिनके पास अन्य साधन नहीं हैं। इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं निकलता। इसमें परिवर्तन लाने की बात आप सोच रहे हैं, मुझे खुशी है और इस बारे में आपको भी बयानात आए है और आपकी नजर इस प्राब्लम की तरफ है। आप भी तरीका-ए-तालीम में जरूरी परिवर्तन चाहते हैं जो बा- मकसद तालीम हो, बे-मकसद तालीम न हो। इसी की वजह से लड़कों का दिमाग इस तरफ जाता है।

वे बच्चे जिनका अकाडेमिक साल बरबाद होता है, जो कंपीटीशंस में नहीं बैठ सकते, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है तो उन बच्चों की परेशानी भी दूर करनी चाहिए जो बहुत मेजारिटी में हैं, मेजारिठी माइनारिटी से परेशान हो जाती है। दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में आप फिर से इम्तहान कराएंगे लेकिन मेरी इत्तिला है कि बहुत से पेपर्स लीक हुए हैं, जिनकी इत्तिला डर की वजह से नहीं दी गई है, क्योंकि जो इनविजिलेटर्स हैं वे डरते हैं और डर की वजह से उनको रोकने की बात नहीं करते। इतना डर और दबाव हो गया है। इसलिए यह हो सकता है कि और पेपर भी लीक-आऊट हुए हों, लेकिन डर की वजह से उनकी इत्तिला न आई हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि क्या सरकार बतायेगी कि क्वश्चन पेपर कितने लोगों के हाथ में से गुजरता है और क्वश्चन पेपर को तैयारी से लेकर डिस्पैच तक कौन-कौन से लोग

[श्री मती शीला कौल]

उसमें शामिल होते है और सरकार ने उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक हिफाजत से पहुंचने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

एक बात और जानना चाहूंगी, जैसा कि इत्तिला आई है कि हिन्दुस्तान के बाहर जो आपके सेंटर्स हैं, वहां से सबसे पहले लीक-आऊट हुआ और वहां से किसी ने इत्तिला दी यहां हिन्दुस्तान में कि यह पर्चा है । क्या सरकार को मालूम है ।

इन सब चीजों का जवाब मैं सरकार से जानना चाहती हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : साढे सात सौ रुपए में दिल्ली में पेपर बिक रहे थे ।

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर मैं एक जवाब देना भूल गई थी जो बात एक माननीय सदस्य ने कहीं थी कि आई० आई० टी० के इम्तहान में कुछ बच्चे नहीं बैठ सकेंगे । मैंने पहले ही बताया है कि 5,7 और 8 अप्रैल को इम्तहान होंगे और आई०टी० के इम्तहान मई में होंगे । मैं मानती हूं कि ४-10 दिन बच्चों पर अधिक मेहनत पड़ेगी लेकिन आई० आई० टी० में जो बच्चे बैठते हैं, वे कोई मामूली बच्चे तो होते नहीं बडे काबिल लड़के होते है इसलिए मुझे अफसोस जरूर है कि समय उनको कम मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे इसमें अच्छे तरीके से हिस्सा ले सकेंगे ।

किसके पास क्वश्चन पेपर्स रखे जाते हैं, ये डिप्टी सिक्रेटरी के पास रखे जाते हैं और ये डिप्टी सेक्रेटरी 8 साल से काम कर रहे हैं । बड़े कान्फिडेशियल तरीके से काम किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके भी बीच में गड़बड़ी हुई है ।

मोहसिना जी ने शिक्षा-प्रणाली के बारे में बड़ी अहम बात पूछी है । किस तरह से इम्तहान लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं । ये प्रणाली उस जमाने की बनी हुई है जब अंग्रेज यहां थे ।

लेकिन इस में हम ने थोडा परिवर्तन किया है । यह परिवर्तन हम बराबर कर रहे हैं । एन०सी०ई०आर०टी० जो है वह इसको देखता है कि इम्तहान में कैसे तबदीली होनी चाहिए क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसको यह अच्छे तरीके से देख रहा है । सी०बी०एस०सी० जो है यह जो वहां से राय आती है जो सजैशज आते हैं उनको इम्प्लेमेंट करता है । शिक्षा में जो दिलचस्पी रखते हैं वे जानते हैं कि शिक्षा ऐसी चीज हैं कि जो कंटिनुअस पासेस है, बराबर चलती रहने वाली चीज है, इस में रिफार्म्ज तबदीली बराबर होती रहनी चाहिए । इस तरीके से जो लोग काम करते हैं वे लगन से करते है और देखते रहते है कि आज ऐसा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है ।

माननीय सदस्या ने पूछा है कि तैयारी से डिसपैच तक जो पर्चे किए जाते है उस में क्या-

क्या होता है ' आठ नौ इसकी सीढ़ियां हैं। सबसे पहले पेपर सैट किया जाता है। फिर उसको ट्रान्सलेट करते हैं। फिर उस पर्चे को माडरेट करते हैं। फिर ऐसा बनाते हैं कि वह छापा जा सके, प्रैस वर्दी हो जाए। फिर उन पर्चों को प्रेस के लिए डिसपैच किया जाता है।। बहुत गम्भीरता से देखना पड़ता है कि उस प्रेस को दिया जाए जिस पर पूरा पेथ और कान्फिडेंस हो और जहां और सरकारी चीजें दी जाती है वहां यह दिया जाता है । फिर सील लगती है। फिर बोर्ड के दफ्तर में जाता है बन्द लिफाफे में। उस पर फिर सील लगती है। इस तरीके से जब तक उनको सेंटर सुपरिटेंडेंटस को नहीं भेज दिया जाता है, उनकी बहुत हिफाजत की जाती है।

बाहर के मुल्कों से इत्तिला आई थी कि यह लीक हो गया है, यह सवाल भी मेरी बहन ने पूछा है। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद ऐसा हो कि वहां से किसी ने फोन कर दिया हो लेकिन यहां जब सुबह के नौ बजे होते हैं तो ऐसी बात नही है कि वह भी नौ ही बजे हो लेकिन वहां तब सुबह के पांच बजे होते हैं। यह वह समय होता है जब इम्तहान नहीं हो रहा होता है। इस वास्ते ध्यान में आया कि यह मुम्किन नहीं हो सकता है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : इम्तहान के पर्चे का आउट होना अब कोई नयी बात नहीं रह गई है। प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं पर्चे आउट होने के समाचार हम लोगों को मिलते रहते हैं। अब तो यह एक बाकायदा धन्धा हो गया है और कुछ लोग इस में लग गए हैं और इसमें कमाई भी काफी उनको हो रही है। मैं पहले आपका ध्यान गैस पैपर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। प्रत्येक जगह और दिल्ली में भी गैस पैपर छपते हैं और उनके जवाब भी साथ-साथ वे लोग छापते हैं। पूरी किताब छापते हैं और वह बाजार में धड़ल्ले के साथ बिकती है। ऐसा कभी कभी होता है कि उन गैस पैपर्स में जो क्वेश्चंज दिए होते हैं वे पैपर्स में भी आ जाते हैं, परीक्षा में भी सैट हो जाते हैं, कभी-कभी पचास परसेन्ट, कभी-कभी सत्तर परसेन्ट और कभी-कभी सैन्ट-परसैंट भी आ जाते हैं। कभी पूरी जानकारी दी जाती है कभी आधी दी जाती है लेकिन जानकारी जरूर दी जाती है। दिल्ली में भी यह होता है और देश के दूसरे भागों में भी होता है। गैस पैपर्स का जो धन्धा चल रहा है उसको रोकने के लिए आप कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

इस संबंध में कभी आपका ध्यान गया है कि नहीं ? इस बार जो आल इण्डिया सीनियर सैकेन्ड्री बोर्ड के पर्चे आउट हुए हैं वह पर्चे कहां से आउट हुए इसकी तो जांच हो रही है। अभी तक जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, पुलिस भी जांच कर रही है और मन्त्री जी ने आन्ध्र प्रदेश के एक शिक्षा विशारद को नियुक्त किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि क्वेश्चन पेपर डिप्टी सेक्रेटरी की देख रेख में बनाए जाते हैं और उन्हीं की देख रेख में रहते हैं। तो आया यह क्वेश्चन पेपर उस स्तर से हैं या जब यह सैन्टर्स में भेज दिये गये हो तब वहां से आउट हुये हैं. आउट हुए क्योंकि इम्तहान से दो, तीन दिन पहले क्वेश्चन पेपर जरूर वहां भेजे जाते होंगे। तो कहां से

[श्री जैनुल बशर]

लीकेज हुआ है ऊपर से या सेन्टर के स्तर पर। जो ऐग्जामिनेशन सैन्टर्स हैं वहां क्वेश्चन पेपर्स के रख रखाव, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाती है, कैसे वह रखे जाते हैं और कैसे खोले जाते हैं ? और दो, तीन दिन इम्तहान से पहले का जो वक्त है जब वह रखे जाते हैं तो उसकी जानकारी किसी को रहती है कि नहीं ? हो सकता है वहीं से लीकेज होता हो ? आजकल ऐग्जामिनेशन सैन्टर्स पर गुंडई बहुत बढ़ गई है।

मन्त्री जी कह रही थीं कि जमाना बहुत बदल गया है और इस हद तक बदल गया है कि जो विद्यार्थी है, उनके पिता या गार्जियन्स हैं सारे लोग ऐसे लग जाते हैं कि बच्चे को किसी तरह से पास कराना है, चाहे पैसा देकर नकल करने से या पर्चा आउट हो जाये या डण्डा और पिस्तौल के जोर पर। प्रिन्सिपल को धमकाया जाता है कि उनके बच्चे को पास कराया जाय, पर्चे की नकल कराये। दिल्ली में होता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश के रिमोट एरियाज में यह होता है। क्या इस सबध मे मन्त्री जी ने कुछ सोचा है कि प्रिन्सिपल और सेन्टर्स की सुरक्षा की व्यवस्था हो ?

दिल्ली में तो उन्होंने तीन पर्चों के रीऐग्जामिनेशन के आर्डर्स कर दिये। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि एस० टी० डी० द्वारा पर्चों का लीकेज देश के दूसरे भागों तक चला गया हो ? जैसे कलकत्ता या बम्बई जहां एस० टी० डी० है। वहां जिनको मालूम हुआ हो उन्होंने वहां उन पर्चों को आउट कर दिया हो, जब कि वहां से कोई समाचार यहां नहीं आ रहा है ? इस सम्बन्ध में कनकीट ऐवीडेंस की बात समझ में नहीं आती। इसमें तो अगर शुबहा भर हो तो उसी पर कार्यवाही करनी चाहिए, वरना इम्तहान का कोई मकसद नहीं रह जाता है।

वाइड स्प्रैड पेपर्स की लीकेज और नकल को देखते हुए क्या शिक्षा मन्त्री जी विचार करेंगी कि इम्तहान को ऐसा बनाया जाए कि लड़के दो साल की पढ़ाई लिखाई का इम्तहान जो अभी 15 दिन के अन्दर देते हैं इसको समाप्त किया जाय और उसके स्थान पर सैशनल इम्तहान हो ? कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसमें नकल न हों और बच्चों को उस पढ़ाई का फायदा हो सके ?

इस सम्बन्ध में भी क्या कभी मन्त्री जी ने ध्यान दिया है ? एन० सी० ई० आर० टी० को क्या कोई ऐसा प्रपोजल आपने रखा है कि ऐसी परीक्षा प्रणाली हो जिसमें न नकल की ओर न लीकेज की व्यवस्था हो ? मैं जानता हूं कि ऐसी प्लानिंग दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में चल रही है और अच्छी चल रही है और लड़के बराबर पढ़ते रहते हैं। उसमें इन-डिसिप्लिन की बात भी नहीं रहती है जैसी कि हमारे देश में हो रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : एक बात, एक बात कितनी बार कहेंगे ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : बात में बात निकलती है।

श्री जैनुल बशर: दिल्ली में हायर सैकेन्डरी बोर्ड का दफ्तर है। यहां पर सारे अधिकारी हैं और लीकेज का पता बिल्कुल आसानी से चल गया, लेकिन हमारे मित्र श्री एडुआर्डो फैलोरी ने बताया कि और भी क्वेश्चन पेपर कहीं न कहीं लीकेज हुआ है। मुझे डैफिनिट नालेज है कि कलकत्ता में इसके अलावा भी पेपर्स की लीकेज हुई है। मेरे पास इसकी एवीडेंस नहीं है, लेकिन कलकत्ता से मेरे पास खबर आई है कि वहां लीकेज हुआ है। उसकी तरफ भी क्या मन्त्री महोदय ध्यान देंगी ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो उन्होंने खुद ही कही हैं और उसका जवाब भी दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई लीकेज हो तो उस की एवीडेंस होनी चाहिए, तब मालूम होगा कि लीकेज हुई है। माननीय सदस्य ने खुद ही कहा है कि कलकत्ता में जो हुआ है, उसकी एवीडेंस उनके पास नहीं है। हमारे पास भी इस वक्त तक कोई एवीडेंस नहीं है और ना ही कोई रिपोर्ट है कि कलकत्ता में लीकेज हुआ है। ऐसे वक्त में अफवाहें भी बहुत फैल जाती हैं।

गैस पेपर्स का बनना और लीकेज होना यह दो चीजें मुख्तलिफ हैं। गैस-पेपर्स तो लोग अपने घरों में भी कहते हैं कि बेटा पिछले साल यह आया था, इस साल यह आ सकता है, तो हर आदमी गैस करता है। इस तरह से गैस पेपर नहीं बनता है। लीकेज और चीज है। जैसा मैंने कहा कि गैस पेपर्स तो आपस में लड़के-लड़कियां और पेरेन्ट्स भी अपनी राय देते हैं। तो इसमें यह फर्क है।

जो गाइड-बुक्स बनाते हैं, गैस पेपर्स छापते हैं उनकी जानकारी रहती है, और ऐसे लोगों को कभी भी नहीं कहा जाता कि आप क्वेश्चन सैट करें, यह फायदा बना हुआ है।

जो यह कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर्स डिप्टी सेक्रेट्री के पास रहते हैं, यह ठीक है। डिप्टी सैक्रेटरी पिछले 8 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यह कहना कि डिप्टी सैक्रेटरी की नीयत बदल गई है यह हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन लीकेज हुआ है, किस स्टेज पर हुआ है, यह इंवैस्टीगेशन हो जाएगी, तभी मालूम होगा। यह मेरे लिए कहना मुमकिन नहीं है कि लीकेज किसने किया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जवाब सैटिस्फैक्टरी है।

श्रीमती शीला कौल : हमें कोई इत्तिला नहीं मिली है कि एस० टी० डी० से लीकेज आफ क्वेश्चन की इन्फार्मेशन भेजी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य की दूसरी मद पर आते हैं। श्री डी० पी० यादव यहां नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कार्य की दूसरी मद पर जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन शाम को आप पीठासीन थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बात समाप्त हो गई है। कृपया कुछ कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी ने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही में शामिल न किया जाये। अब नियम 377 के अधीन मामले उठाये जायें। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैंने कोई असंसदीय बात कही है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बिना अनुमति के बोलने खड़े हुए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या अब मुझे आपकी अनुमति है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह मामला समाप्त हो चुका है। आप उसे दोबारा क्यों उठाना चाहते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं कार्यवाही में से कुछ अंश निकाले जाने के बारे में नहीं कह रहा हूं। गृह मन्त्री ने किस कारण से वक्तव्य दिया? क्या पीठासन अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने के निदेश दिये थे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप कृपया गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को भी कार्यवाही से निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश आप दोनों ही भूतपूर्व मन्त्री हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु हम वर्तमान मन्त्री के बारे में बोल रहे हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) माही नदी के पानी के उपयोग संबंधी समझौते का गुजरात राज्य सरकार द्वारा कथित उल्लघंन

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के दरमियान सन् 1966 में एक समझोता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडाणा बांध 419 फीट की ऊंचाई पर बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़ा जिले को सिंचित करने के लिए लिया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कडाणा नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सब से सूखे इलाके, बाड़मेर एवं जालोर, में काम आएगा ।

गुजरात में सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अवहेलना कर के खेड़ा ज़िले को नर्मदा से सिंचित न कर के माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया गया है । यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है, तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा । इस प्रकार की कार्रवाई 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है ।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, बाड़मेर एवं जालोर जिलों, को सिंचित करने के लिए माही ही कम खर्च में जल पहुंचाने का एकमात्र उपाय है । परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उससे राजस्थान प्रान्त में, और विशेषत: बाड़मेर एवं जालोर जिलों में, घोर असंतोष है। गुजरात प्रान्त का यह कहना है कि न्यायाधिकरण ने नर्मदा में उन्हें अधिक हिस्सा नहीं दिया है, अत: वह माही के पानी का उपयोग करेगा । यह तर्क न्यायसंगत नहीं है । राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है । राजस्थान सरकार ने जो मांग की थी, उसे उसका सिर्फ चौथाई हिस्सा मिला है ।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों, बाड़मेर एवं जालोर, में पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई का कडणा बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था ।

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में करीब एक वर्ष पहले हुई थी । गुजरात सरकार द्वारा इस समस्या को

हल करने में जान-बूझ कर विलम्ब किया जा रहा है और केन्द्र सरकार भी राजस्थान सरकार को उसका हक प्राप्त करने में उचित सहयोग देने में विलम्ब कर रही है। यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त, विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र, बाड़मेर एवं जालोर जिलों, के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय जल स्रोत कौंसिल, नैशनल वाटर रीसोर्सिज कौंसिल; में रखा जाए और प्रधान मंत्री जी विशेष दिलचस्पी ले कर जल्दी से जल्दी निर्णय करा कर राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं।

(दो) अधीन वसूली की सरकारी नीति का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अफीम-उत्पादक किसानों की परेशानियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अफीम की खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से की जाती रही है। आज भी दुनिया में अत्यधिक मात्रा में अफीम भारत में पैदा होती है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय कृषि उत्पादन है जिसका उपयोग जीवन-रक्षक औषधियों में किया जाता है। देश की कई औषधियां बनाने वाली, फैक्टरीज की आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त विश्व बाजार में भी भारतीय अफीम एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसमें मारफीन की मात्रा सब से अधिक होती है। इस लिए इनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत सरकार को अच्छी विदेशी मुद्रा मिलती है। आज देश में 25 लाख किसान इसकी खेती में लगे हैं। यू० पी० तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ मात्रा में इसकी खेती होती है, पर मुख्यतया इसका उत्पादन मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिले में, होता है। वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स विभाग इसकी क्रय-नीति तथा निर्यात-नीति तय करता है। अभी हाल ही में इनके खरीद मूल्य की सरकारी नीति से इसके उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है।

आज खेती की सब चीजों के मूल्य बढ़े हैं। खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि के मूल्य बढ़े हैं। आपने गेहूं तथा अन्य अनाज के सरकारी खरीद मूल्य को बढ़ाया है, पर अफीम-उत्पादकों के मूल्यों को पता नहीं क्यों घटाया गया है।

अफीम बड़ी नाजुक फसल है। मौसम में परिवर्तन, बादल का होना, हवाएं इस पर कुप्रभाव डालती हैं। इस समय ओला-वृष्टि तथा तेज हवाओं से किसानों की अफीम की फसल नष्ट हो गई है। ऐसे भी बड़ी निपुणता से यह खेती होती है। अब सरकार की नई नीति से अफीम-उत्पादक किसान बहुत परेशान हैं। आपने खरीद के स्लैब बनाए हैं :—

(1) 30 कि० ग्राम प्रति-हैक्टर से कम उत्पन्न करने पर — 130 रुपये प्रति कि० ग्राम

(2) 30 कि० ग्राम से अधिक, पर 45 कि० ग्राम से कम पर —240 रुपये प्रति कि० ग्राम

(3) 45 कि०ग्राम से अधिक, पर 60 कि० ग्राम से कम पर— 280 रुपये प्रति कि० ग्राम

(4) 60 कि० ग्राम से अधिक पर— 300 रुपये प्रति कि० ग्राम

यह उच्चतम दर केवल अतिरिक्त अफीम की मात्रा पर ही दी जाएगी, जिस श्रेणी में वह आती है, न कि पूरी अफीम पर। पूर्व की नीति में पैसे तुलनात्मक रूप से कम थे, पर वह पूरी अफीम की मात्रा पर मिलते थे। इसलिए किसान अधिक से अफीम सरकार को ही ईमानदारी से देना चाहता था।

अब आपके इस स्लैब सिस्टम से कुल मिला कर जो काश्तकार ईमानदार हैं, अधिक उत्पादन करते हैं, वे नुकसान में रहेंगे। आप किसानों की मेहनत और उनकी मजबूरी को ध्यान में रखें। समय रहते ध्यान दें, वर्ना धीर-धीरे किसान इस नाजुक तथा परिश्रम साध्या खेती को छोड़ कर अन्य वाणिज्यिक फासले बोने लगेगा।

आप कहते हैं कि हमारे पास विश्व बाजार में अफीम नहीं बिक रही है, भारी स्टाक जमा है। क्यों नहीं आप इस दुर्लभ तथा जीवन-रक्षक औषधियों के निर्माण के कच्चे माल को बेचने के लिए विश्व बाजार ढूढ़ते हैं ? राष्ट्रीय औषधि निर्माण उद्योगों में भी इसकी खपत बढ़ाई जा सकती है।

(तीन) दिल्ली में समाज विरोधी तत्वों द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने को रोकने के लिए उपाय

श्री कंवर राम : उपाध्यक्ष महोदय, असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वे गरीब मजदूरों को बहका कर जगह जगह पर खाली स्थानों पर झोपड़ियां लगा देते हैं और स्थानीय अधिकारियों की साठ-गांठ से उन जमीनों पर पुराना कब्जा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें राशन कार्ड आदि बनवा देते हैं और मतदाता सूची में भी उनका नाम लिखवा देते हैं और बाद में जब सफाई अभियान के दौरान उन्हें उजाड़ा जाता है तो सरकारी नीति के अन्तर्गत उन्हें 25-25 गज जमीन और अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसका लाभ यदि शहरों के गरीब कामगारों को मिलता तो बेहतर बात होती

[श्री जी० एम० बनातवाला]

परन्तु ऐसा नहीं होता। जो असामाजिक तत्व उन्हें जैसे तैसे जमीन आवंटित कराते हैं वे ही उनसे कई तरह के कागज बनवा कर जमीनों को अपने हाथ में कर लेते हैं और फिर उसे बाजार भाव पर बेचते हैं। उसके बाद फिर से किसी दूसरे प्लाट पर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं।

अगर दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों का सर्वे किया जाए तो उसके 60-70 प्रतिशत मूल आवंटी गायब पाये जायेंगे और उनकी जमीन, उनका मकान गैर-मजदूर के हाथ होगा। अधिकांश परिवार पावर आफ एटार्नी अर्थात मुखतारनामा प्राप्त किए रहते हैं लेकिन सच्चे अर्थ में उस मकान जमीन के खरीदार दूसरे होते हैं। लक्ष्मी नगर और जनकपुरी, जहां, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गगनचुम्बी इमारतों की बाजार अर्थात् जिला केन्द्र बनाने का निर्णय लिया है, वहां अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे है। वहां के मूल आवंटी भी आपनी आस-पास की पड़ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सूचना मिली है कि लक्ष्मी नगर के रामदास नगर में दो हेक्टेयर भूमि पार्क के लिए सुरक्षित थी जिसका भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। पुलिस सूचना दर्ज करने से इन्कार करती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इन क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा रातों रात सैकड़ों झोपड़ियां खड़ी की जा रही है। वे लोग अपने को प्रधान कहते हैं परन्तु वास्तव में वे गुण्डे हैं। आस-पास की जनता को डरा धमका कर झुग्गी-झोपड़ी बस्ती बनाने का धंधा कर रहे हैं। सरकार को राजधानी में एक अभियान चलाकर उन गुण्डों को गिरफ्तार करना चाहिए और अवैध कब्जा हटाना चाहिए।

सच बात तो यह है कि भूमिहीनों के नाम पर वे लोग धंधा कर रहे हैं। उसे दूर किए जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए और देश में समस्त भूमिहीन मजदूरों की सूची बना कर उन्हें एक निर्धारित तिथि को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए ताकि बिचौलियों और दलालों की दाल न गल सके।

(चार) पेरियार नदी की लवणता को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : पेरियार नदी का क्षारीय प्रभाव बढ़ने के कारण कोचीन-अलवाय औद्योगिक क्षेत्र में उम्मीर संकट उत्पन्न हो गया है। क्षारिता के कारण इसे क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां सर्वथा बेकार हो गई हैं। ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, इन्डियन रेयर अर्थस, प्रिमियर टायर्स, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स और अन्य कारखाने अपने मूल्यवान उपकरणों की क्षति पहुंचने के डर से पिछले एक सप्ताह से बन्द पड़े हैं। 'फैक्ट' उद्योग मंडल डिवीजन सबसे ज्यादा हानि हुई है।

संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की भूतपूर्व सरकार ने केरल में विलास तथा समुचित उपायों का अध्ययन करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। तथापि वह सम्मेलन सरकार द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण रद्द कर दिया गया।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरन्त कोई कार्यवाही करें और इस गम्भीर संकट का हल निकाले। इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालीन उपाय भी किए जाएं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस गम्भीर संकट का सामना करने के लिए सभा में एक वक्तव्य दें।

(पांच) मुवत्तुपूजा नदी के प्रदूषण को रोकने के उपाय

श्री के० कन्हाम्बु (कन्नानोर) : मैं सरकार का ध्यान केरल में वैल्लोर स्थित अखबारी कागज के कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी के कारण मुवत्तुपूजा नदी के पानी के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कारखाने की स्थापना करना केरल के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु पानी, वायु आदि के प्रदूषण के संबंध में सुरक्षा उपायों का करना भी आवश्यक है। वैल्लोर स्थित अखबारी कागज के कारखाने के संबंध में लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि प्रबंधक पानी के प्रदूषण के हानिकर प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं।

मुअत्तुपूजा नदी उन कुछ नदियों में से हैं जो अभी तक जल प्रदूषण से बची हुई है। इस नदी में साल भर बिल्कुल साफ पानी बहता हैं और यह कोट्टायम के वायकोम, कन्यानुर और चेरतालइ ताल्लुकों तथा केरल के एरणाकुलम और एलेप्पी जिलों के लोगों का जीवन आधार है।

इस का खाने में प्रतिदिन 40 करोड़ लिटर पानी उपयोग में आता है। कारखाने में लगा शोधन संयंत्र केवल आक्सीजन पर नियंत्र रखने के लिए ही है। पानी में मिलने वाले अन्य जहरीले पदार्थों को नष्ट करने में यह कारगर नहीं हैं। पानी में मिलने वाले पारे से आंखें खराब हो जाती हैं और अंग बेकार हो जाते हैं तथा इसका दुष्प्रभाव नवजात शिशुओं पर भी पड़ता है। यह निश्चय ही बड़ी खतरनाक स्थिति है।

ऐसी परिस्थितियों में लोगों को प्रदूषण के हानिकर प्रभाव से बचाना आवश्यक है। जहरीले द्रव्य को पाइपों के द्वारा ले जाकर दूर समुद्र में डाला जा सकता है। मूल परियोजना में ऐसा ही प्रस्ताव था परन्तु बाद में इसे छोड़ दिया गया। अतः मैं सरकार से इस संबंध में तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छः) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में चलते फिरते डाकघर की आवश्यकता

श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम(तिरुनेलवेली) :नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित लोक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं ।

तिरुनेलवेली नगर 20 वर्ग मील के क्षेत्र मे फैला है तथा इसकी जनसंख्या 5 लाख है । वहां नगर समिति, नगर पंचायत और नगर पोलिका है । वहां कई कालेज और बड़े-बड़े औद्योगिक उपक्रम हैं । यह तिरुनेलवेली जिले का मुख्यालय हैं । वहां पर्याप्त डाकतार और संचार व्यवस्थाएं नहीं हैं । हम 3 म० प० के बाद रजिस्ट्री डाक नहीं भेज सकते और 5 म० प० के बाद साधारण डाक । यदि कोई आवश्यकता आ पड़े तो लोगों को कई मील चलकर तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन रेलवे डाक सेवा के कार्यालय या पलायमकोट्टाई स्थित डाकघर मुख्यालय में जाना पड़ता है । वहां पहुंचने के लिए लगभग एक घटे पैदल चलना पड़ता है । लोगों को 15 पैसे का पत्र डालने के लिए 80 पैसे बस के किराये में खर्च करने पड़ते हैं । यहां एक चलते फिरते डाकघर की नितान्त आवश्यकता है जो शाम को कार्य करें । यह चलता फिरता डाकघर महाराज नगर, पेरूमलपुरम, शंकरनगर, मेलापालयम, पेट्टाई, हिन्दू कालेज, तिरुनेलवेलीनगर गांधीनगर, थाटचानालूर, समाधानपुरम, पलायमकोट्टाई आदि महत्वपूर्ण स्थान पर रुकना चाहिए ।

इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

(सात) राजस्थान में सूखे और पीने के पानी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान को अधिक केन्द्रीय सहायता

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) ; इस वर्ष पूरा राजस्थान, विशेष रूप से जोधपुर क्षेत्र, अकाल तथा पेय जल की समस्या का सामना कर रहा है । अकाल सम्बन्धी विकास कार्यक्रम ने इस क्षेत्र में कोई कारगर असर नहीं दिखाया है । इसके अलावा, ग्रामीण एकीकृत विकास कार्य का अभी बेहतर परिणाम नहीं निकला है ।

यहां तक कि कम से कम मरुस्थल क्षेत्रों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास के नवीकृत बीस सूत्री कर्यक्रम को भी, जिस पर इतना बल दिया गया है, अभी शुरू नहीं किया गया है ।

यदि सरकार इस सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय विश्व बैंक से सहायता की व्यवस्था नहीं करती और पेय जल के नये स्रोतों का पता लगाकर और नई योजनाएं तैयार करके कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध करने के उपाय नहीं करती तो हमें अभूतपूर्व समस्या का सामना करना पड़ेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त जोधपुर नगर का भी जिसकी आबादी लगभग 6 लाख हो गई है, इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर नगर के लिए पेय जल मुख्यत: पाली जिले में जवाई बांध से सप्लाई किया जाता है। वहां से पहली बार सप्लाई का बहाव इतना कम है कि ऐसी स्थिति इतनी जल्दी ही आ गई है कि पानी की सप्लाई बिल्कुल बन्द हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जोधपुर नगर में विभिन्न स्थानों पर हैडपम्प लगाने का निर्णय किया है। लेकिन सरकारी स्वास्थ्य इन्जीनियरी विभाग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि 90 प्रतिशत हैंड पम्पों का पानी पीने के उपयुक्त नहीं है। यह भी पता चला है कि जल पूर्ति विभाग लोगों को चेतावनी देने जा रहा है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तथा जहरीले तत्व बहुत अधिक मात्रा में हैं और यह पानी विशेषकर बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। हजारों व्यक्तियों के अपंग हो जाने का भय है। लेकिन जल पूर्ति विभाग की चेतावनी के बावजूद लोग इस पानी को पीने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से जल की व्यवस्था करके उन्हें पाइप लाइनों द्वारा युद्ध स्तर पर जल की पूर्ति करनी चाहिए। इस डिवीजन की जल समस्या को राजस्थान नहर से जल की सप्लाई करने की योजना बनाकर हल किया जा सकता है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस जटिल समस्या की ओर ध्यान दें और राज्य सरकार को अतिरिक्त अपेक्षित सहायता प्रदान करे। अन्यथा इस क्षेत्र के लोगों को बहुत गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें, 1982-83

रक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 19-24 पर चर्चा की जाएगी और उन पर विचार किया जायेगा। जिसके लिए 5 घंटे आवंटित किए गए हैं। सभा में उपस्थिति जिन माननीय सदस्यों ने अनुदानों की मांगें के संबंध में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहें तो 15 मिनट के भीतर पर्चियां सभा पटल पर भेज दें, जिन पर उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या इंगित हो, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। उन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जायेगा। कटौती प्रस्तावों को दर्शाने वाली सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर लगा दी जाएगी।

यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो वह कृपया अविलम्ब सभा पटल अधिकारी का ध्यान उस ओर दिलायें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मन्त्री जी कब उत्तर देंगे आज या कल ?

statement regarding motion and demands not given

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : आज 5 बजे केरल बजट लिया जाएगा। अत: मैं कल उत्तर दूंगा। सदस्य आज सारे दिन का उपयोग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए 5 घंटे नियत किए गए हैं। प्रो० रूपचन्द पाल के दल को 1980 मिनट दिए गए हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा व्यय में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है और वित्त मन्त्री ने अपनी भाषा में बड़े सरल ढंग से कह दिया है हमारे नियत्रण से बाहर की स्थिति होने के कारण चलू वर्ष के मूल बजट में 900 करोड़ रुपये की वृद्धि करके 5100 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। तनाव बढ़ रहा है। सभा में सभी दलों के सदस्य सहमत होंगे कि हमारे उप महाद्वीप में युद्ध का वातावरण बन रहा है और हिन्द महासागर में तनाव बढ़ रहा है।"

महोदय, प्रतिवेदन में कहा गया है कि बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ के कारण विश्व स्थिति में गिरावट आ रही है। यह बड़ी शक्तियों की होड़ क्या है। मर्शल डी० एफ० उस्तीनोव के नेतृत्व में सोवियत दल के साथ हुई बैठक में माननीय रक्षा मन्त्री के कुछ दिन के पहले भाषण को देखने से स्पष्ट हो जायेगा।

विश्व में तनाव का उल्लेख करते हुए भी वेंकटरामन ने कहा है कि कुछ देशों में सत्ताधारी लोग बातचीत की बजाय शस्त्रों पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण है। तथापि सोवियत संघ बातचीत पुन: शुरू करने के लिए प्रयत्नशील है। और भारत भी इस क्षेत्र में यही कार्य कर रहा है।

महोदय न केवल हमारे नेता श्री वेंकटरामन ने ऐसा कहा बरन हमने अपने विदेश मन्त्री श्री राव को भी हिन्द महासागर में तनाव के बारे कहते सुना कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिए सम्मेलन बुलाने के बारे में अमरीका आपत्ति कर रहा है वातावरण में तनाव क्यों बढ़ रहा है ? कौन युद्ध का वातावरण बना रहा है। यह सब अमरीकी साम्राज्यवाद का काम है जो तीसरे विश्व के हमारे जैसे विकासशील देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है। पाकिस्तान को हथियार देने से शुरू करके अब उन्हें मति विकसित हथियार जैसे एफ-16 विमान देना, सोवियत संघ को शांति का नम्बर एक शत्रु बताना आदि इस तनाव के कारण हैं।

जब कि प्रधान मन्त्री तथा अन्य सभी सोवियत संघ की शान्ति सन्धि की प्रशंसा कर रहा है, मुझे खेद है कि रक्षा मन्त्रालय के वर्षिक प्रतिवेदन में इसे केवल बड़ी शक्तियों की होड़ बताकर

अनदेखा कर दिया गया है। मैं रक्षा व्यय में प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि हम भी मानते हैं कि अमरीकी साम्राज्यवाद के कारण हमारे जैसे निर्धन देश को भी अपनी सुरक्षा पर इतना अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जहां लाखों लोग रात को बिना भोजन किये सोते है। हम अपनी असुरक्षा की भावना से चिंतित हैं इसी लिए इतना अधिक व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन हम अपने संसाधनों को किस प्रकार जुटाएंगे ? क्या निर्धन लोगों पर कर लगा कर। निर्धन व्यक्ति तो मुद्रा स्फीति के कारण पहले ही पिस रहे हैं। अत्यधिक ऊंचे दामों ने उनकी कमर तोड़ दी है। साथ ही एकाधिकारियों भूस्वामियों, बहुराष्ट्रिकों को अधिक रियायतें दी जा रही हैं। आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या उससे हमारी सुरक्षा सुदृढ़ होगी ? केवल शस्त्रों से राष्ट्र मजबूत नहीं बनता। साम्राज्यवादी दोहरा हमला करते हैं। एक तो दूसरे देश को शस्त्र देकर तनाव उत्पन्न करना और दूसरे निराश तथा निरुत्साहित लोगों के दुर्बल मनोबल का लाभ उठाना। वे अनुचित लाभ उठाते हैं।

यह तो उनका आज का इतिहास है, पिछला इतिहास देखना हो तो हम देखें कि पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है। सभा में हमने ऐसी कई बातों पर विचार किया है कि साम्राज्यावादी कैसे विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं ? खालिस्तान की कहानी क्या है ? हम सभी जानते हैं कि कैसे देश के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। इस लिए स्वाभाविक है कि साम्राज्यवादी निराशा के कारण उत्पन्न उर्वरक भूमि में अपने को बढ़ावा देते हैं। विश्व के अन्य भागों में भी लोग ऐसी नीति अपना रहे हैं। आज जरूरत है लोगों को इस शत्रु के विरुद्ध खड़ा करने की साम्राज्यवादियों के षडंयंत्रों के विरुद्ध लोगों को जागरुक करने की। लेकिन शत्रु और मित्र को समान दिखाने के कारण कुछ भ्रांति पैदा हुई है।

मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है। (व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द्र पाल : जैसा कि उन्होंने सभा में स्वयं गलती की है।। वित्त मन्त्री जी स्वय रक्षा का दायित्व संभाले रहे हैं। अपनी रक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू पर मैं आ रहा हूं। सेना में अंग्रेजों के जमाने से उपनिवेशवाद की धारणा अर्थात धन सम्बन्धी धारणा अभी भी चल रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लोगों को बंदूक के बट और नली में अन्तर नहीं मालूम। पता नहीं मन्त्री जी को इसका पता है कि नहीं। लेकिन एक मन्त्री हैं, मेरे मित्र श्री के० पी० सिंह देव जिन्हें इन मामलों की गहरी जानकारी है। अधिकांश लोगों को तो यह अन्तर नहीं मालूम।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : क्या आपको बट्ट और बैरल में अन्तर का पता है ?

प्रो० रूपचन्द्र पाल : कुछ हद तक। लेकिन आप से अधिक नहीं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं अमृतसर से आया हूं। मैंने 1965-71 के दो युद्धों में देश की रक्षा में सहयोग दिया है।

प्रो० रूपचन्द पाल। अन्य लोगों के बारे में आपको क्या कहना है ? आयुध अधिनियम अभी भी लागू है। आम लोगों को साधारण शस्त्रों की तो जानकारी होनी चाहिए क्योंकि संकट उत्पन्न होने पर शस्त्र ही नहीं बल्कि लोग ही विजयी बनाते हैं। आप वियतनाम का इतिहास देखें। दूसरे विश्वयुद्ध के दिनों में सोवियत संघ के प्रतिरोधात्मक आन्दोलन का इतिहास देखें। आयुध अधिनियम समाप्त करने की मांग लगातार की जाती रही। आप संविधान सभा के वाद-विवाद को देखें। सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी जैसे महान नेता ने पूर्ण आजादी की मांग 1922 में ही उठा दी थी। व्यक्तिगत अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक संशोधन पर चर्चा के दौरान 2 दिसम्बर को महान हजरत मोहमानी ने भाषण दिया था। उन्होंने यह कहा था।

> "अंग्रेजों ने भारत में आयुध अधिनियम लागू किया। इसका परिणाम यह निकला कि यहां के रहने वाले लोग दुर्बल बन गए। यदि अब यहां कोई राष्ट्रीय सरकार और भारतीय सरकार है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को हथियार रखने के अधिकार से वांचित किया जाये। यदि आप भी आयुध अधिनियम बनाते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि आपका रवैया तथा काम करने का ढंग अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही अधिक खराब है।"

परन्तु अब भी आयुध अधिनियम लागू है। हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। भाड़े पर सिपाहियों वाली धारणा अब भी बनी हुई है, हमें इसे बदलना होगा।

गैर-राजनैतिक सेना की धारणा अब भी बनी हुई है। क्या सेवा को यह नहीं जानना चाहिए कि राष्ट्रीय अखण्डता क्या है? क्या राष्ट्र सुरक्षा करने वालों को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षवाद क्या है? क्या उन्हें निर्गुटवाद को समझना नहीं चाहिए ? क्या उन्हें धर्मनिरपेक्षवाद को नहीं समझना चाहिए? आये दिन आप कहते रहते कि हमें धर्मनिरपेक्षवाद में विश्वास है, हमें हैं निर्गुरवाद में विश्वास है, हमें राष्ट्रीय अखंडता में विश्वास है और हमें समाजवाद में विश्वास है। फिर भी आप कहते हैं कि हमारी सेना के लोगों को यह सब समझने की कोई जरूरत नहीं है। सेना के बारे में ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी राजनीतिक धारण तथा राजनीतिक विचारों से हमारी रक्षा पंक्ति सुदृढ़ नहीं होगी। यह धारणा समाप्त होनी चाहिए। सेना के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे देश की सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताएं क्या हैं। उन्हें हमारी सामाजिक आवश्यकताओं आर्थिक आवश्यकताओं लोगों की दशाओं, निर्गुटवाद धर्मनिरपेक्षवाद, राष्ट्रीय अखण्डता और इन सभी चीजों के बारे में उपलब्ध साहित्य पढ़ने दिया जाना चाहिए। यह एक बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।

एक और बात यह है कि संभा का प्रत्येक वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण के बारे में चिंतित है। हमारे मन्त्रीगण तथा प्रधान मन्त्री जी विश्व के लोगों को प्रति दिन यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ अन्य लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये अन्य लोग कौन हैं ? यह अमरीकी साम्राज्यवाद है। परन्तु फिर भी हम ऋण लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं। वे कह सकते हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गुलाम हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमरीकी साम्राज्यवाद का अधिक प्रभाव है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता।

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारत सरकार युद्ध सामग्री प्राप्त करने के लिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन तथा अन्य देशों में जा रही है। यह आवश्यक ही है। अपने देश की रक्षा के हित में है कि हमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से अवगत होना चाहिए जिसका हमें ज्ञान नहीं है। फिर भी, हमें आत्म-निर्भरता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देश में हमें उन सभी चीजों का निर्माण करना चाहिए जिनका निर्माण हम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यहां पर कई तकनीशिन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग हैं जो आधुनिक चीजें बना सकते हैं। फिर भी हम युद्ध सामग्री के लिए पश्चिमी देशों का मुंह देख रहे हैं। मिराज विमानों के सौदे का उल्लेख करने के लिए मेरे पास अधिक समय नहीं है। मेरे पास अधिक समय होता तो इस बारे में विस्तार में कुछ कहता। हम एफ 16 के मुकाबले में मिराज विमान खरीदने जा रहे है। यद्यपि मुझे इस बारे में तकनीकी ज्ञान नहीं है तथापि प्रश्न उठते हैं। मिराज मारुती सम्यर्क के बारे समाचारों के सम्बन्ध में कुछ कहने का समय नहीं है। तथापि इस बारे में कुछ गम्भीर प्रश्न हैं एफ 16 विमान हम 48 मास या इससे भी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं जब कि मिराज 2000 विमान के बारे ऐसा नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या वे 1984 से पूर्व या 1985 के आरम्भ में मिल सकेंगे ?

मिराज 2000 विमान के पांच माडल तैयार किए गये हैं। अभी उनकी पूरी उड़ान के बारे में परीक्षण नहीं किया गया है जो कि अत्यावश्यक हैं। हम इन्हें इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमारी वायु सेना मिराज 2000 विमानों की किस्म के ही विमानों की जरूरत है। इस बारे में कई प्रश्न उठते हैं। हमें विभिन्न समाचारपत्रों से मालूम हुआ है कि हमने 40 मिराज विमान खरीदने के लिए एक ज्ञापन पर 24 जनवरी 1082 को हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन 40 विमानों पर 24 करोड़ डालर लागत आयेगी। यदि 80 विमान खरीदने हों, तो इन पर 48 करोड़ डालर लागत आयेगी। तीन वर्ष पूर्व मिस्र ने भी ऐसा सौदा किया था और उन्होंने प्रत्येक विमान पर 10 करोड़ रुपए कम दिए थे। इसका क्या कारण है ? यदि हम 80 विमान खरीदें, तो इन पर हमें 800 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। और भी कई प्रश्न है जो उठाए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है कि इतनी लम्बी बातचीत करने के पश्चात मिराज 2000 विमान लेने से साऊदी अरब, स्पेन और यूनान ने क्यों इन्कार कर दिया था ? पाकिस्तान ने भी मिराज

[प्रो० रूपचन्द पाल]

2000 विमान क्यों नहीं खरीदे ? महोदय, विकसित देशों में मंदा है, वहां पर भारी आर्थिक संकट है और युद्ध-सामग्री तैयार करने वाले उद्योग विकासशील देशों में उन्हें बेचने के लिए बहुत ही अधिक आतुर हैं। इन्हें बेच के लिए फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग तथा पश्चिमी जर्मनी के लोग विकासशील देशों के दौरे कर रहे हैं। परन्तु हमें ऐसी पुरानी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए जो आधुनिक हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकती।

इन के अतिरिक्त और भी कई प्रश्न हैं। समय के अभाव के कारण मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। हमारे देश में मिग-25 विमानों का चलन शुरू हो गया है। ये विमान एफ-16 विमानों के मुकाबले के हैं। इन विमानों की सहायता के लिए मिग-23 विमान भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं। ये विमान जाग्वार मिराज-200 तथा एफ० 6 से कहीं बेहतर हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एच० ए० एल० तथा अन्य कारखानों के लोग इन का निर्माण कर सकते है। हम मिराज-200 खरीदने के लिए बहुत सी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। अतः हमें ऐसे विमानों से बेहत्तर विमान प्राप्त करने के लिए, जिन कि लागत इन से भी कम हो, प्रयास करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मुझे आशा है माननीय रक्षा मंत्री इस बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

इसी सिलसिले में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज के युग में हमारी नौसेना का बहुत महत्व है।

अंग्रेज तथा अन्य साम्प्रदायिक ताकतें भारत के समुद्र के रास्ते आयीं। हमारे राज्यक्षेत्र का दो-तिहाई हिस्सा जो कई हजार किलोमीटर लम्बा है, समुद्र के किनारे स्थित है। हमारे इस क्षेत्र में पनडुब्बियां घूमती देखाई देती हैं बंगाल की खाडी में सांतवा जंगी बेड़ा विद्यमान है, डीएगो गारशिया में आधुनिक अड्डा बन गया है तथा वहां पर सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी नौ-सैनिक ताकत बढ़ानी चाहिए। मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोस्टगार्डों की संख्या बढ़ाए। इस सम्बन्ध में तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी भर्ती करना चाहिए क्योंकि वे लोग समुद्री तट पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं।

मेरा एक और निवेदन यह है कि हमारी सशस्त्र सेना में अफसरों और जवानों के बीच भारी अन्तराल हैं जो स्वतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। इस कारण जवानों में बहुत असंतोष व्याप्त है। अतः उनके वेतन मान वेतन तथा कल्याण कार्यक्रमों के प्रश्न पर विचार करने का यह उपर्युक्त समय है। मै यह भी बताना चाहता हूं कि जवानों का अधिकारिगण दुरुपयोग भी करते

हैं वे उन से ऐसा काम करवाते हैं जिसका रक्षा कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। अतः ऐसा दुरुपयोग बन्द कराया जाना चाहिए।

सेना का लोकप्रिय आन्दोलनों को दबाने के लिए भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना खतरनाक है। यह बात हमें बार-बार कहनी पड़ रही है।

इस के बाद मैं डी० जी० आई० के प्रश्न को लेता हूं। 27,000 से अधिक व्यक्ति जो अधिकतर सिवलियन हैं, निरीक्षण-कार्य कर रहे हैं। वे निरीक्षण करके देखते हैं कि सेना के लिए कौन से उपकरण स्वीकार किए जाएं। अतः उनकी निरीक्षण का बहुत महत्व होता है। ऐसे भी मामलों का पता चला है जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार तथा घटिया किस्म के उपकरण स्वीकार करने के आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों की जांच करने के लिए राज्याध्यक्ष समिति बनायी गई थी किन्तु इस समिति के प्रतिवेदन पर कभी चर्चा नहीं की गयी। मुझे बताया गया है कि सेना मुख्यालय ने डी० जी० आई० के कार्य के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें यह बताया गया था कि पचास प्रतिशत उपकरण तथा अन्य सामग्री, जो स्टोर में है, घटिया किस्म की है। ये उपकरण तथा सामग्री निजी ठेकेदार तथा एकाधिकारी-गृह सप्लाई करते हैं।

महोदय, हमारे माननीय मन्त्री ने कल बताया था कि हमारे देश से प्रतिभा प्लायन बन्द हो गया है तथा जो लोग बाहर चले भी गए थे उन्होंने स्वदेश लौटना आरम्भ कर दिया है। आपको मालूम ही होगा कि सेना में भी प्रतिभा प्लायन हो रहा है। किन्तु इसका यहां स्वरूप दूसरा है। यहां 800 सिविलन अधिकारी जो पी० एच० डी०, सनातकोत्तर और तकजीकी सनातक हैं, सेना के 200 लोगों के नियन्त्रण में काम कर रहे हैं जो केवल मैट्रिक पास हैं या ज्यादा से ज्यादा स्नातक हैं। वे प्रशिक्षण प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। "परमानेन्ट सैकडमेंट" नामक एक वर्ग हर चीज पर नियन्त्रण रख रहा है। इस कारण असन्तोष व्याप्त है। उनके वेतमान तथा अन्य सुख-सुविधाओं में भी अन्तर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से तकनीशन इस संगठन को छोड़कर पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अमरीका आदि देशों में चले गए हैं। उदाहरण के तौर पर डा० टी० एच० राव, जो एक बहुत बड़े धातुविज्ञ थे, ने असन्तोष के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया। इन लोगों को इस संगठन में प्रबन्धक की हैसियत से यह कहकर रख लिया जाता है कि वे उपयोजनाओं का समाधान कर सकते हैं। हमारी प्रधान मन्त्री भी एक दिन प्रतिभा प्लायन का जिक्र करते हुए कह रही थी कि हमें यह करना होगा और वह करना होगा किन्तु डा० राव का उदाहरण हमारे सामने है। मेरे पास और भी ऐसे बहुत से नाम हैं किन्तु मैं समयाभाव के कारण उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। डा० राव ने अपने त्यागपत्र की प्रति श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी भेज दी थी।

[प्रो० रूपचन्द पाल]

महोदय, मैं आयुध कारखानों के सिवलियन कर्मचारियों की मांगों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। उनके परिसंघ ने 9-सूत्री मांग पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके वेतनमान अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर होने चाहिए तथा उनका बोनस तथा उनके काम के घण्टे भी उनके समान होने चाहिए। उन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 18 दिसम्बर, 1981 को एक दिन की हड़ताल भी की थी किन्तु इसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्हें अभी तक संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे विश्वास है कि रक्षा मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे।

ओ० आर० वर्ग की दशा तो सर्वविदित ही है। अधिकारियों को तो विशेषाधिकार प्राप्त है किन्तु ओ० आर्स को कड़ाके की सर्दी में जब मौसम बहुत खराब होता है पहाड़ों के शिखर पर 10, 12, या 15 घंटे काम करना पड़ता है। उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए।

कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जिन पर सरकार काफी अर्से से विचार कर रही हैं तथा कुछ अन्य संगठनों में असुरक्षा की स्थिति व्याप्त है। आप आयुध कारखाना, अलीपुर कलकत्ता को ही ले लीजिए। ऐसा प्रस्ताव है कि उसे बन्द कर दिया जाए। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पूर्वी क्षेत्र में कोई केन्द्रीय आयुध कारखाना नहीं है। अतः इसे बंद करने की बजाय उसमें सुधार किया जाना चाहिए। आशा है माननीय रक्षा मंत्री इस बात पर विचार करेंगे।

इसके अलावा आप बैरकपुर स्थित एच० ए० एल० को ले लीजिए। वहां के लोगों को उचित काम नहीं दिया जाता। सरकार को इस बारे में विचार कर स्थिति में सुधार लाना चाहिए। कलकत्ता में साल्ट लेक में एक इलैक्ट्रानिक उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव काफी समय से रक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है। इसके लिए कई एकड़ भूमि नियत की गई हैं तथा रक्षा मंत्रालय इस पर अभी भी विचार कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कई बार प्रधान मत्री को भी जब वे रक्षा मंत्री भी थीं, लिखा था। मैं रक्षा मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अब हल्दिया के शिपयार्ड को लीजिए। मुझे खुशी है कि रक्षा मत्री ने कहा है कि उस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। मैं रक्षा मत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि यह परियोजना यथाशीघ्र पूरी हो।

भर्ती के मामले में भी जो कुछ हो रहा है, वह खुशी की बात नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। मैं एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं, पश्चिम बगाल तथा केरल में लोगों के निर्णय के आधार पर एक भिन्न दल की सरकारें बनीं--वामपंथियों तथा अन्यों की, केरल में उस समय एक दूसरी सरकार

थी और अब वह राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है। यह रक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला का एक साक्षातकार प्रपत्र देखिए। उस प्रपत्र में एक कालम में कहा गया है। 'क्या आप हिन्दी जानते हैं'। फिर 'स्वास्थ्य रिकार्ड' और फिर 'आप किस राज्य के निवासी हैं' आदि-आदि बातें पूछी गयी हैं। इन बातों के पूछे जाने में कोई बुराई नहीं है। फिर यह पूछा गया है, क्या आप केरल तथा पश्चिम बंगाल में किसी समय एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। यदि श्री फैलीरो एक वर्ष से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल में रहे हों, तो उन्हें उस कालम में उस बारे में लिखना होगा···

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : कोई अवसर नहीं मिला।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : हो सकता है कि यह उन्हें प्राथमिकता देने के लिए हो।

प्रो० रूप चन्द पाल : बात यह है। क्या यह राष्ट्रीय एकता के लिये ठीक है? पश्चिम बंगाल तथा केरल में रहने वाले लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि पश्चिम बंगाल तथा केरल के लोगों के दिलों में देश के लिए कोई प्रेम नहीं है? जो कुछ लिखा है, वह यह है? इस किस्म की सूचना क्यों पूछी जानी चाहिए?

एक माननीय सदस्य : ऐसा कार्य भी नहीं किया जाता।

प्रो० रूपचन्द पाल : यह इस प्रपत्र में क्यों रखा गया है?

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : हो सकता है कि आप झगड़ा अधिक करते हों और युद्ध कम।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस बात को मन्त्री के उत्तर के लिए छोड़ दें।

एक माननीय सदस्य : इस बारे में ब्यौरेवार चर्चा की जरूरत नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल : मेरा आखिरी प्रश्न यह है। यह देश की रक्षा में लोगों द्वारा भाग लेने से सम्बन्धित है। अपना भाषण मैंने उस बात से शुरू किया है। हमने देखा है कि यह सरकार स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद भी लोगों पर विश्वास नहीं कर रही है। इन युद्धों के दौरान क्या अनुभव हुआ? लोगों ने सेना के साथ कैसे सहयोग दिया? उन्होंने कैसे सेना की सहायता की? इन सब बातों की सराहना करने के बजाय सरकार सेना का उपयोग लोगों के विरुद्ध इस प्रकार कर रही है जिससे सेना के प्रति लोगों की आस्था तथा प्रेम को क्षति पहुंचे और उनका उत्साह कम हो। यही कुछ हुआ है। मैं एक उदाहरण दूंगा आसाम में कुछ कारतूस चोरी हुए और सेना के कुछ लोग स्वयं वहां गए भी थे। सिविलियन पुलिस की सहायता लिए बिना वे घरों में घुस

गए और उन्होंने निर्दयता से महिलाओं को पीटा। उन्हें वहां सिविलियन पुलिस की ही सहायता लेकर ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नियमों के अनुसार कार्य नहीं किया।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम रक्षा के लिए प्रस्तावित राशि के लिए आपत्ति नहीं करते हैं, इसकी मात्रा के बारे में, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि व्यय की पूरी-पूरी छान-बीन की जायें, यदि कोई अनियमितता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिये, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में इसका रहस्योद्घाटन नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ई० के इम्बीचीबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नौसेना अकादमी को केरल राज्य के कन्नानुर जिले में एजीमाला में अविलम्ब स्थानान्तरित करने की आवश्यकता। (4)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केरल राज्य में युवकों की अत्यधिक बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए उस राज्य में सरकारी क्षेत्र का एक रक्षा कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता। (5)]

श्री दयाराम शाक्य (फरुखाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में अपर्याप्त वेतनमान तथा लम्बी सेवा अवधि के बाद पदोन्नति दिया जाना। (6)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की अत्यन्त कमी। (7)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[योग्य रक्षा कर्मचारियों के लिए उचित प्रोत्साहनों की कमी। (8)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी रक्षा कार्मिकों के लिए उचित रिहायशी मकान की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (9)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए अद्यतन तकनीक प्राप्त करने की आवश्यकता। (10)]

"कि रक्षा सेवाएं—थल सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा कार्मिकों के अल्प वेतन तथा भत्ते। (11)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—थल सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आवश्यकता के आधार पर आधारित मजदूरी के अभाव में रक्षा कर्मिकों की मासिक परिलब्धियों में दो सौ रुपये की वृद्धि करने की आवश्यकता। (12)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—थल सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा सेवाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों का बहुत कम होना। (13)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—थल सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रक्षा सेवाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की व्यवस्था करने हेतु निर्धारित धन का उपयोग करने की आवश्यकता। (14)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—थल सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नौ-सेना कर्मचारियों के अल्प वेतन तथा भत्ते। (15)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—पेंशन सेना' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रक्षा कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त पेन्शन। (16)]

"कि 'रक्षा सेवाएं—पेंशन' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रक्षा कर्मचारियों के लिये अत्यन्त कम पेंशन तथा सेवा-निवृत्ति लाभ। (17)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रक्षा कार्यों के लिये अर्जित की गई भूमि का वर्षों तक मुआवजा न देना । (18)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें ।"

[पालकों के लिये पदोन्नति के अपर्याप्त अवसर ।(19)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सैनिक फार्मों के रख-रखाव की असंतोषजनक स्थिति और फार्म संसाधनों की अत्यन्त कमी । (20)]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं । :

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[केरल में सरकारी क्षेत्र में एक रक्षा कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता । (31)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम किये जाएं ।'

[केरल राज्य के कन्नानूर जिले में एक नौसेना अकादमी स्थापित करने की आवश्यकता (32)]

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[बजट में रक्षा-व्यय के लिये अधिक नियंत्रण करने की आवश्यकता । (33)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[नौ, थल, वायु सेना के सैनिकों को और वेतन बढ़ाकर परिवार वालों को गुणात्मक सुविधाएं देने की आवश्यकता । (34)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

परमाणु एवं अन्य आधुनिकतम परमाणु हथियार बनाने की आवश्यकता । (35)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[आधुनिकतम मिसाइल्स एवं लेंसर मिसाइल तैयार करने की आवश्यकता । (36)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[उपग्रहों को रक्षा की दृष्टि से प्रयोग करने की आवश्यकता। (37)]

"कि 'रक्षा मत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[आधुनिकतम टैंकों का निर्माण करने की आवश्यकता। (38)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[थल सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 50 लाख करने की आवश्यकता। (39)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[नौ सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख करने की आवश्यकता। (40)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[वायु सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख करने की आवश्यकता। (41)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नौ, थल, वायु सैनिकों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की उच्चकोटि की भावना भरने की आवश्यकता। (42)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रक्षा सेनाओं के जासूसी करते हुए पकड़े जाने वाले कर्मचारियों को मृत्यु दण्ड देने की आवश्यकता। (43)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नौ सेना और वायु सेना को आधुनिकतम आणविक हथियारों से सुसज्जित करने की आवश्यकता। (44)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सेवा निवृत रक्षा सैनिकों की पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता। (45)]

"कि रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भूतपूर्व सैनिकों को सामरिक सीमा क्षेत्रों में बसाने की आवश्यकता। (46)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[अवांछनीय व्यक्तियों को सीमावर्ती क्षेत्रों से हटाकर देश से बाहर भेजने की आवश्यकता। (47)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[देश के माध्यमिक स्कूलों में सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता। (48)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[नौ, थल, वायु सेना के उच्च पदाधिकारियों को गुणात्मक आधार पर नियुक्तियां देने की आवश्यकता। (49)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[देश के सभी जिला मुख्यालयों में सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता। (50)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[देश की जनता को नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता। (51)]

'कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए।"

[सैनिक बल के व्यक्तियों के लिए बेहतर आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (52)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता। (53)]

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[समानता की भावना उत्पन्न करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में अधिकारियों और जवानों के लिए संयुक्त भोजनालय की आवश्यकता। (54)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रक्षा कर्मचारियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता। (55)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।

[अपेक्षित अर्हता और योग्यता प्राप्त कर लेने पर जवानों को अधिकारी बनने के लिए उपयुक्त पदोन्नति के अवसर देने की आवश्यकता । (56)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों की तुलना में विभागीय पदोन्नति से बने अधिकारियों की संख्या अधिक रखने की आवश्यकता । (57)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[दिल्ली में रक्षा-क्षेत्र में बनी बैरकों को अधिकार में लेकर रक्षा कर्मचारियों को किराए पर देने की आवश्यकता । (58)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[शिक्षा संस्थाओं में युवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता । (59)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किए जाएं ।"

[रेजिमैन्टों के नामों से पूर्व जुड़े जातिगत नामों को हटाने की आवश्यकता । (60)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कपये कम किए जाएं ।"

[सेवानिवृत्ति सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को सुविधाएं देने की आवश्यकता । (61)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवारत सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता । (62)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों में परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ही क्षेत्रों और जातियों से समान रूप से लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता । (63)]

श्री गदाधर साहा (वीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[कलकत्ता स्थित आयुध डिपो को बन्द करने के निर्णय पर पुनः विचार न करना । (64)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जाय ।"

[जगुआर विमान के लिए नई श्रेणी के उपकरणों के निर्माण के लिए कलकत्ता के निकट बैरकपुर स्थित हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के ब्लाक का विविधीकरण, आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और विस्तार करने की आवश्यकता (65)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपया किया जाये ।"

[कलकत्ता स्थित आयुध डिपो के कर्मचारियों को जो इस कारखाने को बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार हो गए हैं, खपाने की आवश्यकता । (66)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किए जाएं ।"

[सभी वर्गों के रक्षा कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त तथा बेहतर आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (67)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किए जाएं ।"

[सभी विभागों तथा वर्गों के रक्षा कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा योजना का विस्तार तथा लागू करने की आवश्यकता । (68)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किए जाएं ।"

[रक्षा उपक्रमों में बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकता । (69)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किए जाएं ।"

[आयुध कारखानों और रक्षा उपक्रमों में वर्ग 'सी' और 'डी' में विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता । (70)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रूपये किए जाएं ।"

[आयुध कारखानों में उत्पादिकता से सम्बद्ध बोनस को बदलकर आस्थगित वेतन मानने की आवश्यकता । (89)]

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[नौ, थल तथा वायु सेना के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर उनके परिवार वालों को बेहतर सुविधाएं देने की आवश्यकता । (71)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

आधुनिकतम मिसाइल एवं लेसर मिसाइल तैयार करने की आवश्यकता । (72)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[रक्षा की दृष्टि से उपग्रहों को प्रयोग करने की आवश्यकता । (73)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[आधुनिकतम टैंकों का निर्माण करने की आवश्यकता । (74)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[रक्षा सैनिकों में उच्च कोटि की राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भरने की आवश्यकता । (75)]

'कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

नौसेना और वायुसेना को आधुनिकतम आणविक हथियारों से सुसज्जित करने की आवश्यकता । (76)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपए कम किये जाएं ।"

{सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार करके विशेष रूप से सीमावर्ती भागों में जासूसी की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता । (77)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बसाने की आवश्यकता । (78)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।".

[सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अवांछित व्यक्तियों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता । (79)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएं ।"

[देश के स्कूलों में सैनिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । (80)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[थल, नौ और वायु सेना में योग्यता के आधार पर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता । (81)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय; शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएं ।"

[प्रत्येक जिला मुख्यालय में सैनिक स्कूल खोलने की आवश्यकता । (82)]

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[देश की जनता को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता । (83)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिये बेहतर आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (84)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किये जाएं ।"

[आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये दीर्घकालीन सुरक्षा नीति बनाने की आवश्यकता । (85)]

श्री सुधीर कुमार गिरि (बम्बई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'रक्षा मंत्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[थल, नौ और वायु सेना द्वारा अभ्यास के लिए प्रदर्शनों आदि के अवसरों पर व्यय को कम करने की आवश्यकता । (86)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रूपये कम किए जाएं ।"

[थल नौ, और वायु सेना द्वारा विभिन्न समारोह मनाने पर किये जाने वाले मनोरंजन व्यय को कम करने की आवश्यकता । (87)]

"कि 'रक्षा मन्त्रालय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग में .00 रुपये कम किये जाएं।"

[रक्षा उपक्रमों में विवादों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता। (88)]

डा० बसन्त कुमार पंडित : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कम किया जाए।"

[मध्य प्रदेश राज्य में युवाओं की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए और इस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वहां पर सरकारी अंत्र में एक रक्षा कारखाने लगाने की आवश्यकता। (90)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रूपया किया जायें।"

[जिला राजगढ़ (मध्य प्रदेश) में अप्रयुक्त किशनगढ़ कोठी को सरकारी अधिकार में लेकर वहां सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (91)]

"कि 'रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं।"

[राजगढ़ जिले के जीरापुर में भारतीय वायु सेना का एक केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (92)]

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सभी जानते हैं कि सुरक्षा भारत के सभी नागरिकों के लिये एक विशेष महत्व का विषय है। इसे यूं ही नहीं टाला जा सकता। अन्य बातों के इलावा इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व आज उतना ही जटिल हो गया है जितना कि यह नाजुक है। अतः सुरक्षा के बारे में हमें सावधानी से काम लेना चाहिये। जब पिछले वर्ष हमारा विश्व अपने माननीय भार के साथ अन्तराष्ट्रीय स्तर पर एक होने का प्रयास कर रहा था तब महा शक्तियों ने अपने सैनिक उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं का क्रोधपूर्वक परिचय दिया था। हमें समूचे विश्व में अपने स्थान को क्यों समझना चाहिए। तनावपूर्ण तथा विस्फोटक वातावरण का परिणाम यह है कि विश्व भर के लोग अब सुरक्षा की तैयारियों के बारे में अधिकाधिक सचेत होते जा रहे हैं। साउदी अरब जैसी थोड़ी आबादी वाला देश भी बहुत टेंक लगभग 60 सुपर जेट एफ-15 तथा ए० डब्ल्यू ए० सी० एफ० जैसे आधुनिकतम युद्ध उपकरण खरीदना तथा रखना चाहता है। दो महा शक्तियों के बीच फूट तथा विरोध से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। यदि हम पश्चिमी देशों को देखें तो पता चलेगा कि वहां तनाव दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा

रहा है। अन्य शक्ति गुटों के अलावा फ्रांस के नेतृत्व में अब एक कास्मो-नुकलियर यूरोपियन गुट भी बन गया है जो एक तरह से एक स्वतंत्र सुपर पावर ब्लाक है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज एक खतरनाक सामरिक स्थिति व्याप्त है उसका संक्षिप्त रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। जब तक हम उस बात को न समझें, उस समय तक हम ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। भारत आज तीसरे विश्व की एक प्रधान शक्ति है और उसी कारण हमें इन बातों को इस प्रकार से समझना तथा कर्यान्वित करना पड़ता है जिसे हम सुविधापूर्वक तथा आसानी से कर सकें।

बुनियादी शत्रुता तथा मतभेद से उत्पन्न महाशक्तियों के बीच शस्त्रों की होड़ बढ़ती जा रही है। विश्व के देशों के ऊपर आज जो काले बादल मंडराये हैं; उनकी तुलना विनाशकारी तूफानों से पहले की शांति से की जा सकती है। और जब यह तूफान आयेगा तो इससे जो मृत्युकांड होगा वह इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी न हुआ होगा और महाशक्तियों द्वारा आणविक युद्ध छेड़कर इस तूफान के आने की सम्भावना है।

हमें स्थिति को सामरिक दृष्टि से एक व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। कुछ महाशक्तियों के रक्षा बजट को देखिये। 4 दिसम्बर, 1981 को अमरीकी सिनेट ने अपने देश के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट स्वीकृत किया था। मैं इस बजट के महत्वपूर्ण अंशों को आगामी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए उद्धृत कर रहा हूं :—

> "5 के मुकाबले 84 के बहुमत से स्वीकृत 208.5 बिलियन डालर के बिल में 2.4 बिलियन डालर बी-1 सामरिक आणविक बमवर्षकों तथा 1.9 मिलियन डालर एम॰ एक्स इण्टर कोन्टीनेन्टल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हैं संयुक्त राज्य अमरीका का आणविक शस्त्रों के व्यय का 800 मिलियन डालर से बढ़कर 5500 मिलियन डालर हो जाने की सम्भावना है।"

एक महाशक्ति द्वारा रक्षा व्यय में वृद्धि करने से दूसरी महाशक्ति के अपने शस्त्रों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित होती है। मैं एक दूसरे अंश को उद्धृत करता हूं :—

> "पिछले वर्ष विकासशील देशों को रूस ने जो 6.2 बिलियन डालर लागत के शस्त्रों की बिक्री की है उससे पहले के सभी रिकार्डज टूट गये हैं"— ट्रिब्यून, 28 जनवरी, 1982.

शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में कम कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी को इस बात की जानकारी है कि युद्धक्षेत्र में कौन से शस्त्रास्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं और किन का हमें सामना करना पड़ेगा। मैं उनमें से कुछ की बात करूंगा—गुप्तचर उपग्रह जो भूमि के ऊपर 32,000 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई से गोल्फ की गेंद तक फोटो ले लेते हैं। अन्तर-महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों

को लाने-ले जाने वाले आणविक युद्धपोत जिनके विषय में आप प्रतिदिन सुनते हैं; पनडुब्बियों पर लगे आणविक प्रक्षेपास्त्र और अन्य प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों से सुसज्जित बहुविध आणविक युद्धपोत। इनमें से कुछेक के नाम ये हैं एस एस-4, एस एस-5, एस एस-20, एस एस-30 इनके अलावा इन्हें हाक्स, साम्स, मोबाइल एम एक्स और आई एम-7 एफ स्पेरो प्रक्षेपास्त्रों के नाम से पुकार सकते हैं। फिर दूर तक मार करने बम वर्षक आदि हैं। आप पहले ही ए० डब्ल्यू०ए० सी० एस वाले, एफ-15, एफ-16 लड़ाकू विमानों और दूर तक मार करने वाले बमवर्षकों के विषय में सुन चुके हैं। परन्तु यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी शक्तियां अपनी विध्वंसात्मक क्षमता को और बढ़ाने के लिए तुल गई लगती हैं। एक और बहुत गम्भीर मामला है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि वे अब मानव जाति को श्वासावरोधक न्यूट्रान प्रक्षेपास्त्र युद्ध, के साथ-साथ रसायन युद्ध जीवाणविक युद्ध, स्नायु गैस युद्ध, लेसर किरण शस्त्रास्त्र और अन्तरिक्ष युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। बड़ी शक्तियों ने इस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उत्पादन और भण्डार खुले तौर पर आरम्भ कर दिया है।

यहां मैं आपको इस सम्बंध में समाचार पत्रों में छपे समाचारों के शीर्षक बताता हूं;

अमरीका रसायन शस्त्रास्त्रों का उत्पादन पुनः आरम्भ करेगा; स्नायु गैस को निष्प्रभावी बनाने वाले उपकरणों का आविष्कार, अमरीकी लड़ाकू विमानों आणविक प्रक्षेपास्त्र लगाए जाएंगे; यूरोप में रूस की आणविक शक्ति; 32 देशों में अमरीका के पन्द्रह सौ अड्डे।

इस संदर्भ में, चाहे कुछ भी हो स्थिति की विडम्बना यही है—और हमें इसे अवश्य ही समझना चाहिए। वे कहते हैं कि इस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण और भंडारण एक निवारक के रूप में काम करता है और करेगा। मेरे विचार से यह कहना मानव जाति को विकासात्मक प्रगति पर एक पुराना मजाक है। क्या विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण है, जिसमें युद्ध सामग्री का भण्डारण युद्ध का निवारण करने वाला सिद्ध हुआ हो? अधिनायकों पागल अधिनायकों या आक्रामक राष्ट्रों ने युद्ध के शस्त्रास्त्र एकत्र करने के बाद युद्ध करने से कभी भी परहेज किया है? क्या एक बार निर्मित शस्त्रास्त्र को युद्ध होने पर कभी भी बिना प्रयुक्त किए पड़ा रहने दिया गया है? क्या हमें उन लाखों मानवों की याद है जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए आणविक विस्फोट घुएं के बादलों में हवा के साथ घुल गए थे और क्या उन अन्य लाखों मानवों की भी याद है जो लंगड़े लूले हो गए थे और जो जीवन भर के लिए अंधे हो गए थे और अनेक ऐसे लोगों को छोड़ गये थे जिन्हें आने वाली कई पीढ़ियों तक उस विध्वंस के कुप्रभावों का फल भुगतना पड़ा? इस क्षेत्र में मानवीय खोज का रिकार्ड अच्छा सम्मानजनक और शान्ति प्रिय नहीं रहा है। इस बारे में हमें चिन्ता है, भारत की चिन्ता संदर्भ में मैं उन आश्चर्यजनक नीतियों की अत्यन्त परीक्षा करता हूं जिन पर हमारी गतिशील नेता, भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी के भी द्वारा अनुसरण किये जाने वाले ऐसे युद्ध प्रिय और खतरनाक रास्तों को

निष्प्रभावी बनाने के लिए एकमात्र स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया है और उनका अनुसरण किया है।

भारत आजकल मानवीय अधिकारों सम्बन्धी विचारधारा का सही क्रियान्वयन करके निर्गुट आन्दोलन का प्रचार करके, आपसी बातचीत और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय भ्रांतियों को दूर करके, और प्रगतिशील राष्ट्रों द्वारा आविष्कृत आणविक और अन्य शक्तियों को मानव जाति की भलाई के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग करके न कि उसके विध्वंस के लिए विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर रहा है। यही भारत का उद्देश्य है। सब के लिए शान्ति और समृद्धि ही हमारा आदर्श है। और यह बात आज की सत्तारुढ़ सरकार से परिलक्षित होती है। कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। और जो भी कोई ऐसी बातें सुने वह उन कार्यों की निन्दा कर सकता है।

फिर भी भारत अपनी रक्षा की तैयारियों का निर्धारण करते समय और योजना बनाते समय, इस समय उसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसे देखते हुए, इस बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकता या उसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि विश्व में और स्वयं भारत के आप-पास क्या हो रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सैनिक गति-विधियों के कुछ ऐसे निश्चित स्थान है जिनमें अनिश्चित परन्तु संकट युक्त सम्भाव्य ज्वालामुखी विस्फोटों के रूप में अन्दर ही अन्दर हल चल मची हुई है। मैं आपकी सूचना के लिए कुछ के नाम बताता हूं :

(क) केरेबियन काल्ड्रान अर्थात अल-सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और मध्य अमरीका के कुछ अन्य राज्य या यों कहिए लातीनी अमरीकी राज्य ;

(ख) लेच वालेसा का डांवाडोल स्थिति वाला पोलैण्ड ;

(ग) मध्य पूर्व क्षेत्र के पी० एल० ओ०, इजरायल, साइरेनाइका काम्पलेक्स,

(घ) मध्य पूर्व के हाइड्रामोंट लिटोरल राज्य,

(ङ) खाड़ी युद्ध क्षेत्र-ईराक और ईरान,

(च) अफगानिस्तान—पाकिस्तान—चीन का विस्फोटक त्रिकोष। हमें यह देखना है कि यह अर्थात यह विस्फोटक त्रिकोण कैसे काम करेगा ;

(छ) हिन्द महासागर का युद्ध की सरगर्मियों वाला क्षेत्र दिएगो गार्शिया,

(ज) युद्ध की संभावना वाले वियतनाम-वियंतकांग-खमेर रोग—कम्पूचिया।

सैनिक दृष्टि से इस भयावह भू-राजनीतिक और भू-सामरिक स्थिति से विभिन्न सम्भाव्य घटनाओं के एकत्र होने का पता चलता है जिनके बुरे और भयानक परिणाम हो सकते हैं जिनका विश्व को सामना करना है और उनसे निपटना है।

हमें अपनी रक्षा तैयारियां निश्चित रूप से, राजनयिक और सैनिक दृष्टि से अवश्य इस स्थिति के अनुसार करनी होंगी जिससे कि इस स्थिति से निपटा जा सके। भारत के दृष्टिकोण से यह आज की आवश्यकता बन गई है। हमें अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय-गठबंधनों, परिवर्तनों या गुट समूहीकरणों के संभावित या वास्तविक रणसंकुल से उठने वाली किसी भी प्रकार की युद्ध स्थिति का प्रभावशाली रूप से सामना करना होगा।

मुझे एक उदाहरण याद आता है जो मैंने पहले दिया था। जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देश बन गए थे वे उस युद्ध से पहले कभी नहीं मिले थे ; और नहीं वे युद्ध के पश्चात मिल कर रह सके। यह परिवर्तन और गठबंधन है। अतः हमें सावधानी से काम लेना चाहिए।

अभी-अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि हमें हर जगह से चीजें खरीदनी चाहिए। हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। हम वही चीज खरीदेंगे जो हमारी रक्षा विभाग की आवश्यकताओं के अनुकूल होगी, चाहे उन्हें किसी भी देश से खरीदें। उन्होंने कुछ देशों का नाम लिया था जैसे फ्रांस, ब्रिटेन आदि। हम रूस से या अमरीका से भी ले सकते हैं—हमें इसमें कोई खेद नहीं है। जो हमारी आवश्यकता के अनुरूप होगा हम कहीं से भी खरीद लेंगे। इस मामले में यह हमारे अपने निर्णय की बात है कि कहां से सामान लेना है और इस विषय में हमारी अपनी पूरी स्वतन्त्रता है।

इसलिए, हमें अपने सीमान्त मोर्चे की फुर्ती से, साहस से जहां आवश्यक हो, दृढ़ इच्छा शक्ति से निगरानी करनी है, भारत के लिए अपनी इच्छा शक्ति को भली भांति जुटाने का समय आ गया है जिससे न केवल विद्यमान अपितु अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर सभी मामले हमारे पक्ष में हो जाएं। यह समय हमारे लिए चीजें खरीदने का है। इस सबका अत्यावश्यक आधार आत्मनिर्भरता है। हम अपनी परम्परा को नष्ट नहीं होने देंगे। बाहर का कोई भी व्यक्ति इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन सकता है। आइए एकजुट हो जाएं। हम अपनी अद्भुत सभ्यता की खून, पसीने और बलिदान से रक्षा करेंगे। हमारी सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं में से प्राचीनतम है। हमें अपनी नारियों भारत के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों और सम्प्रदायों पर गर्व है। हमें बहुलता और निम्न प्रकार के मानवों पर गर्व है जो सब एक साथ मिलकर भारत बनाते हैं। कोई भी कांटा, कोई भी विपथन या गलत काम जो हमारी मातृभूमि में उग आता है, मेरे विचार से उसे धैर्य, उत्साह और सम्मिलित राष्ट्रीय प्रयास से उसे उखाड़ा जा सकता है या ठीक किया जा सकता है।

मेरे विचार से इसमें प्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मामला पूरी तरह से उनके पक्ष में है। उन्हें किसी को यह नहीं सिखाना होगा कि वे क्या करें। हमारी रक्षा व्यवस्था

का कार्य हमारी रक्षा करना है। और प्रेस हमारी रक्षा व्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूं।

बहरहाल, इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि भारत के आस पास खतरनाक शांति भंग करने वाली सैनिक, युद्धनीतिक गतिविधियां चल रही हैं जो बड़ी शक्तियों के विवाद और शस्त्रास्त्र की मदद के कारण पैदा हुई हैं।

(क) अफगानिस्तान के भीतर जो युद्ध की लपेट उठ रही हैं; जिसे दो महा शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिकतम शस्त्रस्त्र देकर सहारा दे रही हैं; उनके भारत पर सम्भावित प्रभाव को कितना महत्व दिया जाना चाहिए ?

(ख) हमारे दो पड़ोसी देशों द्वारा आधुनिक किस्म के हवाई अड्डों से युक्त, रणनीति से युक्त भारी यातायात वाले, ए-क्लास, काराकोरम सड़क के कपटपूर्ण निर्माण का क्या अर्थ है और उसे कितना महत्व दिया जाना चाहिये ? और उन हवाई अड्डों में से अधिकांश भारत की भूमि पर बनाए गए हैं।

अगर आं तुर्के शीराजी वदस्त आरद दिले मारा।
वरवाले हिन्दवश बरूशम समरकंद ओ बुखारा रा॥

इसे श्री जिया भली प्रकार समझ सकते हैं। (व्यवधान) आप नहीं समझ सकते हैं। श्री जिया इसे भली प्रकार समझ सकते हैं। आप किसी की सम्पत्ति को हड़प नहीं सकते हैं। मेरे विचार से अब आप इसका अभिप्राय समझ गए होंगे। आप वैसा नहीं कर सकते हैं।

यदि मैं इस बात की ओर आगे ध्यान दिला सकता हूं तो भारत के साथ नए और मंत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने टेढ़े मेढ़े चक्करदार रास्ते को छोड़ने के बजाय, हमारे पड़ोसी देश पकिस्तान द्वारा प्रतिवर्ष अस्थिर राजनीतिक रवैया अपनाने और असंगतिपूर्ण आचरण करने और सैनिक तैयारियों को तेज करने का क्या अर्थ है ?

आगा शाही ने स्पष्ट तौर पर संकेत किया और शान्ति का रास्ता तैयार करने का रवैया अपनाया, इसके तुरन्त बाद जेनेवा में मानव अधिकार आयोग की बैठक में दिए गए अपने प्रथम महत्वपूर्ण भाषण के द्वारा जिसमें काश्मीर समस्या को फिर से उठाया गया था, आगा हिलाली ने इस रवैये को समाप्त कर दिया और उल्टा चक्र चलने लगा। इस प्रकार उनका योगदान यह था। पाकिस्तान की सशस्त्र सेना के 4/5 भाग को भारत के विरुद्ध क्यों तैनात किया हुआ है जबकि उनके द्वारा विदेशी शस्त्रास्त्रों को जमा करने का कारण कुछ और बताया जाता है ?

(घ) किस राजनैतिक सिद्धान्त के अन्तर्गत जिया-उल-हक खालिस्तान समर्थकों को बधाई

देते हैं, जबकि वह उनके जाली नाम और देश द्रोहात्मक रवैया से भली-भांति परिचित हैं ? में 28 फरवरी, 1982 के 'ट्रिब्यून' से उद्धरण देता हूं।" पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने सरकारी तौर पर श्री सुरजन सिंह को, जो कनाडा के वानकोवर में खालिस्तान के काउन्सल जनरल हैं, उनके देश के लिए सुख और सम्पन्नता की कामना करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजी है।" उर्दू में लिखा यह पत्र 'इन्डो-कनाडियन टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था, जिसकी एक प्रति वानकोवर से कल ही यहां पर आई है।

(ङ) इस्लामिक एटम बम बनाने के पागलपन के पीछे, पाकिस्तान की तैयारियों के विषय में कौन सा रहस्य शेष रह गया है ? विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रख कर इस्लामिक बम निर्माण परियोजना सख्या 706 को पास करने का उदेश्य अब कोई रहस्य नहीं रह गया है ? मैं इसके ब्यौरे इस महान सभा की जानकारी के लिए उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं।

(च) स्थिति, जिसका मैंने अभी वर्णन किया है, कि विस्फोटकता को और बढ़ाने के लिए अमरीका पाकिस्तान को और अधिक युद्ध शस्त्रास्त्र देने में, जो उनकी रक्षा आवश्यकता के अनुपात से कहीं अधिक हैं बहुत तत्परता दिखा रहा है। और मामले को और अधिक गम्भीर बनाने के लिए श्री हेरी बर्नस (भारत में अमरीकी राजदूत) ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रेस क्लब की माध्याह्न भोजन बैठक में घोषणा की थी कि अमरीकी सरकार इस बात की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है कि अमरीकी हथियारों का भारत के विरुद्ध उपयोग नही किया जाएगा। उन्होंने यह कहते हुए स्पष्ट किया, "हम कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं रखेंगे।"

अमेरिकी प्रशासन प्रायः पाकिस्तान को बहुत अधिक मात्रा में हथियारों की सप्लाई करने के पक्ष में जो दलील दे रहा है, वह यह कि ये हथियार रूस के होने वाले हमले का भलि प्रकार मुकाबला कर सकेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते से रूस द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक आक्रमण का खतरा कहां है अथवा अन्यथा पाकिस्तान ने भारत पर अमेरिकी साबर जेटों, दूर तक मार करने वाले लड़ाकू जहाजों, एम-47 और एम-48 पैटन टैंकों 'आधुनिक तोपखाने और अन्य परिष्कृत हथियारों से, 1971 में भारत-पाक युद्ध या 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान हमला किया था। सीमा पर बड़ी-बड़ी झड़पें जो कच्छ के रण, चाद पेट' कंजर कोट गदरा रोड, छम्बा-जोरियां, पूंछ आदि में हुई ?

क्या मैं उदाहरण दे सकता हूं ? शायद, मुझे वह उदाहरण नहीं देना चाहिए।

मैं शीघ्र ही इसे पूरा करूंगा। कृपया मेरी बात सुनें। इस विषय के महत्व के कारण ही मैं इसे पढ़ रहा हूं अन्यथा आपको मालूम है मैं आमतौर पर पढ़ता नहीं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु जनरल स्पैरो, मैं समझता हूं कि विदेशी मंत्री द्वारा आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री आर० एस० स्पैरो : क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि विदेश नीति और रक्षा नीति (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे इसे पीछे छोड़ देते हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : वे इसे बहुत पीछे देते हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि विदेश नीति का केन्द्र रक्षा नीति हैं। अन्यथा, आपकी कौन परवाह करता है। स्पष्ट रूप से, यह प्रत्येक देश या उसकी किसी नीति केन्द्र बिन्दू है। इसलिए, इस नीति पर चलना जरूरी हो गया है। इससे नीति का और स्पष्ट रूप से पता चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगें हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : उनका यह रवैया और वह उद्देश्य जिनका पाकिस्तान बार-बार प्रदर्शन करता है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है।

मैं एक बार फिर सेवा में मेरे सहयोगी जिया, और मेरे शहर के रहने वाले जिया से अपील करता हूं कि भारत के प्रति हमला करने वाले इरादा छोड़ दें। यह उनके लिये या पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वे कितनी ही कोशिश कर लें।

भारत की ओर से हमारी प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को मैत्री और सदभावना का विश्वास दिलाया है। आखिरकार, पाकिस्तान हमसे और किस प्रकार का सबूत या आश्वासन चाहता है ?

मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी वही प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने उस समय इतनी उदारता दिखाई जिसका कोई मुकाबला नहीं जब पाकिस्तान 1971 के भारत-पाक युद्ध में बुरी तरह हार गया था विजेता राष्ट्र ने पाकिस्तान या बंग्लादेश की एक इंच भूमि भी अपने पास नहीं रखी। नजराना क्षतिपूर्ति या हरजाने के रूप में पाकिस्तान से एक पैसा भी नहीं लिया गया। 90,000 से भी अधिक पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को उचित सम्मान के साथ पाकिस्तान को लौटा दिया गया और उनको अच्छी तरह से भरणपोषण किया गया था और पूरा सम्मान दिया गया था।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : मैं आशा करता हूं कि एक और लड़ाई के लिए यह उनके लिए प्रोत्साहन नहीं है।

श्री आर० एस० स्पैरो : संसार के किसी भी देश ने कभी इतनी उदारता नहीं दिखाई।

अब मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अनुकूल रवैया अपनाने के बजाय आज पाकिस्तान

हमारी सशस्त्र सेनाओं के 40 कैदियों जो पाकिस्तान जेलों की मालाकंड—डारगई-कोहार आदि, में दम तोड़ रहे हैं, के होने से मना कर रहा है।

यह मैं अपने मित्र की ओर इशारा कर रहा हूं "अपने घोड़े कस लो। जिसमें मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं मेरी तुम्हारी शर्त रही कि तुम"...(व्यवधान) कुछ भी होता है ...(व्यवधान) वह मेरी बात सुन रहा होगा। मैं यह जानता हूं।

एक माननीय सदस्य : क्या आप श्री स्वामी के माध्यम से जिया को सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं। (व्यवधान) हमारी दूसरी डोर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सम्बन्धित कर रहे हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं उन्हें व्यक्ति गत रूप में बता रहा हूं कि "आप जैसा मेरा अनुमान हैं गेंद से नहीं खेल रहे हैं। आओ हम दृढ़ता से औपचारिक रूप से, दिमागी तौर से और हमेशा के लिए दोनों देशों के बीच स्वरूप और मैत्रीपूर्ण संबंध बनायें, जिनकी विरासत और इतिहास एक है। इस रवैये से हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और पाकिस्तान तथा भारत के लोगों का जीवन स्तर उठाने में सहायता मिलेगी।" यह मेरा नम्र निवेदन है जो मैं इस देश का नागरिक होने के नाते उन से करना चाहता हूं।

जहां तक हमारी रक्षा सम्बन्धी तैयारी, का ताल्लुक है मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं जितना मुझे पता है कि समय, अन्तरिक्ष, सैन्य नीति और युद्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए, हमारी सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें रक्षा मंत्रालय के निदेशों के अंतर्गत उचित रूप से तैयार किया जा रहा है। इसलिए जैसा मेरा अनुमान है मैं सदन को वही बता रहा हूं। हमारी सशस्त्र सेनाओं के सेना प्रमुखों ने थल सेना वायु सेना, और नौ सेना और उनके मुख्य स्टाफ अधिकारियों अपने अधीन सेवारत सेनाओं का समान प्रशिक्षण स्तर बढाने में अपनी उच्च स्तर की कार्यकुशलता और योग्यता का परिचय दिया है। मैं आपको विशेष रूप से आश्वासन देता हूं कि आज हमारी सशस्त्र सेनाएं संसार मे सबसे बढ़िया और उत्तम है। हमारी सेनाओं को अद्यतन हथियारों से लैस करने की हमारी उतरोत्तर योजनाएं आज की संचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हथियार मंगवाने की कोई सीमा नहीं है, परन्तु सुलभ धनराशि के भीतर, जिस तरह से इसकी व्यवस्था की गई वह वास्तव में बहुत बढ़िया है। महोदय हम सैनिक दृष्टि से बहादुरी से अपनी रक्षा करने की स्थिति में हैं। अनुसंधान और विकास के बारे में मैं कुछ कहूंगा। हमारे अनुसंधान और विकास स्कन्ध नें हमारी सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों के लिए पुराने हथियारों और उपस्करों के प्रयोग और कृत्रिम और पुराने हथियारों और उपस्करों को आधुनिक बनाने में अल्प

समय में अद्भुत सफलता का प्रदर्शन किया है। अन्य देशों की तुलना में तकनीकी इलैक्ट्रोनिक्स, परमाणु और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रगति, वास्तव में असाधारण है। इस संदर्भ में, मैं यह सिफारिश करता हूं कि भू-युद्धनीति परिस्थिति प्राप्त करने के लिए उचित उनके अधिकतर अनुसंधान और उत्पादन प्रयासों को हमारे देश की रक्षा क्षमता बनाने में उच्च वरीयता की जानी चाहिए क्योंकि हमने चारों ओर युद्ध के बादलों को देख लिया है। यह एक इशारा है जो मैं कर सकता हूं चाहे इसका जो भी मूल्य देना पड़ें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देता हूं क्योंकि वित्तीय नीति की क्रियान्विति उनके हाथ में हैं, कि इस तरफ धीरे-धीरे अधिक राशि दी जानी चाहिए ताकि इस अत्यावश्यकता को पूरा किया जा सके।

अनुसंधान और विकास के बारें में मेरा दूसरा प्रश्न टैंक का निर्माण करने से संबंधित है। एम बी टी टैंक के नये रूप को देश में तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास संगठन अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर रहा है। रक्षा मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे सकती है कि एम बी टी टैंक के नये रूप को देश में तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास संगठन अपनी सही भूमिका निभा रहा है। यह अच्छी प्रगति है, परन्तु उन्हें इस विशेष क्षेत्र में विकसित देशों के नये रूपों को तेजी से पकड़ते रहना चाहिए। अनुसंधान और विकास संगठन को उचित सलाह दी जाएगी कि वह तत्काल ही परीक्षण जैसे नये ट्रूटलैस टैंक के परीक्षण का अनुसरण करें जिसकी विशिष्टियों अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करना या अनुकूल बनानी मुश्किल नहीं हैं हमारी तकनीकी किसी अन्य से कम नही हैं। सदन को यह बात समझनी चाहिए कि मैं इस प्रश्न को विचार करने के लिए क्यों लाया हूं, केवल इसलिए कि टैंकों जैसे आधुनिक प्रकार के परम्परागत हथियारों का उत्पादन किया जा सके। मैं इसे युद्धनीति के रूप में, एक उदाहरण से स्पष्ट किया करता हूं। परमाणु युद्ध या कोई परमाणु युद्ध न हो किसी भी क्षेत्र को रखने एवं उस क्षेत्र की सुरक्षा सैद्धान्तिक रुप से टैंकों के आधार पर होगी कि किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह के पास कितनी टैंक शक्ति है। महोदय क्या आपने देखा है कि रूस के पास 50,000 आधुनिकतम टैंकों के बेड़े का कितना प्रभाव है, अर्थात बर्लिन वाल –दंसक (पोलैंड) लाइन से लांडी खाना और जहिदन (अफगानिस्तान) लाइन तक सीधा वादिवोस्तोक से लेकर प्रशांत महासागर तक। मैं इसके बारें में आगे और कुछ नहीं कहूंगा। आधुनिक प्रकार के परम्परागत हथियारों की इतनी महत्ता है।

महोदय, हैदराबाद स्थित रक्षा प्रयोगशाला के बारे में भी मेरी एक सुधारात्मक सिफारिश है। इस संयन्त्र के प्रतिबन्धित मिजाइल परीक्षण क्षेत्र की निकटवर्ती भूमि, भूमि गैर कानूनी ढंग से कब्जा करने वालों ने हडप ली है। हमारे देश में भूमि हड़पने वाले हर जगह हैं इससे सुरक्षा को बहुत खतरा है—और मेरा सुझाव है कि यह खतरा तत्काल दूर किया जाना चाहिए। सामरिक दृष्टि से भौगोलिक स्थिति और बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी कुछ सिफारिशें हैं जिन्हें मैं उच्च कमान के समक्ष रखने की छूट देता हूं।

प्रथम, बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी दूसरी पंक्ति की रक्षा सेवाओं को संगठित करने के लिए पूर्ण रूप से नए सिरे से योजना बनानी चाहिए, हमारी प्रादेशिक सेना को और बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी सही ढंग से एन सी सी, बाय स्काउट्स, गर्ल गाइडों को एक व्यापक स्तर पर स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर सीधे बड़े विश्वविद्यालय छात्रों के काडर तक मदद की जानी चाहिए। इससे हमारे राष्ट्र की दूसरी सुरक्षा पंक्ति का स्वस्थ जन शक्ति आधार बन जाएगा।

दूसरे, यह सिफारिश की जाती है कि भारत में मूल काडर और सभी अर्द्ध-सैनिक संगठनों को हथियारों का प्रशिक्षण नियमित सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण के अनुसार ही समान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपातकाल के दौरान ये सेनाएं स्वत: इस हालत में होंगी कि वे हमारे देश की सक्रिय रक्षा सेना का हिस्सा बन जाएगी अथवा आंतरिक सुरक्षा कार्यों को पूरा करने में लगाई जाएगी।

तीसरे, मैं सिफारिश करता हूं कि प्रथम वरीयता के रूप में, सभी अर्द्ध-सैन्य संगठन में भर्ती सशस्त्र सेनाओं, बकाया सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों, जो प्राय: जवान हैं और एक तरह तैयार प्रशिक्षित जन शक्ति हैं, में से की जानी चाहिए ताकि इन्हें हमारे देश के विभिन्न अर्द्धसेनाओं के कार्य सौंपे जा सकें। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों के फिर से नौकरी पर लगाने के वांछित दौर भी खुल जाएंगे।

चौथा, एक नया विचार देने का प्रयास कर रहा हूं चाहे इसका जो भी मूल्य हो। यह व्यवहारिक रूप से खर्च न करने के आधार पर है। सारे देश में एक ही नियम लागू किया जाना चाहिए कि सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को उनको स्थाई नौकरियों में नियुक्त करने से पहले पूर्व—सेवा—परिवीक्षा—आधार पर एक वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। व्यापक रूप में आधारभूत सैनिक प्रशिक्षण देने की इसकी राष्ट्रीय उपयोगिता के अलावा इस पद्धति से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और समय का मूल्य, सही ढंग का परिश्रम, अनुशासन, देश भक्ति और सरकारी अधिकारियों के मामले में भी चमत्कार होने इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता चाहे कोई आई.एफ.एस., आई.ए.एस. या अन्य छोटी नौकरी करने जाता हो। हम हमेशा कुचक की बात करते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा समाप्त हो गई है। यही एक ऐसा विचार है जिससे दोनों तरीकों—सैनिक रूप से और अन्यथा—स्वास्थ्य में सुधार होगा।

एक माननीय सदस्य : इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा।

आर० एस० स्पैरो : हां। आधुनिकतम हथियारों और उपस्करों से सुसज्जित करने के साथ-साथ यह बात याद रखनी है कि जो व्यक्ति तोप चलाता है उसी का ज्यादा महत्व है। अतएव अग्रिम पंक्ति के सक्रिय सैनिक उनके नागरिक जीवन को प्रेरणा देने और उसके पीछे वाली

पंक्ति में कार्य करने वाले सैनिक और असैनिक जीवन के प्रेरक भूतपूर्व सैनिक ही होते हैं जिनके नैतिक मनोबल और सुरक्षा की ओर राष्ट्र को हमेशा समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि राष्ट्र का मनोबल ऊंचा रखा जा सके।

उनका वेतन, परिलाब्धियां तथा पेन्शन सुस्पष्ट कारणों से उनकी जोखिम पूर्ण कठिन बलिदान युक्त तथा कुशल ड्यूटी के अनुकूल होना चाहिए जिसे वे अपनी प्यारी मातृभूमि की अखण्डता की रक्षा करने के लिए करते हैं। अतः 1980 के प्रारम्भ में सत्ता सम्भालने के पश्चात शीघ्र ही सेवा कार्मिक संवर्ग पुनरीक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए आदेश दिये। माननीय प्रधान मन्त्री महोदय ने, हम उनके बहुत आभारी हैं, तब हमारी सरकार ने हमारी भूतपूर्व सैनिकों की उनकी पेन्शन में समुचित वृद्धि करने के अतिरिक्त विविध पुनर्वास के लाभ भी दिये। वास्तविकता यह है कि उनका हर क्षेत्र में मनोबल ऊंचा है। फिर भी भूतपूर्व सैनिकों को सम्पन्न बनाने से सम्बन्धित कठोर असंगति को तत्काल दूर किया जाने चाहिए। छोटे से लेकर बड़े पदों की सभी श्रेणियों में उनके पेन्शन के अन्तर को दूर किया जाना चाहिए। पुरानी तथा अप्रचलित परिवर्तन नीति को वर्तमान मूल्य वृद्धि उम्र वृद्धि, अर्थ व्यवस्था संगणना माप दण्ड के अनुसार बदल देना चाहिए। अत्यधिक सहानुभूति तथा उचित वित्तीय कारणों को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाना चाहिए तथा इस पर बल दिया जाना चाहिए। इन दो विशेष मांगों के समर्थन में संसदीय प्राक्कलन समिति, कुछ अन्य उच्च स्तरीय संसदीय समितियों तथा देश भर में भूतपूर्व सैनिकों के विविध मेंचों तथा एसोसिएशनों द्वारा सर्वसम्मति से दी गई सिफारिशों के जरिये जो अकाट्य कारण दिये गये हैं, उनके सम्बंध में यह सुझाव है कि उन्हें स्वीकार किया जाये तथा उनके अनुसार सिफारिशें की जाएं।

इस प्रकार की कार्यवाही करने से वित्त मन्त्री महोदय को और यश मिलेगा। उनके द्वारा तैयार किए गए वार्षिक बजट से उनके बजट तैयार करने की बेजोड़ योग्यता तथा भारत की अर्थ नीति को चलाने की कुशलता का पता लगता है।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा बजट मांगों का समर्थन करता हूं तथा मैं आपको इतना समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमन् मैंने यह संसदीय रिकार्ड से देखा है कि पिछले दस वर्षों में रक्षा के संबंध में वाद विवाद में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वर्ष कम से कम किस्म में कुछ तो अन्तर है मैं नये मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अभी-अभी कार्यभार सम्भाला है। लेकिन यह असम्भव है कि वाद विवाद उतना अच्छा होगा जितना समय से पहले सूचना देने पर होता क्योंकि सरकार से संसद के पास सूचना भेजने पर इतना प्रतिबंध है कि ज्यादातर संसद सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं होती है। क्या मैं रक्षा नीति का

ब्यौरा दूं जिसका सरकार को ब्यौरा नहीं देना चाहिए। अमरीका इग्लैंड जापान तथा अन्य देशों में जिनमें विशेष रूप से गणतन्त्र है ...

एक माननीय सदस्य : चीन।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चीन गणतन्त्र देश नहीं है। इसलिए उन्हें असम में प्रोत्साहन दें क्योंकि वे आपके लिए गणतन्त्र लेने नहीं जा रहे हैं।

गणतन्त्र देशों में संसद सदस्यों को केमरा ब्रीफिंग के लिए नियमित रूप से बुलाया जाता है। तथा उन्हें विश्वास में लिया जाता है। हमारी रक्षा सम्बंधी परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में श्री वेंकटरामन के आने तक ज्यादातर कुछ नहीं होता था लेकिन अब चूंकि वह रक्षा मन्त्रालय में आ गए हैं अब बैठकों में कुछ होता है। लेकिन इतना होना ही पर्याप्त नहीं है। हमें कुछ और करना होगा। हम जिस सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं। उस संदर्भ में जब तक संसद को सूचना नहीं भेजी जाती है, मैं यह नहीं समझता हूं कि वाद-विवाद उस स्तर तथा गहराई तक पहुंच सके जिस तक इसे होना चाहिए। जब मेरी जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई थी तो···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाडा) : बड़े दुर्भाग्य की बात है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता पार्टी के नाम से घबरा जाते हैं। मैं यह नहीं जानता कि वे क्यों घबरा जाते हैं। अगला चुनाव अगले तीन वर्ष बाद होना है। इसलिए आप तब तक आराम कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप नहीं घबराते हैं?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तीन वर्षों से पहले ही सत्ता में आने के लिए घबराया हुआ हूं। मैं तैयार नहीं हूं जब हमारी पार्टी सत्ता में आई थी, तो हमने इस बात को देखने की कोशिश की थी कि यह देश जिन दुश्मनों का सामना कर रहा था उनमें कमी हुई हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत से दुश्मन छोड़े थे, वे एशिया के एक किनारे से दूसरे किनारे को छीन रहे थे। जनता सरकार ने दुश्मनों की संख्या को कम करने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रयास किया। इसलिए प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : श्री वाजपेयी द्वारा ···

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह एक सही व्यक्ति है। उन्होंने चीन तथा पाकिस्तान को पुनः मित्र बनाने के लिए बहुत से राजनयिक प्रयास किए। (व्यवधान) मैंने भी उसमें निश्चित रूप से

अपनी एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। और उन कदमों को उठाने का कारण यह था कि हमें यह भरोसा था कि हम केवल पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चीन और मिलाकर दोनों देशों की अपनी फौज से मुकाबला कर सकते हैं। हमने यह सोचा था कि यदि वे वास्तव में धोखेबाज होते हैं और दोस्ती का दुरुपयोग करते हैं और अचानक हमला करते हैं। तो हम उन्हें उचित उत्तर देने की स्थिति में होंगे। हमने उस आत्म विश्वास से बहुत से राजनयिक प्रयास किये और आज उनके परिणामस्वरूप भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत कम हैं जो हमारे सत्ता में आने से पहले था। यह एक कदम था जो हमने उठाया। हमने दूसरा कदम यह उठाया कि हमने अपनी हथियारों की खरीद में विविधता लाने के लिए मौखिक कदम उठाये। पहले हम एक देश से ही हथियार खरीदने के लिए निर्भर थे। लेकिन तत्कालीन जनता सरकार ने यह निर्णय किया था कि हम केवल रूस से ही हथियार नहीं खरीदेंगे लेकिन हम उन अन्य देशों से भी हथियार खरीदेंगे जो हमें हथियार बेचने के लिए तैयार हैं। और हम जिन शर्तों को चाहते हैं उन्हें वे स्वीकार करते है। अतः जगुआर पनडुब्बियां, हमारे विमानों के लिए समुद्री हाकों तथा इस प्रकार के अन्य उपकरणों की खरीद करने के लिए हमने बातचीत करनी शुरू की तथा इन्हें पश्चिम के देशों से भी खरीदा इससे हमें निश्चय ही मदद मिली क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि भारत को एक ठोक विक्रेता के रूप में हथियारों की सप्लाई करने के रूप से स्तर का अन्त हुआ और मेरा विचार है कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है। हमने तीसरी बात यह कि हमने इस बात को पहिचाना। कि अमरीका ने वर्ष 1971 में अपने सातवें बेडे के तद् उद्देश्योंय बल को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भेजा था इसमें हमारी आंखों को इस तथ्य की ओर खोल दिया कि हमारे उत्तर केवल उत्तरी फ्रंटियर देशों से ही हमला नहीं हो सकता है अपितु समुद्र के रास्ते से भी हमला हो सकता है। हमारी तत्कालीन सरकार ने रक्षा के आबटन को नौ सेना की ओर बदलने के कदम भी उठाये।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन): श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य अपनी सरकार के पास अनुदान के लिए मांग का प्रस्ताव रख रहे हैं। उन्हें मेरे बजट के सम्बन्ध में बोलना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: श्रीमन् मन्त्री महोदय यह नहीं जानते हैं, कि उन्हें बरखास्त करने के लिए मुझे सबसे पहले एक मामला बनाना चाहिए। इसलिए मैं उन्हें यह बताने के लिए एक मामला बना रहा हूं कि उसने कहां गलती की है और जब कभी मैं उनकी आलोचना करता हूं तो वे यह कहते हैं कि आप कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते है। इसलिए पहले मैं विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं और यह भी दिखा रहा हूं कि उन्होंने कितना घटिया बजट रखा है और उन्हें यह बता रहा हूं कि उन्हें किस प्रकार का बजट रखना चाहिए था।

सभापति महोदय: आप बहुत समय ले रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि मेरी बात में व्यवधान नहीं डाला जाये तो मैं कम समय लूंगा ।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मैं अपना समय भी उन्हें दे रहा हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया उन्हें न छेड़िये । उन्हें बोलने दीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस लिए हमारी सरकार ने नौसेना के भाग को 7 प्रतिशत बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है और इस सम्बंध में हमारी रक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए इस भाग को और वृद्धि दिखानी होगी । मैं मन्त्री महोदय को बता सकता हूं । क्योंकि वे तमिलनाडु के हैं । लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि वे अपना तथा निकोबार द्वीप के महत्व के बारे में जानते हैं अथवा नहीं ।

अत: ग्रेटर निकोबार द्वीप तथा सुमित्रा द्वीप के बीच केवल 50 मील का फासला है । और पूरे हिन्द महासागर का यातयात सीधे मोरक्को होकर गुजरता है और यदि सही माइने में हम निकोबार द्वीप में मजबूत नौसेना रखते हैं तो हम हिन्द महाहागर यातायात तथा उस समुद्र मार्ग से जाने वाले पश्चिम देशों के वाणिज्य यातायात के 90 प्रतिशत यातायात को नियंतण करने की स्थिति में होंगे । अत: यह एक बहुत बड़ी शक्ति है लेकिन दुर्भाग्यवश हम ऊपर की ओर देखते रहे हैं तथा यह नीचे देखने का समय है । वस्तु स्थिति यह है कि पुरानी यह कहावत कि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक है वह झूठी हो गई है । भारत ग्रेटर निकोबार से लेकर कश्मीर तक है क्योंकि ग्रेटर निकोबार कन्याकुमारी की अपेक्षा और भी ज्यादा दक्षिण में है तथा मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय हाल ही में वहां गये हैं अब हमारे रक्षा मन्त्री तामिलियन हैं, क्या अब नौसेना की ओर कुछ और ज्यादा ध्यान दिया जायेगा ।

श्री आर० वेंकटरामन ; मैं आपकी सहायता कर रहा हूं आप प्रश्न का नाम जानने के लिए झगड़ा कर रहे थे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह विदेशी नाम है । इस लिए मुझे इसका पता नहीं था । मैं आशा करता हूं कि आप इसका "वेंकाटरमण का प्रश्न" के रूप में पुन: नाम रखेंगे ।

लेकिन चीन और पाकिस्तान को दोस्त बनाने के हथियारों की खरीद में विविधता लाने के बारे में जनता सरकार द्वारा किये गये प्रयासों तथा नौसेना के विकास के बारे में इस प्रकार कहने पर मुझे अद्यतन रक्षा प्रतिवेदन में यह देखकर दु:ख हुआ है कि इन सही प्रयासों को

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

छोड़ दिया गया है और इसे उलटा कर दिया गया है, पूरा उलटा नहीं किया गया है लेकिन पुराने दिनों में वापस जाने के लिए उलटा कर दिया गया है । अब पाकिस्तान के साथ मनमुटाव पैदा किया गया है चीन के साथ उतने अच्छे सम्बध नहीं चल रहे हैं जितने अच्छे चलने चाहिए थे और मैं हथियारों की खरीद के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में श्री उस्तिनव की भारत यात्रा के समय मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि श्री वेंकटारमण उस हथियार खरीदने की नीति के विविधीकरण को छोड़ने के लिए सौदेबाजी करेंगे । यह बात वही बतायेंगे ।

लेकिन जिस तरीके से वह आये उनके साथ बहुत से सेनापति आये थे लेकिन श्री वेंकटारमण अकेले खड़े हुए हैं जबकि हमारे सेनापति पेरिस तथा इंगलैंड गए हुए हैं तथा ये रूसी लोग जिस प्रकार देखते हैं तथा व्यवहार करते हैं श्री वेंकटारमण को यह सब बातें करनी चाहिए। (व्यवधान)

मैं आपको दूसरा महत्व बताना चाहता हूं । हमारे समय में भारत सरकार ने अमरीका से भी आधुनिक हथियार खरीदने का प्रयास किया था । हम सिद्धांत रूप से अमरीका तथा उसकी विदेशी नीति से सहमत नहीं हुए लेकिन अमरीका विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अच्छे हथियार बनाता है । यह एक आम धारणा है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अब आप सत्य कह रहे हैं । आप सही बात बता रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे विचार से उनके हथियार अन्य देशों की अपेक्षा औसतन अच्छे हैं । यह हो सकता है कि अमरीका उन हथियारों का कुशलता से प्रयोग करना नहीं जानता हो । जैसाकि वियतनाम में हम देख चुके हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अमरीका हमें हथियार दे सकता है । जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं हमें उन्हें खरीदना चाहिए । एन्टी टैंक प्रक्षेपणास्त्र तथा बहुत से अन्य आधुनिक छोटे हथियारों को खरीदने के लिए हमारे समय में अमरीका से बातचीत के दौरान जब मामला हस्ताक्षर करने की अन्तिम स्थिति में पहुंचा तो मैं यह बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि श्री वेंकटारमण की सरकार ने हस्ताक्षर करना रोक दिया । इसके लिए किसका दबाव उत्तरदायी था मैं इस बात को नहीं जानता हूं । लेकिन हम यह चाहते हैं कि श्री वेंकटारमण संसद को विश्वास में ले और हमें यह बतायें कि जिस विविधीकरण की नीति को जनता सरकार ने शुरू किया था उसे आपने इस ढंग से क्यों त्याग दिया है ।

जनरल स्पैरो ने ठीक ही कहा है कि विदेश नीति तथा हमारी रक्षा की नीति को संघटित कर दिया गया है ।

परन्तु विदेश मंत्रालय तथा रक्षामंत्रालय की रिपोर्टों के बीच सही समन्वय नहीं है। 'अनायुद्ध संधि' के विषय में अनेक मंत्रालय की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय की अपेक्षा वस्तु स्थिति का सही ढंग से पेश करती है। विदेश मंत्रालय का बयान अधिक प्रतिकूल या नकारात्मक है। आपकी सरकार भी वे "अनायुद्ध संधि, विषय पर सही ढंग से रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं। वे मुद्दों पर बल देने तथा ध्यान केन्द्रित कराने के लिए उचित शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसमें समन्वय का अभाव है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : वह एक राजनैतिक एवं सिपाही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोई भी उन्हें सिपाही नहीं कह सकता। मैं इस बात से अधिक चिंतित हूं कि इस सरकार की कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सम्बन्ध केवल रक्षा एवं हथियार प्राप्त करने से नहीं है। बाहर हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या है ? अफगानिस्तान के बारे आपकी नीति क्या है ? इस समय अफगानिस्तान में लगभग 110,000 रूसी सभी सैनिक डेरा डाले हैं और सभी सैनिक वहां यह बहाना लेकर गए थे कि उन्हें आमन्त्रित किया गया है। क्योंकि उन्हें धमकी मिलने की आशंका थी। इसलिए वे उस देश में गए। यदि कोई एक देश के निमंत्रण पर वहां डेरा डाल सकता है तो कल पाकिस्तान में भी इसी प्रकार कहीं के सैनिक प्रवेश कर जाएंगे। यदि निमंत्रण द्वारा किसी देश के सैनिक पाकिस्तान में आ जाते हैं तो आपके विचार में क्या हमारे देश में उन्हें बुलाने वाले लोग नहीं हैं ? ऐसे लोग यहां हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उस ओर क्या देखते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि वे.. (व्यवधान) अतः इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री राजेश पाइलट : कम्पूचिया में चीन की उपस्थिति के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक मैं जानता हूं, सरकार का कहना है कि कम्पूचिया में कोई चीनी नहीं हैं। राजेश जी, आप इस तरफ आकर कुछ और बातें भी सीखिए।

ईरान, अफगानिस्तान, बांग्ला देश तथा इन सभी दूसरे देशों में अस्थिरता की स्थिति है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है ? रक्षा मन्त्री को इन सब बातों को देखते हुए योजना तैयार करनी होगी। मान ले कल ईरान का पतन हो जाता है। यदि खुमैनी सत्ता से हट जाते हैं तो ईरान में कम्यूनिस्ट पार्टी ही एकमात्र संगठित पार्टी है जिसका सोवियत संघ से सम्बन्ध है। यदि सोवियत संघ ईरान और अफगानिस्तान को हथिया लेता है तो क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

बच सकेगा। इस बारे में रक्षा का महत्व क्या है ? ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार के हथियार प्राप्त करने के विषय में सोच रहे हैं ? मैं रक्षा मन्त्री को यह बताना चाहूंगा कि केवल सोवियत संघ ने ही इस प्रकार के अभियान शुरू किये हैं बल्कि अमरीका भी कई बार ऐसा कर चुका है।

सभापति महोदय : आपको बोलने के लिए दस मिन्ट का समय दिया गया है। कृपया अपनी बात पूरी कर लीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने अपना समय भी मुझे दे दिया है।

श्री आर० वेंकट रामन : यदि वह नहीं चाहते कि मैं उनकी बात का उत्तर दूं। तो मैं अपना स्वयं भी इन्हें दे दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अमरीका ने हाल ही में श्री लंका में एक विश्राम एवं स्वास्थ्य लाभ केन्द्र लिया है। इसका नाम है 'त्रिकोनामलाई रेस्ट एण्ड रिव्यूपरेशन सेंटर'। यह आधार नहीं है बल्कि यह पांव जमाने के लिए एक अड्डा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मालदीव द्वीपसमूह में है, आपका वहां अत्यन्त सतर्कता से काम लेना होगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण द्वीप है। मैं दियागो गार्सिया का बात नहीं करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति उस बात से अवगत है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस ओर आपके सोवियत संघ रास्ता बनाता आ रहा है। दूसरी ओर अमरीका बढ़ रहा है। इस संदर्भ में भारत का क्या दृष्टिकोण है। मैं इस पुराने वाक्यांश विशेष "विश्वसनीय मित्र' को नहीं दोहराऊंगा। मैंने बार-बार यह सुना है कि सोवियत संघ एक विश्वसनीय मित्र है। 1962 में जब हमारे देश ने उनसे सहायता मांगी तो उन्होंने कहा था कि "चीन हमारा भाई है" आप केवल हमारे मित्र हैं। तब हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। उस समय अमरीका ने हमारी सहायता की थी। हां यह सच है कि 1971 में सोवियत संघ ने हमारी सहायता की थी। और 1977 में सोवियत संघ सहायता से मुख मोड़ गया। इस प्रकार आप किसी भी देश के विषय में यह नहीं कह सकते कि वह हमारी सहायता अवश्य करेगा। कुछ वर्ष पूर्व सोवियत संघ इथोपिया के विरुद्ध सोमालिया की सहायता कर रहा था। आज वह सोमालिया के विरुद्ध इथोपिया की सहायता कर रहा है। अतः मेरे विचार में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। और वास्तव में यदि यह एक विश्वसनीय मित्र है तो रक्षा मंत्री सदन को बताये कि अफगानिस्तान में सेना भेजते समय उन्होने हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया। भारत-रूस संधि हुई थी। कभी-कभी रक्षा सन्धि भी कहा जाता है। भारत-रूस सन्धि के अनुच्छेद 9 में कहा गया है।

"किसी भी पक्ष पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा होने पर संविदाकारी प्राधिकरण नामतः भारत और सोवियत रूस तुरन्त इस प्रकार के खतरे से निबटने के लिए परस्पर विचार विमर्श करेंगे।"

अफगानिस्तान में सैनिक भेजने से पूर्व उन्हें भारत के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः उन्होंने हमें कनिष्ठ सहयोगी समझा। जब हमने बंगलादेश में प्रवेश किया उस समय अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने उन्हें विश्वास में लिया था। वास्तव में रूसी नेता दिल्ली में उपस्थित थे। परन्तु जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? श्री युस्टिनोव जब यहां आए थे, उस समय रक्षा मन्त्री को उनसे यह प्रश्न करना चाहिए था। परन्तु महोदय, मुझे मालूम नहीं कि क्या उनमें यह प्रश्न पूछने का साहस था।

तथापि, मैं एक बात की प्रशंसा करूंगा। रक्षा सम्बन्धी दस्तावेज में, उन्होंने दोनों महाशक्तियों को बराबर कर दिया है। यहां मेरे मित्र ने आपत्ति उठाई थी। महोदय, मेरे विचार में यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। जहां तक अमरीका और सोवियत रूस का संबंध है, हम उनमें कोई भेद नहीं कर सकते। उनकी मानसिकता एक जैसी है। मानसिक रूप से वे महाशक्ति हैं।

आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त कर दूं। इसलिए मैं शीघ्रता से अपने भाषण को पूरा करूंगा। अब प्रश्न यह है कि विश्व में इस समय केवल दो महाशक्तियां ही नहीं हैं, बल्कि आज विश्व में बहुत-सी महाशक्तियां हैं। हम भी एक महाशक्ति बन सकते हैं। अब बुनियादी प्रश्न यह है कि हमने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? हमें इस अभाव को पूरा करना है, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। इसलिए हमें उठाये जाने वाले कदमों के संदर्भ में सोचना चाहिए।

मेरा यह तर्क है कि आगामी दस वर्षों में नौसेना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके व्यय में यथासंभव वृद्धि की जानी चाहिए। आज, नौसेना पर केवल 9 प्रतिशत धन खर्च किया जाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए। मैं ऐसा सोचने वालों में से नहीं हूं कि रक्षा के लिए धन आर्थिक विकास कार्यों से काटकर दिया जाये। उन्हें मिलाकर एक किया जा सकता है। वास्तव में रक्षा पर हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 3.३% व्यय होता है। बहुत से देश, जिन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, लगभग 5 प्रतिशत खर्च करते हैं। पाकिस्तान 6 प्रतिशत खर्च कर रहा है। चीन अपनी राष्ट्रीय आय का 13 प्रतिशत रक्षा पर खर्च कर रहा। हम रक्षा पर केवल 3.3 प्रतिशत खर्च करते हैं और फिर भी रक्षा बजट में कमी करने की आवश्यकता के बारे में बहुत चर्चा होती है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरे विचार में आप हमारी अर्थव्यवस्था में कोई मूलभूत अन्तर डाले बिना इस खर्च को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी सुरक्षा सेनाओं के बारे में

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

गम्भीरता से विचार करे। आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। यह सम्भव है कि पाकिस्तान स्थिति का लाभ उठाने के लिए कठिनाई के इस अवसर पर कश्मीर समस्या को यहां-वहां उठाय । निःसन्देह ऐसा नहा हा सकता । हमारी सेनाएं इतनी सुदृढ़ हैं कि पाकिस्तान हम पर हमला करने की गलती कभी नही कर सकता । युद्ध के बाद पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । वास्तव मे यह एक मजाक चलता है कि 1971 के युद्ध क बाद पाकिस्तान घटकर बाकिस्तान बन गया है। इस युद्ध क बाद तो यह चटनिस्तान ही बन जाएगा। पाकिस्तान म कुछ नहीं बचेगा । मेर विचार म पाकिस्तान इस तथ्य को महसूस करता है । मैं स्वयं को पाकिस्तान का एक मित्र समझता हू । मैं नहीं सोचता कि कोई पाकिस्तानी इस गलतफहमी में है कि व हम पर हमला कर और हम सब जानते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो यह अन्तिम युद्ध होगा । इस समय जब हम उनसे बहुत बड़े हैं, हमे शुरूआत करनी होगी । वास्तव में रक्षा मन्त्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि किसी प्रकार से दोनों देशों की सेनाओं क बीच समन्वय रखा जाए । और मै इस विषय में कोई हल्ला-गुल्ला नहीं करूगा । परन्तु मै आपको यह बताना चाहू गा कि एफ० 16 के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । नाटो (ए० ए० टी० ओ०) क्या है ? यदि एफ० 16 पर किसी दूसरे एक जहाज से हमला किया जाए तो एफ० 16 बेहतर है । यदि दो जहाज एक समय उस पर हमला करें तब भी एफ० 16 ही श्रेष्ठ है । लेकिन यदि तीन जहाज उसका पीछा करे, चाहे ये जहाज कैसे भी हो एफ० 16 उनकी तुलना म कुछ भी नहीं है और यह मिराज और जगुआर विमानों द्वारा मार गिराये जा सकते है । पाकिस्तान केवल 40 एफ०-16 खरीद रहा है जिनमें से 20 जहाज सर्विसिंग के लिए होंगे । हम आसानी से 20 एफ०-16 जहाजों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें केवल 60 जहाजों की आवश्यकता होगी । 00 जहाज खरीदने के बाद एफ-16 समारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते । एफ०-16 का इतना भय क्यों है, मैं इस बात को नहीं जानता । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं पाकिस्तान के इस अधिकार का समर्थन करता हूं कि कौन से हथियार खरीदने हैं और कौन से नहीं । यदि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका से हथियार न ले तो आपको यह कहना होगा कि जब कभी भी उन पर कठिनाई आयेगी, हम उनकी रक्षा करेंगे । यदि आप पाकिस्तान को ऐसा कह देते है तो आपको पाकिस्तान को हथियार देने के लिए अमरीका की और अमरीका से हथियार लेने के लिए पाकिस्तान की निन्दा करने का अधिकार होगा । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कोशिश कीजिए । यह तो कोशिश करने की बात है । यह कूटनीति है । जब जनता सरकार बनी, तो हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान एक उदण्ड देश है । सलाल बांध और 1974 में श्रीमती गांधी द्वारा रखी गई सभी शर्तों को राष्ट्रपति जिया ने

श्री मोरारजी देसाई के साथ निपटाना स्वीकार कर लिया था। आप प्रेम एवं स्नेह के साथ पाकिस्तान से सपर्क कीजिए और आप देखेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया कितनी सुखद होती है।

मैं इस सन्दर्भ में यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यह समय हमारे लिए न्यूक्लिय विकल्प के बारे में बहुत गम्भीरता से सोचने का है। मैं नहीं सोचता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमें अपनी रक्षा के लिए, जो केवल हमारी ही रक्षा से सम्बन्धित नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी देशों की रक्षा के लिए, भारत के लिए न्यूक्लिय हथियार रखना बहुत आवश्यक हो जाए।

मैं केवल परमाणु अस्त्र-शस्त्र रखने भर के लिए परमाणु अस्त्र-शस्त्र के पक्ष में नहीं हूं। किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि यदि आप इस विचार को मानते हैं कि भारत की यह जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के देशों की रक्षा करे तो मैं भारत द्वारा आणविक अस्त्र तैयार करने के पक्ष में हूं। यह विचार माने जाने पर आणविक अस्त्र ही, बिना किसी ऐसे विचार के नहीं। इस विचार के बिना आणविक अस्त्र का कोई उपयोग नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : श्री मोरारजी देसाई के बारे में आपकी क्या राय है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे तो मैंने उन्हें इस प्रश्न के बारे में बहुत कहा था। मैंने उन्हें कहा था कि हमारे देश को आणविक अस्त्र बनाने चाहिए, तो उन्होंने कहा था, "नहीं, बिल्कुल नहीं।" तो मैंने उन्हें कहा था "किन्तु सोचिए कि यदि दल यह सकल्प पास कर दे तो। तब उन्होंने कहा था "तो आपको मेरे और दल के दोनों में से एक का चयन करना होगा। मैंने सोचा ज्यादा विस्फोटक शक्ति उनके पास है। यही कारण है कि मैंने उन्हें कहा यूरेनियम की नहीं।

इसीलिए, मुझे बजट का विरोध करना पड़ा, क्योंकि रक्षा पर कोई स्पष्ट नीति तैयार नहीं की गई है, और मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारी सेना और सशस्त्र बलों के वेतन इतने कम हैं कि सन् 73 से उनमें किसी प्रकार का संशोधन किया ही नहीं गया है। और उन मशीनों और उन्नत अस्त्रों का संचालन करने के लिए तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता का स्तर भी घटता जा रहा है और सेना के लोग इससे चिंतित हैं। यह बेहतर होगा, यदि आप यह बता जाए कि उन्हें भत्ते अदा करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मेरे दल से भी एक सैनिक जनरल बना था और अब मेरी बारी है, जो कि बिल्कुल असैनिक है।

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

रक्षा मंत्रालय की मांगों के बारे में बोलने से पहले मैं उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहता हूं जिन्हें डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उठाया था उन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी पार्टी जब सत्ताधारी थी, तो उन्हें पड़ोसी देशों विशेष रूप से हमारे दुश्मनों से संबंध सुधारने की कोशिश की थी। मैं डा० स्वामी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि हमने 1977 तक अपने राजदूत श्री मिश्र को वहां तैनात कर रखा था.

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह केवल कार्य प्रभारी मात्र था।

श्री उत्तम राठौर : शिमला समझौते पर तो आपके सत्ताधारी होने से पहले ही हस्ताक्षर हुए थे। आप उसका श्रेय तो ले ही नहीं सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मोशे दयान को क्यों आमन्त्रित किया था ? उसके द्वारा आप किससे दोस्ती करना चाहते थे? जरा बताइएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे आना चाहते थे।

श्री उत्तम राठौर : उन बातों का दंभ मत भरिए, जो की थी ही नहीं। आपने मोशे दयान को आमंत्रित किया था, आपने उसे वायु सेना का एक विमान दिया था। अब आप यह कहते हैं कि आप सभी से संबंध में सुधार लाना चाहते हैं। इससे अरब देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था ? क्या आप जानते हैं ? आप समझते क्यों नहीं ?

प्रो रूपचन्द पाल ने आयुध अधिनियम में ढील देने की बात कही थी, यह एक अच्छा सुझाव है, किन्तु इससे कुछ खतरे भी हैं। यदि आपको याद हो, पुराने हैदराबाद में, हमारे लोगों द्वारा इसे स्वतंत्र कराने से पहले, रजाकारों को हथियार बांटे गये थे। सन् 1948 में पुलिस की गतिविधियों के बाद साम्यवादी दल ने रजाकारों से ये हथियार जब्त कर लिए और कमाम तथा वारंगल जिलों में उन्होंने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था। कृपया इसे न भूलें। हम लोग हर तरह के पृथकतावादी आंदोलनों का सामना कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यही हो रहा है, और फिर खालिस्तान आन्दोलन चल रहा है। जब इस तरह की बात हो। तब भी क्या आप चाहेंगे कि आयुध अधिनियम में ढील दी जाए ? और इस बात की क्या गारंटी है कि ये समाज विरोधी तत्वों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे ? जब आप ऐसी राहत की मांग करते हैं, तो भगवान के लिए, यह भी तो देखे कि मांग करने से पहले समुचित रक्षोपाय किए गए हैं या नहीं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : क्या आप यह जानते हैं कि इजराइली अधिकारियों ने भारत का दौरा इन्दिरा गांधी शासन के दौरान किया था। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको इसके बारे में क्या कहना है ? रिकार्ड को बिल्कुल सही रखा जाना चाहिए।

श्री उत्तम राठौर : पूरे संसार में जो तनाव बना हुआ है उसके बारे इतना कुछ कहा जा चुका है, जिसमें कि मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव भी शामिल है। अब वह हमारे पड़ोस में भी फैलता जा रहा है। इस अवसर पर मेरा यह कर्तव्य है कि रक्षा मंत्रालय की अनुदान के लिए मांग का समर्थन करूं। हमें मालूम है कि ,,000 मिराज मंगवाने की बात हो रही है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा मैं असैनिक हूं और मैंने केवल मानविकियों का ही अध्ययन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी के अन्तरण से वास्तव में आपका अभिप्राय क्या है। क्या इसका अर्थ यह है कि उन सभी प्रक्रियाओं का अन्तरण किया जाए जिनमें से निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गुजरा गया था अथवा उसका मतलब कुछ मशीनों और डाईज की पूर्ति करना मात्र ही है जिससे कुछ अतिरिक्त पुर्जे तैयार किए जा सकें, और जिन्हें हम एक साथ जोड़ लें? यह बात मैं रक्षा मंत्री से तब जानना चाहता हूं जब वे उत्तर दें।

मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का इस बात में समर्थन करता हूं जो उन्होंने जल सेना के बारे में कहा था, मुझे याद है 1962 में रीयर एडमिरल सोमन ने बम्बई के विधायकों के समक्ष भाषण देते हुए कहा था, "बड़े आश्चर्य की बात है कि न जाने क्यों हम जल सेना की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि हमें इतने विशाल तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा करनी है।" इंडोनेशिया जैसे छोटे देश की जल सेना हमसे अधिक सशक्त है। इसके लिए यही समय है जब हम पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं के लिए तट से दूर (आफ शोर) खुदाई कर रहे हैं। अपनी जल सेना के विकास को प्राथमिकता अत्यावश्यक है।'

मैं और विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, श्री स्पैरो पहले ही काफी बोल चुके हैं। मैं कुछ अन्य बातों तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा। मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का जिक्र करूंगा। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि जो देश हमें उपस्कर देते हैं वे पहली पीढ़ी के उपस्कर न दें। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संगठन के लिए अधिकाधिक निधि की व्यवस्था करें, ताकि वे प्रयोग कर सकें और अपने देश के लिए समुचित उपस्कर प्राप्त कर सकें। यदि सरकार पर्याप्त धन प्रदान करने में असमर्थ है, तो मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक राष्ट्रीय रक्षा निधि होनी चाहिए, जैसी कि अनुसंधान और विकास के लिए पहले थी खैर, यहां जिस पर अनुसंधान किया जाता है और जिसका अविष्कार किया जाता है, उसे असैनिक प्रयोजन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। फिर यदि हम लोगों से इसके लिए धन देने के लिए कहें तो इसमें क्यों आपत्ति है। हमें पर्याप्त स्रोत प्राप्त होंगे और हमें निश्चयतः बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यही एक ऐसा सुझाव मैं देना चाहता था।

नेशनल कैडिट कोर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कैडिटों की कुल संख्या 11 लाख है, जबकि देश में लगभग 110 विश्वविद्यालय हैं, इसमें स्कूल कालेजों दोनों के ही कैडेट शामिल हैं अतः मैं कहना चाहूंगा कि उनकी संख्या बढ़ायी जाए। एक और बात—हमने आमतौर से यह

[श्री उत्तम राठौर]

देखा है कि जो इन्सट्रक्टर वहां भेजे जाते हैं वे सेवा-निवृत्त होने वाले होते हैं या शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित सेवा के अयोग्य होते हैं, और ऐसे ही लोग यहां भेजे जाते हैं। भगवान के लिए, ऐसे इन्सट्रक्टर न भेजें जो युवा कैडेटों को प्रेरित न करें और युवा पीढ़ी पर वे कोई बेहतर प्रभाव भी नहीं डाल पाएंगे।

एक और बात है। नेशनल कैडेट के जो लड़के प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी में उन्हें वरीयता दी जाए या यदि वे अपना उद्योग शुरू करना चाहें, तो उद्योग शुरू करने के लिए उन्हें बैंक से कुछ रियायत दी जाए।

प्रादेशिक सेना के बारे मे मैं यह कहूंगा कि जब हमारी सेना में 3 लाख सैनिक है, उस समय इस प्रादेशिक सेना में 1,65,000 व्यक्ति हैं, और आज जहां हमारी सैनिकों की संख्या चोगुनी हो गई है, उस समय प्रादेशिक सैनिकों की संख्या घटकर 60,000 हो गई है। जैसा कि श्री स्पैरो ने बताया कि यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ भी अदा नहीं करना पड़ता है। आप उन्हें तभी भुगतान करते हैं जबकि वे प्रशिक्षण लेते हैं अथवा वे अपना-अपना काम करते हैं। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रादेशिक सेना की संख्या बढ़ाई जाए। पिछली बार जब माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया था कि लोग प्रादेशिक सेना में भरती होने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको कुछ गलतफहमी है और कुछ तो हो ही नहीं सकता। लोग उतने ही देशभक्त हैं, जितने कि वे पहले थे। उन्हें कुछ प्रोत्साहन दीजिए। उन्हें कुछ वरीयता दीजिए। इन लोगों के लिए अच्छे इन्सट्रक्टर भेजे जाएं प्रादेशिक सेना के कर्मिकों को भूतपूर्व सैनिक का स्टेटस दिया जाना चाहिए। आप पदोन्नति की सभावनाएं भी बढ़ाएं।

सैनिक स्कूलों का मूल उद्देश्य है सशस्त्र बलों के अधिकारियों की नियुक्ति में आने वाले क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाए, जनता के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को प्रोत्साहित करना आदि है।

इसके बारे में मुझे यह कहना पड़ रहा है कि देश के किसी भी जनजाति क्षेत्र में एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया है। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मराठवाडा क्षेत्र जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है और जनजातीय क्षेत्र भी है, उसमें एक सैनिक स्कूल खोला जाये।

एक और बात है। एक वेटेरिनरी कोर है जो घोड़ों और खच्चरों की नस्ल तैयार करता है, और उन्हें प्रशिक्षण देता है। उत्तर भारत में दो केन्द्र हैं—एक हिसार में है और एक उसके निकट ही कहीं है। हिंगोली में मराठवाड़ा में और परमानी जिले में घोड़ों की नस्लें तैयार करने के केन्द्र हैं। ये निजाम के समय के ही हैं। वह केन्द्र अब भी है, भवन भी है। केवल घोड़े

हटा लिये गए हैं। भवन वही है; जमीन भी है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे एक तीसरा केन्द्र खोले, ताकि अपने देश की सहायता करने के लिए हम अच्छे घोड़ों की नस्ल तैयार कर सकें।

अन्त में मैं मंत्रालय के अनुदान के लिए मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेश पाइलट (भारतपुर) : सभापति महोदय, दोनों ही ओर से मेरे वरिष्ठ साथियों ने काफी कुछ कहा है। लेकिन आज मेरे मन में इस व्यवसाय, जिसे राजनीति कहते हैं, के बारे में बहुत तुच्छ धारणा है। अपनी इस सेवा में हम अपने वरिष्ठ नेताओं से अत्यधिक प्रतिष्ठा तथा आदर्श की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज मैंने एक अथवा दो बहुत वरिष्ठ नेताओं को सुना है जिन्हें अधिक वरिष्ठ न भी कहा जाए तो कम से कम वरिष्ठ संसद सदस्य अवश्य माना जा सकता है और वह हैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। दो अथवा तीन स्थानों पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं। उन्होंने बताया है कि संसद सदस्यों को विश्वासभाजन नहीं बनाया जाता। मैं निस्संकोच बताऊंगा कि संसद सदस्य संसद में कुछ कहते हैं और जब वे बम्बई जैसे स्थानों पर जाते हैं तो वे कुछ और ही कहते हैं। इतना ही भरोसा संसद सदस्यों का किया जा सकता है। एक पत्रिका में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है—मैं नहीं जानता कि उन्होंने मोरारजी देसाई आयु-विज्ञान में डाक्टर की डिग्री ली है—या नहीं—कि वह इस बात की वकालतकर कर रहे हैं कि भारत को विशेषकर पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। वह लेक्चर दे सकते हैं। यह तो ठीक है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह स्वयं सीमा के उस पार जाए और स्वयं देखें। यदि आप भारत और पाकिस्तान के तुलनात्मक आंकड़ों, कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा प्रति व्यक्ति रक्षा व्यय को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस देश का रक्षा व्यय सबसे कम है जबकि पाकिस्तान अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5.9 प्रतिशत खर्च कर रहा है। थाइलैंड अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है, इंडोनेशिया अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 3.5 प्रतिशत खर्च कर रहा है। वास्तव में अब हम रक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं। यदि पाकिस्तान और चीन से कोई खतरा न हो तो हम यह खर्चा क्यों करें? डा० स्वामी इसकी वकालत कर रहे थे। आज इन लोगों के बारे में मेरी धारणा बहुत तुच्छ है। मैं देखता हूं कि यहां वे कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। जनरल स्पैरो ने पहले ही इस मंत्रालय के संदर्श के बारे में बता दिया है। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि हम 1962 की लड़ाई की तरह चकित न रह जाए। मैं समझता हूं कि सलाहकारों को चाहिए कि वे और सलाह न दें तथा यही बेहतर है कि वे रक्षा के संबंध में अपनी सलाह देना बन्द कर दें। ऐसी सलाह देने का यह गलत तरीका है।

मेरे कुछेक व्यावहारिक सुझाव है जिनसे तीनों रक्षा सेवाओं में रक्षा मंत्रालय की कार्य शर्तों में सुधार करने में काफी अच्छे सिद्ध होंगे। इस समय रक्षा का प्रत्येक प्रस्ताव रक्षा (वित्त) के बाह्य वित्त विभाग को भेजा जाता है। रक्षा मंत्री किसी समय वित्त मंत्री भी रहे हैं। उन्हें इन

[श्री राजेश पाइलट]

बातों को जांच करनी चाहिए। उदाहणार्थ, 5,000 रुपये के किसी प्रस्ताव को जिसमें कोई भारी वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं होता, रक्षा मंत्रालय के वाह्य वित्त के माध्यम से गुजरना होता है। इस तरह, आधे प्रस्ताव तो वहीं रुक जाते हैं और उन्हें सहमति नहीं मिलती, क्योंकि उन प्रस्तावों को उनके वाह्य वित्त द्वारा अनापत्ति देना होती है। जब उनके पास लेखा परीक्षा निदेशक है तो ऐसे प्रस्ताव को सहमति के लिए वित्त तक भेजने की क्या जरूरत है? मेरा दूसरा प्रश्न तीनों सेवाओं के चीफ्स आफ स्टाफ की वित्तीय शक्तियों से संबधित है। उन्हें हर छोटी से छोटी बात के लिए वित्त की सहमति लेना पड़ती है। निस्संदेह, लड़ाई के समय अनिवार्यता के कारण उन्हें वे बड़ी शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन, शांति के समय उन्हें वे शक्तियां नहीं होतीं। अतः उन्हें छोटे प्रस्ताव के लिए भी वित्त मंत्रालय में जाना पड़ता है।

अब मैं सेवाओं—थल सेना को लेता हूं। जनरल स्पैरो ने पहले ही ध्यान दिलाया है कि जहां तक टैंकों का प्रश्न है, हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। लेकिन जहां तक टैंक परिशोधन, विशेषकर आवादी टैंक कारखाने का संबंध है यदि यह कारखाना सही निर्माण तथा सर्विस प्रदान कर सकता तो हम तीन हजार टैंकों का निर्माण कर सकते थे। इस कारखाने में उत्पादन 45 प्रतिशत से आगे कभी नहीं बढा है। 1980-81 में इसमें सुधार हुआ है लेकिन वह अभी भी 40-50 प्रतिशत के बीच है।

महोदय, इस समय टैंकों के संबंध में हमारी प्रौद्योगिकी काफी पीछे हैं विशेषकर गोला फैंकने की दूरी, गति तथा निशाने के संबंध में। यदि हम अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिक नहीं बनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। मैंने पिछले वर्ष भी ध्यान दिलाया था और इस वर्ष की उनकी वार्षिक रिपोर्ट में भी मैं देखता हूं कि यह खण्ड वैसा का वैसा ही है और वह विभिन्न देशों से कुछ हद तक बेहतर टैंकों का आयात करने का प्रयत्न कर रहे है।

अब मैं थल सेना में वाहनों के प्रश्न को लेता हूं। हमारा उत्पादन अच्छा है और हम आत्म-निर्भर हैं। लेकिन जापान में उन्होंने शक्तिमान निशान इंजन को परिशोधित कर लिया है। उन्होंने ये इंजन हमारे से लिए थे लेकिन उनमें इतना सुधार कर लिया है कि अब उनमें 50 प्रतिशत ईंधन की बचत है। हमारी सरकार को उनसे तकनीकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इस प्रकार ईंधन को खपत में बचत करनी चाहिए।

अब मैं थल सेना में संचार को लेता हूं। कुछ सीमाओं पर इसमें सुधार हुआ है। पश्चिमी सीमा पर इसमें सुधार हुआ है लेकिन पूर्वी क्षेत्र में यह अभी भी काफी पीछे है। पूर्वी क्षेत्र मे अभी भी पुरानी किस्म की प्रणाली है। हमें संचार प्रणाली में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुधार करने की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इसके साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थानों के इर्द-गिर्द ऐक-ऐक गनें होनी चाहिए। हम उस जरूरत को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ये उपकरण नहीं है। अब थल सेना अस्पतालों के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। जब सेना अस्पताल खोले गए थे तो उनके मानदण्ड द्वितीय विश्व युद्ध की जरूरतों के अनुसार रखे गए थे। यद्यपि सेना की संख्या में वृद्धि हो गई है और तीनों सेवाएं बनाई जा चुकी हैं तथापि उन अस्पतालों के मानदण्ड में अतिरिक्त जरूरतों के अनुसार परिवर्तन ही हुआ है। रक्षा मंत्री को इस पहलू की जांच करनी चाहिए। मैंने कुछ अस्पतालों का स्वयं दौरा किया और मुझे मालूम हुआ कि मानदण्ड पुराने है तथा कोई विस्तार नहीं हुआ है।

महोदय, एक महीने में दो अथवा तीन पत्र बिना डाक टिकट के डालने की अनुमति है। लेकिन मेरा सुझाव है कि दो अथवा तीन पत्रों का यह प्रतिबन्ध क्यों है। इसे पूर्णतः निशुल्क कर दिया जाए। मै आपको बता दूं कि अन्यथा भी हम सेवाओं में इनका उपयोग मुफ्त करते हैं।

महोदय, सीमा सड़क संगठन की शुरूआत स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। इस संगठन ने अच्छा काम किया है और 17,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें बना ली हैं।

अब मैं वायु सेना को लेता हूं। एफ.16 के बारे में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में काफी कुछ कहा गया है। श्री स्वामी ने कहा है कि यदि एफ-16 आ गए तो हम किन्हीं तीन विमानों से उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें विमानों के बारे में कोई जानकारी है। सवाल संख्या का नहीं है। इस विमान की किस्म तथा क्षमताएं हमें भयभीत कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि एफ. 16 आता है तो हम उसका मुकाबला तीन विमानों से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मालूम हो जाए कि एफ. 16 आ रहा है तभी आप अपने विमान भेज सकते हैं। हमें इन गलत धारणाओं में नहीं बह जाना चाहिए। कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। यह एक खतरनाक चाल है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें मिराज-2000 जैसे किसी मुकाबले के विमान को प्राप्त करना होगा।

अब मैं परिवहन बेड़ें को लेता हूं। आपके पास डकोटा, कार्वो तथा एन० एन० 12 जैसे विमान हैं। वे पुराने विमान हैं। डकोटा के संबंध में, पीछे कश्मीर के लड़ाइयों के दौरान ही सुना गया था कि उसने अच्छा काम किया। उसके बाद उनका उपयोग परिवहन के लिए किया गया था। प्रत्येक वर्ष उसमें हताहत होते हैं तथा हमने अनेक बहादुर पाइलटों को खो दिया है।

वायुयानों के संबंध में, पिछले 18 वर्षों से हम उनका-इधर उधर उपयोग करते आ रहे हैं। यदि आपके पास एक ही कमीज हो और आप उसे प्रायः इस्तेमाल करते रहें तो वह फट

[श्री राजेश पाइलट]

जाएगी, भले ही वह अच्छे कपड़े की हो, निश्चय ही वह खराब हो आएगी। अतः यही मेरा सुझाव है। परिवहन बेड़ें में परिवर्तन करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। वायुसेना में सर्विसबिलिटी कभी भी 52 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इस समय यह लगभग 48 से 52 प्रतिशत के बीच है। इसके कारण ये है कि विभिन्न प्राक्रियाओं स गुजरना पड़ता है। वायुसेना में इसे 'क्रिसमस ट्री' कहा जाता है। जब विमान दुर्घटना-ग्रस्त हो जाता है और सेवा योग्य नहीं रह जाता ता उस क्रिसमस ट्री कहते हैं। उसम से एक भी पुर्जा निकालने के लिए हाई कमान अथवा वायुसेना मुख्यालय की अनुमति लेनी पड़ती है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि मरम्मत के सबध मे उनमें गुंजाइश काफी हो और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।

मुझे प्रसन्नता है कि आपने थल सेना तथा वायुसेना के कार्मिकों को कुछ रियायतें दी हैं। पिछली बार, जब आप वित्त मंत्री थे तो आपने पाइलटो के उड़ान वेतन में वृद्धि की थी ; मैं इससे सहमत हूं ; आपने पाइलटों के लिए एक अच्छा कार्य किया है ; लेकिन साथ ही आपने एक अच्छे वित्त मंत्री को भूमिका भी निभाई है। आपने उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया कि उनके वेतन में जितनी वृद्धि हुई है उसे अनिवार्य बीमा में अशदान के रूप मे जमा किया जाए। अतः इसका शुद्ध परिणाम क्या निकला ? वेतन में जितनी भी वृद्धि की गई वह बीमे मे जा रही है और उन्हें उस 375 रुपये की वृद्धि के लिए आयकर देना पड़ रहा है। एक पाइलट को बीमे आदि के लिए अपने वेतन से 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का अशदान करना पड़ता है तथा उनका वास्तविक वेतन कम हो गया है। आप विश्वास करें, जब कोई सिपाही भविष्य में अपने जीवन-यापन की सोचना शुरू करता है तो वह वर्तमान को अच्छी तरह नहीं जान सकता। पाइलटों का वर्तमान जीवन स्तर अच्छा रहना चाहिए और किसी भी हालत में उन्हें भविष्य की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है कि बीमा 2 अथवा 3 लाख रुपये तक का है ; लेकिन उसे कल के बारे में चिन्ता नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने कुछ पुराने मित्रों से मिला हूं। उनके अनुसार, उन्हें इस बारे में शिकायत है। वे कहते हैं कि उनका वेतन अधिक नहीं बढ़ाया गया है, थोड़ी सी जो वृद्धि की गई है लेकिन इसके विपरीत हमारे वेतन में से बीमे, आयकर आदि के रूप में काफी कटौती कर दी गई है यह उनका कहना है।

एक अन्य रियायत आप पेट्रोल राज सहायता के रूप में कर सकते हैं। आप उन्हें पेट्रोल राज सहायता दे सकते हैं। इस समय वसूल किए जा रहे सरकारी उत्पाद शुल्क को माफ कर सकते हैं। यह एक अच्छा कदम होगा। इस से सरकार पर मात्र 30 अथवा 40 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा ; लेकिन सेवाओं में मनोबल को बढ़ाने में यह एक अच्छा कदम होगा।

अब मैं नेवी को लेता हूं। मैं पनडुब्बियों तथा तट-रक्षकों की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

वे सेना का कार्य कर रहे हैं तथा इन तटों पर तस्करी को रोकने में सहायता करते हैं। उनकी सेवाएं बहुत उपयोगी हैं। नेवी में फ्लोटिंग अस्पताल होता है जिसे नीरवाणी कहते हैं। उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है यदि आप इन अस्पतालों की संख्या में दो अथवा तीन की और वृद्धि कर दें तो सेवा कार्मिकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा यह मेरा अनुरोध है।

रक्षा उत्पादन ने अच्छा कार्य किया है। यदि आप कुछ कार्य प्राइवेट सेक्टर तथा संयुक्त सेक्टर को भी दे दें तो बेहतर होगा; मैं गैर-सुरक्षा मदों की बात कर रहा हूं; जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय लोग नकल करने में चतर हैं। यदि आप प्रदर्शनी लगाएं तथा उसमें आयातित मदें रखें तो लुधियाना से कोई न कोई व्यक्ति आएगा और संभवतः उन मदों को वह इसी देश में बना सकेगा। फिर आपको वे मदें आयात नहीं करना पड़ेंगी तथा इस तरह आप उतनी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के मैं स्थिर संबंधी संभावनाओं के बारे में मैं आपका ध्यान श्री के० पी० ए० केनन, तत्कालीन रक्षा सचिव के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था।:

"हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि सेनाओं में भरती का आकर्षण तथा प्रोत्साहन काफी घट गया है।"

लगभग एक वर्ष पहले रक्षा सचिव ने यह वक्तव्य दिया था। सेवाओं में इन बातों में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए और हमें लोगों को सेना में भरती होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय प्रशासन सेवा का एक अधिकारी सेवा में आने के 16 से 18 वर्ष पश्चात संयुक्त सचिव बन जाता है। सेनाओं में उसी का समकक्ष अधिकारी 18 वर्ष में केवल लेफ्टिनेंट करनल अथवा उस के समकक्ष अधिकारी तक ही पहुंचता है। इसका कारण यह है कि यहां पदोन्नति के अवसर कम हैं। 4000 भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों के लिए 1,00 रिक्तियां हैं। 80 सचिव हैं, 1200 अपर सचिव हैं, 600 संयुक्त सचिव हैं, आदि आदि। लेकिन सेनाओं में 35000 निम्न रैंक के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर, तीन सेना चीफ एयर मार्शल, जनरल तथा एड मिरल आदि हैं। इसमुद्दे को ध्यान में रखना होगा। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह निम्न रैंकों के इन अधिकारियों क लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए। मैं अभी बताता हूं कि भूतपूर्व रक्षा मंत्री, श्री सी० पी० एन० सिंह ने पिछली बार क्या कहा था। उनका वक्तव्य रिकार्ड में है। उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि एक भी नौ सेना अधिकारी (सेवा निवृत) को पत्तन न्यास संगठन में नहीं लिया गया है।

महोदय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपने एक प्रतिशतता निर्धारित की है कि राज्य सरकारें अपने विभिन्न पदों तथा सेवाओं में उतना आरक्षण करेंगी। लेकिन उन्होंने उस प्रतिशतता

[श्री राजेश पाइलट]

को कभी पूरा नहीं किया है। लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामले में एक प्रणाली का पालन किया जाता है कि यदि वे उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त पद को अगले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा और उन रिक्तियों को तब तक नही भरा जाएगा जब तक इन वर्गों के लोग उपलब्ध नहीं हो जाते। आप इस प्रणाली को भूतपूर्व सैनिकों के मामले में क्यों नहीं लाग् करते ? क्या केवल कागजों पर ही उनके लिए सभी सरकारी उपक्रमों में 14 से 18 प्रतिशत पद तथा अर्ध-सरकारी सेवाओं में लगभग 20 प्रतिशत पद आरक्षित हैं ? आप देखेंगे कि देश में आज भी लगभग 49 अपंग व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। वे अभी भी मौकों की तलाश में हैं। मनोबल गिराने वाला एक जबरदस्त कारण है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन अपंग व्यक्तियों के लिए कुछ करें।

महोदय, निगरानी (मानिटरिंग) के संबंध में मैंने पहले भी अनुरोध किया था निगरानी प्रणाली होनी चाहिए ताकि इन सभी बातों पर निगरानी रखी जा सके तथा संबंधित विभाग उचित समय पर तत्काल कार्यवाही कर सके।

महोदय, प्रति वर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेवा निवृत होते हैं। इसमें से लगभग 3500 सैनिक कर्मचारियों को पुनः रोजगार दे दिया जाता है। यह क्या अनुपात हुआ ? कुछ दिन पहले सरकार ने एक वक्तव्य दिया था कि पुलिस मैनों की भर्ती कर उन्हें सभी बैंकों में तैनात किया जायगा सरकार विशेष पुलिस मैनों की भर्ती करने पर विचार कर रही हैं जिन्हें विभिन्न बैंकों में तैनात किया जाएगा। सभी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को रोजगार देने का यह सर्वोतम अवसर है। वे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि इन भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को बैंकों में नौकरी दे दी जाती है, तो वे यह कार्य बखूबी कर सकेंगे और इस तरह उन्हें खपाया जा सकता है।

महोदय, कुछ ऐसे लोग है जो सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार के सगे-सम्बन्धी हैं। इस देश में केवल 5 या 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो रक्षा उपकरणों का व्यपार करते हैं। एक तरह हम इन भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर हम इन लोगों को हमारी तरफ से विदेश के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और वे इस सौदे में 2 प्रतिशत अथवा 3 प्रतिशत का कमीशन अर्जित कर रहे हैं। एक सज्जन जो सुरक्षा सचिव थे और सेवा निवृत होने के बाद उन्होंने रक्षा उपकरणों की सौदे करने का व्यापार शुरू कर दिया। तत्पश्चात वह व्यक्ति जनता सरकार में प्रधान मंत्री का सचिव बन गया। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हू। हमने कुछ कैरीबूज वायुयान खरीदे हैं। वे ऐसा स्थिति मे थे कि वे यहां तक कि उड़कर भारत वापस नहीं आ सकते थे और उन्हें जबरन स्वीट्जर-लैण्ड में उतरना पड़ा और उन्हें भारत वापस लाने के लिए हमें कुछ करोड़ रुपये और

खर्च करने पडे । घटिया सौदा करने वाले ऐसे लोगों से बचना चाहिए और सरकार को इस प्रकार की बात-चीत करने तथा सौदे को पूरा करने के लिए विदेशों से सीधे ही सम्पर्क करना चाहिए ताकि सरकार काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत कर सके ।

ये एजेन्ट राष्ट्रीय हित का कोई ख्याल नहीं रखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है । आप ऐसे लोगों को हतोत्सहित क्यों नहीं करते हैं ? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को ध्यान मे रखें । इस प्रकार बचाई गई विदेशी मुद्रा का भूतपूर्व कर्मचारियों के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

मेरी अंतिम बात यह है कि सैनिक कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए आप को कुछ अतिरिक्त कदम उठाने पड़ेंगे । आपको सभी राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देने पड़ेंगे तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों से यह कहना होगा कि वे सैनिक कर्मचारियों को जब कभी वे अपने गांव में अपने घर बनाने के लिए सीमेन्ट, इस्पात आदि जैसी कतिपय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उनके पास जाएं, उन्हें उच्च प्राथमिकता दें, ताकि वे अपनी छुट्टी की अवधि में समय पर कार्य पुरा कर कोई चिन्ता किए बिना अपने काम पर वापस लौट आएं ।

महोदय, चूंकि आप पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपको वित्त मंत्रालय के बारे में पूर्ण ज्ञान है और इसलिए मुझे आशा है कि जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है आप रक्षा सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे । अन्त में महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीन के पीछे काम करन वाले व्यक्ति का महत्व बहुत है और उस आदमी का मनोबल बनाए रखना और भी महत्व-पूर्ण है । इसलिए, हमें इन सेवाओं का ऊंचा मनोबल बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी काफी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार यहां प्रकट किए हैं । मैं नये रक्षा मंत्री जी को, जो आदर के पात्र हैं, बधाई देता हूं । लेकिन पता नही रक्षा मंत्री जी कब तक रक्षा के पद पर रहेंगे, क्योंकि अखबारों मे जो खबर आ रही है, उस से कहीं दूसरी जगह न चले जांए ।

सर्व प्रथम मैं जो चर्चा उठाना चाहूंगा —हमारे साथी पायलट साहब और जेनरल साहब ने भी उन बातों का उल्लेख किया है—आज सब से अहम मुद्दा यह है कि आप डिफेन्स को विदेश मंत्रालय और जो आप की इन्टरनल सिचुएशन है इन दोनों से अलग कर के नहीं चल सकते है । इस के अलावा जो बुनयादी सवाल है, जिस की तरफ स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश का ध्यान खींचा था—"जय-जवान, जय किसान का नारा दिया था, जब तक उन दोनों फ्रंट पर आपका समन्वय नहीं होगा अब तक मैं समझता हूं आप चाहे जितनी बातें कहें उन में कोई दम नहीं है । ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं । आज जो आपकी वैदेशिक नीति है उस के अनुसार आप का रक्षा मंत्रालय उस ओर कदम बढ़ायेगा, जो आपकी आन्तरिक समस्याएं हैं उन आन्तरिक समस्याओं

[श्री राम विलास पासवान]

और जो आप का आर्थिक ढांचा है उन के मुताबिक आप का दूसरा रास्ता तय होता है। आज दुर्भाग्यवश देश की आर्थिक रीढ़ सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा।

बार-बार उधर से जनता पार्टी के समय की हुकूमत का जिक्र किया जाता है। लेकिन आप को एक बात माननी पड़ेगी—जब यहां पर जनता पार्टी की हुकूमत थी उस समय में एशियन नेता भी आते थे और अमरीकन नेता भी आते थे और हम में इतनी करेज थी कि उन दोनों को समान दूरी पर रख कर अपने राष्ट्र के हित को सामने रख कर अपनी रण-नीति को तय करते थे, क्योंकि हम उन में से किसी के गिरवीदार नहीं थे,। हम ने रूस से जो कर्जा लिया था उस को चुकाने का काम किया था। यदि हम इन देशों पर निर्भर करेंगे तो हमारी विदेशी नीति कायम नहीं रह सकती है, हम को अपने बूते पर अपनी विदेशी नीति का निर्माण करना होगा।

आप जानते हैं और आप ने मोराजी भाई का जिक्र भी किया है। हो सकता है कि हम को उन से कुछ मतभेद हो, लेकिन उन में एक बहुत बड़ी बात और वह था उन का नैतिक बल। जब एशियन और अमरीकन उन के पास एटम बम के सम्बन्ध में बात करने आए तो मोरारजी भाई ने साफ कह दिया—पहले एटम बम को पानी में डुबा दो, समुद्र में डुबा दो, तब आकर बात करो। एक तरफ खुद एटम बम बनाते रहोगे और दूसरी तरफ इस तरह की बात करोगे तो यह नहीं चलेगा।

आज डीएगो-गर्शिया में क्या हो रहा है? डिएगोगार्शियां और इण्डियन ओशन के सम्बन्ध में कुछ दिन पहले मैंने "हिन्दू" में खबर देखी थी। उस में लिखा था कि वहां पर अमरीका का इतना बड़ा बेस बन गया है कि वहां से हजारों मील वहीं बैठे-बैठे मार कर सकता है, वहां से बैठे-बैठे दिल्ली को खत्म कर सकता है। आप ने जो बजट रखा है, उस के सम्बन्ध में हमारे एक साथी ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। लेकिन मैं आप से पूछता हूं— जल सेना के लिए आप ने कितना रखा है? जल सेना को बम्बई से कलकत्ता जाना पडता है, जैनरल साहब यहां बैठे हैं, किधर से घूम कर जाना पड़ता है? आप की लंका से हो कर जाना पड़ेगा और लंका से घूम कर जाइयेगा तो लंका में भी अब अमरीकन बेस बन गया है, उस का नाम चाहे "एन्टरटेन्मेंन्ट" रख दें या कुछ रख दें। लेकिन वह उस का फौजी अड्डा है तब फिर किधर से हो कर आइयेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप के पास कन्याकुमारी और लंका के बीच का रास्ता हैं, क्या आप उस को डेवेलप नहीं कर सकते हैं? उसको डेवलप कर सकते हैं, वहां से अपने लिए रास्ता निकल सकता है।

हमारी प्राइम मिनिस्टर लन्दन गई हुई हैं, वहां से उन का बयान आया है—हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कभी आप को चारों तरफ दोस्ती नजर आती है, कभी दुश्मनी नजर आती

है। हम लोग तो कभी ऐसे नहीं कहते थे कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारे समय में तो जो बड़े-बड़े राष्ट्र हैं वे भी हमारे दोस्त थे।

जो छोटे-छोटे पड़ोसी राष्ट्र थे, वे भी हमारे दोस्त थे और आज आप को बड़े से बड़ा राष्ट्र दुश्मन नजर आ रहा है और आप के अलग-बलग में जो छोटे राष्ट्र हैं, वे भी आप को दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो आपकी पालिसी क्या है, आप की नीति क्या है। यह आप हमें बताइए, जहां तक कुछ महत्वपूर्ण चीजों की गोपनीयता का प्रश्न है, सीक्रेसी का प्रश्न है वह डिफेन्स मिनिस्टर हम लोगों को न बताएं लेकिन कुछ तो बतलाइये कि हम लोग कैसे घिरे हुए हैं और हमारे कौन दोस्त हैं और कौन नहीं है।

अभी कुछ दिन पहले अखबारों में निकला कि जगुआर के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। फिर यह निकला कि फ्रांस से मिराज का डीलिंग कर रहे हैं और फिर यह निकला कि रूस से मिग 2 का डीलिंग कर रहे हैं। कहां से डील कर रहे हैं और किस चीज के लिए डील कर रहे हैं, यह सही तरीके से पता चलना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था कि 1973 में जो फाइटिंग प्लेन थे, उन के सम्बन्ध में श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने जांच की थी मगर उस का उत्तर मुझे पिछली दफा भी नहीं मिला था। श्री सी० सुब्रह्मण्यम उस समय के रक्षा मंत्री थे। उन की रिपोर्ट में क्या है, क्या उन्होंने बताया है और क्या सलाह दी है, आज तक उस के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं हो पाया है। इस के बारे में मंत्री जी हमें बताएं।

आपकी लाचारी मैं समझ रहा हूं कि समय कम है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे एक साथी ने आर्डेनेन्स फेक्टरी के सम्बन्ध में कहा है। आप की जो आर्डेनेन्स फेक्टरी हैं, उसमें क्या बनता है। क्या कभी आपने उनके बारे में जांच करवाई। बेल्ट से ले कर स्क्रू तक इम्पोर्टेड है। तो फिर आपकी आर्डेनेन्स फेक्टरी क्या करती हैं। रक्षा मंत्री जी हमें बताएं कि आर्डेनेन्स फैक्टरी में क्या बन रहा है?

आर्मी कोर्ट के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आर्मी कोर्ट रहने के बावजूद भी आर्मीमैन जनरल कोर्ट में वे लोग क्यों जाते हैं। जनरल कोर्ट में वे लोग क्यों जाते हैं क्या हमारे जवानों की आर्मी कोर्ट के प्रति श्रद्धा नहीं रही है। उनको वहां पर न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए वे जनरल कोर्ट में जाते हैं। यह एक आवश्यक मामला है और इस पर आप को विचार करना चाहिए।

एक और भी महत्वपूर्ण मामला है और उस तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगा। आज मिलिट्री के अन्दर आप देखिए कि कास्ट्स के नाम पर रेजीमेंट बनी हुई हैं। मैंने

[श्री राम विलास पास वान]

कई बार इस मामले को उठाया है और 1977 में भी जबकि हमारी सरकार थी, इस मामले को उठाया था क्योंकि हमारे जैसे आदमी के दिमाग में यह बात नहीं आती कि रेजीमेंटों के नाम जातियों के नाम पर हों। कहीं गोरखा रेजीमेंट है और कहीं राजपूत रेजीमेंट है और कहीं फलाना रेजीमेंट है। मैंने जब इस के बारे में पूछा तो बताया गया कि इसके पीछे हिस्टोरीकल बैक ग्राउन्ड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जब हमारे इतिहास को देख कर रखा गया तो एतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। आप इस को खत्म करके नया अध्याय खोलिए और कम से कम सेना में जहां जाति के नाम पर रेजीमेंट रखी हुई हैं, उन को बदलिए।

मैं शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की लैटेस्ट 1978-79 की रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में यह किया हुआ है कि मिनिस्ट्री आफ डिफेंस में प्रथम श्रेणी में शैडयूल्ड कास्ट के लोग केवल 3.49 परसेन्ट हैं, शेडयूल्ड ट्राइब्स के 0.50 परसेन्ट हैं। द्वितीय श्रेणी में शेडयूल्ड कास्ट्स 6.23 पर सेन्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स 0.37 पर सेन्ट, तृतीय श्रेणी में शेडयूल्ड कास्ट्स 12.4 पर सेन्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1.41 परसेन्ट और चतुर्थ श्रेणी में इन्क्लूडिंग स्वीपर्स शेड्यूल्ड कास्ट्स 23.3 परसेन्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 4.37 हैं। ये आपके आंकड़े हैं। तो राष्ट्र की जो मुख्य धारा है, उसका उपयोग भी आप डिफेंस के लिए नहीं करते हैं। आप इन लोगों को वहां पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। आप कह देंगे कि अभी भी इस देश में बहादुरी किसी जाति विशेष में है और उन्हीं के नाम पर रेजीमेंट्स हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे लोग क्या करेंगे और वे लोग कहां जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि यदि आपको जाति-पांति को चलाना ही है, तो यहां पर भी शेडयूल्ड कास्ट रेजीमेंट रहे, यहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेजीमेंट रहे और माइनोरिटीज का रेजीमेंट खोल दीजिए और अलग-अलग नामों पर रेजीमेंट रखिए। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि कास्ट्स के नाम पर जो रेजीमेंट्स हैं, इनको आप खत्म कीजिए और जहां उचित प्रतिनिधित्व देने की बात है, लड़ने वाले सिपाहियों का जो रैंक होता है, जो आर्मी में आपके सिपाही हैं, उनमें भी शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स को उनका कोटा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये दो-तीन बुनियादी प्रश्न हैं। जिन पर कि आप ध्यान दीजिए। आप अपने आर्थिक मामले को डिफेंस से मिला कर अपने डिफेंस को मजबूत कीजिए। आप आर्थिक जगत् में अपना बेस मजबूत कीजिए आप आर्थिक जगत में अपन बेस मजबूत कीजिए नहीं तो आप चल नहीं सकेंगे।

डिफेंस में आप नेवल बेस मजबूत कीजिए। आप पहले से थोड़ा-बहुत बनाये हैं लेकिन अभी क्या है कि आपके यहां जो कोस्ट गार्ड्स है उनके पास तीन वेसल्स हैं। उन वेसल्स से वे कहां-कहां घूमते रहेंगे। रोज अखबारों में निकलता है कि कहीं से मछली मार कर ले गए कहीं कुछ और करके चले गए। आप अपने नेवल फोर्स के जरिए से इसको मजबूत कीजिए।

अभी सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कहा कि आप दोनों सुपर पावर्स को समान दूरी पर रखिये और नेशनल इंट्रेस्ट को सब से आगे रखिये, मैं उनसे सहमत हूं। आप अपने को राष्ट्र के हित के साथ जोड़िये। चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, वे हमारे साथ आगे आयें तो आयें लेकिन नेशनल इन्ट्रेस्ट को हम उनके लिए गिरवी न रखें। नेशनल इन्ट्रेस्ट को तिलांजलि दे कर किसी से हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं।

एक बात और है। आप किसी से दोस्ती कर के किसी को दुश्मन बनाने का काम भी मत कीजिए। अभी एक चीज हमको देखने को मिली। अगर हम रशिया से दोस्ती करते हैं तो अमेरिका हमारा दुश्मन हो जाएगा, अगर हम रूस से हाथ मिलाते हैं तो चीन हमसे नाराज होता है। यह जो एक से दोस्ती करके दूसरों को दुश्मनों की कतार में खड़ा करने की प्रवृत्ति है इसको भी आप रोकिए।

श्री वेंकटारमन जी हमारे बहुत अनुभवी और विद्वान रक्षा मंत्री हैं और वे बहुत कम समय तक रक्षा मन्त्री के पद पर रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके अनुभवों और विद्वता का लाभ कम से कम समय में भी हमें अधिक से अधिक मिले और ये कोई अच्छी पालिसी बना कर, कोई नया बेस बना कर रक्षा मंत्रालय को आगे ले जाएं, यही मेरा आग्रह है।

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : सभापति महोदय, किसी देश की सुरक्षा तथा उसका भूगोल ऐसी चीजें हैं जिन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल लार्ड वेवल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति भूगोल को नहीं बदल सकता है। भारत देश की थल और जल सीमा क्षेत्र बड़ा विशाल है। अतएव यह देश भौगोलिक अनिवार्यताओं की उपेक्षा नहीं कर सकता जो प्रकृति ने इसे प्रदान की हैं।

पाकिस्तान, चीन, बंगला देश, जो भौगोलिक रूप से हमारे पड़ोसी हैं, में भी महत्वपूर्ण घटना घटती है और हमारे दक्षिण में हिन्द महासागर में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटती है, तब वह हमेशा हमें मजबूर करेगी कि भारत की सुरक्षा के बारे में विचार करते समय उसका ध्यान रखा जाए। पाकिस्तान, जो पश्चिम में हमारा पड़ोसी है, ने कश्मीर को हड़पने में अपने विचार का परित्याग नहीं किया है जनरल जिया, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ने कई बार यह कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाये जाने का दारोमदार है। उन्होंने यह भी कहा था कि, चाहे शिमला, समझौता हो अथवा शिमला समझौता न हो, जहां तक उनका सम्बंध है कश्मीर का मसला अभी बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकार आयोग के समक्ष काश्मीर के मसले के बारे में हाल ही में जो बेहूदे तर्क पेश किए गए हैं उनके पीछे गंभीर इरादे हैं। मौलिक इस्लाम के नाम से मुस्लमान देशों की धर्मान्धता को भड़काने तथा मुस्लिम देशों की सुरक्षा के लिए युद्ध सामग्री प्राप्त

[श्री अजीत सिंह दाभी]

करने के लिए इस्लामिक बैंक की स्थापना करने के पाकिस्तान के प्रयास पर हमें नजर रखनी चाहिए। सऊदी अरब जिसका अमरीकी बैंकों में अरबों पैट्रोडालर जमा हो गया है, द्वारा पाकिस्तान को ऋण दिया जाना और अमरीका द्वारा पाकिस्तान के अमरीका से हथियारों की खरीद करने के प्रति कोई आपत्ति न किया जाना यह बताता है कि सऊदी अरब से आने वाली धनराशि काफी महत्वपूर्ण है। हाल में हुए 32000 अरब डालर के सैना, आर्थिक पैकेज सहायता समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को काफी मात्रा में आधुनिक टैंक, वायुयान, मिसाईल तथा इलैक्ट्रानिक उपकरण एवं उच्चतम एफ-16 लड़ाकू बोम्बर, जो अमरीकी हथियारों की रीढ़ की हड्डी हैं मिल रहे हैं। हमें मालूम ही है कि अभी दो वर्ष पहले अमरीकी उपग्रह प्रणाली ने यह भेद प्रकट किया था कि पाकिस्तान भारतीय सीमा के पार बोलिस्थान मरुस्थल में अपने प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए गुप्त रूप से सुरंग बनाने का काम चला रहा है। तत्पश्चात, मास्को के 'रैडस्टार' ने सूचित किया था कि भारत अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करने के लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम, जिसे कि वे इस्लामिक बम कहते हैं, बनाने की तैयारी से भारत के सुरक्षा सम्बन्धी वातावरण में एक नया अयाम जुड़ गया है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता है, और जिसके विध्वंसकारी इस्लामिक बम की तुलना में अधिक खर्चीली होने की सम्भावना है, वह है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति।

विदेशी समाचारों की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान पर ऋण 80,000 लाख डालर के खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। पाकिस्तान कोट सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 50 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन के माध्यम से सृजित नहीं किया जाता है बल्कि सेवाओं के द्वारा सृजित किया जाता है। केवल यही नहीं, उसका विदेशी व्यापार का घाटा 28,000 लाख डालर है। मुद्रा स्फीति मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के साथ आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप लोग बेचैन हो रहे हैं। अतएव उसे अपनी स्थिति और अपनी मिलिट्री जनता की इज्जत बचाने के लिए जनरल जिया, अपने पूर्ववर्ती जनरल अयूब खान तथा याह्या खान की तरह इस आर्थिक सकट से पाकिस्तान की जनता का ध्यान हटाने के लिए सम्भवतः हताश हो भारत पर आक्रमण कर दे।

इस बात को लेकर कि क्योंकि युद्ध, वर्जन सधि पर बात-चीत चल रही हैंअतः पाकिस्तान आक्रमण नहीं करेगा हमारे लिए यह सोचना एक बहुत बड़ी गलती होगी। वास्तव में पाकिस्तान द्वारा युद्ध-वर्जन संधि का प्रस्ताव का किया जाना पाकिस्तान और अमरीका के बीच की गई साजिश का परिणाम है ताकि पाकिस्तान को अधुनातन हथियारों से सज्जित करने के लिए समय मिल सके, जिनमें ऐफ-16 बम वर्षक विमान भी शामिल हैं और इस प्रकार पाकिस्तान को भारत से 10 वर्ष आगे किया जा सके, जहां तक अस्त्र-शस्त्रों का सम्बन्ध है।

सभापति महोदय : पांच मिनट पाकिस्तान के आक्रमण के लिए और 5 मिनट भारत की सुरक्षा के लिए भी ।

//श्री अजीत सिंह दाभी : चीन जो उत्तर में हमारा पड़ोसी है, जिसने 1962 में हम पर हमला किया था, दक्षिणी पूर्व एशिया में किसी भी शक्तिशाली देश को सहन नहीं करता । चीन यह उसको अपने प्रभाव का एतिहासिक क्षेत्र समझता है । इसलिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ मैत्री कर ली है और जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह काफी अमंगल-सूचक है ।

हम यह भी नहीं भूल सकते कि दो वर्ष पहले चीन के उप-प्रधानमन्त्री जेंग बीयों द्वारा अमरीका के दौरे के दौरान अमरीका तथा चीन के बीच मिल्ट्री आपरेशन में समन्वय स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था जिसे अमरीका के तत्कालीन रक्षा सचिव श्री हेरोल्ड ब्राऊन ने एक 'नये युग' का निर्माण बताया था ।

हम इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि हमारी उत्तरी-पश्चिम की सीमा पर कराकोरम राष्ट्रीय मार्ग के द्वारा पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में गिलगिट सकादु तथा कागन घाटी में नियमित रूप से चीनी हथियारतथा युद्ध सामग्री इकट्ठी हो रही है यद्यपि ये हथियार स्पष्टतया रूस के विरुद्ध लडने वाले अफगान विद्रोहियों की सहायता के लिए हैं, लेकिन यदि जनरल जिया काश्मीर पर अधिकार करने के लिए जिसे उन्होंने पाकिस्तान के लिये बहुत महत्वपूर्ण बताया है, भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं, तो उन्हें हमारे खिलाफ भी प्रयोग में लाया जा सकता है । अभी कल ही बाग्लादेश में मिल्ट्री द्वारा क्रांति किए जाने के फलस्वरूप हमारे उत्तरी सीमा पर भी मिल्ट्री जनता शासन हो गया है । यद्यपि बर्मा ने हमें आश्वासन दिया है कि नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा के विद्रोहियों को बर्मा की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर भी इसमें सन्देह है कि चीन की ओर से बर्मा पर लगातार एहसान किये जाते रहने तथा इस प्रकार उनके दबाव में रहने के कारण बर्मा उन्हें रोक सकेगा ?

दियागो-गार्शिया द्वीप में रूसी प्रभुत्व को रोकने में बहाने अमरीका हिन्दमहा-सागर में अपनी शक्ति बढा रहा है । अमरीका ने दियगो गार्शिया में अपने परमाणु पन डुब्बी अड्डे स्थापित कर दिए हैं । मिसाइलों के परमाण यद्धपोतों के लिए साइलोफर (सिलोज) तैयार किए जा चुके हैं । अमरीका ने वहां परमाणु हथियारों से लैस बम वर्षक बी-52 लड़ाकू विमानों का भी भण्डार बना लिया है । बहुत बड़ी योजना के अन्तर्गत अमरीका ने दियगो-गार्शिया को एक मजबूत मिल्ट्री बेस के रूप में बदल दिया है जहां से वह चन्द मिनटों में ही भारत को धमकी दी जा सकती है । इसका उद्देश्य यह है कि भारत को अमरीका के विश्वव्यापी हितों तथा सर्वोच्चत को स्वीकार करने वाले देशों की पंक्ति में खड़ा किया जा सके । दियागो-गार्शिया में मिलिट्री बेस स्थापित करके अमरीका ने शतरंज के खेल की भांति भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता पर राह दे दी है । कोई भी देशभक्त इसे सहन नहीं कर सकता ।

[श्री अजीत सिंह दाभी]

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। उन्होंने कभी भी हमारे देश की सुरक्षा के विश्वास को नहीं तोड़ा है। यद्यपि भारत में सेना एक पुरानी सेवा है, फिर भी, भारतीय जल सेना तथा भारतीय वायु सेना भी आक्रमण के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती आ रही हैं। हमारी रक्षा सेनाएं हमेशा चुस्त और तैयार रहती हैं।

भारत की सशस्त्र सेना में दस लाख से भी ज्यादा आदमी हैं जिनकी आवश्यकताएं ज्यादातर तथा कुशलता के साथ देश के अन्दर से ही पूरी की जाती हैं। लेकिन, जबकि देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए आत्म-निर्भरता एक आदर्श है, भारत के लिए निकट भविष्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए आत्म-निर्भरता तथा हमारी रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को देश में ही पूरी करने की ओर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिए।

हमारे आयुध कारखानों में हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक कई तरह के हथियारों, युद्ध सामग्री तथा उपकरणों का उत्पादन किया जाता है जिनमें बंदूकें, टैंक, मिसाइल तथा सभी प्रकार के साफ्ट वेअर शामिल हैं। इनके अलावा, हमारे सरकारी क्षेत्र के 9 रक्षा उपक्रम वायुयान, पोत तथा इलैक्ट्रोनिक उपकरण तैयार करते हैं।

हमारी 105 एम०एम० की देशी मैदानी तोप जो कि अत्याधुनिक और अधिक अग्नि-शक्ति (फायर पावर) वाली है और अधिक दूरी तक मार करने वाली है, हमारी सेना के लिए वरदान है लेकिन राष्ट्र विजयंत टैंक के नये विकसित रूप का इन्तजार कर रहा है, जिसमें अधिक अत्याधुनिक, तेज और दक्ष संचार सुविधा हो, जिसकी ताकत पर यह कहा जा सके कि युद्ध जीते या हारें जा सकते हैं। हांलाकि निकट भविष्य में हम भारतीय पनडुब्बी की आशा नहीं कर सकते, फिर भी छठे स्वदेशी युद्ध पोत विन्धयागिरि, जिसमें अधिक पनडुब्बी मार-छेदक यंत्र लगे हुए हैं, कि वजह से हमारी नोसेना के जवानों का होसला बुलन्द है। हमारी उच्च शक्ति वाले डी०पी० एस०ए०प्राप्त करने की लगातार इच्छा जिससे हम अमरिका द्वारा पाकिस्तान को दान मे दिये गये एफ-ई लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर सके, की बजट ने हमें ब्रिटिश जो गुआर विमान और अब रूसी मिग-23 विमान प्राप्त करने पर मजबूर किया है। बिना पर्याप्त रेडार व्यवस्था के हम अपनी सुरक्षा करने में सफल नहीं होंगे। अब भारत ने योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित, प्रशिक्षित और अधिकृत इलैक्ट्रोनिक रेडार व्यवस्था बनाई है, जो कि विश्व की सर्वोतम रेडार व्यवस्था कर सकती है।

एक निपुण, ठोस और कल्पनाशील विदेश नीति देश की सबसे अच्छी सुरक्षा है। इसके अभाव में थल सेना उत्तम रक्षक है।

हमारी थल सेना अच्छी स्थिति में है। उसके साथ ही हमारे कुशल सेनाध्यक्षों की टीम

और इन सबसे ऊपर हमारी माननीय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का शांति और साहसी नेतृत्व, जो 1971 मे बांग्ला देश के युद्ध के दौरान भी देखा गया, के रहते हुए भारत को आज वे अधिक तनावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में भय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए रक्षा मंत्रालय की मांगे पूर्णतया स्वीकार की जानी चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा पेश की गई अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि जनरल स्पैरो ने कहा है, हमारी थल सेना इस समय पूर्णतया सज्जित है और वह किसी भी स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ है। सुरक्षा की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है — रक्षा योजना। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि प्रतिवेदन में एक अध्याय में रक्षा योजना का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना को प्रति वर्ष आधुनिक बनाया जाये और इसकी वार्षिक समीक्षा की जाय।

हमें अपनी सीमा के पार से खतरा है। जैसा कि प्रतिवेदन से पता चलता है कि, पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई से, इसके पीछे छुपे प्रयोजनों का पता लगता है। शायद राष्ट्रपति रीगन यह नहीं जानते कि, जिन आदमियों को यह हथियार दिये जा रहे हैं, जब उनके इस्तेमाल का समय आयेगा तो वह उनका प्रयोग करने के लिये रहेंगे भी या नहीं क्योंकि राजनीतिक और अन्य वास्तविकतायें इतनी अनिश्चित हैं कि आप यह विश्वास नहीं कर सकते कि उनकी कार्यवाही ठीक होगी। यह कहना कि सीमा पार अफगानिस्तान के हमले से बचने के लिए यह हथियार इन्हें दिये जा रहे हैं, सब धोखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अमेरिका से मंगवाये गये जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी अफगनिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमेशा ही जब जब पाकिस्तान द्वारा हथियार लिये गये, इन्हें हमारे देश के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमें पूर्णतया सतर्क और इस प्रयोजन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

इस वर्ष रक्षा व्यय में 900 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इससे हमारी सरकार द्वारा रक्षा के सम्बन्ध में देश को दिए गए वचन की पुष्टि होती है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि रक्षा के लिए वित्त पर उचित नियन्त्रण होना चाहिए। यहां मैं 'दी स्टेट्समैन' में प्रकाशित श्री जी० सी० कटोच, जो कि पहले रक्षा मन्त्रालय से सम्बद्ध थे, के सेना पर व्यय संबंधी लेख के एक अन्श का हवाला देना चाहूंगा। उन्होंने विचार प्रकट किया है :—

"वित्तीय सलाहकार के कम होते महत्व का उल्लेख करते हुए और जिस दबाव व प्रभाव से उन्हें गुजरना पड़ता है, यह देखते हुए लेखक ने रक्षा वित्त को प्रशासनिक

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

मन्त्रालय से जोड़ने की दलील दी है, रक्षा होना जिससे कि पूर्णतय: खर्चे वाले संगठन में वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सके और सशस्त्र सेना की वर्तमान व्यवस्था के अधीन छोटी-मोटी खराबियों से बचा जा सके।"

यह महत्वपूर्ण है। वे आगे लिखते हैं :—

"साउथ ब्लाक के साहसी बजट बनाने वालों ने ऐसा किया है; 1982 83 का अनुमानित रक्षा व्यय 5,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कि चालू वर्ष की मूल राशि से 900 करोड़ रु० से भी ज्यादा है। यदि किसी व्यक्ति को आंकड़ों की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो वह अगामी तीन-चार वर्षों में सेना पर 700 से 8,000 करोड़ रु० वार्षिक व्यय का पूर्वानुमान लगा सकता है।"

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यह पहले ही किया जा चुका है। इस व्यक्ति को इसकी खबर नहीं है, इस जानकारी के बिना ही इसने यह लिख दिया है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : अगर यह स्थिति है तो, ठीक है। यह 22 मार्च का लेख है।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : अगर योजनाओं पर उचित नियन्त्रण है और वे सुचारू रूप से चल रही हैं, तो मुझे यह जानकार खुशी है। वास्तव, में मैं तो यह चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश के राजस्व में से रक्षा पर व्यय की गई प्रत्येक राशि उचित हो, क्योंकि विकास कार्यों की जगह पर रक्षा पर व्यय किया जाता है और हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा और देश को सुव्यस्थित रखने के लिए अनेक स्रोतों को अन्यत्र जुटाना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि एक भी पैसे का नुकसान न हो और न ही अनुचित व्यय हो। मुझे पूरी आशा है कि ऐसा किया जा रहा है। अगर कुछ कमियां हों तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

महत्वपुर्ण बात केवल यह नहीं है कि हथियार ही प्राप्त किए जायें बल्कि सशस्त्र सेनाओं का मनोबल भी ऊंचा रखा जाएं। जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि मशीन को चलाने वाला व्यक्ति, मशीन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें न सिर्फ सशस्त्र सेनाओं के लोगों को ही तैयार रखना है बल्कि उन लोगों को भी जो कि हाल ही में सशस्त्र सेना छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनमें से बहुतों के दोस्त व रिश्तेदार अभी भी सेवाओं में कार्यरत हैं। जो लोग अभी भी सेना

में है, जब वे अपने साथियों, जो कि सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद अपने गांवों में बस गए हैं, का हाल देखते हैं तो निराश होते हैं और इससे उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है।

यहां मैं एक्स सर्विसमैन लीग आफ इंडिया द्वारा दिए गए एक ज्ञापन—'एक्स सर्विसमैन की पुकार' का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने पेन्शन के वेतनमानों में व्याप्त असमानताओं को खत्म करने या दूर करने के बारे में उल्लेख किया है। एक व्यक्ति जो पहले सेवानिवृत्त हो उसे बाद में सेवानिवृत होने वाले से कम पेंशन दी जानी चाहिए, इस बात को वे पसन्द नहीं करते, इस बात से वे खुश नहीं हैं। इस प्रश्न को संसद में हम जब भी उठाते हैं, तो रक्षा मन्त्रालय से जवाब मिलता है कि यह असमानता धीरे-धीरे कम की जा रही है। लेकिन मैं एक बात समझने में असमर्थ हूं कि जो व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत हो गया है उसकी देश के सिविल विभागों में कार्य कर रहे व्यक्तियों से कैसे तुलना की जा सकती है जबकि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु भिन्न है, उनकी सेवा शर्तें भिन्न है, उनकी सेवा का मानदंड भिन्न है उनसे अपेक्षित सेवा और त्याग सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं।

इसलिए रक्षा मन्त्रालय द्वारा यदा-कदा दिए जाने वाले इस तर्क में कोई वजन नहीं है कि भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन सिविल कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे असमानता को खत्म करते हैं तो जो सिविल कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं वे भी यह मांग करेंगे कि उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए। क्योंकि सेवा का मानदण्ड ही भिन्न है, बलिदान की भावना ही भिन्न है, कार्य का स्वरूप ही भिन्न है, इसलिए इनके साथ अलग किस्म का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए मैं भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन वेतनमानों में व्याप्त असमानता की समस्या को दूसरे ढंग से सुलझाने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए मैं अनुरोध करता हूं वह है भर्ती के लिए आधार की पुनःसंरचना। पहले कुछ राज्यों से भारी संख्या में सेना में भर्ती होती थी, और उन इलाकों के लोग, अपने बाप-दादाओं की परिपाटी के अनुसार सेना में भर्ती होना ही अपना पेशा समझते थे और वे उसमें भर्ती होते थे और सीखते थे। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप भारत के नक्शे पर हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को देखें। काफी बड़ी संख्या में सैनिक राजस्थान और अन्य क्षेत्रों से भर्ती हुए थे। अब कुछ रेजीमेन्टों में आहिस्ता-आहिस्ता इनका कोटा कम होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप इन लोगों में काफी निराशा व्याप्त है, और वे सोचते है कि वे अब सशस्त्र सेना को पेशे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने तत्कालिक रक्षा मन्त्री बाबू जगजीवन राम से लम्बी जिरह भी की थी और इस बारे में पत्राचार प्रकाशित भी हुए थे, लेकिन मैं समझने में असमर्थ हूं कि किन आधारों पर सशस्त्र सेना में भर्ती की जाती है। मैं यही प्रश्न यहां उठाता हूं और रक्षा मन्त्री को इसका जवाब देने की स्थिति म

[प्रो नारायण चन्द पराशर]

ना चाहिए। सशस्त्र सेना में भर्ती को जनगणना के आधार पर किसी राज्य के भरती योग्य पुरुषों की संख्या से सम्बद्ध करने का क्या कारण है जबकि अन्य सेवाओं में पुरुषों की संख्या के आधार पर भर्ती नहीं की जाती है ? यदि आप रेलवे, डाकतार सेवाओं तथा विभिन्न सरकारी उपक्रमों में भरती को जनगणना के आधार पर किसी राज्य की भर्ती योग्य पुरुषों की संख्या से सम्बद्ध नहीं कर सकते, तो केवल सशस्त्र सेना मे इस आधार पर भर्ती करने के क्या कारण हैं ?

इसलिए, भूतपूर्व सैनिकों में बहुत असन्तोष है और ऐसे सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है। और मैं आपको, रक्षा मन्त्री महोदय को, चेतावनी देता हूं कि, कृपया ध्यान से सुनें, जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवाओं के सैनिकों में असन्तोष बना रहेगा और यह भी सम्भव है कि यह असन्तोष सशस्त्र सेनाओं में भी फैल जाए क्योंकि जब ये देखेंगे कि उनके बेटों या बेटियों को केवल इसलिए सेवा में नहीं लिया जा रहा है कि वे छोटे राज्य के रहने वाले हैं, हालांकि उन्होंने बड़े-बड़े बलिदान किये हैं। मैं माननीय रक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे और भारत के प्रत्येक राज्य में प्रति हजार जनसंख्या के अनसार शहीदों के आंकड़े और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के आंकड़े प्रस्तुत करें और इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि जिन राज्यों से अधिक लोग सेनाओं में लिए गए हैं उन्होंने ही अधिक बलिदान दिया है। अत: यदि ऐसा कर दिया जाए, हालांकि वे उन राज्यों के नहीं हैं जिनमें से पहले अधिक संख्या में भर्ती की गई थी। तो क्या वे बाद में ऐसा अधिकार पाने के हकदार नहीं हैं ?

श्रीमान, संविधान के अनुच्छेद 14 में समान अवसर की गारन्टी की गई है। इसमें जन्म स्थान, लिंग कार्य आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किये जाने की मनाही है। जब सेना या सशस्त्र सेना में भर्ती की बात होती है तभी यह देखा जाता है कि अमुक क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, किसी राज्य में भर्ती किये जाने योग्य पुरुषों की संख्या कितनी है और फिर इन आंकड़ों के आधार पर किसी विशेष रेजीमेंट में भरती की जाती है ? अब मैं अनुरोध करता हूं कि इस सारे मामले पर पुनर्विचार किया जाए। अन्यथा परिमाण यह होगा कि केवल इन दो बातों से पेंशनों में अन्तर हो जाएगा। सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न रेजीमेंटों में भर्ती योग्य कोटा कम हो जाएगा। इन रीतियों तथा इन प्रक्रियाओं के विरुद्ध असन्तोष बना रहेगा और एक दिन यह इतने बड़े परिणाम में फूट सकता है जिसे वश में करना मुश्किल ही हो जाएगा।

मैं भूतपूर्व सैनिकों को और भी सुविधाएं देने का अनुरोध करता हूं। उदाहरणत: आपने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, भारत सरकार के नियमों और राज्य सरकारों में सशस्त्र सेनाओं से निवृत्त सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। लेकिन क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि यह आरक्षण व्यवस्था ठीक काम कर रही है ? इस पर निगरानी रखने की व्यवस्था कहां है ? क्या इस देश में रक्षा मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन या पुनर्वास

तथा पुनः स्थापन निदेशालय में कोई ऐसी निगरानी प्रणाली है जो यह सुनिश्चित कर सके कि हरेक राज्य में, हरेक विभाग में, प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत पूरा किया गया है और जिन लोगों ने अपनी जवानी देश की सेवा में अर्पित कर दी, जिन्होंने अपना खून-पसीना एक कर दिया उन्हें कुछ क्लर्कों की छोटे-मोटे कर्मचारियों के इशारे पर इधर-उधर न भटकना पड़े। वे सशस्त्र सेवाओं के हीरो हैं लेकिन उन्हें ऐसी बेइज्जती और दुःख सहने पड़ते हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां सभी संसद सदस्य तथा रक्षा मन्त्री सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब वह सेना से निवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। सैनिक ही वह व्यक्ति है जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उसी ने अपने जीवन के उत्तम वर्षों को मातृ-भूमि की रक्षा करने में लगाया है और उसी के कारण आप यहां संसद में बैठकर देश के प्रजातंत्र को चला रहे हैं। उसकी देखभाल करनी ही होगी। उसकी देखभाल न केवल अच्छे समय में, सेवा के दौरान, बल्कि सेवा निवृत्ति के बाद भी करनी होगी।

मैं कुछ छोटी सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हूं जैसे—सी० एस० डी० कैन्टीन स्थापित करना। उन्हें कैन्टीन की सुविधा अवश्य दी जानी चाहिए। बहुत से क्षेत्र ऐसे है जिनमें जीवन-यापन के लिए अनिवार्य वस्तुएं नहीं मिल पातीं। यहां सांसदों द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं या बाहर किसी व्यक्ति द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है वे सब अफसरशाही प्रवृत्ति के लोगों द्वारा एक तरफ रख दिए जाते हैं क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधियों के सुझाव होते हैं। क्योंकि ये सुझाव क्लर्कों की फाइलों में दिए गए सुझाव नहीं होते। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें न केवल सशस्त्र सेनाओं में काम करने वालों की देखभाल हो बल्कि जिन क्षेत्रों की वे सेवा कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए और उनका विकास किया जाए। यदि कोई सैनिक सशस्त्र सेना में मर जाता है तो गांव में रहने वाली उसकी पत्नी या मां को तार या टेलीफोन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि जिन क्षेत्रों के अधिक संख्या में सैनिक भर्ती किए जाते हैं उनका विकास किया जाए। मेरा सुझाव है कि जब तक आप रक्षा मन्त्रालय की योजनाएं देश की सम्पूर्ण सुरक्षा से नहीं जुड़ेंगी तब तक सशस्त्र सेनाओं की केवल परेड करवा देने, उनकी प्रशंसा कर देने तथा तमगे दे देने से आप देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के रास्तों, रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को उचित ढंग से पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि शत्रु का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को शीघ्रतापूर्वक वांछित स्थान पर ले जाया जा सके। प्रत्येक जनरल या मेजर जनरल जानता है कि सुरक्षा पंक्ति शत्रु देश की सीमा से समकोण की स्थिति में होनी चाहिए। अमृतसर के लिए एक रेलवे लाइन है। रेल मन्त्रालय और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब ने प्रस्ताव किया है कि एक वैकल्पिक सुरक्षा लाइन

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

बनाई जानी चाहिए। एक प्रस्ताव यह भी है कि चंडीगढ़ से आगे मुकेरियन तक बरास्ता नंगल और तलवाड़ा एक रेल लाइन बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार, देहरादून से चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से लुधियाना तक रेल लाइन बनाई जानी चाहिए। यह सुझाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने दिया है। इन कार्यों को न केवल क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से बल्कि देश के विकास की दृष्टि से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप इनके बिना सेना को विभिन्न क्षेत्रों में नहीं ले जा सकते।

हमें नौसेना की ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रायः इसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। हम इसे भूल जाते हैं। हमारा तटीय क्षेत्र बहुत लम्बा है। हमें देखना चाहिए की इसकी उचित सुरक्षा की जाए। अब जबकि अमरीका की नीति के कारण यह क्षेत्र बारूद का ढेर बनता जा रहा है हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : रूस भी तो है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : आप चिन्ता न करें। अमरीका को आपका समर्थन नहीं चाहिए। तो, हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी तटीय सीमाओं की भी रक्षा करनी है··· (व्यवधान)। जैसा कि श्री स्वामी चाहेंगे, हमें न केवल सीमा पार के खतरे से बल्कि तटीय सीमा के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। नौसैनिक अड्डा या दियागो गार्शिया में अड्डा बन जाना हिन्द महासागर में खतरा पैदा कर रहा है। मै चाहता हूं कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के के प्रस्ताव को विश्व के सभी शान्तिप्रिय देश स्वीकार करेंगे।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारी सेनाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सही देखभाल की जानी चाहिये। देश की रक्षा होती है तो उससे भावी विकास का आधार बनता है। यदि देश की रक्षा होती है, सीमाओं की रक्षा होती है तो हमारी रक्षा के कारण आने वाले दिनों में पर्याप्त विकास हो सकेगा। अपने समाज का जिस तरह की आर्थिक उन्नति हम लोकतन्त्र के विद्यमान ससदीय ढांचे के अन्तर्गत चाहते हैं वह हमारी माननीय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में और भारत की जनता के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता रहेगा क्योंकि हमारी सेनाएं भारत के कोटि-कोटि जन के हाथों की तलवार का काम करती हैं। जो श्रमिक हैं वह भी सेना के जवान के लिए धन देता है और सेना का जवान हमारी रक्षा और विकास की सर्वोत्तम गारन्टी है।

रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : श्रीमान्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने बहुत निष्पक्ष तथा विचारोत्तेजक बातें

कही हैं और विचार प्रकट किये हैं। श्रीमान् उनमें से अधिकांश ने···चाहे उन्होंने अनुदान की मांगों का समर्थन किया या विरोध किया अब तक श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने विरोध किया है। उन्होंने रक्षा के परिवेश के बारे में और देश की रक्षा और विदेश नीति के निकट सम्बन्धों का उल्लेख किया।

अत: श्रीमान्, देश के भौगोलिक, राजनीतिक परिवेश और भौगोलिक सामयिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जहां केवल हमारे पड़ोसियों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य शक्तियों द्वारा भी जटिल शास्त्रशास्त्र भरे जा रहे हैं। सरकार को उत्तर, पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर के सीमान्त क्षेत्र के साथ-साथ और हमारी वृहद तट-सीमा के पास जिस तरह बड़े पैमाने पर शक्ति बढ़ाई जा रही है उसके बारे में एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। अत: इस वर्ष के बजट में 51000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्यों ने किया वह हमारे एकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 3.8 प्रतिशत होती है और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से यह 7 डालर प्रति व्यक्ति बैठती है जबकि इसके मुकाबले अन्य देशों में जिनका आकार हमारे देश के आकार से आधा अथवा एक तिहाई है यह प्रति व्यक्ति राशि बहुत अधिक है।

कई सदस्यों ने वायु सेना, नौ सेना और थल सेना का उल्लेख किया और उनके अपने-अपने योगदान का जिक्र किया है। इस बजट को इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि हमारे पड़ोसी देश अपनी तीनों प्रकार की सेनाओं के लिए कौन किस तरह के हथियार प्राप्त कर रहे हैं और वे हथियार सोवियत संघ या अफगानिस्तान के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जा सकते।

अत: श्रीमान् प्रश्न यह नहीं है कि हम हरेक को अपना शत्रु क्यों बना रहे हैं जैसा कि प्रो० स्वामी ने कहा। परन्तु यहां प्रश्न यथार्थवादी बनने का है और जैसा कि वे भली प्रकार जानते हैं देशों के मामलों में कोई स्थाई मित्र नहीं होता और कोई स्थाई शत्रु नहीं होता है बल्कि हर देश के कुछ स्थाई हित होते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि सोते रह जाए और हम सभी तरह की संभाव्यताओं के लिये तैयार हैं।

श्रीमान्, इसलिए हमारी तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने, हथियारों से उन्हें फिर से लैस करने, मजबूत बनाने तथा और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता है। विशेषकर इलेक्ट्रानिक युग और मिसाइल युग के आतंकपूर्ण वातावरण में, और अनुदानों की मांगों में यही सब दर्शित है।

मैं इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे श्री स्वैरो ने बहुत ही जोरदार ढंग से कहा है और वह है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है हथियार के पीछे रहने वाला व्यक्ति। वास्तव में इसी विचारधारा पर

[श्री के० पी० सिंह देव]

सरकार ने ध्यान रखा है और वे स्वयं उस प्राक्कलन समिति के संयोजक थे जिसने ऐसी सिफारिशें की थी, सरकार ने संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों द्वारा वेतन, पेंशन, विवाहित-आवास, शैक्षिक सुविधाएं, पेंशन लाभ में रुकावटों को कम करने के···बारे में की गई टिप्पणियों को अमल में लाने के लिए बहुत कुछ किया है···पिछले वर्षों में यह निरन्तर प्रक्रिया रही है। मै इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमने पिछले वर्ष जो कुछ किया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

इसलिए, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सेनाओं के कार्मिकों, अफसरों तथा सैनिकों व सिविलियन रक्षा कर्मचारियों की, जो अत्याधिक कठिन स्थितियों मे काम करते हैं। हालत का जायजा लेते रहें और उसमें सुधार करते रहे। इसलिए, उनके मामले पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमे न केवल इस बात को बल्कि देश की सम्पूर्ण स्थिति और देश की समस्त जनसंख्या का ध्यान रखना है।

कई सदस्यों ने आवास, वेतन, पेंशन और असमानताओं का प्रश्न उठाया था।

आप जानते हैं कि पेंशनें किसी विशेष समय पर लिए गए वेतन के आधार पर नियत की जाती हैं। इसलिए, 1953 में एक सैनिक या सिपाही को केवल 5 रुपये पेंशन मिलती थी।

उन्हें विशेष भत्ते, कई अन्य रियायतें, महंगाई भत्ता और तदर्थ भत्ते देकर यह राशि 130 रुपये कर दी गई थी और 1974 में लागू होने वाले नए कोड के अनुसार यह 174 रुपये थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता सरकार के बारे में क्या है ?

श्री के० पी० सिंह देव : यदि आप इसमें खुश हैं तो आपका स्वागत है।

लेकिन जैसा मैंने कहा है यह एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह 1953 से चल रही है और आप वहां पिछले डेढ़-दो वर्ष ही रहे थे। चलो, 2 वर्ष ही सही।

श्री आर० वेंकटरामन : उस समय वह रिटायर हो गए थे।

श्री के० पी० सिंह देव : आपको तथ्यों की जानकारी दी जा रही है। पिछले बजट में, वित्त मन्त्री ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एक पेन्शन धारक को कम से कम 150 रुपये मिलेंगे और विशेष परिवार-पेन्शन 140 रुपए होगी। निम्न स्तर पर अन्तर केवल 24 रुपए का है।

जहां तक पेन्शन का सम्बन्ध है, आप अच्छी तरह जानते है, यह सम्मानीय सभा भी जानती है। जहां तक पेंशन का सम्बन्ध है इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिया जा सकता और

मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र प्रो० नारायण चन्द पराशर भी स्वीकार करेंगे कि 100 प्रतिशत तटस्थीकरण कभी नहीं हो सकता और ये अन्तर पूर्णतः समाप्त नहीं किए जा सकते। कुछ अन्तर तो रहेगा ही क्योंकि पेंशन उस समय निर्धारित की जाती है जब कोई सेवा-निवृत्त होता है।

तीनों सेनाओं में विवाहितों के लिए आवास बनाने का काम चल रहा है और थल सेना, नौ सेना और वायु सेना तीनों में सेनाओं के अफसरों तथा सैनिकों के लिए पिछले कुछ वर्षों से मकानों की व्यवस्था, विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास व्यवस्था में कृतिम वृद्धि हो रही है।

थल सेना में अफसरों के लिए 56 प्रतिशत जे० सी० ओ० के लिए 48.3 प्रतिशत और अन्य रैंकों के लिए 48 प्रतिशत मकानों की कमी है। इस वर्ष हमने थल सेना के लिए 41 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं और 563 करोड़ रुपए की दस वर्षीय योजना बनाई गई है। नौ सेना में कुल मिलाकर 46 प्रतिशत की कमी है; पिछले वर्ष 9 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में अब नौ सेना में आवास के लिए 21 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। वायु सेना में अफसरों के लिए 44.2 प्रतिशत और एयरमैन के लिए 38 प्रतिशत की कमी है और इनके लिए 72 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इस प्रकार हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आवास में देने की समस्या 10 से 13 वर्ष हल हो जाएगी।

रक्षा सेवाओं में कार्यरत सिविल कर्मचारियों की भी यही समस्या है। उन्हें प्राधिकार नहीं था, एम० ई० एस० को छोड़कर, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में आठ स्टेशनों पर 3.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस वर्ष 7.68 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अतः हम सीमित बजट में सैनिक, नाविकों और वायु सैनिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

बहुत सारे कटौती प्रस्ताव आए हैं, और कुछ आदरणीय सदस्यों ने मुझसे यह भी कहा कि वेतन बहुत कम है। हालांकि यह सही है कि तीसरे वेतन आयोग के दौरान—1 जनवरी, 1973 को वेतन में वृद्धि हुई थी। सेनाओं में कार्य करने वालों को उनके भत्तों के बढ़ने से, उच्च स्थान भत्ते, पर्वतीय स्थानों में प्रतिकूल जलवायु भत्ते, विशेष प्रतिपूरक भत्तों में वृद्धि होने से और फिर क्वार्टरों तथा फील्ड सेना में रियायतों के बदले प्रतिपूर्ति मिलने से सी० आई० एल० ओ० सैनिकों को लाभ हुआ है।

इसलिए, एक तरह से हमने कीमतों में वृद्धि होने से उनकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है और वित्त मंत्री महोदय भी समय-समय पर उन्हें महंगाई भत्ता देते रहे हैं।

[श्री के० पी० सिंह देव]

जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है इसके लिए एक विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति हैं जो इस मामले पर विचार कर रही है और इसकी सिफारिशों के अनुसार उन्हें लाभ होगा।

रक्षा खर्च बढ़ने का एक और कारण है और वह यह है कि सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन की दरें बढ़ गई है। यह इस वर्ष बढ़कर 368 करोड़ रुपये हो गया है।

भर्ती नीति के बारे में भी उल्लेख था। आरम्भ में भर्ती नीति का स्वरूप भेदभावमूलक था क्योंकि अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी कि सेना के लोगों तथा सिविलियनों में कृत्रिम विभाजन बनाए रखा जाए और इसका आधार ऊंचाई, भार शारीरिक तथा सीने का माप होता था। अब, एक अक्तूबर से इसको सारे देश में विस्तृत आधार बनाने के लिए एक नई भरती नीति अपनाई जा रही है जो इस दृष्टि से अधिक समानतावादी है कि इसमें एक लिखित परीक्षा, बुद्धि परीक्षा और शारीरिक जांच की जाएगी। यह परीक्षा खुले रूप में की जाती है; कोई भी आकर देख सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के जो आरोप पहले लगाए गए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। यह एक अक्तूबर से शुरू हो गया है और मूल्यांकन चल रहा है। जब कुछ समय में सब ठीक से मूल्यांकन हो जाएगा तब इसे रखेंगे क्योंकि छः महीने का समय किसी प्रणाली को परखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

बेहतर उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए और इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए भर्ती दल बाहर जाकर स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा कर रहे हैं और सभी प्रकार के साधनों की सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सेना में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और हमारे देश में अधिकतर लोग ग्रामीण ही हैं···

श्री एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : दक्षिणी भारत के अधिकतर कालेजों में पहले वाले छात्रों के लिए सेना में भरती होने का कोई मौका नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : यह नई प्रणाली अभी शुरू की गई है और मुझे आशा है कि आप थोड़ा और इन्तजार करेंगे···

सभापति महोदय : ये कहते हैं कि इन्हें और समय दें।

श्री के० पी० सिंह देव : दक्षिण भारत भी भारत का हिस्सा है और हम भारत को एक इकाई बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं न कि ऐसा कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रो० रंगा को सेना में भरती होने का अवसर नहीं मिला।

श्री के० पी० सिंह देव : कुछ माननीय सदस्यों ने रक्षा उत्पादन के बारे में कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारा रक्षा-उत्पादन के 600 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 100 करोड़ रुपये अधिक हैं। औद्योगिक कमचारियों तथा

गैर-औद्योगिक कर्मचारियों का उत्पादन लगभग 1.73 लाख रुपये का है। हमारे रक्षा उत्पादन की इकाइयों में उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों के संबंध में और श्रमिक तथा सामग्री के प्रबंध में आधुनिकीकरण किया गया है। हमारे देश की नई नीति को ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमारी प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए हमारे यूनिटों में टैंक और टैंटों से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा आधुनिक राडार बनाये जा रहे हैं। क्योंकि अब हम मिसाइल तथा इलेक्ट्रानिक युग में रह रहे हैं इसलिए हमें इस प्रकार की नई चीज़ों के साथ-साथ बढ़ना है, इस माहोल में रहना है और हम विश्व में सर्वोत्तम वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश कर रहें हैं।

मेरे मित्र श्री उत्तम राठौड़ ने सैनिक स्कूलों प्रादेशिक सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर का जिक्र किया है। वह अपने पिछड़े क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए बहुत उत्सुक है। सैनिक स्कूल खोलने का उद्देश्य, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, अनुशासन और समर्पण की भावना पैदा करना है। लेकिन तथ्य यह है कि अधिकतर खर्च, पूंजीगत लागत और छात्रवृत्तियों और उपकरणों की लागत राज्य सरकारों को ही वहन करनी पड़ती है। इसलिए, मैं श्री राठौड़ का बहुत आभारी रहूंगा यदि वे अपने राज्य की सरकार को ये सभी सुविधाएं देने के लिए सहमत करें और हम वहां एक सैनिक स्कूल खोलने की संभावना का पता लगाएंगे···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन श्री मौंसले तो अन्य बातों में व्यस्त हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : बहरहाल वे महाराष्ट्र में अपने साथियों से बात कर सकते हैं। आप भी तो महाराष्ट्र के हैं आप भी इनकी सहायता कर सकते हैं।

जहां तक प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय केडेट कोर का सम्बन्ध है, यह सच है कि प्रादेशिक सेना में सिविलियन हैं जिन्हे 10 महीने का सिविल व्यवसाय मिलता है और ये ही लोग हैं जो इन लाभप्रद सेवा में लगे है जिससे आशा की जाती है कि ये प्रादेशिक सेवा में शामिल होकर देश की रक्षा के लिए अपना पूरा योगदान देंगे और साथ ही रक्षा की ट्रेनिंग लेंगे ताकि राष्ट्रीय आपात स्थिति होने पर उन्हें इस के लिए बुलाया जा सके कि वे सेना की वर्दी धारण करके प्रतिरक्षा के कामों में सहायता करें।

पिछले दो युद्धों की अवधि में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। 1965 और 1971 की लड़ाई में उन्हें वीरता केपुरस्कार मिले और सेवा के पुरस्कार मिले। श्रीमान् केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 14 सितम्बर 1981 को हुई थी उसमें यह निश्चय किया गया था कि प्रादेशिक सेना को अधिक कारगर और अधिक आकर्षक बनाने के लिए,

[श्री के० पी० सिंह देव]

ताकि और अच्छे लोग आ सकें; और प्रादेशिक सेना को योगदान और उसकी संपूर्ण विचार धारा की पुनरीक्षा करने के लिए—यह एक माध्यम है नागरिकों और सिविलियनों को अनुशासन और ट्रेनिंग देने का—एक छोटी समिति बनाई गई है जो 3 महीने में केन्द्रीय सलाहकार समिति को अपनी रिपोर्ट देगी और यह समिति जल्दी ही काम शुरू कर देगी।

राष्ट्रीय केडेट कोर देश में युवकों को सबसे बड़ा अभियान हैं। महाजन समिति की रिपोर्ट के बाद इस योजना में कुछ गुणात्मक परिवर्तन किय गये हैं क्योंकि देखा गया था कि रा० के० को० का जो योगदान है और जो ट्रेनिंग इसे आज दी जाती है उसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। तो अब अधिक बल पराक्रम की भावना पर, ट्रेनिंग पर, समाज सेवा पर और युवा अभियान पर दिया जाएगा जहां नेतृत्व के गुण-सहनशीलता, साहस, निर्णायक शक्ति, विश्वसनीयता, कौम उत्साह, उपक्रम, चरित्र बल, न्याय की भावना, ज्ञान की जिज्ञासा, देश शक्ति की भावना, आचरण, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थ भावना, सिखाई जाती है। अतः अब नियमित सेवा से जो अधिकारी वहां लगाये जाते हैं उनके गुणों की पूरी-पूरी छानबीन की जाती है और अच्छे अधिकारियों को वहां भेजा जाता है।

यही बात प्रादेशिक सेना के बारे में भी उठाई गई थी क्योंकि आखिरकार किसी प्रादेशिक सेना की ऐसी रेजीमेंट या बटालियन के जिसके नौजवान 10 महीने सिवलियन और 2 महीने बावर्दी रहते है नियन्त्रित करना बहुत कठिन कार्य है। नियुक्त करने का कोई तो मापदण्ड होना ही चाहिब। इसकी जांच जनरल स्पैरो की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जायेगी। मुझे यकीन है कि यह समित प्रादेशिक सेना में सुधार लाने के लिए अपनी सिफारिशें तीन माह के भीतर ही दे देंगी। सशस्त्र सेनाएं न केवल देश की सुरक्षा करने में और देश के वातावरण को निर्भीक बनाने सदैव आगे रही हैं, बल्कि साथ ही साथ, खेल-क्षेत्रों में भी वह सदा आगे रही है। अनेकों देश में सेना खेल और शारीरिक शिक्षा, चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए तथा संगठन एवं अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए एक आधार है। यही वह बिन्दु है जहां सशस्त्र सेनायें आ रही हैं और वे उस दिशा में प्रयास कर रही है। उनके खिलाड़ी देश का प्रतिनिधि कर रहें हैं और एशियाई खेलों में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। यह वर्ष ...

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एशियाई खेलों का वर्ष है, थल सेना, जल और वायु सेना तीनों ही इसमें सक्रियता से भाग ले रही हैं और इन एशियाई खेलों में वे नौकायन दाव चलाने, अश्वारोहण, उद्घाटन एवं समापन समरोहों में भाग ले रही हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) क्या आप भी इसमें भाग लेते हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : यह रक्षा मन्त्रालय का एक भाग है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और आप भी इससे पृथक नहीं है। यह सब सच्चाई ही है।

इसके लिए, देश की प्रतिष्ठा को बनाये रखना जरूरी है। इसके लिए, मुझे यह मौका मिला है कि मैं सेनाओं के उन खिलाड़ियों का नेतृत्व करूं जो देश का प्रतिनिधत्व कर रहे हैं और जो देश की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। अब हम यह देखें कि सशस्त्र सेनाओं के खिलाड़ी एशियाई देशों में प्रतिस्पर्धा की मैत्रीपूर्ण भावना के विकास एवं चरित्र-निर्माण तथा अनुशासन के विस्तार में सहयोग दें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सेना की ओर से हमारी हाकी टीम के सुधार के लिए क्या किया जा रहा है।

श्री के० पी० सिंह देव : आप हमें ज्यादा धनराशी दीजिये। हम इसमें सुधार कर देंगे। महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, में यह कहना चाहूंगा कि वातावरण और परिस्थितियां ऐसी दो बातें हैं, जिनसे हमारे देश के महत्वपूर्ण संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और प्रोफेसर स्वामी सहित हम सभी लोग चिंतित हैं क्योंकि यह हमारी मानव जाति के अस्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इस क्षेत्र में भी हमारी तीनों सेनाएं सक्रिय सहयोग दे रही क्योंकि समुद्र का महत्व नये-नये आयाम धारण कर रहा है और देश के और समुद्र के बीच सम्बन्ध बढ़ रहे हैं समुद्री जीव विज्ञान और समुद्री नौडयूलों का विकास हुआ है, इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक एवं परिस्थिति संबंधी पहलुओं का भी ध्यान रखा जाता है। बल्कि सैनिक क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है और विशेषकर उस समय जापानी विकसित राष्ट्र सैनिक प्रयोजनों के लिए भी वनस्पति और जीव जन्तुओं के उपयोग करने का परीक्षण कर रहे है, इसलिए, हमारी सशस्त्र सेनाएं भी समय के साथ ही साथ प्रगति कर रही हैं। मुझे इस सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्ता हो रही है कि वे लोग वातावरण और परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बढिया कार्य कर रहे हैं। हिमालय क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुकूल बटालियन बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। हमारी प्रादेशिक सेना के लिए राजस्थानी इलाकों में तथा भूत-पूर्व सैनिकों द्वारा भी पेश की गई थी और उस पर विचार किया जा रहा है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उन लोगों के लिए अपना सहयोग और ठोस समर्थन दिया है जो हमारे कल के लिए आपने आज का बलिदान कर रहे हैं।

डा० वी० कुल्लनवेई वेलु (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी डी० एम० के० पार्टी

[डा० वी० कुल्लनदई वेलु]

की ओर से रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस विषय में चल रहे विचार-विमर्श में भागीदार हूं। मन्त्रालय को बाहरी शक्तियों से देश की सुरक्षा करने में उसके द्वारा की जानी वाली भूमिका और उसके गतिशील कार्यचालन की प्रशंसा करनी चाहिए।

महोदय, मुझे विश्वास है कि श्री वेंकटरामन के गतिशील नेतृत्व में रक्षा मन्त्रालय के कार्यों में और सुधार आयेगा। यह एक विदित तथ्य है कि हम लोग किसी के शत्रु नहीं है। हम हर एक के साथ मैत्रीपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संबंध बनाये रखना चाहते हैं। जब भी कभी हमारे विरोधियों ने अपनी गल्तियों का एहसास किया है, हमारा यह दृष्टिकोण रहा कि सद्भावना पूर्ण वातावरण बनाने के लिए शत्रुता को भूला दिया जाये। यही हमारे राष्ट्र की गरिमा है। लेकिन साथ ही साथ उसे किसी बाहरी शक्तियों के अप्रत्यावशित अक्रमण के प्रति भी सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए और किसी भी हर प्रतिकूल पारिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

महोदय, रक्षा मन्त्रालय के उपक्रमों की उत्पादन दर बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए उनके कारखानों की उत्पादन क्षमता में सुधार की आवश्यकता है। हमने उनमें 443 करोड़ रुपए का निवेश किया है लेकिन उनमें लाभ केवल 17 करोड़ रुपए का ही हुआ है। यह विभिन्न उपक्रमों के कुप्रबंध तथ गलत ढंग से कार्य करने के कारण हुआ हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ समय के लिये अपने स्थान पर बैठ जाएं।

केरल बजट

वित्त मन्त्री(श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए घरेलू राज्य की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

मैं वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए केरल राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 17 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, केरल राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद के प्राधिकार

के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाना है । अतः वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए केरल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के सम्मुख रखा जा रहा है ।

3. चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां 876 करोड़ रुपए आंकी गई जबकि बजट अनुमान 722 करोड़ रुपए का था । यह वृद्धि मुख्य रूप से बिक्री-कर की प्राप्तियों में तेजी से वृद्धि होने और संघ उत्पाद-शुल्कों में राज्य सरकार के हिस्से में वृद्धि होने के कारण हुई है । इसके अलावा एक कारण यह भी है कि भारत सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1979-पूर्व के समेकित ऋणों के भाग को बट्टेखाते डालने के लिए लेखा पुस्तकों में समायोजन कर लिया गया है। संशोधित अनुमान में राजस्व से किए जाने वाले व्यय की राशि 767 करोड रुपए आंकी गई है जबकि बजट अनुमानों में यह 711 करोड़ रुपए रखी गई थी ।

4. वर्ष 1981-82 के संशोधित अनुमानों में पूंजी खाते के अन्तर्गत 489 करोड़ रुपए की प्राप्तियां आंकी गई हैं जबकि बजट अनुमान 174 करोड़ रुपए का था । इसी प्रकार 218 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में अब पूंजीगत व्यय 671 रुपए आंका गया है । यह वृद्धि मुख्यतः अर्थोपाय अग्रिमों और भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ओवरड्राफ्टों तथा उनकी वापसी अदायगियों में वृद्धि होने के कारण है । जैसा कि पहले बताया गया है, 1979-पूर्व के समेकित केन्द्रीय ऋणों के एक भाग को बट्टे खाते डालने के लिए लेखा पुस्तकों में समायोजन करने के वास्ते भी व्यवस्था की गई है । लोक लेखे के लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 84-52 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है जबकि इसकी तुलना में 29.56 करोड़ रुपए के घाटे की परिकल्पना की गई थी । स्थिति मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें दिए जाने, उत्पाद-शुल्क राजस्व में कमी होने और कुछ क्षेत्रों में अधिक विकास परिव्यय किए जाने के कारण बिगड़ी ।

5. वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों के अनुसार, केन्द्रीय करों में राज्य के 188 करोड़ रुपए के हिस्से सहित कुल 838 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां दिखाई गई हैं । राज्य के करों और शुल्कों की प्राप्तियां आंकी गई हैं । यह रशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 72 करोड़ रुपये अधिक है, कर-भिन्न राजस्व 133 करोड़ रुपए आंका गया है और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान का अनुमान 76 करोड़ रुपए लगाया गया है । वर्ष 1982-83 के लिए राजस्व से किए जाने वाले व्यय का अनुमान 831 करोड़ रुपये लगाया गया है । आयोजना-भिन्न व्यय में मुख्य वृद्धियों की परिकल्पना ब्याज अदायगियों, पुलिस, पेंशन, शिक्षा चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा सड़कों और पुलों के अन्तर्गत की गई है । पूंजी खाते की प्राप्तियां 183 करोड़ रुपए और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय 229 करोड़ रुपए आंका गया

[श्री प्रणब मुखर्जी]

है। इन सब को हिसाब में लेने के बाद, 1982-83 में कुल मिलाकर 1.28 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। आगे लाए गए घाटे को हिसाब में ले लेने के बाद वर्ष के अन्त में कुल 85.80 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।

6. बजट तैयार करते समय, चालू वर्ष के लिए राज्य के आयोजना परिव्यय के लिए 294 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई थी जब कि अनुमोदित परिव्यय 275 करोड़ रुपये था। आलोच्य वर्ष 305 करोड़ रुपये के परिव्यय की प्रत्याशा है।

7. वर्ष 1982-83 के लिये वार्षिक आयोजना के वास्ते 275 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। इस परिव्यय की व्यवस्था राज्य के अपने साधनों (146 करोड़ रुपये), केन्द्रीय सहायता (94 करोड़ रुपए) और राज्य सरकार तथा उसके उद्यमों द्वारा जुटाए जाने वाले अतिरिक्त साधनों से की जाएगी। आयोजना में अब भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। परिव्यय की मुख्य मदें ये हैं; कृषि और सम्बद्ध सेवाएं 57.56 करोड़ रुपए, बिजली-50 करोड़ रुपए, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और समुद्री कटाव निरोधी उपाय 47.50 करोड़ रुपयों और उद्योग व खनिज 32.40 करोड़ रुपए। योजना परिव्यय में सड़कों और पुलों के लिए 13.50 करोड़ रुपए, मल निकासी और जलपूर्ति के लिए 14.50 करोड़ रुपए, आवास के लिए 10.15 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 7.50 करोड़ रुपए तथा सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी 10.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केवल अनुसूचित जतियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लाभ के लिए विशेष संघटक आयोजना के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कई विकास योजनाएं 20-सूत्री कार्यक्रम से ओतप्रोत हैं। यदि केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं, पहाड़ी क्षेत्र के विकास की योजना, समुद्री कटाव निरोधी निर्माण कार्यों आदि को शामिल कर लिया जाए तो विकास परिव्यय की कुल राशि का अनुमान 333 करोड़ रुपए बैठ जाएगा।

8. यद्यपि, अपेक्षा के अनुसार, 1982-83 के वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें भी अन्य बजट पत्रों के साथ-साथ माननीय सदस्यों में परिचलित की जा रही हैं लेकिन फिलहाल हम 1982-83 के वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के लिए ही "लेखानुदान" की मांग कर रहे हैं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1981-82

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक केरल राज्य के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करता हूं।

असम बजट

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए असम राज्य की अनुमानित आय तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

विवरण

मैं वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए आसाम राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 19 मार्च, 1982 को जारी की गई उद्घोषणा के परिणामस्वरूप आसाम राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के प्राधिकार के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन किया जाता है। इसलिए वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए आसाम राज्य की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के सम्मुख रखा जा रहा है ।

3. चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 365 करोड़ रुपए आंकी गई हैं । यह राशि मूल बजट अनुमानों की तुलना में मामूली सी अर्थात 2 करोड़ रुपए कम है । यह कमी केन्द्रीय करों, शुल्कों और अनुदानों के हिस्से में 7 करोड़ रुपये की वृद्धि के बावजूद हुई है और इसका कारण चाय, बगानों से कृषि आयकर की कम प्राप्तियां होना है । संशोधित अनुमानों में राजस्व से किए जाने वाले व्यय की राशि 402 करोड़ रुपये आंकी गई है जबकि इसकी तुलना में बजट अनुमान 386 करोड़ रुपये था ।

4. वर्ष 1981-82 के संशोधित अनुमान में पूंजी खाते की प्राप्तियां 546 करोड़ रुपये आंकी गई है जब कि बजट अनुमान 245 करोड़ रुपये का था । बजट अनुमान में आंके गए 252 रुपये के पूंजीगत व्यय के अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 565 करोड़ रुपए का होगा । यह वृद्धि मुख्यतः अर्थोपाय अग्रिमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्टों तथा उसकी वापसी अदायगियों के कारण हुई । लोक लेखे के लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है जबकि बजट अनुमान में 19 करोड़ रुपये के घाटे की परिकल्पना की गई थी । प्रारम्भिक घाटे की रकम सहित, चालू वर्ष में 90 करोड़ रुपये के कुल घाटे का अनुमान है । स्थिति मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें दिए जाने और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक खर्च किये जाने के कारण बिगड़ी ।

5. वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 432 करोड़ रुपए की होगी । इस रकम में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की 125 करोड़ रुपए की राशि शामिल है । राज्य के करों और शुल्कों से 101 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है । यह रकम चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11 करोड़ रुपए अधिक है । कर-भिन्न राजस्व का अनुमान 61 करोड़ रुपए और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदानों का अनुमान 144 करोड़ रुपए लगाया गया है । वर्ष 1982-83 के लिए राजस्व से किए जाने वाले व्यय का अनुमान 457

[श्री प्रणब मुखर्जी]

करोड़ रुपए का हैं जिन मुख्य क्षेत्रों के व्यय में वृद्धि की गई है, वे हैं; शिक्षा, सामुदायिक विकास, चिकित्सा और परिवार कल्याण, लोक—स्वास्थ्य, ध्याज—अदायगियां, वन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा सड़कें व पुल। पूंजी खाते की प्राप्तियां 478 करोड़ रुपए और ऋणों तथा अग्रिमों सहित व्यय की राशि 475 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन्हें और लोक लेखे के लेनदेनों को हिसाब में लेने के बाद 1982-83 में कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए घाटे का अनमान है। आशा है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त साधन जुटाएगी। इस समय आगे लाए गए घाटे समेत कुल मिलाकर 105 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।

6. वर्ष 1982-83 की वार्षिक आयोजना में 238 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का अनुमान है जबकि 1981-82 में इसकी तुलना में यह राशि 210 करोड़ रुपए थी। वार्षिक आयोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि भी 1981-82 के 159.10 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1982-83 में 225-93 करोड़ रुपए कर दी गई है। बहुत सी विकास योजनाए 20-सूत्री कार्यक्रम से ओतप्रोत हैं। मुख्य क्षेत्रीय परिव्ययों में कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 52-87 करोड़ रुपये, विद्युत के लिए 90.70 करोड़ रुपये, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए 42.47 करोड़ रुपये, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10.80 करोड़ रुपये, परिवहन और सचार के लिए 19.68 करोड़ रुपये तथा उद्योग और खनिज के लिए 10.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य की आयोजना में जनजातीय उप-आयोजना के लिए 24.65 करोड़ रुपये, विशेष रूप में अनुसूचित जातियों के लिए 3.55 करोड़ रुपये और पहाड़ी आयोजनाओं के लिए 17 करोड़ रखे गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 12.55 करोड़ रुपये की विशेष पहाड़ी आयोजना, 4.13 करोड़ रुपये की विशेष जनजातीय उप-आयोजना और 1.10 करोड़ रुपये की अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना भी है। केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए 36.80 करोड़ रुपये और उत्तर-पूर्वी परिषद के अन्तर्गत योजनाओं के लिए 5.41 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गई है।

9. यद्यपि, अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 1982.83 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें और अन्य बजट पत्र भी माननीय सदस्यों में परिचलित किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम वित्तीय वर्ष 1982.83 के पहले छः महीनों के लिए ही "लेखानुदान" मांग रहे हैं।

———

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम)

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं वर्ष 1982-83 के लिए असम राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सामान्य—बजट अनुदानों की मांगें —जारी

रक्षा मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री कुल्लनदेई वेलू, आप अपना भाषण पुनः प्रारम्भ कर सकते हैं।

डा० वी० कुल्लनदेई वेलू : हमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए। समुचित प्रबन्ध के द्वारा आप निश्चय ही लाभ की दर में वृद्धि कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। मैं इस विषय में कुछ अनियमितताओं के बारे में बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी उपक्रमों को गैर-सैनिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहां इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि इन सरकारी उपक्रमों की रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा जाये।

महोदय, मैं इस मौके पर अवाडी में व्याप्त स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। अवाडी भारी वाहन कारखाने में आये दिन होने वाले आन्दोलनों एवं हड़तालों के परिणामस्वरूप श्रमिक अशांति के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। उस क्षेत्र में दो वर्ग के लोगों में साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ था और इस साम्प्रदायिक दंगे के फलस्वरूप, वहां इन वर्गों के लोगों में निराशा एवं वैमनस्य व्याप्त हो गया है। कुछ कर्मचारियों को कोई न कोई कारण बताकर निकाल दिया गया है। इस विवाद का अभी अन्त नहीं हो पाया है। वहां के कर्मचारीगण इस बात पर सर्वसम्मत हैं कि निकाले गये कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया जाये। उनमें भारी निराशा फैली हुई है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रबन्धकों को इसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन कर्मचारियों को चाहे वे किसी जाति या वर्ग के हों, काम पर वापस लिया जाना चाहिए। इसी आधार पर वे शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं तथा दोनों वर्गों के लोगों के बीच समुचित सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। अवाडी के कर्मचारियों ने इस बात पर असन्तोष प्रकट किया है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया है। माननीय मन्त्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। उनके अभ्यावेदन पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने पर्याप्त आदान सुविधाओं की मांग की है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पर्याप्त शैक्षिणक सुविधाओं की मांग

[डा० वी० कुल्लनदेई वेलु]

की है । अपने परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें मांगी हैं । उनकी ये मांगें जायज हैं और मन्त्री महोदय द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

महोदय यही अवसर है जबकि मन्त्री महोदय तामिलनाडु में एक दूसरा भारी वाहन कारखाना स्थापित करने का निश्चय कर सकते हैं । हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं । तामिल नाडु के इलाके में नौसैनिक अड्डे कायम करने के लिए बहुत ही अनुकूल भोगोलिक क्षेत्र है । मेरी राय यह है कि तामिलनाडु से लगे हुए पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए । तमिलनाडु में एक नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है । यह भी सुना गया है कि इसके लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है । हमें नहीं मालूम कि उस सर्वेक्षण का क्या हुआ है । क्या मैं उस सर्वेक्षण और उस प्रस्ताव के बारे में जान सकता हूं । यदि वह क्षेत्र भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है तो दूसरा क्षेत्र मैं बता सकता हूं । दक्षिण अर्काट जिला जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है, नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए बहुत ही उपयुक्त और विशाल है । इस लिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तामिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में एक नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करें ।

महोदय, अवाडी में इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण करने के एक एकक की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था । मैं मंत्री महोदय से प्रस्ताव करूंगा कि हमें यह बताए के उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? वे इस सदन को इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि वे इस मामले में जल्दी करेंगे ?

तिरुवरम्बुर तिरुची स्थित राइफल फैक्ट्री में राइफलों के निर्माण के बारे में समुचित ध्यान नही दिया गया है । इन उपकरणों के विकास और निर्माण में कुछ बाधाएं हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में जांच करें और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन भी करें ।

महोदय, गश्त करने वाले जलपोतों, इस समय हमारे पास केवल तीन हैं । इन तीन जलपोतों से हम अपने देश के लम्बे समुद्रतटीय क्षेत्रों कि सुरक्षा नहीं कर सकते । हमें गश्ती जलपोतों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करनी चाहिए । इसके अलावा, समुद्र तट रक्षकों के पास हेलीकोप्टर सेवा सुविधाएं भी होनी चाहिए । महोदय इन कार्मिकों के लिए कपड़े के सामानों की खरीद में कुछ अनियमितताएं हुई हैं । कार्मिकों के कपड़े की इस आवश्यकता को गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के बजाय सरकारी क्षेत्र के निगमों से खरीद करके पूरा किया जा सकता है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम पहले से ही रुग्णावस्था में है । यदि हम रक्षक कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय निगम से वस्त्र खरीदते हैं तो सरकार धन की भारी बचत कर सकेगी और इस खरीद के कार्यों में व्याप्त कदाचारों को भी दूर किया जा सकता है ।

महोदय इस समय भारत भर में 18 सैनिक स्कूल हैं। इनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए समुचित रूप से आरक्षण को नहीं बनाए रखा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के लिए आरक्षण को कायम रखा जाता है और सैनिक स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने में इन जातियों के व्यक्तियों को लिया जाए। यहां, मैं यह भी बताऊंगा कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पालन की जाने वाले आरक्षण नीति को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति समय-समय पर इस बात की सिफारिश करती रही है और सरकारी उपक्रमों पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे इस बारे में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करें और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करें कि संवैधानिक अधिकारों की अवमानना न हो। सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की भर्ती समय पर की जाए और पदोन्नति के अवसर दिए जाएं ताकि आरक्षण के मामले इकट्ठे न हों और इस सम्बन्ध में शिकायतों को दूर किया जा सके। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें और अनियमितताओं को दूर करने और आरक्षण के पिछले कोटा को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

हमारा अनुभव यह रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों का समुचित रूप से पुनर्वास नहीं किया जाता है। हमने समय-समय पर उनकी शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहे हैं और वे केवल कागजों पर ही हैं। इसके साथ ही मैं कह भी बताना चाहूंगा कि मृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों का भी विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दिए जाने के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उनकी भविष्यनिधि ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्तियों के भुगतान में भी अनुचित रूप से विलम्ब किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू की जांच करें।

अतः इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, सीमा सुरक्षा बल के जवानों की स्थिति अत्यंत खराब है। उनके साथ भी सेना के जवानों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल के निम्न संवर्ग के कर्मचारियों ने इस बात का अभ्यावेदन दिया था कि उनकी उपेक्षा की जा रही है जबकि उच्च संवर्ग के कर्मचारियों की नियमित पदोन्नतियां की जा

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

रही हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बल के निम्न संवर्ग के कर्मचारियों की परेशानियों पर विचार किया जाना चाहिए और उनके लिए भी पदोन्नति के कुछ अवसर तैयार किए जाने चाहिए।

महोदय, अब मैं भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान पसन्द किए जाने के विषय पर आता हूं। महोदय, अभी हमने इस बात का निपटारा नहीं किया है कि हमें जगुआर विमान, जैसा कि हमने प्रारंभ में निर्णय किया था, लेने चाहिए अथवा मिराज विमान, जिनका हमने दूसरे चरण में निर्णय किया था, अथवा मिग-21 लेने चाहिए जिनके बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं। महोदय, हम पाकिस्तान के निकटस्थ पड़ौसी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय हम पाकिस्तान को अपना शत्रु नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमें, किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के अवसर को ध्यान में रखना है। हमें बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए, मंत्री महोदय को इस बात का अवश्य उत्तर देना चाहिए कि हम अपनी वायु सेना को किस प्रकार के विमानों से सज्जित करने जा रहे हैं जो हमारे देश के वातावरण तथा साथ ही हमारी सीमाओं के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में बहस आज समाप्त होगी। यदि आप 6 बजे के पश्चात बैठना चाहें तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। आप यहां मौजूद रह सकते हैं और बोल सकते हैं। जिन वक्ताओं के नाम सूची में हैं उनमें से प्रत्येक को बुलाया जाएगा। उसके बाद हम कार्यवाही स्थागित कर देंगे। मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस में बोलते हुए डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा था कि जनता शासन के दौरान हमारी सभी से मित्रता थी। उन्होंने यह बात इस सदन में कई बार कही कि कांग्रेस बेंचों पर बैठे सदस्य हमेशा जनता, जनता चिल्लाते रहते हैं जबकि अब जनता शासन नहीं है। लेकिन इसी समय से उन्होंने स्वयं जनता शासन की तारीफ करना शुरू कर दिया है। इसलिए, उस पर थोड़ी चर्चा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह नहीं कहना चाहिए कि जनता नहीं है। जनता है।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी अब नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध थे। इसलिए मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि जब श्री वाजपेयी चीन गए थे तो उस समय चीन ने हमारे मित्र देश पर आक्रमण कर दिया। उसने हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यदि

वे उसे मित्रता समझते हैं तो वे अपने ही कल्पना लोक में रहते हैं और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा ।

इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति वियतनाम पर किए गए चीन के आक्रमण से अपना निष्कर्ष निकाल सकता है । क्या वे भारत को अथवा किसी अन्य को पाठ पढ़ा रहे थे कि वे (चीन) शक्ति और बल में विश्वास रखते हैं : और वे किसी को भी पाठ पढ़ा सकते हैं? यही निष्कर्ष निकाला जाना है । यदि वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुचते मैं क्या कर सकता हूं ।

महोदय, उन्होंने (श्री स्वामी ने) यह भी कहा कि जनता शासन के दौरान उनके पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध थे । महोदय, हमने अपनी ओर से पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की भरपूर कोशिश की । वर्ष 1956 में, वर्ष 1959 में और वर्ष 1965 में हमने पाकिस्तान को आयुद्ध-संधि का प्रस्ताव किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे उस प्रस्ताव पर कभी विचार नहीं किया । और अब अचानक जब पाकिस्तान ने अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव किया तो उस पर हमारी प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा कि कोई संधि हो अथवा नहीं भारत पाकिस्तान पर कभी आक्रमण नहीं करेगा । इससे अधिक निष्ठा के साथ हम और क्या कह सकते हैं । केवल इतना ही नहीं, इस सरकार के सत्तारुढ़ होने के तत्काल बाद, हमने अपने विदेश सचिव श्री साठे को पाकिस्तान भेजा । उसके बाद प्रधान मंत्री के निजी दूत के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह वहां, गए, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री भी बातचीत के लिए वहाँ गए । इससे ज्यादा निष्ठा का और क्या प्रदर्शन हम कर सकते हैं? लेकिन दूसरे पक्ष में हमने जो निष्ठा देखी है वह यह है : उन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक अस्त्र-शस्त्रों की प्राप्ति शुरू कर दी है । यह है मित्रता जो डा० स्वामी पाकिस्तान में देखते हैं ।

श्री पासवान ने भी कहा कि भारत की प्रधान मंत्री ने जिस समय वे लंदन में थी, यह कहा कि भारत शत्रुओं से घिरा हुआ है । यह तथ्यपूर्ण बात है । हम दियागो गार्शिया में क्या देखते हैं? अमेरिका उस क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्रों को जमा कर रहा है । पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा अस्त्र-शस्त्रों से लैस किया जा रहा है । खाड़ी के क्षेत्रों में एक कठिन स्थिति पैदा हो गई है । इससे अधिक घेराबंदी और क्या हो सकती है, जो श्री पासवान को दिखाई नहीं देती ।

भारत की भू-सीमा अत्यन्त विशाल है । उत्तर में हमारी भारत-तिब्बत सीमा है । पूर्व में भारत-बर्मा सीमा है, और 1971 के पश्चात अर्थात इस समय भारत-बगला देश सीमा हैं ; पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा है । हमारी रक्षा सेनाओं को इस देश की रक्षा करने के लिए 7,000 किलो मीटर के इस सीमा क्षेत्र की चौकसी करनी है ।

भारत-तिब्बत सीमा पर, हमारी सैनिक टुकड़ियों को कुछ स्थानों पर 7, 11,000 फीट

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

अथवा 18,000 फीट की ऊंचाई और विभिन्न तापमानों में और विभिन्न भू-भागों में अपना कार्य करना होता है। कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेंटी ग्रेड हैं और कुछ स्थानों पर यह 50 सेंटीग्रेड कम है। इसी प्रकार, कुछ क्षेत्रों में वर्षा 5 सेंटीमीटर होती है तो कुछ स्थानों पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारी सेना को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। उन्हें मैं अवश्य बधाई दूंगा और मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इसमें मेरे से सहमत होंगे अर्थात हमारी सेना सर्वाधिक कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रही है।

इसी प्रकार, हमारी समुद्रतटीय रेखा 4,500 मील लम्बी है, हमारी नौसेना बड़ा भारी कार्य अंजाम देना होता है। उन्हें हमारे बन्दरगाहों के, हमारे बम्बई हाई के और हमारी आर्थिक जोनों की विकसित हो रही स्थितियों के प्रतिस्थापनों की चौकसी करनी होती है। आपात स्थिति अथवा युद्ध के दौरान नौसेना के विदेशों से आ रहे कच्चे तेल की जैसी सप्लाई की भी चौकसी करनी होती है।

इसी प्रकार, भारत का वायु क्षेत्र अत्यंत विशाल है; और हमारी वायुसेना को, इसके प्रतिष्ठापनों। बम्बई हाई, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और अन्य क्षेत्र सहित इस विशाल देश की रक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है; युद्ध के दौरान यह सब किए जाने की आवश्यकता होती है।

पाकिस्तान हमारे विरुद्ध है। और पाकिस्तान हम पर समुद्र, पृथ्वी और आकाश क्षेत्र से आक्रमण कर सकता है। पाकिस्तान इस तरह स्थित है कि वह सभी तरफ से हम पर आक्रमण कर सकता है।

हमारे देश के उत्तर की ओर चीन है जो मित्र देश नहीं है, और पाकिस्तान तथा चीन के मध्य कुछ कुछ मित्रता पूर्ण सम्बन्ध हैं—अमेरिका की नीति द्वारा की इसको सहायता दी जाती है। अत वस्तुतः यह एक प्रकार की धुरी अर्थात अमेरिका-पाकिस्तान-चीन धुरी जिससे हमें सावधान रहना है। हमारी रक्षा बल स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग हैं। राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सशस्त्र सेनाओं और अर्ध-सैनिक संगठनों को अधिक तैयारी में रखने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि ये संगठन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छे किस्म के नेतृत्व की आवश्यकता है। ऊंचा मनोबल और पूरे पैमाने पर उपकरणों और उन लोगों के उद्देश्यपूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

अब मैं भू-राजनीतिक स्थिति पर आता हूं जिसमें आजकल भारत है। हम यह देखते हैं कि

ईरान को खो देने के बाद अमरीका ने ईरान के स्थान पर पाकिस्तान को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। ईरान उनका पक्का मित्र था और शाह के सत्ता से हटने के बाद उन्हें एक ऐसे देश की आवश्यकता थी जिन्हें वे सैनिक सहायता प्रदान करें और इसे मजबूत बनायें ताकि वे इस देश को अन्य देशों पर आक्रमण करने के लिए उपयोग में ला सकें। अमरीका की खाड़ी के देशों में अत्यन्त रुचि है क्योंकि उनका 60 प्रतिशत तेल हिन्द महासागर के रास्ते से जाता है और वे इसका संरक्षण करना चाहते थे। और शाह के सत्ता से हटने के बाद उन्होंने स्वभावतया पाकिस्तान को प्रमुख देश बनाया और इस देश को मजबूत करने का प्रयास किया क्योंकि वह देश सदैव अमरीका के सामरिक मतैक्य के अंग के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक था। इसके अतिरिक्त खाड़ी के क्षेत्र में हम पाते हैं कि द्रुत भेजी जा सकने वाली सेनायें रखी गई हैं और हिन्द महासागर में हम देखते हैं कि दिआगो गार्शिया को दिन प्रतिदिन मजबूत किया जा रहा है। केवल थोड़े दिन पूर्व ही हमें पता लगा कि वहां पर अधिकाधिक हथियार सप्लाई किये जा रहे हैं और अब उस क्षेत्र में आधुनिकतम पनडुब्बियां भी तैनात की गई हैं। चाहे श्रीलंका हो अथवा पाकिस्तान हो, वहां पर अपनी सेनाओं के मनोरंजन के लिए अधिकाधिक क्षेत्र अधिगृहीत किये जा रहे हैं। वास्तव में वे सभी सैनिक अड्डे हैं। अमरीका के पूरे विश्व में प्रायः 2000 से अधिक सैनिक अड्डे हैं और यही कारण है कि इस क्षेत्र में और विश्व में स्थिति बिगड़ रही है और हमें भारत में तस्वीर के इस पहलू को देखना चाहिये कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है।

अमरीका ने हमारे सीमा-क्षेत्रों में तनाव लाने का प्रयास किया है और केवल इस सन्दर्भ में हमारे प्रधान मंत्री शांति और इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में बार-बार कह रहे हैं। वह व्यर्थ में ऐसी बात नहीं कह रही हैं अपितु यह सच है क्योंकि हमारे आस-पास की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई व्यक्ति अपनी आखें नहीं बंद कर सकता है। हम यह पाते हैं कि अमरीका युद्ध का भय उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। वहां पर उन्होंने कहा है कि सोमालिया से पाकिस्तान तक बहुत भारी संघर्ष है और उन्हें भय है कि ऐसा न हो कि ईरान के बाद अन्य देशों में भी क्रांति हो सकती है। अतः अमरीका तेजी से इस क्षेत्र को हथियारों से मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। अमरीका इस क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। अस्थिरीकरण हो रहा है और सभी प्रकार के हस्तक्षेप किये जा रहे हैं ताकि यह क्षेत्र बच न जाये अथवा सोवियत रूस के अधीन आ जाये। इस सन्दर्भ के अन्तर्गत हम इस देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को देख रहे है।

पाकिस्तान को सैनिक सहायता बड़े पैमाने पर दी जा रही है। यदि पाकिस्तान अपनी आवश्यकता के अनुसार सैनिक सहायता प्राप्त करता है तो हमें इसमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं है। विगत में भी हमने इस बारे में कभी आपत्ति नहीं की थी अपितु इतने बड़े तरीके से हथियारों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। आगा शाही के

[श्री रघुनंदन लाल भाटिया]

भारत आने पर एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा था "क्या वे अफगानिस्तान के रास्ते से रूस के आने पर भयभीत हैं ?" उन्होंने कहा, "जी नहीं, रूस ने हमें आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा।" अतः वे रूस की भूमिका के बारे में संतुष्ट थे। लेकिन उनका सलाहकर अमरीका कह रहा था कि वे पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे क्योंकि उन्हें रूस से खतरा था। अब आप इस स्थिति की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान को किस प्रकार हथियार मिल रहे हैं। विगत में भी हमने देखा था कि जब कब कभी पाकिस्तान को हथियार मिले थे उसने इन्हें भारत के खिलाफ प्रयुक्त किया था। दूसरे पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि वहां पर जरनल जिया किसी समय अपने को बचाने के लिए इस स्थिति को भारत की ओर बदल सकते हैं। वह एक विस्फोटक स्थिति में रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को यह कहकर धोखा दिया है कि वह चुनाव करायेंगे। अपने लोगों को धोखा देने वाला कोई व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा। मैं अपने मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से पूछना चाहता हूं कि वह जनरल जिया का किस प्रकार विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान में अपने लोगों को धोखा दिया है ? पाकिस्तान ने परमाणु बम भी विकसित किया। अब प्रश्न यह है कि उन्हें यह परमाणु बम कब तक प्राप्त हो रहा है। चीन ने परमाणु बम बना लिया है तो इस बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या होनी चाहिये ? मेरा सुझाव है कि हमारे पास बम होना चाहिये क्योंकि यदि आप इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि जब अमरीका के पास बम था तो विश्व युद्ध का भय था। क्योंकि अब सोवियत संघ के पास भी बम है, अतः परमाणु युद्ध होने के अवसर कम हैं। अतः हमारे पास बम अवश्य होना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान के पास किसी भी स्थिति में बम होने जा रहा है। यदि हमारे पास भी बम हो तो मुझे विश्वास है कि हम अपनी राजनयिक चतुराई से इस क्षेत्र में शांति ला सकेंगे केवल यही कारण है कि हमें यह बम बनाना चाहिये।

मैं केवल दो मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : परमाणु बम अन्तिम अस्त्र है। अतः आपका मुद्दा भी अन्तिम मुद्दा होना चाहिए।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : मैं दिआगो गार्शिया के बारे में कहना चाहता हूं। अमरीका धीरे-धीरे दिआगो गार्शिया का निर्माण कर रहा है लेकिन हमारी सरकार से इस बारे में कोई विरोध नहीं किया गया है। भारत हिन्द महासागर के बारे में गुट-निरपेक्ष देशों और तटवर्ती देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन किसी कारण से यह सम्मेलन नही हो रहा है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है ? क्या हम अमरीका को हमारे इतने निकट एक सैनिक अड्डे का निर्माण करने की अनुमति देंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : वे इसका निर्माण का चुके हैं।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : दिआगो गार्शिया कोचीन के उतना ही निकट है जितना दिल्ली से कोचीन है। इस बारे में हमारी एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये। हमें घोषणा करनी चाहिये कि यह सभी तटवर्ती देशों के हित के खिलाफ है और हमें इस बात पर बल देना चाहिये। यह एक अत्यन्त महत्व पूर्ण बात है। अन्त में मैं...(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : हम ऐसा कर चुके हैं, श्री भाटिया।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : अन्त में हम इस प्रतिवेदन में जो रख रहे हैं मेरे विचार से इसमें से अधिकांश को छोड़ा जा सकता है। बहुत से ब्यौरे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह हमारे देश और देश के हितों के लिए अच्छा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम और ब्यौरे चाहते हैं।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : मैंने आपको बता दिया है यह मेरा दृष्टिकोण है। यदि प्रतिवदन में पेंशन, मनोरंजन और विभिन्न सुविधाओं का, जो हम अपनी सेनाओं को दे रहे हैं, वर्णन करते हैं तो यह बिलकुल ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ मामले है जो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं दिये जाने चाहियें और जो कुछ अधिक ब्यौरों की आवश्यकता हो आप उन्हें आम तौर पर परामर्शदात्री समिति को बैठकों में दे सकते हैं और निश्चित रूप से यदि कुछ और जानकारी चाहिये तो आप इस सदन को विश्वास में ले सकते हैं लेकिन लिखित रूप में देने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा मामला है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

अन्त में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के मामले पर विचार करें। मेरे विभिन्न मित्रों ने भी इस दिशा में उल्लेख किया है। जब वे सेवा में होते हैं तो उनकी बहुत अच्छी स्थिति होती है। उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें आदर दिया जाता है। लेकिन सेना से निवृत्त होने के तत्काल बाद ही उन्हें छोटे-छोटे लाभों के लिए कार्यालयों में भटकना पडता है। यह ऐसी स्थिति है जिस पर अवश्य विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। जब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की इन मांगों पर चर्चा कर रहे है, हमारी सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हो रही हैं। हांलाकि मंत्रालय के प्रतिवेदन में परिवेश संबधी उन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है और जहां तक

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

हमारी सुरक्षा का संबंध है बंगलादेश में सैनिक तानाशाही जैसी कुछ नवीनतम घटनायें हुई हैं और यह घटना ऐसी है जो एक दिन पूर्व ही हुई है। वास्तव में यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भारत बढ़ रहे तानाशाही के मरुस्थल में एक प्रकार का मरुद्वीप है। यह हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री और हमारे बहादुर सैनिकों, जो इस मरुद्वीप में लोकतंत्र के इस प्रकाश को अधिक चमक से जला रहे है, का अभिवादन है।

एक माननीय सदस्य : हमारे मित्रों के बावजूद।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विरोधी पार्टियों का भी अभिवादन करें। जब भगवान कृष्ण ने उन दिनों...

उपाध्यक्ष महोदय : कितने दिन पूर्व ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हजारों साल पहले। जब कृष्ण युद्ध पर युद्ध जीतने के बाद अपने राज्य को लौट रहे थे तो महासभा में—जैसा कि आज हमारी संसद है, उन दिनों वहां महासभा होती थी—कृष्ण से पूछा कि "क्या कारण है कि आप युद्ध लड़ने में अपना धन बरबाद कर रहे हैं ?" कृष्ण ने उत्तर दिया "यदि आप अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहते हैं तो स्वभावतः आस-पास का वातावरण इसके अनुरूप होना चाहिए।" इसलिए आज विश्व में जो संकट व्याप्त है उसका कारण यह है कि हर शक्तिशाली देश अपने ही आस-पास के क्षेत्रों में उपयुक्त वातावरण बनाए रखना चाहता है इसलिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि हम बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं, परन्तु यदि हमें तानाशाही के साथ मिलकर रहना है तो हम उन क्षेत्रों में चल रही नई हवा की ओर से आंखें मूंदकर नहीं रह सकते हैं जहां लाखों लोग तानाशाही के अत्याचार का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उन दिनों में भी जब हम आजाद नहीं थे, पण्डित जवाहरलाल नेहरू हमारे आदमियों को स्पेन भेजा करते थे जिसमें वे वहां तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे लोगों की मदद कर सकें। जो बातें हो रही हैं हम उसके प्रति आंखें नहीं मूंद सकते।

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि भारत पाकिस्तान की तरफ इतना ध्यान क्यों देता है मानों सारे संसार में पाकिस्तान ही अकेला देश हैं। यदि हम अरविन्द का दर्शन पढ़ें। उन्होंने लिखा है, पश्चिम पत्तन की ओर अग्रसर है और पूर्व ऊर्ध्वोमुखी है। जिस प्रकार किसी इन्सान के जीवन में विकास और ह्रास होता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र से जीवन में ह्रास और विकास है। भारत विकास की ओर अग्रसर है क्योंकि पिछले 1 हजार वर्ष से हम ह्रासोन्मुख थे पर अब ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। इसलिए हमें रात-दिन यह नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसद में सभी लोग केवल पाकिस्तान के बारे में

बोलें मानो कि भारत पाकिस्तान की तुलना में एक छोटा देश है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और प्रधानमन्त्री को भी इसके बारे में जानकारी है। आने वाले 15 या 20 वर्षों में इस विश्व में 4 बड़ी शक्तियां उभर रही हैं यथा अमेरिका, सोवियत रूस, चीन और भारत। इसलिये जब हम अपनी रक्षा क्षमताओं पर विचार कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा प्रणाली यही सोचकर नहीं बना सकते कि हमारे सामने केवल एक ही देश पाकिस्तान है। आने वाले वर्षों में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। कुछ देशों से हथियार लेकर हम अपनी बढ़ती हुई रक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें अनुसंधान का भी विकास करना चाहिए तभी हम इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रक्षा की पहली पंक्ति कूटनीति है। 1971 में जब बंगलादेश के साथ लड़ाई हुई थी तब चीन लगभग हस्तक्षेप करने पर उतारू था, परन्तु हमारी प्रधान मन्त्री ने कूटनीति का पहला काम यह किया कि उसने भारत-रूस मित्रता समझौते पर हस्ताक्षर किये। हम जो शस्त्रास्त्र आयात कर सकते थे उसमें भी स्थिति से बचा नहीं जा सकता था। भारत-रूस मित्रता समझौते के कारण ही चीन बंगलादेश के साथ हुई लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सका, यह राजनीतिक कूटनीति का परिणाम था।

मैं हमेशा कहता आया हूं कि रक्षा की पहली पंक्ति कूटनीति है। इसलिए हमारी प्रधान मन्त्री शान्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने पांचों महाद्वीपों का दौरा किया है। क्योंकि ? जब तक हम शान्ति की शक्तियों को मजबूत नहीं बनाते हैं, हम युद्ध की शक्तियों का सामना नहीं र सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को बताने के लिए पांचों महाद्वीपों का दौरा किया है। हमें शान्ति को मजबूत बनाना चाहिए। हमें बड़ी शक्तियों के सम्पर्क में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वहां जागृति आई है। मौसम में शान्ति आन्दोलन का जोर बढ़ रहा है। आने वाले कर्जों में एशिया में बड़ा जबरदस्त शान्ति आन्दोलन चलेगा और युद्ध चाहने वाले लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकेंगे। हम जाते हैं बगलादेश में क्या हुआ ? वहां इतने अधिक हथियार मिले कि हमारे लोग उसे ट्रकों में नहीं ले जा सके। इतने अधिक शस्त्रास्त्र होने के बावजूद क्या हुआ ? वहां लोग लड़ नहीं सके। इसलिए हमें इससे सबक लेना चाहिए।

अभी हाल में सोवियत रूस के एक शिष्ट मंडल ने वाराणसी में हुई कम्युनिष्ट पार्टी के कांग्रेस में भाग लिया। आप जानते हैं कि सोवियत रूस के कम्युनिष्ट नेता ने पार्टी कांग्रेस को क्या कहा ? उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी शान्ति की स्थापना के लिए एक बहुत ही वास्तविक विदेशी नीति का पालन कर रही है। मुझे आशा है कि जो लोग यह कहते हैं कि भारत सरकार की गृह नीति और विदेश नीति में अन्तर है, इस बात को समझेंगे कि विदेश नीति और रक्षा नीति उस गृह नीति का विचार जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं।

आज हम एक और अच्छी बात देखते हैं। हमारे विदेश मन्त्री श्री नर सिम्हा राव ने सभा

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

में अगले दिन कहा था कि अनाक्रमण संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पुनः आरम्भ होने के सम्बन्ध में कुछ ठोस प्रस्ताव सामने आये हैं और पाकिस्तान के साथ इस समय हमारे जो सम्बन्ध हैं उसमें एक सुधार कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। हाल में राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने मास्कों और बीजिंग के बीच 20 वर्षों से चले आ रहे सम्पर्क को दूर करने की अपील की है और कहा कि रूस सबंधों को सुधारने के लिए ठोस कार्यवाही करने को तैयार है। इसलिए इस उपमहाद्वीप में हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज का मित्र कल भी मित्र रहेगा दुश्मन नहीं। इस उप महाद्वीप में अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का गठबन्धन समय-समय पर बदल रहा है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का सम्बन्ध है; विश्व में क्या हो रहा ।

300 वर्ष पहले हम अपनी सीमाओं में बफर राज्य बनाने की भू रणनीति का अनुसरण कर रहे थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी ऐसा किया। नीति यह थी कि बफर राज्य बनाने से वे ही युद्ध का सबसे पहले मुकाबला करेंगे। यह सिद्धान्त अब समाप्त हो गया है। तिब्बत अब बफर राज्य नहीं रहा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो परन्तु वहां शक्तियां दूसरे ही दिशा में काम कर रही हैं।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गया था। वहां शस्त्रास्त्र पर चर्चा हो रही थी और मैं वहीं था। मैंने देखा कि वहां ऐसा गुट है जो अपने शस्त्रास्त्र बेचना चाहता हैं। आज समूचे पश्चिमी देशों में मंदी है। हम भारत और पाकिस्तान कितने समझदार हैं। हम शस्त्रों की दोड़ की तरफ जा रहे हैं। उपमहाद्वीप में हितबद्ध राष्ट्रों द्वारा हथियारों की बिक्री जारी है। पाकिस्तान 5000 करोड़ रुपये मूल्य के शस्त्रास्त्र खरीदने जा रहा है। हम भी 3000 करोड़ रुपये मूल्य के शस्त्रास्य खरीद रहे हैं। इन 8000 करोड़ रुपयों से भारत और पाकिस्तान अपने देशों को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकता है।

अब समय आ गया है हम शस्त्रास्त्र बेचने वाले देशों द्वारा मार्ग निर्देशित नहीं होंगे। यह शस्त्रास्त्र बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं क्योंकि उनके देश में भारी मंदी है। आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हमें दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के शस्त्रास्त्र खरीदने में 20 वर्ष लग जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में होने वाली घटनाओं के कारण भारत के लिए रक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं रक्षा मन्त्री के प्रति यह कहने के लिए आभारी हूं कि पाकिस्तान में चाहे कुछ भी होता है। हमारी रक्षा तैयारियों में ढील नहीं दी जाएगी। समूची समस्या के प्रति यह सही दृष्टिकोण है। हम इसके बारे में इतने चिंतित क्यों हों?

हम वर्तमान सम्बन्ध में रक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं। अब वित्त मंत्री ने रक्षा मन्त्रालय का कार्य भार संभाल लिया है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1980-81 में भारत ने प्रति व्यक्ति 7 डालर व्यय किया जबकि पाकिस्तान ने प्रति व्यक्ति 17 डालर और चीन ने प्रति व्यक्ति 56 डालर व्यय किया। यह बहुत कम राशि है। मैं इस बात को समझता हूं कि हमें आर्थिक आकार मजबूत करना है क्योंकि ऐसा करके ही हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारी नीति और दृष्टिकोण एक मजबूत आर्थिक आकार बनाने की होनी चाहिये न कि शस्त्रास्त्र जमा करने की।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत-चीन सीमा शांत नहीं है। यह पहले सक्रिय नहीं था। 1962 के बाद यह सक्रिय हो गया है। इसी प्रकार भारत-पाकिस्तान अथवा भारत-बंगलादेश सीमा लीजिए। उन दिनों हम बंगलादेश की सीमाओं पर काम कर रहे थे और हम जानते हैं कि भारत ने कितना अधिक त्याग किया है। आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। पाकिस्तान और बंगलादेश में नए शासक आए हैं। इस लिए हमें वहां चलने वाली नई हवा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तान में एक नई पीढ़ी आई है जिसे चीन जैसी विदेशी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। बंगलादेश में उभरने वाली नई स्थिति के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। आज बंगलादेश में जो व्यक्ति शासनारूढ़ हैं। वह मुजीबुर रहमान के स्वतंत्रता आन्दोलन में नहीं था। वह पाकिस्तानी सेना से आया है। इसलिए हमें जो नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसके प्रति सतर्क हो जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें पड़ोसी देशों के आन्तरिक बातों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : यह ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए।

जहां तक शस्त्रास्त्र का सम्बन्ध है, विकासशील देशों को उत्पाद मिश्र अपनाना चाहिए उनको यह सोचना चाहिए कि किस सीमा तक शस्त्रास्त्र परमाणु चलित होने चाहिए किस सीमा तक पारंपरिक। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए, विशेषकर विश्व में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में, भारत को परमाणु का विकास करना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि ऐसा युद्ध के सम्बन्ध में किया जाये। मैं परामर्शदात्री समिति में था और मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि पोखरण में विस्फोट किया गया क्योंकि इससे हम अधुनातन टैक्नोलाजी के एक नये युग में प्रवेश कर गए हैं। हमने उपग्रह संचार प्रणाली का भी विकास किया है।

यह हमारे वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि है। हालांकि हमने 34.20 लाख रुपये खर्च किए हैं।.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : 3.42 लाख रुपये ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही फिर भी यह राशि कुछ भी नहीं हैं। सैनिक विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि एक इनफैंट्री डिवीजन के एक रख रखाव की तुलना में परमाणु हथियारों को रखने का खर्च कम आयेगा । यह अनुमान लगाया गया है···(व्यवधान)···कि परमाणु बमों वाले सैनिक उपकरण की लागत 1.5 मिलियन रुपये से 2 मिलियन रुपये आयेगी जिटमें 20 किलो तक का परमाणु तत्व होगा मिसाइलों की मार की ताकत 160 डिवीजन अथवा 3 मिलियन व्यक्तियों के बराबर होगी । परंपरागत हथियारों की लागत, मारक शक्ति के रूप में, परमाणु हथियारों की तुलना में 300 गुना अधिक है । हमारे नगर चीन की मिसाइल रेंज के 300 किलोमीटर के अन्दर आते हैं जबकि चीन के नगर हमारी सीमाओं से 1300 किलोमीटर दूर है ।

मैं नहीं जानता कि यह कितना सच है परन्तु मैंने रक्षा पत्रिकाओं में पढ़ा है कि जब सोवियत रूस और चीन के सम्बन्ध सुधर जायेंगे, और यह सुधरेंगे, तब हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि चीन द्वारा हम पर हमला किये जाने की स्थिति में सोवियत रूस परमाणु अस्त्रों की मार से हमें बचाएगा । इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान विकास कर रहा है, जिस तरह से अन्य शक्तियां इस क्षेत्र में विकास कर रही हैं और जिस तरह से इस क्षेत्र में छोटे राष्ट्र चाहते हैं कि भारत को उन्हें संरक्षण देना चाहिए । मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए भारत को परमाणु अस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। यह अधिक खर्चीला भी नहीं होगा क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने···(व्यवधान) डा० स्वामी, मैं आपके विचारों का समर्थन नहीं कर रहा हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानता हूं आप अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं करेंगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप उनके विचारों के निकट हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : मैं यह नहीं बता रहा हूं कि हमारी सरकार क्या सोच रही है और क्या हमारे सैनिक कमांडर सोच रहे हैं । अतः मैं आपके विचार का समर्थन नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं रक्षा मंत्री से इस बात की हिमायत कर रहा हूं कि इन घटनाओं को देखते हुए जो कि हमारे क्षेत्र में हो रही है हमारी रक्षा प्रणाली तथा शस्त्र-व्यवस्था इस प्रकार संगठित की जाए कि हम आवश्यकता की घड़ी में, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वह किधर से भी आए, विदेशी ताकतों पर आत्म निर्भर न रहना पड़े ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री दया राम शाक्य (फर्रुखाबाद) : श्रीमन्, फरवरी माह में वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उस समय से रक्षा बजट प्रस्तुत करने के समय तक जो शब्द कहे गए है, जो प्रकार सरकार ने अपनाया है, अपने रक्षा व्यय को प्रस्तुत करने से उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की वैदेशिक नीति अपने स्थान पर फेल हुई है और उसमें मानसिक वरीयता है। सरकार अभी तक निश्चित नहीं कर पा रही है कि हम क्या करें अथवा क्या न करें। कौन सी चीज खरीदें अथवा कौन सी चीज न खरीदें। कितना व्यय करें और कितना व्यय न करें। बजट स्पीच में रक्षा के लिए 5100 करोड रुपए की बात कही गई थी, जो 1981-82 के बजट से 21.4 प्रतिशत ज्यादा थी। अब जैसी कि मांगे प्रस्तुत की गई हैं, 5684 करोड़ रुपए जो कि कुल टोटल गवर्नमेंट एक्सपैंडीचर का 17 प्रतिशत है। नान-प्लान्ड एक्सपैंडीचर का तीस प्रतिशत है और जी० एन० पी० का चार प्रतिशत है। इसके बाद भी निरन्तर जो बातें सामने आ रही हैं और उससे मैं समझता हूं कि revied budget तक छः हजार करोड़ रुपए का बजट होगा। ये सारे संकेत इस बात के द्योतक हैं कि सरकार अभी भी निश्चित नहीं है कि हम कितना खर्च करें और किस विधि से करें। दूसरे, सरकार इस लोकसभा को विश्वास में नहीं लेना चाहती है। सरकार ने डिफेंस का पांच साला प्लान बनाने का निश्चय किया है। आज दुनिया भर में संसार के देशों की परिस्थितियां बदल रही हैं और उस दृष्टिकोण से हमारे यहां भी परिस्थितियां बदल रही हैं फिर भी हम 5 साला प्लान बना रहे हैं। हम कहते हैं कि हम फलां हवाई जहाज खरीदेंगे, फलां फाइटर खरीदगें, अगर हम इन खर्चों की तरफ जायें तो हमारी छठीं पंचवर्षीय योजना का 50 प्रतिशत तो इन में ही खर्च हो जायेगा। कितनी अस्थिरता अपने मस्तिष्क में लेकर सरकार सारे कामों को कर रही है।

यहाँ पर कई सदस्यों ने भी कहा है और सरकार भी गुट-निर्पेक्षता की बात करती है, बार-बार उसका उल्लेख किया जाता है परन्तु हम कितने तटस्थ हैं, कितने गुट निर्पेक्ष हैं—यह बात सरकार की नीतियों से साफ जाहिर होती है। अभी भारत में रूस के रक्षा मन्त्री आये—वाराणसी के कम्युनिष्ठ सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधि आये थे और उन्होंने हमारी नीतियों की बहुत सराहना की। जब आप रूस की गोद में जाकर बैठें हैं, उसकी एक-एक बात का समर्थन करते हैं तो वह हमारी नीतियों की सराहना क्यों नहीं करेगा। अफगानिस्तान में रूस घुसा हुआ है, बार-बार यहां पर सारी बातें आई हैं, सरकार से कहा गया कि इसका विरोध करे, परन्तु हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला कि रूस को चाहिए, अपनी सेनायें अफगानिस्तान से वापस करे। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि हम किसी देश पर आक्रमण सहन नहीं करेंगे। क्या सरकार ने रूस को कोई विरोध-पत्र भेजा ? क्या सरकार ने रूस से कहा कि वह अफगानिस्तान से अपनी सेनायें वापस बुलाये ? सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर भी हम अपनी तटस्थता की नीति का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यह इस का बात सुबूत है कि हम रूस की गोद में जाकर बैठने का प्रयास कर रहे हैं,जिसके कारण सारी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। इन्दिराजी भेड़िया आया, भेड़िया आया, कह कर देश को डराना चाहती हैं। आज सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते

[श्री दया राम शाक्य]

जा रहे हैं। जब हम एक गुट के साथ बैठने का प्रयास करेंगे तो जाहिर बात है कि संसार की दूसरी शक्तियों के साथ हमारी दोस्ती नहीं बनेगी, दुश्मनी बनेगी।

पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मन्त्री यहां आये थे। उन्होंने कहा था कि हमें रूस से खतरा नहीं है, परन्तु आज अमरीका वहां कोशिश कर रहा है, सारी शक्तियां अर्जित करने की। अमरीका ऐसा क्यों कर रहा है? अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध खराब होने के कारण सम्भवत: वह ऐसा कर रहा है। जनता रिजीम के जमाने में उसके साथ हमारे सम्बन्ध खराब नहीं थे। आपकी पिछली सरकार के जमाने के बिगड़े हुए सम्बन्धों को जनता रिजीम ने सुधारा, परन्तु अब फिर दो वर्षों से, जब से इन्दिरा जी पावर में आयीं हैं, ये सम्बन्ध फिर बिगड़ गए हैं। ऐसा क्यों है? यह इस बात का द्योतक है कि हमारी नीतियां फेल हो गई हैं और उसके कारण हम दुनिया में अपने दुश्मन बढ़ाते जा रहे हैं।

आज हमारी सेनाओं में असन्तोष है। एक आदमी जो अपनी जान हथेली पर रख कर देश की सेवा के लिए आता है हम उसको कितना पैसा देते हैं, कितनी सुविधायें देते है? क्या उनसे वह अपने परिवार का भरण-पोषण भली प्रकार से कर सकेगा? सारी जवानी सेना में लुटाने के बाद हम उसे क्या देते हैं? अभी उपमन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि 1951 में 5 रुपये पेन्शन बनती थी। आप 1977 तक लगातार शासन में रहे, क्या आपने उन बहादुरों की पेन्शन बढ़ाने का प्रयास किया? आपको उनकी चिन्ता रही जो स्वतन्त्रता संग्राम में जेल गये थे, आपने उन पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, क्या आप इनकी पेन्शन को नहीं बढ़ा सकते थे। जनता पार्टी तीन साल यहां शासन में रही, उसने उनकी पेन्शन को बढ़ाया, लेकिन यह काम आप भी कर सकते थे, परन्तु आप ने ऐसा प्रयास नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे हैं।

आज हम इन लोगों को क्या सुविधायें दे रहे हैं? वह देश की सेवा के लिए बार्डर पर जाता है, क्या उसके परिवार की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य नहीं है। जो देश की रक्षा के लिए गया है, यदि उसके मन में अपने परिवार की चिन्ता बनी रहेगी तो वह कैसे निश्चित होकर देश की रक्षा कर सकेगा। उसके परिवार को कोई असुविधा न हो, इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरह से नहीं की जा रही है।

देश की सैकण्ड डिफेन्स लाइन में हमारे रक्षा संस्थान आते हैं। सारे देश में ऐसे 33 आयुध निर्माण संस्थान हैं जिनमें 1 लाख 73 हजार लोग काम करते हैं, जहां उनके माध्यम से सेना के सारे उपकरणों का उत्पादन होता है, वहां सारे साधन भी उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाते है ताकि हमारी सेना बार्डर्ज पर रहकर निश्चित रहे कि हमारे पीछे हमारे दूसरे साथी हमारे लिए सारी चीजे तैयार करेंगे, हमारे लिए सारी सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। क्या हम उन सब लोगों को, जो वास्तव में सेकेन्ड लाइन आफ डिफैन्स है, सन्तुष्ट कर पा रहे हैं और उनको सारी सुविधायें दे पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में पवर्तीय क्षेत्र में एक स्थान पर जहां सेना के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर जो बनियान जवानों को दिये जाते हैं और जिनमें 50 परसेंट

जूट होती है और 50 परसेंट ऊन होती है, उनके लेने के लिए स्वयं कमान्डर को जाना पड़ा और उनके जूतों की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ती है। क्या सरकार 1962 की बात पुनः दुहराना चाहती है जबकि हमने यह देखा कि हिन्दी-चीनी भाई-भाई कहने वाले चीनियों ने हम पर हमला किया और हमारे जवानों के पास न जूते थे, न बुलेट्स थीं और न हथियार थे। जो ठंडे इलाके में रहने वालों के लिए सुविधायें होती हैं, वे हम उनको नहीं दे पाए।

मेरा यह भी कहना है कि रक्षा उत्पादन विभागों में जो लोग काम करते हैं, उनको ठीक से सेलरी भी आप नहीं दे पाते हैं और एक तरह का कार्य करने वालों को एक समान वेतन नहीं दे पाते हैं। हम यह भी देखते हैं कि अधिकारी अपने लिए सुविधायें बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन कर्मचारियों के लिए बोलना मुश्किल है, जिस पद पर एक कर्मचारी भर्ती होता है, वह उसी पद पर रिटायर हो जाता है और उसको एक भी प्रोमोशन नहीं दिया जाता। वह जिस पद पर नियुक्त होता है, पूरी सर्विस उसी में रहता है। मेरा कहना यह है कि अपने जीवन काल में उसे कम से कम तीन प्रोमोशन मिलने चाहिये और उसका एक टाइम-स्केल प्रोमोशन होना चाहिए। अगर सरकार इसको नहीं दे सकती, तो कम से कम तीन प्रोमोशन उसको मिलने चाहिए और दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिए। पिछली बार सरकार ने बोनस की घोषणा की थी लेकिन उसमें जो मिलिट्री फार्म है, उसमें जो एम० ई० एस० है और कई ऐसे दूसरे विभाग हैं, उनको इससे वंचित रखा गया है। क्यों ऐसा किया गया है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। अगर रक्षा उत्पादन विभाग में काम करने वालों को आप ठीक से सेलरी नहीं देंगे, उनके लिए आवास व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तो इससे उनमें असंतोष बढ़ेगा। उनके आवास की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कलकत्ता में एक आर्डेनेन्स डिपो है। उसमें एक साल से कोई काम नहीं हो रहा है और वहां पर जो कर्मचारी हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। वहां से उस आर्डेनन्स डिपो को हटाने का प्रयास हो रहा है। मैं सरकार को बताना चाहूंगा और खास तौर से रक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उस आर्डेनेन्स डिपो के कमांडर ने हजारों, लाखों रुपये का घोटाला किया है और जब कर्मचारियों ने सरकार के सामने इस को लाने का प्रयास किया, उसको उजागर करने का प्रयास किया, तो उस कमांडर ने डाइवर्शन आफ माइंड के लिए, मस्तिष्क को घुमाव देने के लिए वहां से उस ओ० डी० को खत्म करने के लिए सिफारिश की और अब सरकार के पास यह है। वहा से समान पूर्वांचल इलाकों में भेजा जाता है।...(व्यवधान)

श्री रामसिंह यादव : व्यवस्था के प्रश्न पर। महोदय क्योंकि जिस के विरुद्ध यह आरोप लगा रहे हैं, वह सभा में नहीं हैं, अतः उन्हें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहियें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा।

श्री दयाराम शाक्य : आज इस बात का प्रयास हो रहा कि वहां से उस ओ० डी० को

[श्री दया राम शाक्य]

हटाया जाए। हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे स्थान है, जहां पर वहां से सामान सप्लाई किया जाता है। वे सारी चीजें, जो उस ओ० डी० में होती हैं और जो वहां से सप्लाई होती हैं, जिनको वहां से वितरित किया जाता है, उनको विभिन्न स्थानों पर भेजने की बात चल रही है। मैं रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे इलाके में, जहां बड़ी आसानी से पूर्वांचल के स्थानों पर सामान पहुंचाया जा सकता है, उस आर्डेनन्स डिपो को कायम रखा जाए अन्यथा वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों में तथा दूसरे स्थानों के कर्मचारियों में असंतोष होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें ताकि कर्मचारियों के हितों को नुकसान न पहुंचे और उत्पादन कार्य में कोई गड़बड़ न हो।

एक बात और है। आज रक्षा उत्पादन विभाग में सारे के सारे सर्वोच्च स्थानों पर मिलिट्री के अफसर ही हैं, मिलिट्री परसोमेल लगे हुए हैं। डी० जी० आई० के अन्डर डाइरेक्टर व्हीकल्स जो है, डाइरेक्टर अर्मामेंट-ब्रिगेडियर, डी० पी० आई० ई० ब्रिगेडियर, डी० पी० आई० एल०-ब्रिगेडियर, डी० आई० एस०-ब्रिगेडियर, डाइरैक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन-ब्रिगेडियर और डी० पी० आई० एन० कोमोडोर, नैवी है। ये सारे के सारे अधिकारी यहां पर काम करते हैं और इनमें कोई सिविलियन नहीं है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि कई जगहों पर भ्रष्टाचार होता है लेकिन वह उजागर नहीं होता है। इसमें एक बात यह भी है कि रक्षा उत्पादन विभाग का जो सचिव है, उसको यह अधिकार नहीं है कि वह डिसिप्लीनरी एक्शन ले सके। इन सर्वोच्च पदों पर मिलिट्री के अधिकारी बैठे हुए हैं। उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सचिव को अधिकार दिया जाना चाहिए। मेरा आप से निवेदन है कि ऐसी जगहों पर उन सीनियर अधिकारियों को रखें, इन विशेष शाखाओं में उन लोगों को रखें, जो विद्वता रखते हों, दक्षता रखते हैं उनको नियुक्त करें अन्यथा अपने सचिव को अधिकार दें कि वे उनके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन ले सके। आज इसके कारण बहुत भ्रष्टाचार पनप रहा है और इस भ्रष्टाचार के कारण लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें, नहीं तो असंतोष बढ़ेगा।

आपके मिलिट्री फार्म्स पर जो सिविलियन स्टाफ होता हैं, उसको अगर छुट्टी लेनी होती है तो उसके लिए उन्हें मिलिट्री के डाक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है लेकिन वे अपना स्वयं का इलाज उन डाक्टरों से नहीं करा सकते। वे अपना इलाज बाहर कराते हैं। इसके कारण उनमें असंतोष है। इस ओर भी मंत्री जी ध्यान दें।

काफी समय से एच० आर० ए० और सी० सी० ए० नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। पेंशन की कम्युटेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक उपलब्ध होने से लोगों को अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है और इसके कारण आयु लम्बी हो गयी है। इसलिए पेंशन कम्युटेशन का रेशो बढ़ाया जाना चाहिए।

इन बातों को कहता हुआ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं कि वे मेरी बातों पर ध्यान दें।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

श्री सभापति महोदय : अब सायं के 6 बजे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सभा कितनी देर और बैठना चाहेगी। कृपया पहले मुझे यह बतायें। कोई प्रोपोजल है कि आप कितनी देर तक बैठना चाहते हैं ?

श्री सन्तोष मोहन देव : बजट प्रस्तुत करने से पहले, जब हमने रात्रि 8 बजे तक बैठने का फैसला किया था, तब यहां खेल मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय क्या ये थे। आठ बजे रात्रि तक रहने दीजिए। परन्तु जो सदस्य यहां हैं वे भी रात्रि 8 बजे तक बैठे। यही समय सभा रखी जाये।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय आपका सुझाव याद रखेंगे। मैं देख रहा हूं कि पांच-छ: सदस्य और हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः फिलहाल हम सभा का समय 45 मिनट तक बढ़ा देते है।

कुछ माननीय सदस्य : कल

सभापति महोदय : नहीं। आम सहमति यह है कि हम सायं सात बजे तक समय बढ़ायें परन्तु इस शर्त के साथ कि हम चर्चा को समाप्त कर लेंगे तथा कल रक्षामंत्री उसका उत्तर देंगे। मुझे बस इतना ही कहना है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं रक्षा मंत्रालय की बजट मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय पर जो हमारे बजट का व्यय होगा, वह 17 प्रतिशत है। कई वर्षों से हम 17 प्रतिशत व्यय ही अपने रक्षा मंत्रालय पर करते आ रहे हैं। इसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है। जब हम दूसरे देशों के रक्षा बजटों के आंकड़े देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा रक्षा व्यय चीन और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही कम है।

मान्यवर विश्व में शांति की बात बहुत की जाती है। शांति की और निरस्त्रीकरण की बातें करते हुए भी एक शांतिप्रिय राष्ट्र के लिए अपने देश की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए सेना का रखना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि हमारे सम्बन्ध हमारे पड़ोसी राज्यों से अच्छे हों। परन्तु आज जो अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां चल रही हैं अगर उन पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। आज चीन और पाकिस्तान का सड़क से जुड़ना, अमेरिका द्वारा 3.2 अरब डालर के पाकिस्तान को हथियार देना, साथ ही उसका अणु बम विस्फोट, परमाणु बम बनाने की तैयारी करना यह बताता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में जेनेवा में फिर से काश्मीर के मामले को उठाना, यह सब सिद्ध करता है कि पाकिस्तान के इरादे पाक नहीं है। आज हिन्द महासागर में तेल के भंडार हैं। इस वजह से महाशक्तियों की सारी निगाहें उस ओर लगी हुई हैं। डीयेगो गार्शिया हमारे देश से केवल

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

1130 मील दूर है। वहां से आसानी से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है, प्रहार किया जा सकता है। चारों तरफ शीत युद्ध का वातावरण है। कोई महाशक्ति यह नहीं चाहती कि युद्ध उसकी भूमि पर हो, वह चाहती है कि यह उन राष्ट्रों की जमीन पर हो जो विकासशील हैं या उनकी बराबरी में नहीं आते हैं। एशियाई राष्ट्रों को वे आपस में लड़ाती हैं जैसे ईरान ईराक युद्ध। यह सब संकेत करता है कि हमें पूरी तरह से शस्त्रों से लैस होना चाहिए, जल-थल, नभ सभी सेनाओं को आधुनिकतम हथियारों से लैस करना चाहिये। यह सच है कि पंचशील और निःशस्त्रीकरण तथा गुट निरपेक्षता हमारी—विदेश नीति के आधार हैं। फिर भी शान्तिप्रिय राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा तो करनी ही होती है। इतिहास साक्षी है कि शान्ति प्रिय राम को जब देश में अधर्म बढ़ रहा था युद्ध करना पड़ा था और शिव को भी अपनी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। चारों ओर विभिन्न राष्ट्र परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। मैं समझती हूं कि हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि हम विश्व के नक्शे पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि 15-20 राष्ट्र परमाणु बम बना चुके हैं। यू०एन०ओ० की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार आज परमाणु अस्त्र-शस्त्र पांच राष्ट्रों के पास सीमित हैं। उनके पास पंद्रह हजार किस्म के आणविक और गैर आणविक शस्त्र हैं जिनसे सारी दुनिया को समाप्त किया जा सकता है। हीरोशीमा में जब बम विस्फोट हुआ था उससे उनकी क्षमता दस लाख गुना अधिक है। हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं। हम देखते ही नहीं रह सकते हैं। ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। चाहे हम अणु बम का इस्तेमाल न करें परन्तु देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए, दूसरे राष्ट्र की सीमाओं की तरफ न देखें, इसके लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं यह हमें सोचना होगा। हमने 18 मई 1974 को पोखरण में अणु विस्फोट किया था। परन्तु हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। पता नहीं क्या कारण है। मैं सोचती हूं कि शायद जनता पार्टी और उसकी अदूरदर्शितापूर्ण नीति की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज हमें इस ओर सोचना होगा। आज युद्ध के बादल हमारे देश की सीमाओं पर, दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। हम शतुर्मुर्ग की नीति अपना कर चुपचाप देखते रहें जैसे विरोधी लोग कहते हैं तो ठीक नहीं होगा विरोधी कहते हैं युद्ध का केवल भय दिखाया जाता है।

अगर हमने उनकी बात को माना तो यह हमारे लिए बड़ा विनाशक सिद्ध हो सकता है। चाहे उसका उपयोग हम न करें, परमाणु बम का उपयोग न करें परन्तु हमें इसमें सफलता तो मिलनी ही चाहिए। हम उसका उपयोग शान्तिप्रिय कार्यों में कर सकते हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए कर सकते हैं परन्तु इसमें हमको निपुणता तो हासिल करना ही चाहिये। महाशक्तियों की ओर देखने की कोई हिम्मत क्यों नहीं करता। इसलिए कि उनके पास एटॉमिक एनर्जी है। इतनी उनके पास शक्ति है कि इस दुनिया का वे बीस बार संहार कर सकती हैं। वे संहार तो नहीं करती हैं परन्तु भय मात्र से दूसरे राष्ट्र उनकी सीमाओं की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। हमें भी सशक्त होना चाहिये। तभी हमारी सीमाओं की ओर देखने की

किसी की हिम्मत नहीं होगी। यदि हम पावरफुल होंगे तो हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकेगा।

जटिया साहब ने जो बात कही उसका जवाब मैं समयाभाव के कारण नहीं दे सकती हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि जो वह कह रहे थे कि आप बहका रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आज पाकिस्तान की 17 डिविजन फौज हमारी सीमाओं पर लगी हुई है। वह प्रचार इस बात का करता है कि अफगानिस्तान में रूस की जो सेना है उसकी वजह से उसको इतने सारे डिविजन रखने पड़ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि अफगानिस्तान की तरफ उसने केवल चार डिविजन रखे हुए हैं और हिन्दुस्तान की सीमाओं के ऊपर 17 डिविजन लगा रखे हैं। यह किस बात का संकेत करता है ?

पाकिस्तान बहुत अधिक हथियार खरीद रहा है और ले रहा है। एफ-16 उसको अमरीका द्वारा मिल रहे हैं। साथ ही 600-एम के साठ टैंक उसने खरीदे हैं। अफगानिस्तान की वह बात करता है। मैं पूछती हूं कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों पर टैंक चलाए जा सकते हैं ? कदापि नहीं। इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में जब-जब कोई आन्तरिक अशान्ति हुई है, उसने हथियारों का रुख भारत की ओर किया है। इस वास्ते आप केवल सोचते रहें कि यह केवल बहकाने वाली बात है तो यह उचित नहीं है। चीन की भी आन्तरिक स्थिति ठीक नहीं है। अमरीका और चीन दोनों ही अपनी अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज में पाकिस्तान को मोहरा बना रहे हैं। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि थल, जल और नभ के जो हमारे सशक्त प्रहरी हैं वे किसी भी बात में कम नहीं है, देश प्रेम, ऊंचा मनोबल किसी भी बात में कम नहीं है। वे किसी भी समय दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। फिर भी उनका आधुनिक हथियारों से लैस होना जरूरी है। अब आगे जमीन पर युद्ध नहीं होगा। आने वाले समय में युद्ध नभ और जल में होंगे। क्या हमारी इतनी तैयारी है, क्या हमारी एयरफोर्स इस खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं ? पाकिस्तान के पास एफ-16 आने वाले हैं, मिराज उसके पास है। क्या हमारे ये जैगुआर और मिग-23 उनका मुकाबला कर पाएंगे ? सौभाग्य की बात है कि फ्रांस से हमने मिराज-2000 खरीदने की कोशिश की है और 1983 तक हम हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स में भी स्वतः इनका निर्माण करने लगेंगे। इसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। हिन्दमहासागर में भी तैरते हुए खतरे हैं। वहां हमारे तेल की जो खान है, तेल का जो स्टाक है उसकी देख रेख के लिए हमारे पास नया नेवी है कि उनकी देखरेख ठीक से कर सके ? तेल की हमारी सम्पत्ति समुद्री थपेड़ों के बीच में सुरक्षित नहीं है।

मान्यवर, आज जो हमारे विक्रान्त और दूसरे जहाज हैं, वह बहुत पुराने पड़ गये हैं। रशिया और यू० एस० एस० आर० से हमने जो पनडुब्बियां ली हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। हमारे देश में यह कितनी बनी हैं, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं इसका भी हमें कोई संकेत दिखाई नहीं देता।

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

आज हमें नैवी और एयरफोर्स में पूरी तरह से सशक्त होना चाहिये। पनडुब्बियां भारत में बनती तो हैं, लेकिन जितनी बननी चाहियें, उतनी पनडुब्बी नहीं बनी हैं।

शस्त्रों के स्पेयर पार्ट्स के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम हथियार तो विदेशों से ले लेते हैं, लेकिन वह देश स्पेयर पार्ट्स नहीं देते जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे वह हथियार बेकार हो जाते हैं। कम-से-कम हमारे देश में स्पेयर पार्ट्स तो बनने चाहियें और इसके लिये बेस इंडस्ट्री को हमें डैवलप करना चाहिये ताकि अपने देश में बने हुए हथियारों से हम मुकाबला कर सकें।

स्टैंडर्डाइजेशन आफ वैपन्स की ओर हमें बढ़ना होगा। प्रश्न यह है कि यह स्टैंडर्डाइजेशन आफ वैपन्स क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक ही हथियार में दूसरे की एडीशन से उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। इसके लिये भी हमें ऐसी इण्डस्ट्री डैवलप करनी चाहिये ताकि हम यह कार्य कर सकें।

जैसे कि इजराइल का उदाहरण आपके सामने है, आज हमारी जो डिफैन्स है, जितने सैनिक नैवी, एयरफोर्स और आर्मी में हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितने आज वे हैं, पर्याप्त हैं। हमें सैकिंड लाइन आफ डिफेन्स की ओर सोचना चाहिये। जैसे इजराइल में पैरा मिलिटरी, एन० सी० सी०, होम-गार्ड्स वगैरह हैं, उसी तरह हमें भी करना चाहिए ताकि समय पर उनको बुलाया जा सके और मुकाबला किया जा सके।

सैनिक कल्याण के बारे में मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगी। आज जो योद्धा युद्ध में मरते हैं, उनकी विडोज को तो हम सभी प्रकार की सुविधाएं देते है, परन्तु वार एक्सरसाइज भी चलती हैं, नकली युद्ध भी चलते हैं, उसमें भी हजारों की तादाद में सैनिक और आफिसर्स मरते हैं, परन्तु उनको किसी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो योद्धा नकली युद्ध में मरते हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिये और उनकी वार-विडोज को भी फैसिलिटीज देनी चाहियें।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया इस प्रकार के युद्ध में न मरें।

सभापति महोदय : रक्षामंत्री कहते हैं कि इस प्रकार के नकली युद्धों में लोग नहीं मरा करता है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, मैं स्वयं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि मैं भी एक ऐसी सौभाग्यशाली बहिन हूं जिसका भाई इस तरह की एक्सरसाइज में मारा गया है 18 मई, 1981 को और उसकी विडो को मैंने मंत्री जी से मिलवाया था। मैं उदाहरण दे रही हूं कि मेजर विजय सिंह शक्तावत की 18 मई, 1981 को इस तरह की एक्सरसाइज में डैथ हुई है, उसकी जो विडो हैं, बच्चे हैं···

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके बैठ जायेंगे ? मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस तरह का भ्रम नहीं फैलने देना चाहता। नकली युद्धों में कोई नहीं मरता दूसरे अभ्यासों में लोग मर जाते हैं, उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। यदि इसमें कोई विलम्ब होता है तो मैं देखूंगा।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं···

सभापति महोदय : आपकी बात को उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा है कि मौक बैटिल में कोई नहीं मरता है, लेकिन अगर कोई इस एक्सरसाइज में मर जाता है तो उसके लिए कम्पैन्सेशन की व्यवस्था है।

यदि ऐसी कोई बात होती है तो वह तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रो० निर्मला कुमारी शाक्तावत : मैं यह कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय : आपकी बात को तो रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है। अब आप समाप्त करें। आपके 25 मिनट हो गये हैं, इस तरह से मैं दूसरों को नहीं बुला सकता हूं। मुझे खेद है। दूसरे लोग भी हैं। जब तक आप सहयोग नहीं देते मेरे लिये सभा की कार्यवाही चलाना बड़ा कठिन है। आप एक मिनट ज्यादा ले सकते थे।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : जो सैनिक कैन्टूनमेंट एरिया तथा बार्डर एरियाज में जाते हैं, उन सब के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल 14 प्रतिशत व्यक्तियों को मकान की सुविधा दी जाती है। जायंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को यह सुविधा देनी चाहिए।

जो सैनिक युद्ध-क्षेत्र में तैनात हैं, उनके बच्चों, स्त्रियों तथा उनकी सम्पत्ति पर भी कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश दे कि कम से कम युद्ध-क्षेत्र में तैनात सैनिकों के रेवेन्यु के मामले जल्दी से सुलझाए जाएं।

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) : कृपया अब समाप्त कीजिये। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं सैनिक स्कूलों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। 18 सैनिक स्कूल हैं। उनमें से एक मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भी है।

सभापति महोदय : आप यह लिखकर मंत्री महोदय को भेज दीजिए । श्री के० ए० राजन।

श्री हरीश रावत : कृपया उन्हें वाक्य तो समाप्त कर लेने दें ।

श्री निर्मला कुमारी शक्तावत : मुझे सेनटेंस तो पूरा करने दीजिए । इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्री के० ए० राजन् (त्रिचूर) : सभापति महोदय, जबकि हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार करना चाहिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि विश्व, दुर्भाग्य से, टकराव के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है । हम समूचेतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार करने के लिए तथा अपनी रक्षा के लिए आपके धनराशि का आवंटम रहने के लिए बाध्य हुए हैं । केवल हम पर नहीं अन्य देश भी ऐसा करने को विवश है जिन्हें अपनी निधियों का प्रयोग करना था, विकास कार्यों के लिए करना चाहिए ।

महोदय, सभी मामलों पर नजर डालते हुए यह दिखता है कि इस आधारभूत प्रश्न पर काफी मतभेद है कि वास्तव में स्थिति क्या है तथा यह विश्व में रोज रोज टकराव के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इस मामले को हल किया ही जाना है और हम आंखें बन्द करके नहीं बैठ सकते। हमारी प्रधान मन्त्री तथा हमारे रक्षा मंत्री ने हालाकि कई बार कहा है कि हमारे देश को खतरा है। मैं इस प्रतिवेदन से यह पाता हूं कि बड़ी ताकतों या महान ताकतों में प्रतिद्विद्वता का जिक्र है । निश्चय कुछ महान शक्तियां भी है। परन्तु वह महान शक्ति कौन है जो न्यूट्रोन बम के विस्फोट की बात कहती है, कौन सी शक्तियां सीमित परमाणु युद्ध की बात करती है कौनसी शक्ति पाकिस्तान तथा अन्य पडौसियों को हथियार देने की बात कहती है, कौन सी शक्ति जो भारत के चारों ओर के महाद्वीप की अस्थिर को आसरे बनाना चाहती है, और वह कौन शक्ति है जो हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डा तथा अन्य प्रकार के आधुनिक शस्त्रास्त्र जमा करना चाहती है । क्या हम इन सब की ओर से अपनी आंखें बन्द कर सकते हैं ?

महोदय, आप अच्छी प्रकार जानते हैं और यह देश भी भली प्रकार जानता है कि सोवियत संघ के नेता श्री ब्रेजनेव ने चार बार शांति प्रस्ताव पेश किये हैं ? पहले पहल उन्होंने भारतीय संसद के सदस्यों के सम्मुख यहां केन्द्रीय हाल में वे प्रस्ताव रखे थे । दूसरी बार हाल ही में सोवियत संघ में हुई 26वीं पार्टी कांग्रेस में रखे थे । फिर 19 मार्च को उन्होंने हिन्द महासागर के बारे में प्रस्ताव रखे । मैं देखता हूं कि दुर्भाग्य से दूसरी ओर से इसका कार्य प्रत्युत्तर नहीं मिला है ।

महोदय, अपनी बात समझाने और अपनी सर्व प्रशंसनीय गुट-निर्पेक्ष की नीति में परिवर्तन करने का भी एक प्रभावी तरीका है । गुट-निर्पेक्ष की नीति कोई आम नीति की तरह की नहीं है । गुट-निर्पेक्षता का सही अर्थ है साम्राज्यवाद विरोधी होना । साम्राज्यवाद-विरोध हटा देने से गुट-निर्पेक्षता के कुछ मायने नहीं रह जाते ।

अत: श्रीमन भारत आज तक बड़ा दी अर्थ पूर्ण रवैया अपनाता आया है।

हमने अपनी विदेश निति में गुट निर्पेक्षता की नीति रखी है जिसकी ब्रिटेन भर ने प्रशंसा की है। हमारे देश द्वारा अनुसरित गुट निर्पेक्षता की नीति शांति तथा प्रभात के लिए सारे विश्व द्वारा की गई आकांक्षाओं के अनुरूप है। दुर्भाग्य से हम में परिवर्तन तब आया था जब श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का दल यहाँ सत्ता में था। उसने सब सत्यानाश कर दिया। दुर्भाग्य से आज तक भी, हम ऐसे ही संकट में ग्रस्त हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इन शक्तियों को बराबर-बराबर रखने की प्रवृत्ति देख रहे हैं। निस्सन्देह सोवियत संघ एक शक्ति है। समाजवादी समुदाय एक शक्ति ही तो होता है। उस स्थिति में विश्व की जबकि इस प्रकार की समानान्तर प्रबल शक्ति विश्व में न होती तब विश्व का भाग्य क्या होता। अब आप इस बारे में कह रहे हैं। श्री ब्रेजनेव द्वारा कितने ही प्रस्ताव रखे गये हैं। उनका कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने न केवल कोई रूचि नहीं दिखाई बल्कि वह समूचे विश्व में कठिनाईयां पैदा रह रहा है। सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय टकराव के लिए उकसा रहा है। सीमित परमाणु युद्ध की बात करना बेहुदा है क्योंकि इससे समूची मानवता को संकट पैदा होगा। ये सब बातें 'पेन्टागन' (अमरीका) से निकलती हैं। यह व्यक्तिगत रूप से श्री रीगन की मनमर्जी नहीं है। मैं तो कह सकता हूं कि अमरीका के पास अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा अमरीकी साम्राज्यवाद बनाये रखने के लिए इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। जब भी विश्व में युद्ध का संकट पैदा हुआ ऐसे देशों ने जिनका सामयिक ढांचा इस प्रकार का है, हमेशा उसका हल युद्ध द्वारा ही किया। मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं। क्योंकि इन दोनों शक्तियों की बराबर तौलने की धारणा पैदा की जा रही है ताकि कोई सिद्धान्त बनाये रखा जा सके। हम तो ऐसा नहीं कह सकते। हमारा अनुभव तो यह कहता है कि हम अनेक आजमाईशों से गुजरे हैं, हमने काफी हानि उठाई है। हमें मालूम है कि उन दिनों किस शक्ति ने हमारा साथ दिया था। भारत एक ऐसा देश है जो शांति और प्रगति चाहता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने यह घोषणा की थी कि हम युद्ध नहीं चाहते है। भारत इन शक्तियों का साथी है जिन्होंने स्वयं को युद्ध के विरुद्ध बताया है तथा शांति और प्रगति की बात की है। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देना चाह रहा था। पर हालांकि रक्षा सम्बन्धी मामले में यह बात कुछ संगत न लगे।

•

अब मैं देश की वास्तविक रक्षा क्षमता के बारे में कहता हूं। हमें अपने सैनिक कर्मचारियों पर गर्व है, हमें अपनी नौसेना पर गर्व है हमें अपनी वायु सेना पर गर्व है। हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं वह चाहे जहां से आये, जिधर से भी आये। हम शान्ति की शक्ति के हिमायती हैं। मानवता हेतु शांति और प्रगति की कामना करने वाले सभी लोग हमारी ओर हैं। इसीलिए हमारी विदेश निति सफल है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है अथवा इसमें कोई ढिलाई आती है, तो वह विनाश की बात होगी, इससे देश में अर्थव्यवस्था तथा तानाशाही जन्म ले लेगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें इन शक्तियों को बराबर बराबर नहीं देखना चाहिए। दुर्भाग्य से, यह कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं रक्षा मन्त्री को सचेत कर देना चाहता हूं। एक अन्य खतरनाक प्रवृत्ति पनप रही है जो पहले इतनी व्यापक नहीं थी वह यह है, कुछ शक्तियां है, कुछ प्रवृत्तियां हैं अथवा कुछ पार्टियां है तो इस देश में काम कर रही है तो उन देश की नीतियों

[श्री के० ए० राजन]

और राजनीति की समर्थक हैं जो समुचय विश्व की शान्ति और प्रगति की आशाओं और आकांक्षाओं को कम करती है। रक्षा बजट पर इन सब बातों के सम्बन्ध में विचार करने के समय इस मुद्दे को ध्यान में रखना होगा।

एक अन्य मुद्दा है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। हमारी सेना का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है और ये सब बातें आवश्यक हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी। उचित रक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत अर्थ-व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है तभी हम विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे। औद्योगिक शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों में से एक है और अब मैं इसी के बारे में कहूंगा। जब तक हम अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको पता है महोदय, रक्षा विभाग कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चला रहा है। वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन से पता चलता है कि विशेष रूप से प्रमुख सरकारी उपक्रमों में, जो रक्षा विभाग के लिए कलपुर्जे और उपकरण बनाते हैं, हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण बहुत से जनदिवस बेकार गये। रक्षा के असैनिक पक्ष की ओर भी श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से आन्दोलन चलाये जा रहे है, महोदय, असैनिक और सैनिक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यांत्रिक या नैमित्तिक ढंग नहीं अपनाया जाना चाहिए जैसा कि अन्य विभागों द्वारा किया जाता है क्योंकि हमें नाजुक क्षेत्र से निपटना होता है और औद्योगिक सम्बन्धों के लिए एक उचित तन्त्र होना चाहिए और तत्सम्बन्धी मामलों की छानबीन के लिए कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन शक्तियों पर जोकि पोषक शक्तियां हैं और जो हमारी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक है, उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा स्थिति खराब हो जायेगी। इसीलिए मैं इस में रुचि ले रहा हूं।

वर्ष 1981 में हड़ताल करने वाले श्रमिकों का क्या हुआ ? मैं मामले के गुणदोष अथवा उसके ब्यौरे और हड़ताल के कारणों में नहीं जा रहा। खैर वह मामला निपट गया था। परन्तु दुर्भाग्यवश, यदि मैं ठीक हूं, कुछ 100 श्रमिक अब भी इस आधार पर परेशान किये जा रहें हैं कि वे हड़ताल करवाने वालों में थे। इससे स्थिति खराब होगी और श्रमिकों का मनोबल गिर जायेगा। उन समस्याओं का समाधान अभी किया जाना है और उन्हें सामान्य नैमित्तिक मामले नहीं समझा जाना चाहिए। औद्योगिक विवाद श्रमिक और प्रबन्धकों के बीच मैत्रीभाव से हल कर लिये जाने चाहिए। इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को जो समस्या को भली-भांति जानते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी रखते हैं, श्रमिकों की मनोवृत्ति को जानते है और जो रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में हैं, इन मामलों की छानबीन करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि रक्षा व्यवस्था मजबूत और कारगर हो जिससे हम राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकें।

श्री वीरभद्र सिंह (मन्डी) : सभापति महोदय, वाद-विवाद के लगभग अन्त में बोलना

काफी अलाभप्रद रहता है क्योंकि जिन बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है, वह सभा के सदस्यों द्वारा कह दी गई होती है फिर भी मैं उन बातों को दोहराने की चेष्टा न करता हुआ अपने विचार व्यक्त करूंगा।

सर्वप्रथम मैं माननीय रक्षा मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन को भारत के नये रक्षा मन्त्री का पद ग्रहण करने पर मुबारकबाद देता हूं और मैं रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री के पद पर नियुक्त श्री सिंहदेव का भी स्वागत करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। मेरे विचार में श्री वेंकटरामन एक सफल प्रशासक हैं और उन्होंने जो भी पद ग्रहण किया है उस पर अपनी छाप छोड़ी है श्री सिंहदेव अब तक सशस्त्र सेना के सक्रिय अंग रहे हैं और उनको दो युद्धों में सेना के अनुभव प्राप्त है। मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्रालय हमारी सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के लिए और देश की रक्षा के प्रिय अच्छा काम करेगा।

महोदय, इस वर्ष रक्षा बजट में पर्याप्त वृद्धि की गई है। वर्ष 1982-83 में 5100 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष में किये गये खर्च की तुलना में लगभग 600 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। हमारे निकट पड़ोस में हुई घटनाओं और विश्वव्यापी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह खर्च पूरी तरह न्यायोचित है। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम रक्षा पर अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 2-3% खर्च कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान जैसे अन्य देश अपनी राष्ट्रीय आय का 6% खर्च कर रहे हैं।

महोदय, देश की रक्षा सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि यदि देश की रक्षा के लिए और भी धनराशि मांगी गयी तो आवश्यकता पड़ने पर हम और भी धन-राशि मंजूर करने में संकोच नहीं करेंगे। इसके साथ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि यद्यपि हमें रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए धनराशि आवंटित करने में उदारता बर्तनी चाहिए, ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिए जिनसे रक्षा संगठन में निरर्थक व्यय को रोका जा सके। और सेना की कार्य कुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना यथा सम्भव खर्च करने में मितव्ययता करना चाहिए। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि सशस्त्र सेनाओं में बेकार खर्च काफी होता है और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि बेकार खर्च कम हो और यथा सम्भव इसे नहीं करना चाहिए।

महोदय, यह सन्तोष की बात है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए अपेक्षित बड़ी संख्या में शस्त्रास्त्र और उपकरण अधिक से अधिक देश में ही बनाये जा रहे हैं और मेरे विचार में इसका श्रेय हमारे स्व० प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मन्त्री श्री कृष्ण मेनन को है जिन्होंने पहल की और रक्षा उत्पादन के मामले में हमें आत्म-निर्भर बनाने के लिये देश में आवश्यक आधारभूत ढांचा निर्मित किया। मुझे पता है कि उस समय श्री कृष्ण मेनन की बहुत आलोचना की गई थी। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि उस समय उन्होंने जो कुछ किया, आज हम शस्त्रास्त्रों और रक्षा उपकरणों के मामले में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं।

[श्री वीरभद्र सिंह]

महोदय, हमारी सशस्त्र सेनाएं विश्व भर में सर्वोत्तम हैं। इस सभा के सभी पक्षों ने इस बात का उल्लेख किया है। हमें उन पर गर्व है। उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व और बाद में युद्ध के अनेक मैदानों में अपनी शक्ति को सिद्ध करके दिखाया है। वे प्रशिक्षित और अनुशासित हैं।

फिर भी रक्षा तुलनात्मक अभिव्यक्ति है। मुख्य बात यह है हमें किससे अपनी रक्षा करनी है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए हमें स्थिति पर निरन्तर नजर रखनी है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं प्रशिक्षित हो, उपकरणों से लहस हों ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले देश अथवा क्षेत्रों की चुनौती का मुकाबला कर सके।

इस संदर्भ में पाकिस्तान का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में यह बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान विदेशों से वर्षों से आधुनिकतम हथियार इकट्ठा कर रहा है। अतः यह पूछना बिल्कुल जायज है कि वह इन हथियारों का प्रयोग किस के विरुद्ध करेंगे ? हमारा अनुभव यह है कि पिछले वर्षों में जब कभी और जो भी हथियार उन्हें विदेशों से प्राप्त हुए हैं, उन सबका उपयोग हमारे देश के विरुद्ध किया गया है। इस लिए हमारा सतर्क रहना आवश्यक है और हमें हथियार प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रत्येक नये प्रस्ताव पर सन्देह की नजर से देखना चाहिए।

महोदय वायु सेना व नौसेना पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आधुनिक लड़ाई में वायु सेना को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। हमारी बड़ी लम्बी तटवर्ती सीमा होने के कारण और हिन्द महासागर में होने वाली घटनाओं के कारण, नौसेना को देश की रक्षा करने में महत्व-पूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे बहुत-प्रसन्नता है कि नौसेना के लिए नियतन में वृद्धि की गई है। परन्तु मेरे विचार में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। रक्षा के लिए कुल नियतन का यह केवल 9% है। मेरे विचार में नौसेना और वायुसेना के लिए अधिक धनराशि रखी जानी चाहिए।

महोदय, रीगन प्रशासन के पाकिस्तान को एफ-16 विमान दिये जाने सम्बन्धी निर्णय से हमारे देश में चिन्ता हो गयी है। मेरे विचार में जहां तक वायुसेना की समान स्थिति का सम्बन्ध है शक्ति संतुलन कुछ हद तक पाकिस्तान के पक्ष में हो गया है। मुझे पता है कि हमारी सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। हमने मिराज-2000 और जगुआर विमान खरीदे हैं।

महोदय छठे दशक में रूस निर्मित मिग विमान खरीदे गये थे और इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय ब्रिटेन और अमरीका ने भारत से एफ 104, 'स्टार फाइटर' और 'लाइटनिंग'

विमानों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था। वे उन देशों द्वारा बनाये जाते थे। अब भारत देश के अन्दर ही मिग-23 और मिग-21 विमान बनाने की क्षमता रखता है। शायद तर्कसंगत कार्यवाही तो यह होती कि मिग-25, मिग-29 और मिग-31 जैसे भविष्य में आने वाले रूसी लड़ाकू विमानों का सौदा किया जाता। मिग-31 का इस समय विकास किया जा रहा है और उसका परीक्षण किया जा रहा है और वह 1980 से 1989 तक की अवधि में किसी समय प्रयोग में आयेगा।

मिग-31 अमरीकी ए-16 के मुकाबले का है। मिराज-2000 जिसके बारे में हम इस समय बातचीत कर रहे हैं वह 1983 में किसी समय फ्रांस की हवाई सेना के साथ जुड़ जाएगा। यह कम्पनी फ्रांस की हवाई सेना के लिए लगभग 137 विमानों का प्रबन्ध करने के बाद हमारी मांग पूरी करेगी। हम जल्दी से जल्दी 1984 तक ही मिराज विमान प्राप्त कर सकेंगे। उस समय तक पाकिस्तान 40 एफ-16 और 107 मिराज-3 तथा मिराज-5 विमान प्राप्त कर लेगा जो भारतीय प्रतिष्ठापनों को भारी क्षति पहुंचाने में समर्थ होगा।

इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। मिराज-2000 विमान जिसे हम फ्रांस से प्राप्त कर रहे हैं उसका मूल्य हमें लगभग साढ़े तीन करोड़ डालर प्रति विमान पड़ेगा, जो लगभग 28 करोड़ रु० होता है जबकि यदि हम भविष्य में आने वाले रूसी लड़ाकू विमानों का सौदा करते तो वह हमें पर्याप्त सस्ती दर पर अर्थात् लगभग 18 करोड़ रु० प्रति विमान पड़ता। हमें रुपये में भुगतान करने का भी लाभ प्राप्त होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एफ-16 का मूल्य 12 करोड़ रु० है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नीति संबंधी मामले की चर्चा करें, इतने अधिक विस्तार में न जायें।

श्री वीरभद्र सिंह : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। मुझे विश्वास है कि अपनी हवाई सेना द्वारा अपेक्षित विमान हम प्राप्त कर लेंगे ताकि पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम विमान प्राप्त कर उसके द्वारा थोपी गई चुनौती का मुकाबला किया जा सके।

अब भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में चर्चा की जाए। इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे सैनिक और हमारे अधिकारी अपेक्षाकृत कम आयु में ही सेवा निवृत हो जाते हैं; जबकि उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और वे आगे भी अनेक वर्षों तक उपयोगी सेवा प्रदान कर सकते हैं। मेरे विचार से उनकी सेवाओं का सही उपयोग करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए; उन्हें सेना जैसे ही बलों में और सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि इन बहुत अनुशासित तथा प्रेरित व्यक्तियों का उपयोग देश के हित में किया जा सके।

[श्री वीरभद्र सिंह]

पेंशन में असमानता समाप्त करने के बारे भी उल्लेख किया जा चुका है। अभी वाद-विवाद में भाग लेते हुए उपमंत्री ने कहा कि असमानतायें दूर नहीं की जा सकीं। कुछ असमानतायें बराबर बनी रहेंगी। मुझे विश्वास है कि उनके उत्तर से अनेक भूतपूर्व सैनिकों को निराशा होगी जो इन असमानताओं के कारण बहुत पीड़ित हैं। संसद की प्राक्कलन समिति ने भी इस मामले की जांच की है तथा उसने यह सिफारिश की कि इन असमानताओं को समाप्त किया जाये और सभी संवर्ग के पेन्शन भोगियों को समान आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाए। इस मामले का सम्बन्ध केवल धन से नहीं है अपितु हमारे उन भूतपूर्व सैनिकों के मान से भी है जिन्हें अपने जैसे अन्य साथियों से कम पेंशन मिल रही है।

अब सेवारत अधिकारियों और जवानों की सुख-सुविधा की चर्चा की जाये। महोदय, हमारी सशस्त्र सेना के सिपाही, अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऊंचे वेतनमानों तथा बेहतर सेवा शर्तों के लिये आन्दोलन नहीं कर सकते। उनके वेतनों, परिलब्धियों और सेवा शर्तों की बराबर पुनरीक्षा की जानी चाहिये। मुझे मालूम है कि सरकार उन्हें सभी सम्भव सुविधायें प्रदान करने तथा उनकी परिलब्धियां बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। जैसा किसी ने उल्लेख किया था, मैं समझता हूं कि अन्तिम बार उनके वेतनमान 1972 में संशोधित किये गये थे। अब इस ओर ध्यान देने का समय आ गया है और हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जो व्यक्ति हमारी रक्षा, हमारी आजादी के प्रहरी है वे अपने वास्तविक हक से वंचित न रह जायें।

नई सरकार की नई भर्ती नीति के सम्बन्ध के पुनः चर्चा की गई थी और उसका उत्तर माननीय उपमन्त्री ने दे दिया है। इससे पूर्व सशस्त्र सेना में भर्ती के लिये कोई कोटा प्रणाली नहीं थी। परपम्परागत रूप से कुछ क्षेत्रों से लोग भर्ती कर लिये जाते थे। किन्तु अब कोटा प्रणाली लागू करने से इन लोगों को नुकसान पहुंचा है। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं। हिमाचल प्रदेश के अनेक भागों में लोग परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सशस्त्र सेना में भर्ती होते रहे हैं। किन्तु अब कोटा प्रणाली के लागू होने से जो लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना चाहते हैं और जिन लोगों ने सशस्त्र सेना में अपना विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है; वे न केवल जीविका से वंचित किये जा रहे है अपितु अपनी परम्परागत व्यवसाय से वंचित किये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले की पुनरीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये लोग सशस्त्र सेना में भर्ती होने के अपने अधिकार से वंचित न रह जायें। इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मन्त्रालय की की अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं। सभी माननीय सदस्यों ने रक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव रखे हैं और खामियां भी बतायी हैं। लेकिन इस राय से सभी एक थे कि हमारी सुरक्षा पर कम खर्च हो रहा है। सारी दुनिया के मुल्कों से सबसे कम खर्चा अपनी आय का हमारी सेनाओं पर होता है। इसलिए सुरक्षा पर खर्चा बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, हम जानते हैं कि हमारी फौज दुनिया में किसी से दूसरे नम्बर पर नहीं है। हमारी फौज नम्बर एक की फौज है। लेकिन हमारी फौज को जितनी सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। हमारी नौसेना और वायु सेना को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इस बात पर सभी लोगों ने जोर दिया है। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम अपने को पूरी तरह सुरक्षित नहीं पा सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी सेनाओं का खर्चा बढ़ाया जाना चाहिए और जितनी उनकी जरूरतें हैं वे उनको मुहैया की जानी चाहिएं।

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं प्वांएटवाइज ही कहूंगा। हमने अपनी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज फैलायी है, यह हमने अच्छा किया। वे हमारी फौज के लिए सामान तैयार कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं है। हम दिन प्रति दिन तरक्की करते जा रहे हैं। जब से हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुआ है तब से हमारी सेनाएं बढ़ीं हैं, हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्रियों ने भी तरक्की की है। इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन आज जिस माहौल और दुनिया में हम रह रहे हैं, हमारी एन० सी० सी०, टेरीटोरियल आर्मी, हमारी जो पैरा मिलिट्री है, उस सब की तरफ भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनियां में हथियारों की होड़ लगी हुई है। दूनिया में मुल्क अपनी-अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। समुद्री शक्ति बढ़ा रहे हैं और दूसरी शक्ति बढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया में युद्ध का वातावरण तेजी से बनता जा रहा हैं। हमारे शत्रु भी अपनी-अपनी थल और समुद्री सेना को बढ़ा रहे हैं। इससे हमारी सेना खतरे में पड़ती है। हमारी समुद्री रक्षा भी खतरे में है। आशा है कि रक्षा मंत्रालय हमारी नौसेना पर विशेष ध्यान देगा।

पाकिस्तान हमारा दोस्त है। पाकिस्तान से हम दोस्ती चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ने हमारे चालीस वार प्रिजनर वापिस किए हैं, काश्मीर का राग अलापना बन्द किया है? पड़ोसी देश चीन ने हमारी जमीन को हथिया लिया है। क्या उसने वह वापिस की है? ये क्या चाहते हैं यह समय बताएगा। हम आज भी उनके साथ दोस्ती चाहते हैं पहले भी चाहते थे। हमारी सरकार ने कौशिश की कि शान्तिमय ढंग से मसले हल हों। लेकिन उनकी तरफ से अनुकूल उत्तर नहीं मिला।

हमारी फौज लड़ाई के समय देश की रक्षा करती है। जब कभी वह दूसरे मुल्कों की जमीन पर कब्जा कर लेती है तो लोगों की बड़ी सेवा करती है। लोग उसकी इस सेवा की सराहना भी करते हैं। अपने देश की सीमाओं की हमारी फौज ने आज तक जिस तरह से रक्षा की है उसकी मैं सराहना करता हूं। उसके लिए फौज बधाई की पात्र है। विदेशी हमले का उसने हमेशा ही डटकर मुकाबला किया है। अन्दरूनी जब आफत आई है, बाढ़, सूखा पड़ा है या और कोई आपदा आई है तो वहां के सामान पहुंचाने में उसने जो प्रशंसनीय कार्य किया है, लोगों की सेवा की है, उसके लिए भी वह बधाई की पात्र है। हर साल करीब सत्तर हजार फौजी भाई पैंशन

[श्री टी० एस० नेगी]

पाते हैं। सरकार उनकी मुकम्मिल व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई है। पंचवर्षीय योजनाओं में, छठी योजना में आप कहते हैं कि बेरोजगारी को खत्म कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो सत्तर हजार ट्रेंड आदमी हैं, जो काबिल आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं उनको क्यों नहीं सरकार सब जगह लगाती है, और उन्हें विभिन्न कार्यों में क्यों नहीं लगातीं है। पेड़ लगाने होते है, बाढ़ नियन्त्रण की योजनाएँ बनती हैं इन सब जगहों पर उनको काम पर लगाया जा सकता है।

जो साज सामान विदेशों से खरीदा जाता है, जो सैनिक साज सामान खरीदा जाता है उसमें मैं चाहता हूं कि फौजी भाइयों की सलाह ली जाए और उनकी राय लेकर ही सामान खरीदा जाए। उसमें राजनीतिक इन्टरफीयरेंस नहीं होना चाहिए। पनडुब्बियों के बारे में बड़ी चर्चा चली है। उम्दा और कम कीमत की न खरीद करके महंगी और निकम्मी खरीदी गई है। ऐसा क्यों किया गया है ?

हमारे देश में केंटोनमेंट एरियाज हैं। उनमें सिविल एरियाज भी है। उन सिविल एरियाज में लोगों को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां सड़कें ठीक नहीं हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए। उनको फौजी एरियाज से अलग किया जा सकता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं। चकराता एक सिविल एरिया है। उन लोगों की बहुत सालों से मांग है कि उनका सिविल एरिया अलग हो। वहां लोगों को सुविधायें नहीं मिल रही हैं। उन लोगों की देख रेख नहीं होती है। न तो उनको अलग करते हैं और न ही उनको सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं। कालसी और चकराता के बीच बीस मील की एक मीटर सड़क है। वह मिलिटरी के कब्जे में है। आज तक वहां डबल वे ट्रेफिक नहीं हुआ है। इतने साल आजाद हुए हम को हो गए हैं। और कितनी ही सड़कें हैं—जहां डबल वे ट्रैफिक हो गया है। लेकिन यहां नहीं हुआ है। ऐसा क्यों ? जल्दी से यहां डबल वे ट्रैफिक किया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि हमारे फौजी भाइयों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। यह सही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनको राजनीति में धकेला नहीं जाना चाहिए। गढ़वाल चुनाव के समय यही हुआ है। मिलिट्री के हैलीकाप्टर,···छः छः हैलीकाप्टर वहां घूमे हैं पर फौजी अफसरों को भेजा गया है उनको चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए। यह बड़ी शौचनीय बात है। देहरादून में हम जानते हैं उनको भेजा गया। मैं यह भी जानता हूं कि अफसरों पर इस बात का गलत असर हुआ है। क्यों उनको भेजा गया यह मैं नहीं समझ सका हूं।

फौज को मजबूत किया जाए, आधुनिक हथियारों से उनको लैस किया जाए, सुसज्जित आधुनिक हथियारों से किया जाए। साधु सन्त बनने से मुल्क का काम नहीं बनेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इस काबिल बनाया जाना चाहिये कि

[श्री टी० एस० नेगी]

वे ऐसा कर सकें। कमजोरों के लिए यह दुनिया नहीं है। कमजोर हुए तो कोई भी हमें दबा सकता है, मार सकता है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मैं रक्षा मन्त्री तथा फौज में काम करने वाले जवानों को धन्यवाद देता हूं मेरे साथी चले गए हैं। उन्होंने डिप्लोमेसी की बात की। जनता रजीम में क्या हुआ यह आप न पूछें। न वे पड़ौसी देशों को विश्वास में ले सके और न अपनी पार्टियों के अन्दर ही विश्वास पैदा कर सके और बिखर गए। यह उनका इतिहास है। कैसे वे डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं ?

अमरीका एक साम्राज्यवादी शक्ति है। दुनिया के लोगों को वह भयभीत करना चाहता है। वह मिसाइल तैयार कर रहा है। ऐसे मिसाइल वह तैयार कर रहा है जो चार हजार किलोमीटर पर आवर में 1983 में तीन घंटे में पूरे यूरोप को खत्म कर दे और छः घंटे में पूरे एशिया को खत्म कर दे। ऐसी शक्तियों की और ऐसे कामों की हमको भर्त्सना करनी चाहिये। रीगन प्रशासन को आप देखें। उस देश के अन्दर जहां बेरोजगारी पहले नौ परसेंट थी आज वह बढ़कर 21 परसेंट हो गई है। इस प्रकार के रासायनिक हथियार बना करके वह दूसरे देशों में झगड़ा करवाना चाहता है। इसकी हमको भर्त्सना करनी चाहिये।

पाकिस्तान में हमेशा तानाशाही शासन रहा है। वहां वे चुनाव कराना नहीं चाहते। अय्यूब खां नहीं कराना चाहते थे, याहिया खां नहीं कराना चाहते थे। 1965 हो या 1971 पाकिस्तान की जनता ने कभी भारत से लड़ना नहीं चाहा। वह चाहती है कि उनके मुल्क में चुनाव हों। वह शान्ति से जिन्दा रहना चाहती है। लेकिन वहां के तानाशाह जान बूझकर झगड़ा करवाना चाहते हैं। हमारे देश के आसपास के देशों में तानाशाही के बादल मंडरा रहे हैं और तानाशाहियां कायम हो रही हैं। महात्मा गांधी और जवाहर लाल जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम शान्ति से रहना चाहते हैं, जिन्दा रहो और दूसरों को जिन्दा रहने दो, यह हमारा नारा है। लेकिन हो क्या रहा है। हम बारूद के ढेर पर आज खड़े हैं। कभी भी विस्फोट हो सकता है। किस वक्त ध्वंस हो जाए, पता नहीं। हमारी फौज पर हमें गर्व है। उसने हमेशा ही हिम्मत से काम लिया। जब-जब लड़ाई हुई है उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आज सामने आ रहा है। हमने विकाशसील देशों का सम्मेलन किया है। हमारे बीच एकता बढ़ रही है। दुनिया के जो छोटे-छोटे देश हैं। वे हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां इसको पसन्द नहीं करतीं। एटम बम बनाकर देश की रक्षा हो सकती तो आपको एटम बम भी बनाना चाहिये। सत्तर करोड़ लोगों के देश की रक्षा करने के लिए जो भी बनाना आवश्यक हो, आप बनाएं। मैं वित्त मंत्रालय से भी कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हमारे देश के लोगों के ऊपर आँच न आने पाए और ऐसे हथियार बनाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता हो, दिया जाना चाहिये।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

मैं यह भी चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों को भरती किया जाए। वीकर सैक्शंज के लोगों को भरती किया जाए। मैं आदिवासी हूं। हममें एक भील जाति है। इतिहास बताता है कि भीलों ने महाराणा प्रताप से मिल कर लड़ाइयां लड़ीं और हमेशा विजय प्राप्त की। एकलव्य का किस्सा आपको मालूम ही है। गुरू द्रोणाचार्य ने उनको तीर चलाना सिखाने से मना कर दिया था। उसने उनका बुत बनाकर तीर चलाना सीखा और परीक्षा जब उसकी ली गई तो खुद का अंगूठा उसने काट दिया। ऐसे लोगों को आप भरती करें, ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग दें। उनके लिए स्कूल खोलें। जो पिछड़े हुए लोग हैं, वीकर सैक्शंज के लोग हैं उनकी वफादारी देश के प्रति निर्विवाद है। उनको काम करने का मौका आप दें। इससे उनको ऊपर उठने का मौका भी मिलेगा और देश की रक्षा व्यवस्था मजबूत भी होगी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अन्दर एक सैनिक स्कूल है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मांडोगढ़ स्थान है जो एक ऐतिहासिक शहर है अगर वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हो या मिलिटरी स्कूल खोल दिया जाय तो उस क्षेत्र के हरिजनों और आदिवासियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है और पास में ही यहां का मशहूर ट्रेनिंग सेंटर है जहां उनको ऐडवान्स्ड ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेरी मांग है कि उस इलाके के आदिवासियों को इन स्कूलों में भर्ती किया जाए और ट्रेनिंग दी जाए तो वह देश की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं।

इसी तरह से आर्मी केन्टोनमेंट बोर्ड ऐक्ट 1924 का बना हुआ है। इस बोर्ड के मेम्बरों को कोई अधिकार नहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों को अधिकार होते हैं उसी तरह केन्टोनमेंट बोर्ड के सदस्यों को भी अधिकार मिलने चाहिये जिससे वहां की जनता की सेवा कर सकें।

हमारी प्रधान मन्त्री और रक्षा मन्त्री की जो नीति है आज उस नीति की दुनिया तारीफ कर रही है। मैं रक्षा मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि फोज में काम करने वाले जवानों की जो वाजिबें मांगें हैं उनकों आप पूरा करें। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने देश को "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था और दोनों ने ही देश की उन्नति के लिए सदा आगे बढ़ कर काम किया। किसानों ने 130 मिलियन टन अनाज पैदा किया, और जवानों ने जरूरत के वक्त देश सेवा की। यह दोनों ही हमारे देश के लिए गौरव के विषय हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन समय बढ़ाना चाहता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी चार सदस्यों को और बोलना है प्रत्येक सदस्य पांच मिनट से अधिक न ले। इस प्रकार सदन सायं 7.20 तक बैठेगा।

श्री सी० चिन्नास्वामी (गोविचेट्टिपलयम्) : उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कड़घम की ओर से मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। रक्षा मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों

के सम्बन्ध में मैं कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा।

रक्षा बजट 5000 करोड़ रु० की सीमा से भी अधिक बढ़ गया है। आज रक्षा, निश्चित रूप से एक 'पवित्र गाय' के समान है किन्तु आने वाले समय में यह ऐसी नहीं रह सकती। सरकार को रक्षा बजट के साधनों की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

रक्षा अनुदानों का भारी अंश तो सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन और भत्तों में निकल जाता है। इसलिए सरकार को शस्त्र सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बजाय और अधिक अधुनिकतम तथा अद्यतन हथियारों को प्राप्त करने के बारे में विचार करना चाहिये। ऐसा करने से बेहतर तैयारी भी सुनिश्चित होगी। सरकार को एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में विचार करना चाहिए जिसमें रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय के सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होंगे जो सशस्त्र सेनाओं के तीन विंगों द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय प्रस्तावों की जांच करेंगे। यह समिति प्रभावशाली ढंग से ऐसे व्यर्थ में खर्चों को रोक सकेगी जो सशस्त्र सेनाओं की नैतिकता और प्रचालन आवश्यकताओं के नाम पर व्यय किया जाता है।

सेना के जवानों और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की लगातार यह शिकायत रही है कि सेना के वर्तमान संघर्ष पुनरीक्षा से केवल अधिकारियों को लाभ हुआ है और सेना केवल जनरलों की सेना हो गई है। बार-बार यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जवानों और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उचित न्याय नहीं मिला रहा है और सेना में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। कोर्ट मार्शल द्वारा जवानों तथा अन्य संवर्ग के कर्मचारियों को परेशान किया जाता है और दण्डित किया जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व ऐसी अनेक घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। यह टिप्पणी दी गई है कि कोर्ट मार्शल का दण्ड देने वाले अधिकारियों को कानून और न्याय की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है और कमान अधिकारियों द्वारा उन्हें न्यायाधीश के बतौर नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बजाय, सरकार को स्थायी सेना न्यायालय की नियुक्ति करनी चाहिए और न्यायाधीश उच्च न्यायालयों से लेने चाहिए तथा सेना मुख्यालयों के अधीन न रहकर यह विधि मंत्रालय के अधीन कार्य करे।

जवान और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो लड़ाई के मोर्चे में वास्तविक लड़ाकू बल होते हैं, की संवर्ग संरचना और सेवाशर्तों की पुनरीक्षा करने की भी आवश्यकता है। सरकार को उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इन संवर्गों में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में भी कुछ छूट होनी चाहिए।

रक्षा निरीक्षण संगठन, जो रक्षा मंत्रालय का एक सिविल संगठन है के बारे में यह है कि शायद सरकारी संगठन में आज यह सबसे अधिक असंगठित संगठन है। इस संगठन में लगभग 26000 सिविल कर्मचारी और 800 सिविल अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद इस संगठन में कोई सेवा नियम नहीं है और यह तदर्थ नियुक्तियों पर आधारित है। इसके परिणाम स्वरूप इस संगठन में नियुक्त सिविल कर्मचारियों और सेना अधिकारियों में वैमनस्य पैदा हो गया है। इस खलबली में इस संगठन का कार्य ही विस्मृत हो गया है।

[श्री सी० चिन्ना स्वामी]

निरीक्षण संगठन की मौजूदा स्थिति के लिए मंत्रालय के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस संगठन में बड़े पैमाने पर सेना अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आमतौर पर गलत सोचा जाता है इस संगठन का कार्य सैनिक बलों के प्रयोग में आने वाले उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना नहीं है। उपकरणों और अतिरिक्त पुर्जों की उपयुक्तता का कार्य निर्माण-आरेखनों और विनिर्देशनों के साथ पहले से जोड़ दिया गया है। निरीक्षण महानिदेशालय केवल इस बात की जांच करता है कि ये उपकरण अपेक्षित तकनीकी मामलों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

ऐसी स्थिति में सेना का अनुभव अथवा यो कहिये प्रयोक्ता का अनुभव कैसे हो सकता है जैसा आमतौर पर कह दिया जाता है कि वास्तव में तदनुरूप और लाभप्रद है ?

निरीक्षण महानिदेशालय जिसे 'परमानेंट सैकण्डमेंट' कहता है, वही सैनिक नियमों की एक प्रवंचन है। जिस पर युद्ध का कोई दायित्व न हो वह सैनिक अधिकारी कैसे हो सकता है। जिस अधिकारी पर सैनिक नियम और अधिनियम लागू नहीं होते उसे सैनिक अधिकारी कैसे कहा जा सकता है। मेरे विचार से सैनिक नियमों की इस प्रकार की अवहेलना को सेना मुख्यालयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि यह सिविल प्रतिष्ठानों में सैनिक अधिकारियों को अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर प्रदान करता है। सैनिक सेवा के हित में सेना को इसके अतिलंघन को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। निरीक्षण महानिदेशालय में सिविल वैज्ञानिकों तथा अनेकों संसद सदस्यों द्वारा इस संगठन में सेवा नियम बनाने अथवा दोनों का कोटा निर्धारित करने की बार-बार मांग की जाती रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में जो रक्षा विभाग की मांगें प्रस्तुत की हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही यह भी अपेक्षा करता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए इन मांगों को सदन में लाया गया है उसकी पूर्ति के लिये देश के हित में हम और आगे बढ़कर इन मांगों का समर्थन करते हुए अधिक तादाद में द्रव्य के साथ इन्हें पास कर सकेंगे।

हम डेवलप्ड कंट्री के लोग कभी भी यह नहीं चाहते कि रक्षा के ऊपर हम इतना व्यय करें, उस व्यय को हम अपने उत्पादन और विकास के क्षेत्र में लगायें, लेकिन हालात प्रत्येक देश को मजबूर करते हैं और इन हालात को पैदा करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राष्ट्र में आत्मविश्वास का और आपसी सहयोग का भाव

है । इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदेह और भय का वातावरण व्याप्त है। इस सब को समाप्त करने के लिये, जैसा मेरे दल के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आणविक शक्ति का विकास करना चाहिये, उसको जन्म देना चाहिये या इस तरह के हथियार तैयार करने चाहियें । मैं समझता हूं कि यह उसका हल नहीं है । जिस हालात को हम दूर करना चाहते हैं, जिस आत्मविश्वास, सहयोग और सद्भावना को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं, वह सद्भावना सहयोग, आत्मविश्वास और आत्म-रक्षा केवल हथियारों के बल पर नहीं बढ़ा सकते । यह हमारी सदैव की नीति है, केवल आज की नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान में परम्परागत नीति है । यह नीति वह है जिसको हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू ने जन्म से इस नीति को अपनाया है, स्वीकार किया है ।

अगर हम किसी राष्ट्र के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वह हमारा मित्र हो तो हमें कुछ नीतियों पर चलना होगा । उनमें सबसे पहले हमारी नीति पंचशील की है । हमारी नीति है कि हम दूसरे राष्ट्र के निजी मामले में हस्तक्षेप न करें, किसी पर आक्रमण न करें, हमारी नीति है कि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें । लेकिन इसके बावजूद यदि कोई राष्ट्र उसके विपरीत काम करता है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा का ध्यान न रखें ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने, जिनमें सी० पी० आई० (एम०) और जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, कहा है कि हमने विश्व में अमित्र पैदा किए हैं, मित्रता पैदा नहीं की है, हमने कुछ राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता को अधिक प्रगाढ़ता दी है, जिससे दूसरे राष्ट्र हमारे अमित्र हो गए हैं । मैं समझता हूं कि उनमें आत्म-विश्वास और नीति का अभाव है, जिसके कारण वे इस प्रकार की कल्पना करते हैं । क्या यह सही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट किया, जिसके अन्तर्गत दोनों देशों ने आपसी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का फैसला किया ? जहां तक नो-वार पैक्ट के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे । क्या इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सामरिक नीति पर पुनर्विचार किया है ? वह एफ-16 विमान खरीदने पर क्यों तुला हुआ है ? क्या पाकिस्तान का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि उसने भय, आशंका और अविश्वास का जो वातावरण पैदा किया है, वह उसको दूर करे ? इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वह यह घोषणा करे कि जिस प्रकार के हथियार वह खरीदने जा रहा है, वह उन्हें नहीं खरीदेगा ।

हिन्दुस्तान ने स्पष्ट कहा है कि हम संसार में न्युक्लियर वैपन्स का डिस-आर्मामेंट चाहते हैं । इसलिए हम आणविक हथियार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान ने न्युक्लियर और टोटल डिस-आर्मामेंट की बात कही है । मुझे खुशी है कि रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव ने भी यही बात कही है । लेकिन साम्राज्यवादी शक्तियाँ, इम्पीरियलिस्ट फोर्सिज, इसको स्वीकार नहीं कर सकतीं और वे कोई न कोई बहाना बना कर इस प्रस्ताव को ठुकराना

[श्री राम सिंह यादव]

चाहती हैं। क्या पाकिस्तान भी इस प्रकार के वातावरण को पैदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है?

हालांकि इम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद, खत्म हो गया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो विस्तारवाद की नीति पर चल रही हैं। उनकी विस्तारवाद की नीति केवल स्थल पर ही नहीं, बल्कि समुद्र पर भी लागू की जा रही है। वे शक्तियां चाहती हैं कि समुद्र के क्षेत्र पर हमारा एकाधिपत्य हो, उस पर हमारी मोनोपली हो। आपने देखा है कि एन्टार्कटिका में हमारे सांइंटिस्ट्स की जो एक्सपीडीशन गई, उसके बारे में क्या कल्पनाएं की गईं और क्या विचार प्रकट किए गए। कुछ शक्तियां पूरे ग्लोब पर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती हैं। इस बारे में प्रधान मंत्री ने लंदन में कहा है :—मैं 23 मार्च, 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' से उद्धृत करता हूं :

> "बड़ी शक्तियों की आलोचना करते हुए प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी ने कहा : "उन्होंने संसार के प्रत्येक भाग को अपना ही समझा हैं। उपनिवेशवाद तो समाप्त हो गया है परन्तु शासन करने और प्रभावित करने की इच्छा इस तरह की है जो देश के लोगों के हित में नहीं हो सकती है।"

हिन्दुस्तान के सामने सबसे पहला प्रश्न हिन्दमहासागर का है। हिन्द महासागर में अमरीका ने नैवल बेस कायम किए हैं और वहां पर अपने मिसाइल्ज का कानसेन्ट्रेशन किया है। इससे केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सभी तटवर्ती देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया है, जिसके बारे में हमारे देश को बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

हमारे माननीय सदस्य अभी नान-एलाइनमेंट की नीति की आलोचना कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी राष्ट्र अपनी फिलासफी, नीति और सिद्धान्त के बल पर ही मजबूत होता है। हिन्दुस्तान आज इसी लिए सशक्त है कि हमारी एक फिलासफी है, एट नीति है, जिस पर हम सिनसेरिटी और ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं और उसी के आधार पर दूसरे देशों, खासकर पड़ौसी देशों, के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। चाहे बांडुंग कांफ्रेंसेज हो या दूसरी कांफ्रेन्सेज हों, सभी में हमने यह संदेश दिया है और आज हम श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश में ही नहीं, एशिया में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में संदेश दिया है—वह संदेश है कोएग्जिस्टेन्स का, संदेश है अमन के साथ रहने का। आज दुनिया इस बात को समझने लगी है कि हिन्दुस्तान जो सन्देश दे रहा है वह इस तरह का है जो पैनेसिया है, सारे विश्व के लिए रामबाण औषधि है, जिसके इस्तेमाल से ही सारे विश्व का सर्वाइवल हो सकता है। विश्व के सर्वाईवल के लिए हमारी नीतियां ही कामयाब हो सकती है।

अन्त में रक्षा विभाग से सम्बन्धित जो अनुदान की मांगें यहां पर प्रस्तुत की गई है उनका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जवाब डिप्टी स्पीकर साहब, डिफेन्स मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स पर बहुत सारे मोअज्जिज मेम्बरान ने यहां पर खुसुसी तौर पर दो या तीन बातें कहीं हैं···(**व्यवधान**)

जब लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ तब मार खाने के लिए हम होते हैं और और जब पीस होती है तब** हाथों हाथों मार खानी पड़ती है। कम से कम यहां पर तो आप हमें न मारिए और हमें बोलने दीजिए।

यहां पर जो डिमाण्ड्स पेश हैं उनको सपोर्ट करते हुए मैं चन्द बातें ही कहना चाहता हूं। आपको पता ही है कि हमारे सब-कांटीनेन्ट में क्या हो रहा है। हमारा मुल्क चारों तरफ से घिरा हुआ है। खुसुली तौर पर तीन तरफ के लिए कहा गया गया है और पासवान जी की तरफ से यह इशारा भी आया कि श्रीलंका में अमेरिकन वेस बन रही है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, पिछले दिनों मैंने पेपर में भी पढ़ा है कि ऐक अमेरिकन कम्पनी बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पेट्रोलियम प्राडक्ट्स को स्टोर कर रही है। जब उनसे यह पूछा गया कि आप यह किस लिए कर रहे हैं तो उन्होंने कहा यह इन्तजाम मर्चेन्ट शिप्स के लिए है। लेकिन वहां पर जितनी बड़ी तादाद में तेल का स्टाक है उस लिहाज से तो उस एरिया में उतने मर्चेन्ट शिप्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसा अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कोई न कोई राज है। यह भी कहा जाता है कि इस कम्पनी का सी० आई०ए० के साथ बहुत क्लोज लिंक है। इसलिए मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस कांटेक्स्ट में नेवी को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है और इसको मैं सपोर्ट करता हूं।

हमारे अण्डमान निकोबार के बारे में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने कहा है, उसमें मैं यह ऐड करना चाहता हूं कि यहां परे बहुत से छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं और कल को हो सकता है कोई फारेन पावर, जैसा अमरीका, किसी आइलैंड पर आकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे ? उसी तरह से चाहना आकर अक्साईचिन में बैठ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी नेवी का स्ट्रेंथेन करने की बहुत सख्त जरूरत है। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी कुछ रिप्लेसपेन्ट हो सकता है, चाहे शिप्स हों गन्स हों या दूसरे वीपन्स हों, एयरक्राफ्ट केरियर हों, मैं समझता हूं उसकी तरफ तवज्जह देने की खास जरूरत है। नेवी को स्ट्रेन्थेन किया जाना चाहिए।

यहां पर एअरपोर्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। एफ-16 के बारे में भी कहा गया है। मेरे पास एक-दो छोटे-छोटे प्वाइन्ट्स हैं वह आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जैसाकि राजेश पाइलट जी ने भी कहा है, जो

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० नामग्याल]

ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं उनमें खुसूसी तौर पर कुछ ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली रिप्लेस करने की जरूरत है। आप को ज्यादा देर तक हमारी दो प्रेशस लाइन्ज हैं उनको खत्म नहीं करना चाहिए। मेरी यह गुजारिश है कि आप इस तरफ तवज्जह देंगे।

जहां तक पाकिस्तान के खतरे की बात है, वह आर्म्ज एण्ड एम्यूनीशन्ज हासिल कर रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इण्डिया के पास इतनी बड़ी आर्मी है और पाकिस्तान के पास कितनी है। लेकिन वे यह नहीं समझते हैं कि हमारी कोस्टल-लाइन बहुत लम्बी है और उसको हमें गार्ड करने की जरूरत है। 1971 से पहले पाकिस्तान के पास दो फ्रण्ट बार्डर थे, लेकिन अब उनके पास एक है और सब वेपन्ज एक ही जगह से उसको कन्सेन्ट्रेट करने हैं, लिहाजा हमारे लिए यह बहुत ही खतरे की बात बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो आर्म्ज ले रहा है वह अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहा है क्योंकि उसको अफगानिस्तान की तरफ से खतरा हो रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़े सोफेस्टिकेटेड शिप्स, सब-मैरीन्ज, मिसाइलाज्ड खरीद रहा है तो ये कहाँ तक अफगानिस्तान के बार्डर पर इस्तेमाल होंगे ? उसकी नजर अफगानिस्तान की तरफ नहीं है, बल्कि हमारी तरफ है। लिहाजा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

कुछ बातें मैं आर्मी के बारे में कहना चाहता हूं—खुसूसी तौर पर मैं उस केत्र से ताल्लुक रखता हूं जहां पर 1947 से लेकर आज तक चार जंगें लड़ी गई। वे बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं इसलिए आप को कम्यूनिकेशन सिस्टम जो स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है। मिसाल के तौर लद्दाख सैक्टर है—इस वक्त श्रीनगर के रास्ते के सिवाय विन्टर में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त सप्लाई का वक्त आता है उस वक्त आप के पास सिर्फ एक रोड है—श्रीनगर-लेह। आपको याद होगा, आज से दो साल पहले श्रीनगर में किसी ट्रक और टैम्पों के एक्सीडेंट का बहाना करके आपका काम्यूनिकेशन सिस्टम और सप्लाई सिस्टम 12-13 दिन तक बन्द रहा। किसी गाड़ी को चलने नहीं दिया गया। आप को नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर क्या-क्या एलीमेंट बैठे हुए हैं।** गुण्डों ने क्या-क्या नहीं किया। उनको आपको याद रखना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि आपके पास आल्टरनेटिव रोड, लेह मनाली रोड हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया काश्मीर के मुख्य मंत्री का नाम न लें। (व्यवधान)

श्री वीरभद्र सिंह : उन्होंने मुख्य मंत्री का उल्लेख मात्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कार्यवाही वृतान्त का अध्ययन करूँगा।

श्री पी० नामग्याल : मैं तो केवल तथ्य ही सभा के समक्ष लाया हूं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं काम्यूनिकेशन की बात कर रहा हूं। लेह-मनाली रोड बनी हुई है, जोकि बुरा-रोड के पास है। मैं समझता हूं कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। वह रोड शत्रु के शैलिंग रेंज में है। हालाकि पहले की तरह पोजीशन नहीं है; लेकिन आज भी वह इन्डायेरेक्टली रेंज में है और वह सेफ नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको उसे अपग्रेड करना चाहिए। हम यह नहीं कहते है कि एक साल या दो साल में करना चाहिए, आप इसको बाई-फेज मैनर में कीजिए। आहिस्ता-आहिस्ता कीजिए, चाहे एक साल में 15 या 20 किलोमीटर कीजिए, कभी-न-कभी तो बन जायेगी। हमेशा आपको इस सड़क की जरूरत पड़ेगी और इसे टूरिस्टस के लिए भी खोल दिया जाना चाहिए।

इंटैलीजैंस का जहां तक ताल्लुक है, ऊपर का तो मुझे पता नहीं है कि कैसा है, लेकिन लोअर-लेवल पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे आर्मी हो या सिविल हो—दोनों में कोआर्डिनेशन नहीं है। इन दोनों में कोआर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। इन्टैलीजेन्स और कम्यूनिकेशन की बजह से हम 1962 में बुरी तरह से पिटे थे। अब इन सब बातों को हम भूल गये हैं। इसलिए इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है।

हमारे हिल-एरिये में, जैसे लद्दाख है, वहां के लोगों पर इन्कमटेक्स माफ है। अभी एक-दो साल और है, उम्मीद है आगे भी यह बदस्तूर कायम रहेगा। लेकिन जहां जो आर्मी पर्सोनल है, जो दो साल के लिए वहां जाते हैं उनके लिए भी इन्कमटेक्स माफ होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर लीजिये इसमें कितना फाइनेन्स इन्वाल्व्ड होगा, मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं होगा, कुछ लाख रुपये का ही फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल में 150-200 अफसर वहां होंगे, वे कितना इन्कमटैक्स देते होंगे। वहां पर जो महंगाई है उसको देखते हुए मैं समझता हूं यह उनके लिए एक इन्सेन्टिव बन जाएगा। उनको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको मालूम है। हाई-आल्टीचूड पर मेमोरी पर असर पड़ता है, पोटेन्सी पर असर पड़ता है, फिजिकल-स्ट्रेन ज्यादा होता है, दूसरी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

जहां तक फ्री-राशन की बात है—आपके पास शायद 40 हजार आफिसर्ज होंगे जिनमें से आधे बार्डर्ज पर डिप्लाएड हैं उनको तो फ्री-राशन एलाउड है, क्योंकि उनको यह फैसिलिटी देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए, लेकिन जो 15-20 हजार ऐसे आफिसर्ज हैं जो पीस-एरियाजमे हैं उनको यह फैसिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए भी राशन फ्री कर दें। इससे कितना फर्क पड़ेगा ? ज्यादा फाइनान्स इन्वाल्व्ड नहीं होगा। 15-20 लाख सोल्जर्स को हम फ्री देते हैं, इनके बारे में भी आप जरा सोचिये।

हमारे इलाके में जो एअर-फोर्स पर्सोनल डिप्लाएड हैं बहुत थोड़े हैं, उनकी टर्म (टैन्योर) अगर आप एक साल कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी में तो लार्ज-स्केल मूवमेंट है, इसलिए दो साल ठीक है, लेकिन एअर-फोर्स की तादाद बहुत थोड़ी है। मैं समझता हूं इस पर

[श्री पी० नामग्याल]

भी आप जरा सोच लीजिये, अगर एक साल कर दें तो इससे इन थोड़े से लोगों को फायदा हो जायेगा।

हमारी जो माउन्टेन डिवीजन्ज हैं उनको स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है। इक्विपमेन्टस में आप ने काफी इम्प्रूवमेंट की है। सर्दियों में यहां वेपन्ज की एफिसियेन्सी में फर्क पड़ जाता है, उनमें आप बहुत सी माडिफिकेशन्ज लाये हैं, लेकिन अभी भी और ज्यादा लाने की जरूरत है। इस बारे में हमारे रिसर्च एण्ड डवेलपमेंट डिपार्टमैन्ट का काम चलता रहता है फिर भी इसको और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। ट्रांस्पोर्ट में मामूली माडिफिकेशन्ज से पैट्रोल की काफी सेविंग हो सकती है। आज कल पैट्रोल बहुत मंहगा है। वहां पर हम पैट्रोल-इन्जिन का जो जेट होता है उसको रिडयूस करते हैं। हायर आल्टीचूड पर जो जेट आप यूज करते हैं वह इन्जिन में पूरी तरह से कम्प्रेस नहीं हो पाता है और जो फ्यूअल उसमें आता है वह बर्न नहीं हो पाता है। कच्चा पैट्रोल फैंक देते हैं और गाड़ियों की एफीशियेन्सी कम हो जाती है। यहां पर मेहेन्द्रा जीप में जो फ्यूल जेट लगाते हैं, वह आज 140 माइग्रौन का होता है। उसको अगर 120 या 125 पर रिड्यूस कर दें, तो पर लीटर दो किलोमीटर का हम फर्क ला सकते हैं। पर लीटर में दो किलोमीटर वह ज्यादा जा सकता है और इस तरह से हजारों लीटर पैट्रोल की हम सेविंग कर सकते हैं।

एक जाति ख्याल का यहां पर इजहार किया गया और वह न्यूकिलयर वेपन के बारे में है। मेरा जाति ख्याल यह है कि पीसफुल परपज के लिए वह होना चाहिए। हमारे मुल्क में पण्डित जी से लेकर आज तक हम यही कहते आ रहे हैं कि केवल शान्ति के लिए परमाणु, युद्ध या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, होना चाहिए। मेरा भी यही व्यू है कि एटम पीसफुल परपज के लिए होना चाहिए और उसी पालीसी को कन्टीन्यू रखना चाहिए।

इन बातों के साथ मैं, डिफेन्स मिनिस्टर साहब जो डिमांड्स लाए हैं, उनको सपोर्ट करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं हालांकि मैं समझता हूं कि यह जो 5100 करोड़ रुपये का बजट है यह कम है। पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डालर की एड मिलती है और जब उसको 2 बिलियन की एड मिली थी, तो उसके बारे में जनरल जिया ने यह कहा था कि यह तो पीनट है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां का बजट भी पीनट है और बहुत कम है। हमको रिसोर्सेज को बढ़ा कर डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने, डिफैंस मिनिस्टर साहब ने और एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब ने हर दफा यह कहा है कि हम किसी से जंग नहीं करेंगे लेकिन हमारी पालिसी यह रहनी चाहिए कि हम हमेशा तैयार रहें।

इन शब्दों के साथ मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बजट मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुन्दरसिंह वह अन्तिम वक्ता हैं। वह पांच मिनट से अधिक

समय नहीं लेंगे। यदि वह पांच मिनट से अधिक समय लेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जमाना कब्जा करने का जमाना है और इम्पीरियलइज्म का जमाना है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कोई मन्दिरों पर कब्जा कर रहा है तो कोई गुरुद्वारों पर कब्जा कर रहा है और एक मुल्क दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो आज यह हालत है।

हमको क्या करना है, जो करना है वह तो डिफेन्स मिनिस्टर साहब को करना है। आपने बहुत सी मिसालें दी हैं लेकिन मुझे कोई मिशाल देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर मस्तो पर एक पुल बना दिया जाए, तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। आज तो उस पर पुल न होने की वजह से वह इलाका दूसरे इलाकों से 6 महीने कटा रहता है। अगर मस्तो पर पुल बन जाय, तो 100 गांव सेफ हो सकते हैं। जब लड़ाई होती है, तो हम वहां जाते हैं और वह इलाका पाकिस्तान के नजदीक है। हमें पता है कि पाकिस्तान से आकर लोग हमारे मवेशी ले जाते हैं और हमारे यहां के लोगों को तंग करते हैं। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को इसका क्या पता है।

मैं एक बात और बता दूं। सरदार पटेल ने कहा था :

"यदि आप शान्ति चाहते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए।"

जब तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे, पीस नहीं हो सकती। (व्यवधान) इसमें शक नहीं कि आपके आदर्श बहुत ऊंचे हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब जम्मू व काश्मीर में लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त महात्मा गांधीजी ने वहां आदमी भेजने के लिए कहा था। क्यों वहां आदमी भेजे थे ? उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है, उसको पकड़ लो।

यदि आप शान्ति चाहते हैं, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, सरदार पटेल जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने यह कहा था।

एक बात दिलीप सिंह भूरिया ने जो कही, वह ठीक है। जो शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, जो मजहबी हैं, उनको फौज में भर्ती करना चाहिए। उनको भर्ती क्यों नहीं करते, यह मैं समझ नहीं पाया। उनको भर्ती कर लो, उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर वह मर गया, तो ठीक है और अगर बाहर आएगा, तो कम से कम दिलेर तो होगा। इससे हरिजनों में भी जान आयेगी। हरिजन 15 करोड़ आदमी है, उनको कोई

[श्री सुन्दर सिंह]

भर्ती नहीं करता है। हमारी मांग है कि हरिजनों को भी फौज में भर्ती दो। हरिजन भी यह जानते हैं कि—

कोई भी व्यक्ति अनुरोध करके अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। अधिकार अनचाहे हाथों से छोनना होता है।

हरिजन गरीब हैं। वे खेती-बाड़ी करते हैं, छोटे से छोटा काम करते हैं। जमींदारों के बच्चे क्या करते हैं। ऐश करते हैं, खाते-पीते, मौज मारते है। क्या उनमें जान होती है? जान उनमें होती है जो हाथ से काम करते हैं। गरीब आदमी में जान होती है। वह आपके लिए लड़ सकता है। उनको आपको ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना चाहिए। बड़े लोग कोई काम नहीं करता है। सब पैसे कमा रहे हैं। सब गरीबों का नाम लेकर उनको स्क्सप्लोइट करते हैं। यह गलत बात है। इसको आपको देखना चाहिए।

सबका विकास ही जीवन है। सबका ह्रास ही मृत्यु है सबसे प्यार करना ही विकास है। सबकी स्वार्थता ही ह्रास है। प्यार ही जीवन का एकमात्र कानून है। वह जो प्यार करता है जीवित है। वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्यार के लिए प्यार करो क्योंकि यही जीवन का एकमात्र कानून है।

जो अमीर आदमी हैं वे सब ऐशों आराम करके हार्ट अटेक से मर रहे हैं जितने धनी मुल्क हैं सबमें यह हो रहा है।

आज जापान और पाकिस्तान जैसे मुल्क हम पर कब्जा जमाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जो हमारे घर की लड़ाई है, पहले हमें उसे खत्म करके तगड़ा बनना चाहिए। कमजोर होकर कोई काम नहीं चल सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी फौजों का ताल्लुक है, 1927 में हमारे यहां एक चमार पलटन थी। वह भी आपने तोड़ दी। लेकिन आपके यहां अब डोगरा पलटन है, सिख पलटन है, जाट पलटन है। इनको आप क्यों नहीं तोड़ते? अगर आप क्लासलेस सोसायटी बनाना चाहते हैं तो इन्हें भी तोड़िये नहीं तो हमारी आदिवासी पलटन, चमार पटलन, हरिजन पलटन भी बनाइये।

हम हरिजन 15 करोड़ लोग हैं। हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम पर रुपया खर्च नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक्स सर्विसमेन को रिजर्वेशन दो। उनको दो लेकिन हमारा हक तो नहीं मारो।

जितने हरिजन हैं, आदिवासी हैं सब गरीब आदमी हैं। बड़े बेकवर्ड आदमी हैं। हम लोगों की आपको ज्यादा मदद करनी चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं है उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। गरीब न तो यह जानता है कि कौन कम्युनिस्ट है, न वह यह जानता है कि कौन केपिटलिस्ट है। वह तो यह जानता है कि हमारी जमीन न छीनी जाए, हमारी दुकानें न छीनी जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुल है आप पहले गरीब आदमियों की सुरक्षा करो। परमात्मा के नाम पर उनका भला करो। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं—

आपको परमात्मा को कहां ढूंढना चाहिए ? क्या निर्धन, अभागे और पददलित परमात्मा नहीं हैं ? पहले उनकी पूजा करो। मैं ऐसे परमात्मा और धर्म में विश्वास नहीं रखता जो विधवा की आंखों के आंसू न पौंछ सके और जो किसी अनाथ के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा तक न डाल सके।

इस वास्ते मैं कहता हूं कि पहले घर की लड़ाई बंद करो। अगर घर में लड़ते रहोगे तो बाहर कैसे लड़ोगे ? हमारे यहां जितने आदमी मरते हैं वे गरीब आदमी मरते हैं। चाहे घर की लड़ाई हो चाहे बाहर की लड़ाई हो। अगर हम घर में तगड़े होंगे तो हमें कोई नहीं मार सकता है।

हमारे यहां जो अपोजिशन है उसमें कई नुक्श हैं। मैं अपोजिशन के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि विपक्ष एक अच्छा चिह्न है क्योंकि वह सरकार को सही रास्ते पर रखता है।

जहां अपोजीशन ताकतवर नहीं है वहां ऐसी हालत होती है। आप अपनी कमजोरी दूर करें। फिर गवर्नमेंट भी ठीक हो सकती है। हरिजनों की आबादी पंद्रह करोड़ है। उसके मुताबिक उनको आप भरती करें। छम्ब जौरिया में क्या हुआ था ? वहां सब भाग गए थे, हरिजन काम आए थे। मार्शल रेस वाली बात फिजूल है। इनकी हड्डी मजबूत होती है। सिख ब्राह्मण, राजपूत मर चुके हैं। वे मौज करने में लगे हुए हैं। उनमें दम नहीं रह गया है। हमारे बच्चों में दम है। वे ज्यादा तकलीफें उठाते हैं और ज्यादा लड़ाइयां करते हैं। पंजाब में आप देख लें। हरिजनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उन्होंने जमीनें ले रखी हैं। मैंने जवाहरलाल को कह कर जमीन ली। जमीन जिस के पास होती है उसके पास लाठी भी होती है। इसी वास्ते पंजाब में तरक्की के काम हुए हैं। स्टेट्स में आपके लड़ाइयां होती हैं। आप यहां बैठे रहते हैं। एम० पी० बनने की आपको क्या जरूरत है। घर में आपके लोगों पर जूतियां पड़ रही हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं ? वहां जाकर उनकी हिफाजत क्यों नहीं करते ? आप चाहते हैं मामले ठीक हो जाएं तो गरीबों की मदद करो। महात्मा गांधी की यही पालिसी थी। उन्होंने टट्टियां साफ कर-कर के अंग्रेजों को निकाल बाहर किया। पाकिस्तान से आप डरते क्यों हैं। पंद्रह करोड़ को तंग क्यों करते हैं। उनकी मदद करो, गरीब आदमियों की मदद करो। वे आपकी हिफाजत करेंगे। हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिये। सुलह की बात करें लेकिन बाकायदा तैयार भी रहें। जबर आदमी से

[श्री सुन्दर सिंह]

दुनिया डरती है। कमजोर की कोई नहीं सुनता। डिफेंस को मजबूत कर लें, अपनी ताकत बढ़ा लें, खुद ताकतवर हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। दुनिया उसका साथ देती है जिसके हाथ में डंडा होता है, ताकत जिसके पास होती है। आप भी ताकतवर बनें।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दे दिया करें आगे भी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत मूल्यवान बातें कहीं। मंत्री जी कल इसका उत्तर देंगे। अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.43 म० प० तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 26 मार्च, 1982/5 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 अन्सारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002.